सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 भाग (1) मंगलवार, 20 मार्च, 2018 / 29 फाल्गुन 1939 (शक) अंक–68

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदना	3–4
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या–22 से 24, 36 एवं 31 से 33)	4–91
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–21, 25, 32 एवं 34 से 40)	91–177
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–45 से 114)	178–542
6.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	543–566
7.	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी	
8.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	567–571
	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर	
9.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	572–637
	नाऐडा प्राधिकरण द्वारा गाजीपुर की ढलाव / जमीन पे कूड़ा–करकट डालने के संबंध में	

खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01) / अंक-68

मंगलवार 20 मार्च, 2018 / 29 फाल्गुन 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 भाग (1) मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन 1939 (शक) अंक–68

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदना	3–4
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या–22 से 24, 36 एवं 31 से 33)	4–91
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–21, 25, 32 एवं 34 से 40)	91–177
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–45 से 114)	178–542
6.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	543–566
7.	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी	
8.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	567–571
	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर	
9.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	572–637
	नाऐडा प्राधिकरण द्वारा गाजीपुर की ढलाव/जमीन पे कूड़ा–करकट डालने के संबंध में	

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–7 भाग (1) मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन 1939 (शक) अंक–68

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री रितुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी

23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री अमानतुल्लाह खान
45. श्री राजू धिंगान
46. श्री मनोज कुमार
47. श्री नितिन त्यागी
48. श्री ओम प्रकाश शर्मा
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्रीमती सरिता सिंह
52. मो. इशराक
53. श्री श्रीदत्त शर्मा
54. चौ. फतेह सिंह
55. श्री जगदीश प्रधान
56. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन1939 (शक) अंक-68

सदन अपराह्न 2.06 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। इस सत्र का तीसरा दिन। सर्वप्रथम शोक–सन्देश।

शोक सन्देश

यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि ईराक में आईएसआईएस ने 39 भारतीयों को मार दिया, जिनका अपहरण उसके द्वारा मोसूल में वर्ष 2014 में किया गया था। इनमें से अधिकतर पंजाब राज्य के थे। यह बहुत ही दुःखद है और मानवता पर करारा हमला है। इस नष्शंस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है। हैरानी की बात यह है कि अपहरण के लगभग साढ़े तीन वर्शों बाद यह सच्चाई सामने आई। इस तरह की घटनायें न केवल भारत अपितु पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा हैं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना

करता हूॅ। साथ ही उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूॅ जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूॅ कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान दें।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदयः ओम शांति, शांति, शांति ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 21 यानी हाजी इश्राक जी। (अनुपस्थित) प्रश्न संख्या 22 श्री पवन कुमार शर्मा जी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 22, श्री पवन कुमार शर्मा जी। श्री सही राम जी, प्रश्न संख्या 23। पवन जी तो बैठे हैं। प्रश्न संख्या 22, पवन जी करिये अपना प्रश्न। एक सेकेंड। हॉ, पवन जी, बोलिये।

श्री पवन कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्री जी प्रश्न संख्या 22 प्रस्तुत हैः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि पीजीएमएस के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को 27/2/2018 तक 454 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 36 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 33 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं;

ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

घ) क्या यह भी सत्य है कि 275 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया;

ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

च) क्या यह सत्य है कि इन शिकायतों को निपटाने के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

छ) इन शिकायतों को समय पर निपटाने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका विवरण प्रदान करें;

झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

ञ) इन शिकायतों का निपटारा कितने समय में हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

पी.जी.एम.एस के अनुसार दिनांक 27/2/2018 तक 454 के बजाय 450 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 शिकायतें लंबित थीं;

ख) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

पी.जी.एम.एस के अनुसार दिनांक 27/2/2018 तक 28 शिकायतें लंबित थीं;

ग) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

इसके विभिन्न कारण हैं जैसे नीतिगत शिकायतों का निपटारा नीति बनाने के बाद ही किया जा सकता है जैसे स्टेट नेमिंग अथॉरिटी में लम्बित शिकायतों का निपटारा स्टेट नेमिंग अथॉरिटी कमेटी ही कर सकती है। इस तरह की शिकायतों/प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न विभागों से आवश्यक रिपोर्ट लेने के उपरान्त शिकायतों का निस्तारण एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ही होता है जिस पर स्टेट नेमिंग अथॉरिटी की बैठक में ही लम्बित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है;

जैसे अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित शिकायतें अनधिकृत कालोनियों की नीति जो कि हमारे विभाग द्वारा मसौदित होती है तथा अन्तिम रूप भारत सरकार देती है, के अनुसार ही निपटाई जाती है। इस तरह की शिकायतों में कोई आखिरी नीति नहीं बनने के कारण शिकायतें लोगों की इच्छानुसार नहीं निपटाई जा सकती हैं। जैसे कि वन विभाग की भूमि पर बसी कालोनियों के विकास कार्य से सम्बंधित शिकायतें इत्यादि। इसी तरह जहॉ नीतिगत निर्णय लेने होते हैं, वहॉ कई शिकायतों के निपटारे से सभी संतुष्ट नहीं होते;

घ) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

जी हॉ, कुछ हद तक नियमों की अनिवार्यता तथा प्रक्रिया के कारण निस्तारण में विलम्ब संभव हैं या कभी–कभी नियमानुसार शिकायत पर कार्रवाई करना संभव नहीं होता;

ङ) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

जैसे–जैसे नीतियां निर्धारित होती हैं या आवश्यक रिपोर्ट/नियमावली प्राप्त होती हैं। उपरोक्त शिकायतों को निपटाने का प्रयास किया जाता है जैसे राजीव गांधी आवास योजना के मकानों के आवंटन से संबधित शिकायतों का निवारण;

च) एवं छ) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

जी हां, समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं तथा तुरंत उनकी अनुपालना की जाती है;

ज) एवं झ) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

चूंकि शहरी विकास विभाग/मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभाग, निकाय, बोर्ड निगम व स्थानीय निकाय (जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली छावनी परिषद इत्यादि) पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है अतः जो भी शिकायत शहरी विकास बोर्ड के पास प्राप्त होती है उसको तुरंत संबधित निकायों, बोर्डों तथा निगमों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। सभी निकायों के अपने शिकायत निवारण प्रबंध/व्यवस्था है। अतः संबंधित अधिकारियों का नाम व तिथि का

विवरण देना संभव नहीं है। हालांकि सभी निकाय, बोर्ड तथा निगम तुरंत आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्व है; और

ञ) **पी.जी.एम.एस (शहरी विकास)**

इन सभी शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द नियमानुसार करने का प्रयास किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब इतनी सारी शिकायतों का निपटारा नहीं...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड सौरभ जी, उनकी सप्लीमेंटरी एक बार हो जाए। पवन जी का मुख्य क्वेश्चन है।

श्री पवन कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जो शिकायतें की जाती हैं और कुछ शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता या कोई जवाब नहीं आता तो क्या सरकार बाद में उस पर कोई कार्रवाई या कुछ किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास?

श्री पवन कुमार शर्मा : उदाहरण है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, बताइये मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ शिकायतें हैं जो कि पॉलिसी रिलेटिड हैं जैसे कि अभी मैंने अपने जवाब में ही बताया था जैसे स्टेट

नेमिंग अथॉरिटी के पास बहुत सारे प्रपोजल हैं। जब तक स्टेट नेमिंग अथॉरिटी मीटिंग करके उन पर फैसला नहीं कर देती है, उनका निपटारा नहीं हो सकता है। इसी तरह से पॉलिसी जैसे अनअथोराइज्ड कालोनीज के अंदर शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार जो पॉलिसी बनाता है उसको केन्द्र सरकार से अप्रूव करा लेती है, जैसे कि वन विभाग की भूमि है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पर बैन है, वो नहीं हो सकती है तो उस तरह की शिकायतें जितनी भी हैं, वो सारी पेंडिंग ही रह जाती हैं, जब तक कि वो मसला नीतिगत लेवल पर सॉल्व नहीं होगा। जहां तक इंडिविजुअल शिकायत की बात है, अगर नीतिगत वजह से नहीं रुका है तो हरेक के ऊपर फैसला लिया जाता है, हरेक के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर ऐसी कोई भी शिकायत है जिस पर कार्रवाई न की गई है, तो पर्टिकुलर शिकायत दी जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हां, एनी सप्लीमेंटरी? सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि 275 शिकायतें ऐसी हैं जिनका जवाब जो है, और जो कार्रवाई है, संतोषजनक नहीं पाई गई और यह विभाग ने माना भी है। मगर जब यह पूछा गया कि किन अधिकारियों की गलती से इन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ तो इसके अंदर अधिकारियों का नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि स्टेट नेमिंग अथॉरिटी, मुझे लगता है कि अगर किसी सड़क का नाम बदला नहीं जा रहा, वो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जिस मुसीबत को इतना ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। मुसीबत यह है कि किसी के यहॉ नाली बह रही है, किसी के यहां सीवर

बह रहा है, किसी के यहॉ पानी नहीं आ रहा है, वो शिकायतें अगर पूरी नहीं हुई हैं तो उसमें अधिकारियों का नाम देने में क्या तकलीफ है? और अगर यह प्रश्न लगाया है, स्पेसिफिक लगाया है, उसका जवाब न देने का क्या मतलब है? इसमें तो नाम आना चाहिए अधिकारियों का।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो 275 शिकायतें हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूॅ कि जो भी शिकायतें हैं, जिस भी अधिकारी के पास लंबित हैं, उनके नाम उनको दे दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : समय की और सीमा तय करवा दीजिए जैन साहब। कब तक दे दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले 15 दिन के अंदर सब के नाम दे दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 23, श्री सही राम जी।

श्री सही राम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 23 प्रस्तुत हैः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन्स के साथ कितने एमओयूज साइन किए गए हैं जिनसे

City Livelihood Centre के बनाने हेतु सेल्फ हैल्प ग्रुप (SHGs) बनाने में मदद मिलेगी जहां शहरी गरीब व्यक्ति 'National Urban Livelihood Mission' के अंतर्गत सुनियोजित ढंग से अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं ऑफर कर सकें;

ख) इन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन्स द्वारा अब तक कितने Self Help Groups बनाए गए हैं;

ग) इस उद्देश्य हेतु इन SHGs द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितनी बैठकें की गई हैं;

घ) इन SHGs द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितनी वक्रशॉप्स आयोजित की गई हैं;

ङ) पिछले 5 वर्षों में कितने City Livelihood Centre बनाए गए हैं; और

च) इन केन्द्रों में अब तक कितनी बिक्री/व्यापार हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 23 का उत्तर इस प्रकार देना चाहूँगाः

(क) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**
'National Urban Livelihood Mission' के अन्तर्गत 22 रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एन.जी.ओ) के साथ एम.ओ.यू साइन किया गया है, जिन्हें सेल्फ हैल्प ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

इन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन्स द्वारा अब तक पॉच सेल्फ हैल्प ग्रुप बनाये गये हैं;

(ग) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

इस उद्देश्य हेतु इन एस.एच.जी. द्वारा 2017–18 में 50 बैठकें की गई हैं।

(घ) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

इन एस.एच.जी. द्वारा 2017–18 में कोई भी वर्कशॉप आयोजित नहीं की गई है;

(ङ) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

अभी तक कहीं भी City Livelihood Centres नहीं बनाया गया है; और

(च) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

अभी तक कोई बिक्री/व्यापार नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी सही राम जी। एनी सप्लीमेंट्री? सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : सर, इसके अंदर मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एसएचजी की अभी तक कोई भी वर्कशॉप्स आयोजित नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम है, यह सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन अफेयर्स की स्कीम है और उनकी तरफ से जो इन्होंने करना होता है तो इसमें मीटिंग, जनरल मीटिंग तो इनकी हुई है परंतु वर्कशॉप अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : सर, इसमें मंत्री जी ने बताया है कि अभी तक कहीं भी सिटी लाइवलीहुड सेंटर नहीं बनाया गया there is one. number two, it sounds A very good programme but neither any of the MLAs have any information about any of this, nor we have been educated about this. if the government does any of such things, we should be given information in advance so that we can utilize such programmes so why there is no such scheme to educate MLAs also on such programmes? thank you.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यह सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है और जैसे कि आदरणीय सदस्य ने अभी कहा है तो दिल्ली सरकार का अरबन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एमएलएज की एक वर्कशॉप करने के लिए तैयारी करेगा ताकि सभी को इसके बारे में ज्ञान दिया जा सके और मैं अपने डिपार्टमेंट को आदेश देता हूँ कि वो अगले एक महीने में इसकी वर्कशॉप लगाये और सब को सूचित करे।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 24 श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 24 प्रस्तुत हैः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि 'ढ़लाव मुक्त दिल्ली' बनाने के लिए एमसीडी ने किसी प्राइवेट एजेंसी से अनुबंध किया है, जिसका कार्यान्वयन नॉर्थ एमसीडी द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'ढ़लाव मुक्त दिल्ली' योजना को करोल बाग जोन में भी लागू किया जा रहा है;

(ग) क्या करोल बाग में मिलिट्री रोड, बापा नगर में स्थित ढ़लाव उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत आता है;

(घ) नियमानुसार एक ढ़लाव की अधिकतम क्षमता कितनी होती है और क्या इस नियम का करोल बाग में मिलिट्री रोड़, बापा नगर में स्थित ढ़लाव के संबंध में पालन किया जा रहा है;

(ङ) नियमानुसार एक जोन में स्थित कितने वार्ड अपना कूड़ा एक ढ़लाव में डाल सकते है;

(च) क्या रिहायशी एरिया की 50 मीटर की परिधि में कोई ढ़लाव ना होने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का नॉर्थ एमसीडी द्वारा करोल बाग जोन में पालन किया जा रहा है;

(छ) करोल बाग में मिलिट्री रोड, बापा नगर में स्थित ढ़लाव से नॉर्थ एमसीडी द्वारा प्रतिदिन कितनी मात्रा में कूड़ा उठाया जाता है;

(ज) क्या यह सत्य है कि करोल बाग में मिलिट्री रोड़, बापा नगर में स्थित ढ़लाव में उसकी क्षमता से अधिक कूड़ा डाला जाता है;

(झ) करोल बाग में मिलिट्री रोड़, बापा नगर में स्थित ढ़लाव में 'जीरो आवर टाइम' कब होता है;

(ञ) क्या कमिश्नर, नार्थ एमसीडी और डिप्टी कमिश्नर, करोल बाग जोन को मिलिट्री रोड, बापा नगर, करोल बाग की घनी आबादी में स्थित ढ़लावों से वहॉ के निवासियों को हो रही भारी समस्याओं की जानकारी है,

(ट) यदि हॉ, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ:

(क) जी, हां रोहिणी व सिविल लाईन क्षेत्र में घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य मैसर्स डीएमएसडब्लूएसएल के द्वारा किया जाता है, जिसके अन्तर्गत ढ़लावों को बन्द करने का प्रावधान है;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी, नहीं, करोलबाग में कूडा उठाने का कार्य अलग कम्पनी ए. जी.इनवायरो को आंबटित है;

(घ) ढलाव की अधिकतम क्षमता का कोई नियम नहीं है।

(ड) इस प्रकार का कोई नियम नहीं है;

(च) वर्तमान में क्षेत्र में ढलावों पर ही कूडा एकत्रित कर एस.एल.एफ. साईट पर ले जाया जाता है;

(छ) मिलिटरी रोड, बापा नगर स्थित ढलाव से प्रतिदिन लगभग 40 से 45 मीट्रिक टन कूड़ा दिन में तीन से चार बार में उठाया जाता है;

(ज) जी, हॉ;

(झ) सुबह 6 से 7 बजे, जीरो ऑवर टाईम होता है;

(ञ) जी, हॉ; और

(ट) किन्तु अन्य जगह न होने के कारण इस ढलाव को बन्द या शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा करोल बाग क्षेत्र के लिए घर–घर से कूड़ा उठाने वेब फिक्स्ड कॉम्पेक्टर द्वारा कूड़ा उठाने के लिए निविदाएं आंमत्रित कर रहा है। जिससे कि इस प्रकार की समस्या का निवारण हो सके।

अध्यक्ष महोदयः हां रवि जी सप्लीमेंटरी।

श्री विशेष रविः सप्लीमेंटरी ये है कि माननीय मंत्री जी के इस उत्तर में खुद ही स्पष्ट हो रहा है कि जो मिलिटरी रोड करोल बाग जोन के अंदर आने वाला ढ़लाव है, उसमें प्रतिदिन 40 से 45 एम टी कूड़ा उठता है और पांच छह बार उठता है। जो जीरो ऑवर है, वो भी मेन्टेन नहीं हो रहा है और ये विभाग ने खुद माना है कि यहॉ पर, इस ढ़लाव में इसकी क्षमता से कहीं अधिक कूड़ा डल रहा है लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो एमसीडी की जो एक पालिसी है, स्कीम है; 'कूड़ा मुक्त दिल्ली' में सिविल लाइन्स जोन और रोहिणी जोन के अंदर कूड़ा इस स्कीम के अंदर उठाया जा रहा है लेकिन...

अध्यक्ष महोदयः क्वैश्चन बनाइये इसको, क्वॅश्चन।

श्री विशेष रविः मिलिटरी रोड और करोल बाग जोन के अंदर इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रीः करोल बाग जोन के अंदर घर घर से कूड़ा उठाने के लिए वेब फिक्स्ड कॉम्पेक्टर द्वारा कूड़ा उठाने की निविदाएं आमंत्रित कर रहा है। ये नार्थ एमसीडीज के टेंडर काल कर रहा है और जैसे ही टेंडर सफल होंगे तो ये घर घर से कूड़ा यहॉ पर भी उठाया जाएगा।

श्री विशेष रविः मेरा प्रश्न था कि 'कूड़ा मुक्त दिल्ली' के तहत कूड़ाघर ढ़लाव खत्म करने की जब दो जोन के अंदर आलरेडी स्कीम चल रही है तो करोल बाग जोन के अंदर इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? कॉम्पेक्टर की बात तो समझ में आ रही है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसका उत्तर दिया कि टेंडर इन्वाइट कर रहा है करोलबाग जोन।

श्री विशेष रविः टेंडर इन्वाइट जो है, वो दूसरी स्कीम के तहत किया जा रहा है। फिक्स्ड कॉम्पेक्टर की बात की जा रही है।

शहरी विकास मंत्रीः नहीं नहीं, घर–घर से कूड़ा उठाने... मैंने दोनों चीजें बताई हैं। घर–घर से कूड़ा उठाने के लिए और फिक्स्ड कॉम्पेक्टर, दोनों के लिए टेंडर किये जा रहे हैं। अब तो घर–घर से कूड़ा उठाया जाएगा इसके तहत।

श्री विशेष रविः करोल बाग जोन के लिए कर रहे हैं? ठीक है।

अध्यक्ष महोदयः हां पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरक प्रश्न ये है कि ये इस सरकार के आने के तत्काल बाद मैं नार्थ एमसीडी की कमिश्नर महोदय से मिला था बिलकुल ठीक इस विषय पर कि सेनिटेशन का बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसमें पारदर्शिता कैसे लाई जाए तो मिनट्स हैं, मीटिंग के, जिसमें कि ये तय हुआ था कि हम कम्प्लीट ट्रांस्पेरेंसी रखेंगे कि हमारे टीपर्स ढ़लाव की व्यवस्था कब उठ रही है। उसकी गाड़ियॉ कब मूव कर रही हैं और जितने सफाई कर्मचारी हैं, उनकी बिल्कुल सूचना जो

है, हम सार्वजनिक बोर्डों पर लगाएंगे और उसको करेंगे लेकिन उसका अनुपालन लगातार, बार–बार आग्रह करने के बाद नहीं हो पा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से उसको सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार क्या कर सकती है, मंत्री महोदय क्या इसमें आश्वासन दे सकते हैं, ये प्रार्थना है।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से सभी को पता होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जैसा कि आदरणीय सदस्य पंकज पुष्कर जी ने कहा है कि उनके साथ मीटिंग में कमिश्नर साहब ने भी वादा किया था कि जितने भी कर्मचारी हैं, उनका सारा डेटा बताया जाएगा, मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि सभी जोन में कितने–कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके लिए सभी कॉरपोरेशन्स सिर्फ नार्थ दिल्ली को नहीं, तीनों कॉरपोरेशन्स को आदेश दिये जाएंगे कि सभी कर्मचारियों की जोन वाइज, हर वार्ड वाइज, जोन नहीं, हर वार्ड वाइज संख्या को वेबसाइट पर दिखाएं और जितना भी कूड़ा उठाया जा रहा है, जो भी हैं, सारी चीजों को पारदर्शी तरीके से अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इसके लिए मैं उनको कहूँगा कि तीन महीने के अंदर ये सारा कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदयः विशेष जी।

श्री विशेष रविः सर, जो टेंडर बताया गया है, इसकी तारीख अगर सर, बता दें कि ये कूड़े का ढ़लाव कब शिफ्ट हो जाएगा और उसके टेंडर जो हम कर रहे हैं, उसकी तारीख क्या है?

शहरी विकास मंत्रीः टेंडर की डेट अभी ऑफ हैण्ड अवेलेबल नहीं है, इसको तीन दिन के अंदर आदरणीय सदस्य को बता दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः सुश्री भावना गौड़ जी आज उपस्थित नहीं हैं। उनके पिताजी का आज स्वर्गवास हो गया था। श्री महेन्द्र यादव जी।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 26 प्रस्तुत हैः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) ओ/एम (परिचालन एवं रख–रखाव) की वर्तमान स्थिति जानने हेतु डीयूएसआईबी में उच्च स्तर पर कितने निरीक्षण किए गए हैं, इन सभी निरीक्षणों के मिनटस उपलब्ध कराए जाएं;

ख) जनता के लाभ हेतु टॉयलेट काम्पलैक्स के समुचित उपयोग की जानकारी के लिए डीयूएसआईबी द्वारा अब तक कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

ग) यदि संख्या एक से 10 के बीच तय किया जाए तो डीयूएसआईबी के शौचालय परिसरों एवं अन्य परिसम्पत्तियों हेतु ओ/एम (परिचालन एवं रख–रखाव) का न्यूनतम संतोषजनक स्तर क्या है; और

घ) पिछले पॉच वर्षों में डीयूएसआईबी के ओ/एम (परिचालन एवं रख–रखाव) के स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रश्न संख्या 26 का जवाब देना चाहता हूँः

क) सी.ई.ओ. डीयूएसआईबी द्वारा दिये गये निर्देशों पर समय समय पर उच्च अधिकारी निरीक्षण करते रहे हैं, उसके मिनट्स जारी नहीं किये जाते हैं। अभी हाल में सी.ई.ओ., मेम्बर (इंजीनियरिंग), सी.ई.ने सात दिन तक लगातार निरीक्षण किया था। उसकी रिपोर्ट संलग्न है;[1]

ख) यह कार्यक्रम एन.जी.ओ. द्वारा किये गये हैं व जिनकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। सभी शौचालयों में उचित जानकारी के बोर्ड लगाये गये हैं;

ग) डीयूएसआईबी द्वारा ऐसी कोई स्टडी या असेसमेंट नहीं किया गया है, अतः यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है; और

घ) सभी शौचालयों में पानी बिजली व रख–रखाव एजेंसी उपलब्ध हैं एवं रख–रखाव का स्तर सन्तोषजनक है?

1. www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

Inspection Report of visit to Toilet Complexes in AC-49, Sangam Vihar and AC-52, Tughlakabad on 17.02.2018

An inspection of toilet complexes of DUSIB has been carried out by Smt. Farheen Mallick, DCW along with Member (Engg.), CE-I and other officers of DUSIB.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	C06	49	49CJ0822	Narden Jhuggie SP Builder Cluster, MB Road	39	Pucca	ST	M/s Azad Samajik Sewa Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The toilet complex was found clean and in good condition.

Action : The concerned EE (Civil) is directed to maintain the complex in such condition in

2	C06	52	52CJ0906	Janta Jeevan between park and plot no. D-11/1, 11/2, 11/4 and back lane of D-11/4 to D-8/1 Okhla Ind. Area Phase-II	42	Pucca	SL	M/s Sant Social Welfare Associa-tion	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The toilet complex was found clean and in good condition.

Action : The concerned EE (Civil) is directed to maintain the complex in such condition in

3	C06	52	52CJ0849	Janta Jeevan camp near over head tank Okhla Ind. Area Phase-II	21	Pucca	SL	M/s Sant Social Welfare Associa-tion	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The toilet complex was found clean and in good condition.

Action : The concerned EE (Civil) is directed to maintain the complex in such condition in future also.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	C06	52	52CJ0905	Sanjay Colony Y-Block at No. Y-5 to Y-8 and back lane of Y-1 to Y-12 and ESS Okhla Ind. Area Phase-II (Site-2)	108	Pucca	SL	M/s Jyoti Samajik Sewa Sansthan	Available	available	satisfactory	available	available	available	available

Observations : The toilet complex was found clean and in good condition.

Action : The concerned

EE (Civil) is directed to maintain the complex in such condition in future also.

5	C06	52	52CJ0905	Sanjay Colony Y-Block at No. Y-5 to Y-8 and back lane of Y-1 to Y-12 and ESS Okhla Ind. Area Phase-II (Site-1)	108	Pucca	SL	M/s Jyoti Samajik Sewa Sansthan	Available	available	satisfactory	available	available	available	available

Observations : The toilet complex was found clean and in good condition.

Action : The concerned EE

(Civil) is directed to maintain the complex in such condition in future also.

P.S. : The videography of the inspection carried out of the toilet complexes as mentioned above has been done and the record is available in DUSIB Office.

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Inspection Report of visit to Toilet Complexes in AC-04 Adarsh Nagar Area on 16.02.2018

An inspection of toilet complexes of DUSIB was carried out by CEO, DUSIB alongwith Smt. Promila Gupta, Member DCW and other officers of DUSIB.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	C11	04	4CJ1404	JJ Basti Sarai Pipalthala, Adarsh Nagar, Site No.1	31	Pucca	SL	Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfactory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. The large number of users were found at the time of inspection and the complex was almost over crowded being peak hours. The JJ Dwellers and the care taker informed that around 2000 persons are using this toilet block daily. The complex remains open round the clock. Member(DCW) suggested to cater additional demand of toilet, 2nos. bathroom in ladies section be converted to WC's and for better illumination additional LEDs in this toilet block be also installed. Apart from this she has also suggested to take extra care to maintain cleanliness of the complex during peak hours.

Action : EE C-11, EE E-4 have been directed to take immediate action for the conversion of 2 nos. bathroom to WC's and to provide extra lighting arrangements (LEDs) respectively.The O&M agency has also seen asked to maintain more cleanliness during peak hours.

	C11	04	4CJ1403	JJ Basti Sarai Pipalthala, Adarsh Nagar, Site No.2	27	Pucca	SL	Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. The large number of users were found at the time of inspection and the complex was almost over crowded being peak hours.. The complex remains open round the clock. Member(DCW) suggested to cater additional demand of toilet, 2nos. bathroom in ladies section be converted to WC's and for better illumination additional LEDs in this toilet block be also installed. Apart from this she has also suggested to take extra care to maintain cleanliness of the complex during peak hours.

Action : EE C-11, EE E-4 have been directed to take immediate action for the conversion of 2 nos. bathroom to WC's and to provide extra lighting arrangements respectively.

The O&M agency has also been asked to maintain more cleanliness during peak hours.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	C11	04	4CJ1402	JJ Basti H-2 block double storey, Jahangri puri	40	Pucca	SL	Rajya Jan vikas samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. Member (DCW) suggested for better illumination additional LEDs in this toilet block be installed. Users of the complex complained for non availability of adequate soap/cleaning material.

Action : EE E-4 have been directed to take immediate action to provide extra lighting arrangements (LEDs)in toilet complex. The O&M agency has also been asked to provide sufficient soap/cleaning material on daily basis.

	C11	04	4CJ1401	JJ Basti G block Jahangirpuri	20	Pucca	SL	M/s. Sindhu social Welfare & Environ-ment society	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory.

Action : EE C-11 and O&M agency directed to upkeep the complex clean and functional

P.S.: The videography of the inspection carried out of the toilet complexes as mentioned above has been done and the record is available in DUSIB office.

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Inspection Report of visit to Toilet Complexes in AC-41, Jangpura and AC-51, Kalkaji on 15.02.2018

An inspection of toilet complexes of DUSIB has been carried out by Ms. Sarika Chaudhary, Member DCW along with CE-I, DUSIB and other officers of DUSIB.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	C05	41	41CJ0611	Pratap Camp behind Gurudwara Nehru Nagar	21	Pucca	SL	VIMHANS (Under CSR)	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The Member DCW desired to improve the cleanliness. Few cisterns in WCs were not functioning properly in gents section. The lights in some of the WCs were not functional. The complex is open round the clock.

Action : The complex is overall satisfactory. The O&M agency has been directed to improve the cleanliness in the complex. The Area EE (Civil), DUSIB has been directed to attend the deficiency in the cisterns in all the WCs. The concerned EE (Elect.) has also been directed to check all the liqhts in the complex today itself and to ensure that all the liqhts are functional.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
2	C05	41	41CJ0657	JJC Adivasi Camp behind PGDAV College Nehru Nagar	41	Pucca	ST	M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. One number WC was locked due to chokage and one number WC was not clean in ladies section. The complex remains open round the clock. The JJ Dwellers reported that the care taker is changed frequently.

Action : The concerned EE(Civil) has been directed to take the action to make the chocked WCs functional immediately. The O&M agency informed that the care taker is having some family issues and therefore he has to visit his hometown frequently however, it has been assured by the O&M agency that the alternative caretaker is available.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	C05	41	41CJ0612	Indira Camp MCD School, Block 10, Nehru Nagar	19	Pucca	SL	M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : Tne complex was overall satistactory. Tne complex is not open during late night hours. The Member, uuw suggested that Mahila Helpline Number - 181 be also displayed in all the Jan Suvidha Complexes maintained by DUSIB.

Action : The nearby women JJ Dwellers informed that they have forced the care taker to close the complex during late night hours due to law and order issue and to open on call by the user only. The suggestion to display the Mahila Helpline Number -181 has been noted for implementation.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	C06	51	51CJ0825	Karpuri Thakur Jan Jeewan Camp, Sriniwaspuri ID-2167	24	Pucca.	ST	M/s HK Professi-onal Pvt. Ltd.	Available	available	satisfact ory	available	available	available	available

Observations : 3 no. WCs were reported chocked in ladies section. The Member, DCW desired to improve the cleanliness in the complex. She also suggested that the 2nd gate in the boundary wall be also locked from the inside to avoid any illegal entry to the women section.

Action : The area EE has been directed to take immediate action to make the chocked WC functional. The gate in the boundary wall shall be locked today itself. The care taker of O&M agency was directed to sensitize the women users not to dispose the sanitary napkins in WCs to avoid chockage and the sanitary napkins be disposed in dustbin only kept in the ladies section for the purpose.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	C05	41	41CJ0614	Jal Vihar Railway Line Shiv Mandir Marg Lajpat Nagar	38	Pucca	SL	M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was found clean during the visit. 2 no. taps were missing in ladies section. No sweeper was available at the time of inspection. Complex is not open during late night hours.

Action : The O&M agency assured that missing taps shall be provided today itself. The O&M agency also assured that the regular sweeper shall be deployed at this site. The JJ Dwellers did not favour the opening of complex during late night hours due to law and order issue and therefore complex is closed around 11:30 PM and opened only on the call of the user, if required.

6	C05	41	41PJ0664	Madrasi Basti near Railway Line Jal Vihar	44	Prefab	ST	M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. The nearby resident complained regarding accumulation of filthy water outside the boundary of the complex and near his residence.

Action : The area EE informed that the work of laying the pipeline for disposal of overflow of septic tank to the nearby sewer line is in progress and shall be completed within 2-3 days.

7	C05	41	41PJ0661	Madrasi Basti near Railway Line Jal Vihar	110	Prefab	ST	M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was found overall satisfactory. The Member, DCW observed that the cleaning in WCs in ladies section is not proper. The supervisor of O&M Agency informed that most of the user did not flush the WC after use and sweeper cleans WC as and when noticed by him

Action : The O&M Agency hasbeen directed to improve the cleanliness. The O&M agency has also been directed to sensitize the users regarding flushing of WCs after use.

P.S. : The videography of the inspection carried out of the toilet complexes as mentioned above has been done and the record is available in DUSIB Office.

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Inspection Report of visit to Toilet Complexes in AC-17 Wazirpur Area on 14.02.2018

An inspection of toilet complexes of DUSIB was carried out by Chief Engineeer (Coordn.), DUSIB alongwith Ms. Sarika Chaudhary, Member DCW and other officers of DUSIB.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	C04	17	17CJ0415	Sawan Park, Chowki No. 3 (JSC No 2)	54	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfact ory	available	available	available	available

Observations : Since the renovation work was in progress. The complex was not cleaned properly due to ongoing repar work The broken doors are also being replaced.

Action : The O&M agency has beendirected to maintain more cleanliness during peak hours. EE has been directed to get the work expedted immediately for proper functioning and cleanliness of the complex

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
2	C04	17	17CJ0414	Sawan Park, Chowki No. 3 (JSC No 1)	40	Pucca	SL	No O&M agency deployed by DUSIB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Observations : DUSIB has officially closed this complex as MLA has desired to construct a Commuinity hall in place of this abondoned toilet. However, the complex was forcefully run by local pubic as DUSIB has not deployed any O&M agency. It was alleged by the public that Rs 21- is beng charged by the person manning the complex.

Action : EE has been directed to closethe entry of JSC by errecting wall at the entry of the complex to avoid any misuse.

3	C04	17	17CJ0411	J1-J2, Block Wazirpur JJ Colony (Site-I)	20	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfactory	available	available	available	available

Observations : The complex was recently taken over from North MCD and repair work could not be taken up due to non availability of funds under Revenue Head.

Action : EE has been directed to immediately take up repair work as a interim measures from the available funds till upgradation

4	C04	17	17CJ0410	K Block Wzirpur JJ Colony	29	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfactory	available	available	available	available

Observations : Member, DCW found acid stored in the ladies section and police was called to sieze the same. Some Rickshaw and bikes were parked in the toilet complex.

Action : EE has been directed to issue show cause notice to the agency. He has also been directed to remove all the rickshaw/bikes found parked in the complex and necessary steps be taken to avoid such incident again.

5	C04	17	17CJ0498	K & L-Block, Wazirpur JJ Colony	28	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : Some seats at first floor were found choked, some doors needs repairs. Member DCW raised the issue of unsatisfactory cleanlness in the complex

Action : The complex was recently taken over from North MCD and repair work could not be taken up due to non availability of funds under Revenue Head in DUSIB. EE has been directed to immediately take up repair work as a interim measures till regular tender for major repair/ renovation is taken up. O&M agency has been directed to improve the cleanliness in the complex.

6	C04	17	17CJ0409	B-Block, Shamshan ghat Wazirpur JJ Colony	20	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was found in good condition

Action : EE has been directed to maintained the complex as such.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	C04	17	17CJ0408	In front of E&F-Bllock, Patharwala Bagh, Wazirpur Ph-IV	40	Pucca	SL	M/s. Mahatama Jyoti scavanging Mukti Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : It was alleged by 02 users that Rs 2 is being charged by the caretaker but other more users say that for the last more than one month, no money is being charged. This is a 30 years contract complex. The complex was to be taken up for renovation.

Action : The work of upgradation is under award and upgradation work will be taken up by 15-03-2018 and hope to complete the work by September, 2018

8	C04	17	17CJ0499	J3 Block Wazirpur JJ Colony (JSC-2)	51	Pucca	SL	M/s H K Professio-nal Pvt Ltd	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : Member DCW raised the issue of unsatisfactory cleanlness in the complex and found broken door shutter

Action : The complex was recently taken over from North MCD and repair work could not be taken up due to non availability of funds under Revenue Head. EE has been directed to immediately take up repair work as an interim measures till regular arrangment for major repair/ renovation is taken up. O&M agency has been directed to improve the cleanliness in the complex.

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Inspection Report of visit to Toilet Complexes in AC-51 Kalka Ji Area on 13.02.2018

An inspection of toilet complexes of DUSIB was carried out by CEO; DUSIB alongwith Dr.Fraheen Malick, Member DCW and other officers of DUSIB.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	C06	51	51CJ0837	JJ Basti Bhoomiheen Camp	185	Pucca	SL	M/s Bhartiya Manoj Sewa Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. The large number of user were found at the time of inspection and the complex was almost over crowded being peak hours. The JJ Dwellers and the care taker informed that around 5000 persons are using this toilet block daily. The complex remains open round the clock.

Action : The O&M agency has been directed to maintain more cleanliness during peak hours.

Sl. No.	Div.	AC. No	Code of JSC	Location	No of Seats	Type of Build-ing	SL/ ST	O & M agency	Water	Lighting	Cleanline-ss	Disp Board	Drainage	O&M	Fixtures
2	C06	51	51CJ0840	JJ Basti Nehru Navjeewan Camp	79	Pucca	SL	M/s Bhartiya Manoj Sewa Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory however, Member, DCW desired to improve the cleanliness in the complex during peak hours. Approximately 2500 users are using this complex daily. Some of the female JJ Dwellers informed the Member, DCW that in ladies section the locking arrangement inside the WCs is not working properly.

Action : The O&M agency has been directed to maintain more cleanliness during peak hours. The area EE has been directed to take immediate action to rectify the locking arrangement from inside in all the WCs.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	C06	51	51CJ0839	JJ Basti Nehru Navjeewan Camp	23	Pucca	SL	M/s Bhartiya Manoj Sewa Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The complex was overall satisfactory. Approximately 700 users are using this complex daily. Some of the female JJ Dwellers informed the Member, DCW that in ladies section the locking arrangement inside the WCs is not working properly. In some WCs, the light points were not found functional. 4 nos. WCs in ladies section were reported chocked at the time of inspection.

Action : The area EE has been directed to take immediate action to rectify the locking arrangement from inside in all the WCs. CEO, DUSIB desired that locking arrangement in WCs in ladies section be checked and same may be made perfect in all the toilet block wherever required. EE (Elect.) was directed to rectify the defects of electric points in the WCs. EE C-6 has been directed to take immediate action to clear the chocked WCs in ladies section today itself.

4	C 06	51	51CJ0835	JJ Basti Bhoomiheen Camp	33	Pucca	SL	M/s Bhartiya Manoj Sewa Sansthan	Available	available	satisfact-ory	available	available	available	available

Observations : The sewerline pertaining to DJB outside the toilet complex was overflowing and filthy water was accumulated at the entry of the Jan Suvidha Complex. Member, DCW desired to improve the cleanliness in the complex. The JJ Dwellers informed that the complex is open round the clock and approximately 1000 users are using this complex daily.

Action : The area EE, DUSIB informed that matter of choked sewer line outside the complex has already been taken up with DJB for cleaning of sewerline. CEO, DUSIB directed that matter may kindly be taken up at higher level in DJB if the complaint not attended today. O&M Agency has been directed to improve the cleanliness in the complex in view of mixed reaction of the JJ Dwellers towards cleanliness. EE C-6 has been directed to take necessary action in the matter.

5 Suggestion : Member, DCW, (Dr.Fraheen Malick) also suggested that DCW through their Mahilla Panchyant Programme will educate women about sanitary napkin disposal through Mahilla Panchayat's Community meetings to avoid chocking, as it was told by some ladies there that ladies dipose sanitary napkins in the toilets.

P.S.: The videography of the inispection carried out of the toilet complexes' as mentioned above has been done and the record is available in DUSIB office.

अध्यक्ष महोदयः हॉ जी, यादव जी।

श्री महेन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया (ख) भाग का कि सभी शौचालयों में पानी और बिजली है। तो मेरी विकासपुरी विधानसभा में भी दो शौचालय ऐसे हैं कि जिसमें बिजली नहीं है। न वहॉ मीटर लगा है। वो सीधे कुण्डी सिस्टम करते हैं उसके बाद बार–बार परेशान होते हैं।

अध्यक्ष महोदयः कोई शौचालय पर्टीकुलर कालोनी का नाम लेकर पूछें ना जी।

श्री महेन्द्र यादवः ये कैंप नंबर पॉच में एक और एक 237 नंबर रोड पर है। विकासपुरी विधानसभा में एक 237 नंबर रोड है उस पर और एक कैंप नंबर पॉच में है, इंदिरा कैंप में।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे जानकारी उपलब्ध कराई गई थी कि सभी शौचालयों में पानी व बिजली व रख–रखाव एजेंसी उपलब्ध है, तो अगर आपके यहॉ पर जो हैं और इसके अलावा भी किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में पानी और बिजली नहीं है, वो लिखित में दें और जिस भी अधिकारी ने ये लिखकर दिया है, उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड, ये इसमें कहीं भी जैन साहब ने जो कहा है बड़ी अच्छी बात है। कहीं भी ऐसी व्यवस्था पूर्ण नहीं है बिजली पानी को लेकर, वो लिखकर दें और मेरा प्रयास रहेगा कि इसी सत्र में उसकी जानकारी संतोषजनक दी जाए। हॉ, सहीराम जी, पहले उनका हाथ उठा था फिर उसके बाद आप।

श्री सहीरामः अध्यक्ष महोदय, क्या एमसीडी के शौचालयों में भी पानी बिजली की व्यवस्था है और उन शौचालयों में क्या आज भी पैसे लिए जाते हैं जिस तरह से दिल्ली सरकार के शौचालय बिलकुल फ्री हैं, क्या उनमें भी आज फ्री हैं या शौचालयों में पैसे लिए जाते हैं?

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमसीडी के जो शौचालय हैं, उनमें से बहुत सारे शौचालयों को दिल्ली सरकार के द्वारा लेकर उनको ठीक किया गया है जिसमें ड्यूसिब ने मेरी जानकारी के अनुसार लगभग साढ़े आठ हजार के करीब टॉयलट्स को एमसीडी से लेकर जो डब्लूसीसी सीट्स हैं, उनको ठीक किया है, दोबारा से बनाया है। एमसीडी के जो शौचालय में सुविधाएं मतलब पूरी अपटूडेट हैं। उसके बारे में मुझे अभी एकदम से ऑफ हैण्ड नहीं पता है तो मैं उनसे जानकारी लेकर एक सप्ताह में आपको प्रोवाइड कर दूॅगा।

अध्यक्ष महोदयः हां अखिलेश जी। सौरभ जी, इसके बाद आपकी बारी है। बस तीन हो जाएंगे सप्लीमेंटरी। हॉं, अखिलेश जी, करिए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः क्या मंत्री जी को ये जानकारी है कि बहुत सारे शौचालय ऐसे हैं, दिल्ली में शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के जिन पर बिजली के कनैक्शन नहीं लग पा रहे हैं। उसमें वर्षों से बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है बिजली का बिल, जिसकी वजह से वहॉ बिजली नहीं लग पा रही है। तो कब तक ये मामले निपटा लिए जाएंगे और बिजली लग जाएगी? क्या ऐसी जानकारी दी है कि बिजली नहीं लगी है, जब कि ऐसा है? पूरी दिल्ली में मामला है सर।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो टॉयलेट्स कुछ टॉयलेट्स कॉम्पलेक्स जो एमसीडी से लिए गए थे, उनके ऊपर दस–दस साल से एमसीडी ने पैसा नहीं दिया था। ये मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने मिटिंग करके डूसिब को आदेश दिया था कि इस पर झगड़े को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसके पैमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि एमसीडी का जो सिस्टम है, वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सारे के सारे टायॅलेटस में जहॉ पर बिजली नहीं थी, सभी के आदेश मैने अपनी ओर से पारित कर दिये थे कि डूसिब उनके पैसे अपनी ओर से पे कर दे।

श्री अखिलेश त्रिपाठीः सर, इसी से रिलेटिड है।

अध्यक्ष महोदयः भई अखिलेश जी, नहीं, एक ही होगा प्लीज। नहीं, अब और ये ऐसा है, मेरी बात सुनिए अखिलेश जी। भई सपलिमैंटरी एक विधायक एक ही पूछ सकता है। अब बैठिए। इसमें कहीं भी जो शौचालय, जो आपके संज्ञान में आते हैं, उनकी एक सूची बनाकर दीजिए मंत्री जी को।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, करेक्शन कर देता हूॅ। जो भी टॉयलेटस डूसिब चला रहा है, या तो पहले से ही डूसिब के पास थे या एमसीडी के पास थे, सभी के लिए आदेश दिये गए है कि सबकी पैमेंट कर दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, ये जो सवाल डूसिब से लगाया गया था। इस सवाल के अंदर एक, दो, तीन, चार, क),ख),ग) और चारों के जवाब

गोल मोल दिये गए हैं। पहला क्वैश्चन पूछा गया था कि क्या इस तरीके के निरीक्षण होते हैं तो इनके मिनटस रखे गए हैं? उन्होंने कहा कि इस तरीके के मिनटस जारी नहीं किये जाते। तो क्या डिपार्टमेंट के अंदर अगर निरीक्षण होते हैं तो क्या उनके मिनटस रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? पहली चीज ये मैं मंत्री जी जानना चाहता हूॅं। दूसरा, बड़ा साफ सवाल था कि जनता के लाभ हेतु टॉयलेट काम्पलैक्स में समुचित उपयोग की जानकारी के लिए डूसिब द्वारा अब तक कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। बड़ा स्पष्ट है कि डूसिब ने जागरूकता कार्यक्रम कितने किये। इन्होंने जवाब दिया है कि ये कार्यक्रम एनजीओ द्वारा कराए जाते हैं। हमने पूछा ही नहीं कि एनजीओ ने कराए हैं या नहीं कराए हैं, व इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। हमने एनजीओ के बारे में पूछा नहीं। हमने पूछा कि डूसिब ने कितने प्रोग्राम कराए। जैसे अगर आप देखें, केन्द्र सरकार प्रोग्राम कराती है; रेडियो पर भी आते हैं, टीवी पर भी आते हैं कि शौचालय का प्रयोग कीजिए, इधर–उधर न जाएं। ये सब प्रोग्राम होते हैं। इनसे पूछा गया स्पेशल कि आपने किये या नहीं किये। इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि भई, एक से दस के बीच में अगर हम मान लें, तो क्या होना चाहिए? एक से दस के बीच में कितने नम्बर माने जाते हैं डिपार्टमेंट में कि उतने नम्बर मिल जाएं ताकि जो टॉयलेट की स्थिति है, ये ठीक है। इन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई स्टॅडी नही कराई जाती। इनके घर के अपने टॉयलेट होते हैं, उसके लिए क्या स्टॅडी कराती है इनकी बीबी कि टायॅलेट साफ है या गंदा? ये जवाब है इसका। इनको ये कहना चाहिए था कि दस से से दस नम्बर होने चाहिए टॉयलेट की सफाई के अंदर। इसमें भी स्टॅडी कराने की जरूरत है? ये

तो बद्तमीजी भरा आन्सर है अध्यक्ष जी। और आखिरी पॉच वर्षो के अंदर कितनी जगह रख–रखाव में क्या स्थिति है? उसका आन्सर झूठा दे दिया। जिस पर सवाल लगाया, उसके यहॉ दो टॉयलेट कॉम्पलैक्स हैं ऐसे, जिनके अंदर बिजली नहीं है। इन्होंने लिखकर दे दिया जी, बिजल...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, ये चीज ठीक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने अपशब्द बोला मंत्री जी के बारे में। आप उसको ट्विस्ट करके अधिकारियों को बचा रहे हैं। आप सारा ट्विस्ट करके अधिकारियों का बचा रहे हैं और इस नीयत को ठीक करिए आप। इस नीयत को ठीक करिए अधिकारियों का बचाने की। वो पीड़ित हैं, जो हालत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए–बैठिए। आप बैठिए। झा साहब बैठ जाइए प्लीज। नारायण दत्त जी, अजय जी बैठिए। ये मामला... झा साहब, सौरभ जी बिल्कुल ट्रैक पर चल रहे हैं। उनको चलने दीजिए। बैठिए नारायण जी प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मेरा ये निवेदन है मैं कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरा ये निवेदन है कि जिस अधिकारी से सवाल लिया गया है, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा। उसको तनख्वाह मिल रही है इस चीज की, इस काम की। हमें मिल रही है, हमारे काम की। अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो उसके ऊपर कार्रवाही होनी चाहिए। इसको प्रश्न और संदर्भ समिति में इस तरीके के जितने भी जवाब आएं हैं, उनको भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हॉ, जैन साहब, इसका उत्तर देंगे कुछ?

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि जितनी भी अगर इन्सपैक्शन होती है, उनकी रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। अभी हमने आदेश दिये हैं कि जो इन्सपैक्शन किये जाएं, उनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। अभी साथ में सात दिन लगातार इन्सपैक्शन कराया गया था उसकी रिपोर्ट संलग्न है कि सीईओ के साथ मैम्बर इन्जीनियर और सभी उच्चाधिकारी गए थे तो आगे से ये आदेश दिया जाएगा, जो भी इन्सपैक्शन किया जाए, उसकी रिपोर्ट बनाकर रखी जाए। पहले का इस तरह की वहॉ पर सिस्टम नहीं था कि रिपोर्ट बनाई जाए। सेकेंड, जो प्रचार वाली जहॉ तक बात है कि लोगों के लिए प्रचार प्रसार करना। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि केन्द्र सरकार प्रचार ही कर रही है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली में हमने 18 हजार–17 हजार टायॅलेट बनाएं हैं और मैं सदन में जानकारी देना चाहूॅगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर दिल्ली सरकार के डूसिब के टॉयलेट की ही शूटिंग की गई है और जगह–जगह पिक्चर दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है, जरूर हम मानते हैं कि प्रचार प्रसार के अंदर हमारा डिपार्टमेंट पीछे रह गया है। तो बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अभी तक जिस एनजीओ को, जिस संस्था को वो काम दिया जाता था, उसी से एक्सपेक्ट करते थे कि आसपास के लोगों को बताएं कि टॉयलेट का यूज किया जाए। डूसिब की जो क्वालिटी एसेसमेंट है। मुझे लगता है कि एक नम्बर से दस नम्बर तकक् देखिएगा, ये बिल्कुल सही कहा है आदरणीय सदस्य ने कि भई डिपार्टमेंट कहेगा तो दस में से दस ही नम्बर देगा हमेशा। वो तो जीरो देगा नहीं, कभी भी। तो मुझे लगता है इसकी एसेसमेंट या तो मैं आपसे

निवेदन करूँगा आप अपनी कमेटी बना दें और वही सारों को चैक करके, उनकी एसेसमेंट, नम्बरिंग सौरभ जी की अध्यक्षता में बनाएं। उसको सबको चैक करके नम्बर दें कि दस में से दस देते हैं या पांच देते हैं। जो भी कम होगें, उसको हम ठीक करने का पूरा–पूरा अपनी तरफ से ध्यान रखेगें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः नहीं इसमें जैन साहब मैं एक प्रार्थना कर रहा हूॅ। मान लीजिए कोई व्यक्ति जनता का आरटीआई लगाए; ऐसे कितने शौचालय हैं, जिनमें बिजली नहीं है, क्या विभाग उत्तर नहीं देगा?

स्वास्थ्य मंत्रीः बिल्कुल देना चाहिए। कह तो रहा हूॅ मैं कि अगर...

अध्यक्ष महोदयः तो मुझे लग रहा है, सौरभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर किसी भी, मैंने सभी सदस्यों को कहा है, जहॉ–जहॉ पर बिजली नहीं है, उसको लिखित में मुझे बताएं और अगर ऐसा है। मुझे लिखकर दिया है कि सारों में बिजली है, पानी है, तो इसका मतलब गलत है। अगर एक दो तो उन्होंने बताए ही दिये हैं। अलावा, दो चार और भी निकलें तो इसका मतलब जिसने भी जवाब दिया है, बहुत ही गलत दिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः बन्दना जी। अन्तिम, इस क्वैश्चन पर, प्लीज सोमनाथ जी।

श्रीमती बन्दना कुमारीः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि दो महीने के लिए एक्सटेंशन दिया था; मार्च और अप्रैल। दो महीने के लिए हम सबने एक्सटेंशन दिया है। उसके बाद हमारी क्या योजना है? क्योंकि अभी जो जितने भी शौचालय चल रहे हैं ना, उनका बिजली का बिल भरा जा रहा है। कभी–कभी बिजली कट जाती है। सफाई वाला नहीं आता। जिस उम्मीद से हमने फ्री किया था, हमारी सरकार ने फ्री किया था, तो उसका कोई इम्प्लीमेंट जो जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, वो तो हम जैसे साथी हैं, जो भाग–भागकर जबर्दस्ती उससे सफाई करवाते हैं। ना उनकी सफाई की जवाबदेही है, ना उनकी बिजली की कोई जवाबदेही। बिजली कटी है तो जी, बिल नहीं भरा है। हम कहां से? सैलेरी नहीं मिली है। दस–दस हजार सफाई की भी, अब 24 घंटा खोलने की बात हमारी सरकार ने कही है। चौबीस घंटा में उनको सैलेरी नहीं मिल रही है। वो बेचारे रात तक बैठे रहते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सफाई के लिए नहीं मिल रहा है न उनकी बिजली का बिल भरा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदयः आपका क्वैश्चन ये बना, उनका ये कहना है, बंदना जी का कि हमने दो महीने के लिए उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया था, जो काम कर रहे थे। उस दो महीने के बाद आगे क्या होगा? सरकार की क्या योजना है? दूसरा, उनका है कि उनको सेलेरी नहीं मिल रही।

श्रीमती बंदना कुमारीः एक दम नहीं मिल रही सेलेरी भी नहीं मिल रही, न सफाई वाले को मिल रही है, न बिजली का बिल जमा हो रहा है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

स्वास्थ्य मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब इनको शौचालय को फ्री करने की स्कीम बनाने की बात की गई थी, तो अधिकारियों ने कहा था कि हम सारी तैयारियॉ एक जनवरी तक कर लेंगे। जब एक जनवरी को उसको रिव्यू किया गया, तो एक जनवरी तक सारी चीजें, जो नए कॉन्ट्रेक्टस नहीं हो पाए और जिनको पुराने कॉन्ट्रेक्ट दिये थे, क्योंकि उसका समय 24 घंटे कर दिया गया, पहले रात को बंद हो जाते थे। तो नए टेंडर किये जा रहे हैं। और मुझे लगता है अगले एक दो महीने के अंदर नए टेंडर होने के बाद ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी कि नए लोगों को पूरा 24 घंटे के हिसाब से और सरकार पूरा पैसा देगी। अभी तक क्या था कि पैसा सरकार से नहीं लेते थे ये। वो पैसा जनता से इकट्ठा करते थे। तो अब सिस्टम चेंज हो गया है कि सरकार पैसा दे रही है। शुरू में, क्योंकि नए लोगों को लाने में दिक्कत थी, तो उन्हीं लोगों को, जो पैसा उनका खर्चा था, उस खर्च के ऊपर आगे बढ़ा दिया गया था। दो–दो महीने के लिए मुझे लगता है एक दो महीने और लगेंगे इसको पूरी तरह से नए टेंडर को इम्पलीमेंट करने में।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा भाग उनका रह गया है, उनकी सैलेरी नहीं मिल रही।

स्वास्थ्य मंत्री : इस के लिए मैं देखता हूॅ कि किसी कॉन्ट्रेक्टर की अगर पेमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं की है, तो अगले सात दिन के अंदर सबकी पेमेंट करा दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 27 जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रश्न संख्या 27 का जवाब देने की कृपा करें।

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) उपभोक्ताओं को उनके घर–द्वार पर राशन की डिलीवरी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

ख) उपभोक्ताओं को उनके घर–द्वार पर राशन की डिलीवरी कब से शुरू कर दी जाएगी;

ग) क्या इसके लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा;

घ) किन किन विभागों द्वारा इस योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है;

ङ) क्या यह योजना इन विभागों की मंजूरी के बिना भी लागू कर दी जाएगी; और

च) क्या इस योजना के लागू होने के बाद भी उचित दर दुकानें काम करना जारी रखेंगी तथा लोगों को वहॉ से राशन मिलता रहेगा?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

खाद्य एवं आपूति मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 27 का उत्तर प्रस्तुत है :

क) घर द्वार पर राशन की डिलिवरी योजना को कैबिनेट द्वारा आदेश संख्या 2561 दिनॉक 6/3/18 को मंजूरी दे दी गयी हैं, जो कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है;

ख) उपरोक्तानुसार ;

ग) उपरोक्तानुसार ;

घ) उपरोक्तानुसार;

ङ) उपरोक्तानुसार; और

च) उपरोक्तानुसार।

माननीय अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी? नहीं, एक ही जवाब में सारे निहित हैं।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय,इसमें (क) और (ख), सर, (क) और (ख) भाग का तो इसमें जवाब है कि एलजी साहब के यहां फाईल भेज दी गयी है। (ग) का कोई जवाब नहीं है, (घ) का कोई जवाब नहीं है, (ङ) का कोई जवाब नहीं है और (च) का कोई जवाब नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, इनका जवाब दिया जाए।

खाद्य एवं आपूति मंत्री : आप पूछिए।

श्री जगदीश प्रधान : सर, ये तो आपके सामने प्रश्न हैं? इनका जवाब दीजिए न।

अध्यक्ष महोदय : बताइए, बताइए। आएंगे वो सप्लीमेंटरी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, फिर ये व्यक्तिगत आपने कसा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ये व्यक्तिगत जो मामला होता है, सारा इतना शांतिपूर्वक सदन चल रहा था।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सारा डिस्टर्ब होता है। नहीं, आपने कह दिया सौरभ जी ने नहीं पूछा। तंज कसते हैं हम, ये गड़बड़ होता है। हॉ, अभी इमरान जी को एक बार उत्तर देने दीजिए।

खाद्य एवं आपूति मंत्रीः सभी विभागों से सलाह मशविरा किया गया और उसके बाद मंत्री समूह ने विचार–विमर्श करके निर्णय लिया है इसका।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, एक इसका जो है उत्तर, क्या इसके लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा?

खाद्य एवं आपूति मंत्री : अभी इसके अंदर सर, आरएफपी भी बनेगा। उसके बाद इसके उसके अंदर डाला जाएगा और जो इसके अंदर लोग बाग आएंगे, आरएफपी के बाद उन लोगों से लिया जाएगा कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ उपभोक्ताओं पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आटा देने का प्रावधान है, तो आटे की पिसाई का, गेहूँ की पिसाई का जो खर्च होगा, तो मात्र उतना ही उनसे लिया जायेगा, अगर लिया जायेगा, वो भी उसके बाद में आपको सारा हम लोग वो बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, सप्लीमेंटरी, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूॅं कि चूंकि माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी 'घर द्वार पर राशन की डिलीवरी योजना' की। इसमें लिखा गया कि उनसे अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है तो Does it not mean because he was already appreciating our projects in his speech. Does that mean this time approved by hon'ble LG? और अभी कुछ करना है इसमें। नम्बर एक। नम्बर दो, जब घ) और ङ) में पूछा है...

अध्यक्ष महोदय : इसका तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि अभी एलजी से फाइल वापिस नहीं आई है।

श्री सोमनाथ भारती : फाइल वापिस नहीं आई है?

अध्यक्ष महोदय : हॉ, अभी इन्होंने यही तो कहा है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।

श्री सोमनाथ भारती : But is it some time bound? कुछ कभी ये कब लागू हो पायेगा? कुछ एसपेक्टेड डेडलाईन है? और दूसरा मेरा सवाल, अध यक्ष महोदय ये है जो कि इन्होंने घ) में पूछा है और ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूॅं क्योंकि जगदीश प्रधान जी की तरफ से आ रहा है। ये भाजपा के हैं। कहा है कि किन किन विभागों द्वारा इस योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गयी? फिर कहा है कि क्या यह योजना इन विभागों की मंजूरी के बिना भी लागू कर दी जाएगी? इसका मतलब कोई ऐसा विभाग इनके हाथ में है, जिसके जरिए इसको रोकना चाहते हैं। तो ये मंत्री जी थोड़ा बताएंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं, ऐसा है कि पहले तो मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूँ कि विभाग का अध्यक्ष जो होता है, वो मंत्री होता है। तो विभाग में सभी अपने अधिकारियों से सलाह मशविरा करके और मंत्री परिषद में इसको पास किया है। तो कैबिनेट का जो निर्णय होता है, वो अंतिम निर्णय होता है और फाइनल डिसीजन होता है। तो ये सदन की जानकारी के लिए मैंने बात रख दी है। किसी डिपार्टमेंट को, किसी भी विभाग के मंत्री को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और सबकी सहमति से ही ये प्रपोजल पास किया गया है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, इस के अंदर कई सवालों का जवाब नहीं है, जो जगदीश जी कह रहे हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इसका जवाब नहीं है और इनका जवाब शायद थोड़ा हो, पर थोड़ा सा तो आना चाहिए था। सब में ये लिख दिया; उपरोक्तानुसार, उपरोक्तानुसार, उपरोक्तानुसार। जगदीश जी जो भी, जिस भी भावना से जो जानकारी जानना चाहते थे, इनको तो कोई भी जानकारी नहीं मिली जवाब से। तो ये जो मीणा जी है; प्रिंसिपल सेक्रेटरी—कम—कमिश्नर, इनका भी मुझे लगता है कि जो मामला है राशन का, ये क्वैश्चन्स एंड रेफरेंस कमेटी को रेफर कर दिया जाए। मेरा तो ये आपसे निवेदन रहेगा, बाकी जगदीश जी जैसा ठीक समझें।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, चार लाख राशन कार्ड नकली मिले थे। उनके बारे में अब तक क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए?

अध्यक्ष महोदय : अभी आपने उनको नकलीक् कहॉ से कह देंगे? अभी तो वो राशन लेने नहीं आए। अभी डेडलाइन उन्होंने दी है; कुछ 31 मार्च डेडलाईन दी है शायद। बताइए, मंत्री जी।

खाद्य एवं आपूति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जब ईपोज लगा, उसके बाद में उसमें काफी शिकायतें भी मिलीं कि मशीन काम नहीं कर रही, उसके बाद में अभी जनवरी में और फरवरी में लगभग 84 प्रतिशत लोग इससे राशन लेके गये और जो लोग नहीं लेके आये तो विभाग उनको वेरिफाई कर रहा है। जो इस महीने विभाग ने कहा है जो तीन महीने तक लोग बाग लगातार राशन लेने नहीं आएंगे, उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसके अंदर देखा जाएगा कि कौन लोग सही हैं, कौन गलत हैं, कौन सा राशन कार्ड गलत बना हुआ है, कौन सा सही बना हुआ है और किसने बनाया। तो उसके बाद ही इसपे निर्णय लिया जाएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो महीने जो लोग लेने नहीं आए, क्या वो तीसरे महीने भी?

अध्यक्ष महोदयः वो तो अभी 31 मार्च तक पता लगेगा न जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो तो डेट निकल गयी। राशन जो बंटता है; महीने में एक बार।

अध्यक्ष महोदयः जनवरी, फरवरी, मार्च।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः रिपोर्ट तो मंथ के एंड में ही आती है न जी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रश्न संख्या 28, अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : आदरणीय अध्यक्ष, महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि प्रश्न संख्या 28 का जवाब देने की कृपा करें।

क) एमसीडी के स्कूलों में पंजीकृत बच्चों का उनके नाम व आधार लिंक सहित पूर्ण विवरण क्या है;

ख) एमसीडी के स्कूलों में ऐसे कितनी बच्चें हैं, जिनका आधार कार्ड विवरण उपलब्ध नहीं है;

ग) क्या यह सत्य है कि एक कच्चे अनुमान के मुताबिक एमसीडी के स्कूलों में केवल 53 प्रतिशत बच्चों का आधार लिंक पंजीकृत है; और

घ) दिल्ली में, एमसीडी स्कूलों में विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात का विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 28 का उत्तर प्रस्तुत है :

क) दक्षिण दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में कुल 250121 पंजीकृत बच्चों में से 202516 के आधार कार्ड उपलब्ध हैं;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 2,98.672 बच्चे पंजीकृत हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में कुल 164951 पंजीकृत बच्चों में से 160811 के आधार कार्ड उपलब्ध है;

ख) दक्षिण दिल्ली नगर निगमः

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में कुल 47605 पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। हांलाकि आधार कार्ड बनाने का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 98376 बच्चों का आधार लिंक नही है;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले 4140 बच्चों का आधार विवरण उपलब्ध नहीं है;

ग) दक्षिण दिल्ली नगर निगमः

जी नहीं;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अनुमान के मुताबिक 61 प्रतिशत आधार लिंक पंजीकृत हैं;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से 97.49 प्रतिशत बच्चों का नाम आधार से लिंक है; और

घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक का वास्तविक अनुपात 39.29 हैं;

कुल बच्चे 298297

कुल अध्यापक 6319 तो रेशियो 39.293

298297÷ 6319 = 39.293

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक का अनुपात 41:1 है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में विद्यार्थी– शिक्षक का अनुपात 37:1 है।

माननीय अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी?

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : माननीय मंत्री जी ने भाग– क) में उत्तर दिया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 298672 बच्चे

पंजीकृत हैं लेकिन ये तो इसमें लिखा नहीं है कि कितने बच्चे आधार कार्ड से लिंक हैं जब कि ऊपर और दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली पूर्वी दिल्ली वाले में लिखा गया है?

श्री सत्येन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, भाग ख) के अंदर लिखा हुआ है कि उत्तरी दिल्ली के अंदर 98376 बच्चे आधार से लिंक नहीं हैं तो इसमें से हम 98376 बच्चे अगर कम कर देंगे तो 200300 बच्चे लगभग पंजीकृत हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : एक और इसी से संबधित है सर, एक मैंने शिकायत दी थी आज से चार महीने पहले माननीय उपमुख्यमंत्री जी के यहॉ जिसको उन्होंने शिक्षा विभाग के थ्रू जो है, एमसीडी में भेजा था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है, बच्चों का दाखिला किया गया है। जब कि वो बच्चे हैं ही नहीं और उनका मिड डे मील, उनका वजीफा, उनका ड्रेस, आदि अन्य सुविधाओं में घोटाला किया जा रहा है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो उस पत्र पर कब तक कार्रवाई हो जायेगा, जो दिया गया था और शिक्षा विभाग कब वेरिफिकेशन शुरू करेगा; आधार कार्ड लिंकेज और इस घोटाले का?

शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 97.5 परसेंट बच्चे आधार लिंक्ड हैं; दक्षिणी दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत बच्चे हैं और उत्तरी दिल्ली में लगभग 61 परसेंट, मतलब पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली को देखें तो पूर्वी दिल्ली में 97.5 परसेंट हैं और उत्तरी दिल्ली

में सिर्फ 61 प्रतिशत हैं। तो आदरणीय सदस्य का जो शक है, हो सकता है, वो ठीक भी हो और इसके बारे में मुझे अभी संज्ञान में नहीं है कि शिकायत के ऊपर क्या प्रोसेस चल रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछकर उसके बारे में बता पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैंटरी एनी? विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : सर, क्या ये सच है कि एमसीडी जो स्कूलस हैं, वो अपने फीडर स्कूल को... बच्चे स्कूल चेंज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कोई आदेश आया है एमसीडी के पास? आज हमारे यहॉ एक स्कूल है; ओमप्रकाश बाल विद्यालय, 5/सी, रोहतक रोड पर, उनके प्रिंसीपल का ये कहना है कि दिल्ली सरकार से एक आर्डर आया है कि आपने जो हमारा फीडर स्कूल है, वो चेंज कर दिया है। कैसे आदेश हुए हैं? एमसीडी के पास ऐसे कोई आदेश आये हैं दिल्ली सरकार की तरफ से ?

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सभी एमसीडी स्कूलों को फीडर स्कूलस की लिस्ट दी जाती है कि आपका स्कूल जो छठी कलास में बच्चों को भरती कराना है, दिल्ली सरकार की ओर से कौन से स्कूल में वो बच्चे जाएंगे, उसके आदेश दिये गये होंगे, जरूर। परंतु एक्जेक्टली मुझे बिल्कुल इस टाईम नहीं पता है कि किसी का...

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : स्कूल की जानकारी है, तो बता दें।

शहरी विकास मंत्री: हॉ, स्कूल।

श्री विशेष रवि : ओमप्रकाश बाल विद्यालय, 5/सी, रोहतक रोड।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं अखिलेश जी अब नहीं प्लीज नहीं दो आप ले चुके हैं पूरक प्रश्न नहीं अब नहीं प्लीज।

शहरी विकास मंत्री: ऐजूकेशन डिपार्टमेंट से कहा जायेगा कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं दो एलाऊ कर रहा हूॅ। बस इसके बाद...

शहरी विकास मंत्री: तीन दिन के अंदर आदरणीय सदस्य को उस पर्टीकूलर स्कूल के बारे में जानकारी लेकर दे दी जायेगी।

श्री विशेष रवि : एमसीडी ने कहा है कि हमारे पास दिल्ली सरकार के आदेश आये हैं। तो ये एमसीडी को जवाब देना होगा कि क्या उनके पास आदेश कोई आया है इस तरह का?

शहरी विकास मंत्री: नहीं, वही मैं बता रहा हूॅ, तीन दिन के अंदर चैक करके आपको बता दिया जायेगा।

श्री विशेष रवि : ठीक है।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, कल प्रश्न नंबर आठ स्टार्ड क्वैश्चन प्रश्न नंबर आठ, गुलाब सिंह जी का प्रश्न था जिसके अंदर 05/03/2018 को दैनिक जागरण के अंदर एक उच्च आईएएस अधिकारी द्वारा...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये इससे लिंक्ड है क्या? सौरभ जी, इससे लिंक है क्या?

श्री सौरभ भारद्वाज : जी, अध्यक्ष जी, कल आपने कहा था कि आज उसके विषय में मंत्री जी जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हॉ, मंत्री जी आ जाएंगे।

श्री सौरभ भारद्वाज : नहीं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी भी आ जाएंगे मगर जो अधिकारी को, जिसको आपने कहा था, वो आफिसर्स गैलरी में रहेंगे। वो अधिकारी मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, आफिसर्स गैलरी में।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं, अभी मंत्री जी आ जायें। जो समय है, उस पर बात करते हैं। हॉ जी, पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरक प्रश्न ये है कि दरअसल शिक्षा बहुत संवेदनशील मामला है और जो बुनियादी शिक्षा का काम है एमसीडी के दायरे में है, प्राथमिक तौर पर। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये है कि राईट टू ऐजूकेशन जो एक्ट है पालिर्यामैंटरी, उसके आलोक में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की निगम विद्यालयों में क्या स्थिति है और टीचर्स के डेवलेपमेंट के लिये जैसा कि माध्यमिक स्तर पर दिल्ली सरकार ने कैम्ब्रिज भेजना, फिनलैंड में ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें की हैं, तो एमसीडी में क्या स्थिति है और एक तीसरी चीज माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक्यूमुलेटिव लर्निंग डेफिसिट की बात की, जिसके आलोक को उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार माननीय उपराज्यपाल महोदय की सरकार एक अच्छा काम कर रही है। तो एमसीडी की जो बुनियादी शिक्षा है, वो इस दिशा में, शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में अभी क्या उनका आकलन है, क्या कोई विशेष प्रयास चल रहा है; ये तीन मेरे पूरक प्रश्न हैं? इसके संदर्भ में संज्ञान लें।

शहरी विकास मंत्री: आादरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो एमसीडी के स्कूल हैं, उन स्कूलों की गुणवत्ता के बारे में और दिल्ली सरकार में जो तीन साल के अंदर चेंज आया है, उसकी वजह से ये मुझे लगता है, गैप लग रहा है, तीन साल पहले तो दोनों जगह ही बराबर एरिया था; दिल्ली सरकार के स्कूलों का हालत भी वही बुरा था, एमसीडी का भी बुरा था। दिल्ली सरकार ने तीन सालों के अंदर अपने स्कूलों को काफी मेहनत करके, काफी आगे बढाया है जिसकी वजह से वो गैप नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि एमसीडी भी उसी तरीके से मेहनत करे और अपने स्कूलों के अंदर गुणवत्ता बढाये ताकि वहॉ पर ऐजूकेशन अच्छी हो सके। दूसरा प्रश्न इनका था; एसएमसी वाला। एसएमसी दिल्ली सरकार के अंदर ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा है; स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो प्रयोग था। सभी स्कूलों के अंदर एसएमसी बनाई गई हैं और उससे बच्चों का, उनके पेरेंटस का और स्कूल की एथोरिटीज का आपस में कनैकशन बहुत अच्छा बन गया है। जो टीचर्स कभी स्कूलों में आज तक गये नहीं थे, वो पहली बार जाने लगे हैं। तो मैं तो चाहूॅगा कि एमसीडी के भी सभी स्कूलों के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जायें और वो लोग इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। प्रश्न संख्या 29 चौधरी फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 29 प्रस्तुत है:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में यमुनापार विकास बोर्ड द्वारा प्लॉन एवं नॉन–प्लॉन है के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर 2017–18 तक कौन–कौन से कार्य किए गए हैं;

ख) संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यों पर कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई, सिलसिले वार ब्यौरा दें; और

ग) आगामी वित्त वर्ष में गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में यमुनापार विकास बोर्ड द्वारा प्लॉन एवं नॉन–प्लॉन हैड के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य करने की योजना है?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारे आदणीय सदस्य खुद ही यमुना पार से बोर्ड के अध्यक्ष हैं, फिर भी मैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ;

क) गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में यमुनापार विकासबोर्ड द्वारा प्लान एव नॉन–प्लान हैड के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर 2017–18 तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है;

ख) संबंधित विभाग (ई.डी.एम.सी) द्वारा अभी तक कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है;

ग) आगामी वित्तवर्ष 2018–19 मे गोकुलपुर विधानसभा में जमनापार विकासबोर्ड द्वारा कार्य करने की कोई योजना अभी तक सुनिशचित नहीं की गई है;

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैंट्री?

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल था ये टोटल यमुना पार विकास बोर्ड द्वारा दिया गया धन जिन जिन ऐजेंसीज को दिया गया था, उनसे क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी अब तक हुई है, कितना धन उस पर

खर्च हुआ है और स्थिति किस विभाग की क्या है, ये पूछा गया था। अब इसमें थोड़ा ये विधानसभा तक सीमित रह गया।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पढकर सुना देता हूँ; गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में यमुनापार विकास बोर्ड द्वारा प्लॉन एवं नॉन–प्लॉन है के अंतर्गत उसमें पर्टीकुलर प्रश्न पूछा गया था, गोकुलपुरी विधानसभा। ख) के अंदर फिर पूछा गया संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यों पर कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई तो उसी विधानसभा में आता है, आगामी वित्त वर्ष में गोकलपुर विधान सभा लिखा गया है। तो ये संबंध मतलब, मुझे लगता है जो आदरणीय सदस्य के मन में था, प्रश्न उसमें लगता है कहीं त्रुटि रह गई है और इसी वजह से उत्तर सिर्फ उसी विधानसभा से संबधित है।

अध्यक्ष महोदय : विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : सर, दिल्ली सरकार के दो महीने पहले लगभग एक आदेश के अनुसार डूडा खत्म करके यूडी में आना था। क्या कारण है कि अभी तक भी डूडा से एकाऊंट सबमिट नहीं हुए हैं यूडी में और नये प्रपोजल जो हैं, वो पास नहीं हो पा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस क्वैश्चन से कहां रिलेटिड है?

श्री विशेष रवि : सर, यूडी से जुड़ा हुआ है ना, इसलिये पूछ लिया है।

अध्यक्ष महोदय :नहीं, पूछ रहे हैं वो बात ठीक है, वो बात ठीक है लेकिन इस क्वैशचन से रिलेटिड नहीं हैं मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होगा।

श्री विशेष रवि : डिपार्टमेंट वही है सर।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होगा। ये मेरी बात सुनिये विशेष जी, आप बहुत समझदार हैं नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी एक मिनट रूकिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकंड, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूॅं आप...

श्री विशेष रवि : सर, महत्वपूर्ण क्वैश्चन है सर।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको अलग से मुझे, अलग से इसको रख लीजियेगा।

श्री विशेष रवि : बैठे हुए हैं सर, दोनों लोग बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हॉं, कल इसको अलग से ले लीजियेगा यूडी तैयारी करके आयेगा कल इसको अलग से ले लीजियेगा प्लीज कल इसको अलग से ले लीजियेगा प्लीज।...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : एकाऊंट सबमिट नहीं हुए।

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : सर डूडा से अभी तक एकाऊंट सबमिट नहीं हुए है यूडी में।...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : नये काम हो ही नहीं रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी।

श्री विशेष रवि : सर, छह महीने हो गये, डडूा काम नहीं कर रहा। दो महीने हो गये ट्रांसफर हुए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहे।

सुश्री बंदना कुमारी : कल जब हमारी मीटिंग ....(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : छह महीने हो गये, डूडा काम नहीं कर रहा है और दो महीने बाद भी अभी तक भी एकाऊंट सब्मिट नहीं हुए हैं। क्या कर रहे हैं! काम कैसे करायेंगें!

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : डूडा जो है वो ....(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : सर, क्या कारण है कि दो महीने बाद भी एकाऊंट सबमिट...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की भावना समझ रहा हूॅ। एक सेकंड, वंदना जी। मेरी बात समझ लीजिये।

श्री सोमनाथ भारती : एक भी काम नहीं हो रहा है अभी तक।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिये प्लीज। सोमनाथ जी, बैठिए। विशेष जी, बैठिए प्लीज। इस पर या तो अलग से समय एलोकेट करवा लें मेरे से बैठ कर। जिस पर पूरी चर्चा हो जाये। लेकिन ये ट्रॉंस

यमुना विकास बोर्ड से कहीं से क्वैश्चन नहीं निकलता। माननीय मंत्री जी तैयार नहीं होंगे उत्तर देने के लिये। हॉ, इसका अलग से, मैं बात कर लेता हूॅ, निकाल लेता हूॅ। प्रश्न संख्या 30 श्री राजू धिंगान जी।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसका अलग से, मैं बात कर लेता हूॅ, निकाल लेता हूॅ।...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 30 श्री राजू धिंगान जी। हां, जगदीश प्रधान जी का सप्लीमेंटरी रह गया, प्लीज धिंगान जी। हां, जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधान : सर, कल मैंने आपके माध्यम से यमुना पार विकास बोर्ड के बारे में चर्चा की थी कि तीन साल बीत जाने के बाद यमुना पार विकास बोर्ड से कोई काम नहीं हुआ। उसमें हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक उत्तर दिया था कि टेंडर लग चुके हैं। आज बड़े दुःख के साथ मैं कह रहा हूॅ कि जिसने भी ये जवाब दिए हैं, ये सौ परसेंट गलत जवाब दिए हैं। क्योंकि चौधरी फतेह सिंह जी के ऐरिया में 23 तारीख को शायद टेंडर कुछ हो चुके हैं, उसका भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऐसे अधिकारी जो इस तरह का जवाब दे रहें हैं, वो सरासर गलत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन से प्रश्न के उत्तर?

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : सर, हर प्रश्न पर ये सामने आया है कि अधिकारियों. जवाब या तो गलत दिए जा रहे हैं या फिर उनको घुमाया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधान : सर, मैंने भी कल यही कहा था। 3–4 साल बीत रहे हैं कोई काम नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं करता हूँ, इस पे करता हूँ।

श्री जगदीश प्रधान : और सर, यमुना पार विकास बोर्ड; प्लान एवं नॉन प्लान, एक मैं ये भी जानकारी चाहूँगा कि क्या यमुना पार विकास बोर्ड में प्लान हैड और नॉन प्लान हैड अलग–अलग हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय : एक सैकंड बहुत...

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट भई, जरा सुन ले अब, प्लीज।

शहरी विकास मंत्री : यमुना पार विकास बोर्ड के पहले उसको भंग कर दिया गया था। दुबारा से उसको स्टार्ट किया गया है और अब उसके काफी सारे एस्टीमेट्स फाइनल स्टेज में हैं और जल्दी ही उनके टेंडर लगा

के, उन कामों को स्टार्ट किया जाएगा। मेरी जानकारी में जहॉ तक है, लगभग 48 करोड़ रूपये के काम जो हैं, 48 करोड़ के कामों का फाइनलाइजेशन हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : अलोकेशन हो गया है।

शहरी विकास मंत्री : अलोकेशन हो चुका है। जल्दी ही टेंडर लगा के वो चालू किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक उन्होंने बहुत अच्छा क्वैश्चन किया, प्लान हैड–नॉन प्लान हैड, ट्रांस यमुना बोर्ड में।

शहरी विकास मंत्री : इसके बारे में मुझे इमीजेटली जानकारी नहीं है, पर मुझे जहॉ तक लगता है कि प्लान हैड ही है, नॉन प्लान, अब तो हमने प्लान–नॉन प्लान नहीं है, वो तो जैसे एमएलए लैड फण्ड होता है, उसी तरह से टोटल फण्ड है that is for development प्लान में ही जाएगा सारा। वो नॉन प्लान–प्लान का इशू ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो इसमें कहीं उत्तर में आया है?

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री : कहॉ लिखा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बस प्लीज। नहीं, देखिए समय...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, दो मिनट बैठिए, बैठिए। अब डिले न करिए, डिले मत करिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धिंगान जी, प्रश्न संख्या तीस।

...(व्यवधान)

श्री राजू धिंगान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं साढ़े तीन बजे तक ये लूँगा, जितने भी आ जाएंगे, साढ़े तीन बजे तक। ये आप पर डिपेंड करता है कितना जल्दी फारिग करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने साढ़े तीन अलोकेशन कर दिया ना, साढ़े तीन बजे तक, आधा घंटा है। जितना शॉर्ट रखेंगे, जल्दी रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा।

...(व्यवधान)

श्री राजू धिंगान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या तीस प्रस्तुत हैः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) पिछले 5 वर्षो में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तय किए गए लक्ष्य के अनुपात में कितने शौचालयों का निर्माण किया गया हैं;

ख) पिछले 5 वर्षों में किन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई;

ग) उस देरी के क्या कारण हैं;

घ) कितनी टॉयलेट सीटस चालू हालत में है और कितने लोगों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है; और

ङ) क्या विभाग द्वारा नागरिकों को खुले में शौच करना बंद कर इन शौचालयों का इस्तेमाल करने के संबंध में जागरूक करने हेतु कोई अभियान चलाया गया है?

अध्यक्ष महोदय : जितना शॉर्ट रखेंगे, जल्दी रखेंगे, अच्छा रहेगा।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर प्रस्तुत है:

क) दिल्ली छावनी परिषदः

पिछले 5 वर्षो में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक शौचालय (6 सीट 3 पुरूष और तीन महिला) का निर्माण किया गया है;

नई दिल्ली नगर पालिका परिशद

पिछले 5 वर्षो में नई दिल्ली नगर निगम पालिका ने अपने क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु 87 नए शौचालयों का निर्माण व 29 शौचालयों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया है। इस प्रकार अभी तक नई दिल्ली नगर पालिका ने 304 सार्वजनिक शौचालयों व 38 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर स्वच्छ भारत मिशन द्वारा जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक शौचालय एक किलोमीटर दूर की दूरी पर व सामुदायिक शौचालय से जे.जे कैम्प से 500 मीटर की दूरी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को पहले ही खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है;

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 29 स्थानों पर 1312 टॉयलेट सीट का निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इनमें से 23 स्थानों पर 914 टॉयलेट सीटों का कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य 5 स्थानों पर 338 टॉयलेट सीटों का कार्य 30/4/2018 तक कर लिया जायेगा। एक परियोजना (60 सीट) जनता के प्रतिरोघ एवं आक्रिटक्चरल ड्रांईग की उपलब्धता में देरी के कारण 30/6/2018 तक पूरा करने कि संभावना है;

शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन):

शहरी निकायों ने सामुदायिक/सार्वजानिक/व्यक्तिगत शौचालयों के लिए एस.बी.एम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये है। किन्तु निधारित

एस.बी.एम मानदंडों के तहत शौचालयों का निर्माण करके सभी निकायों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। तीनों नगर निगमों ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 450 व्यक्तिगत शौचालयों (आईएचएचटी) का निर्माण हुआ है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने स्व. भा. मि. में 1312 सामुदायिक शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से 914 बनकर तैयार हैं;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

पिछले 5 वर्षो में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किसी भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। वर्ष 2017–18 में स्वच्छ भारत मिशन में 92 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तथा इसका निर्माण अभियांत्रिक विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है;

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

पिछले 5 वर्षो में शहर को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तय किये गये लक्ष्य के अनुपात में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मे शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 130 शौचालयों (623 सीट) का निर्माण किया गया एवं 51 शौचालयों (153 सीट) का निर्माण किया जाना है;

ख) दिल्ली छावनी परिशदः

जी हॉ, पिछले 5 वर्षो में मोबाईल टॉयलेट लगाने में देरी हुई;

नई दिल्ली नगर पालिका परिशदः

निर्धारित शौचालयों के निर्माण से संबंधित क्रियान्वयन में कोई देरी नही हुई अपितु पुराने बने हुए शौचालयों के नवीनीकरण के कार्य में जनहितार्थ का ध्यान में रखकर ही कार्य पूरा किया जा रहा है;

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः

उपरोक्तनुसार जैसा क) भाग के उत्तर में उल्लिखित है;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

वर्ष 2017 तक बजट न मिलने के कारण देरी हुई;

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

पिछले पांच वर्षो में किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी नहीं हुई;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

शौचालय का निर्माण स्थान की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है;

ग) दिल्ली छावनी परिशद्ः

उपरोक्त के अनुसार रक्षा भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण मोबाइल टॉयलेट लगाने में देरी हुई;

नई दिल्ली नगर पालिका पालिका परिशद्:

उपरोक्तानुसार

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः

उपरोक्तानुसार जैसा (क) भाग के उत्तर में उल्लिखित है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

वर्ष 2017 तक बजट न मिलने के कारण देरी हुई;

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्तानुसार;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्तानुसार;

घ) दिल्ली छावनी परिशद्ः

498 टॉयलेट सीट चालू हालत में हैं और लगभग 8000 लोगों के द्वारा टॉयलेट इस्तेमाल किये जाते है;

नई दिल्ली नगर पालिका परिशद्ः

सभी 1340 टॉयलेट सीट्स व 845 मूत्रालय पात्र चालू हालत में हैं जिनका उपयोग अनुमानित ढ़ाई से तीन लाख स्थाई निवासियों व 15 लाख अस्थाई निवासियों के द्वारा किया जा रहा है;

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्डः

सभी 914 टॉयलेट सीटर जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। लगभग 30000 लोगों द्वारा इन टॉयलेट सीटों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 300 सी.टी.सी चालू हालत में जिसमें 3206 सींटे पुरूषों के लिए तथा 2526 सीटें महिलाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त 68 पब्लिक टॉयलेटस हैं। इन सीटों का आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है;

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

वर्तमान में लगभग 14500 सीट चालू हालत में है;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

सभी सीट चालू हालत में हैं एवं उनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जा रहा है; और

ङ) दिल्ली छावनी परिशद्ः

दिल्ली छावनी परिषद् द्वारा खुले शौच की प्रथा को बंद करने के लिए तथा उपरोक्त शौचालय को इस्तेमाल करने के सबंध में समय समय पर अभियान चलाये गये हैं जिसके अंश निम्न प्रकार से हैंः

1. जन संबोधन के माध्यम से बार बार घोषणाएं की गयी;
2. प्रभावित क्षेत्रों में बैनर लगाये गये हैं;

3. पूरे छावनी क्षेत्र में हैंड बिल और पोस्टर लगाये गये हैं;
4. खुले में शौच को रोकने के लिए व उनके शौचालय के प्रयोग करने को उद्देदश्य से महिला ए.एस.आई सहित ए.एस.आई प्रर्यवेक्षण में समर्पित टीम को काम पर लगाया गया था;
5. स्कूली बच्चों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में थीम आधारित प्ले का आयोजन किया गया था;
6. प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को खुले में शौच के नुकसान तथा शौचालयों के प्रयोग के लाभ बताये गये;

नई दिल्ली नगर पालिका परिशद्:

समय समय पर पट विज्ञापन व बैनर लगाकर लोगों को खुले में शौच न करने व शौचालय उपयोग करने के संदर्भ जागरूक अभियान चलाया जााता है;

दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड:

हॉ, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 'स्वच्छता ही सेवा' के नाम 15/9/2017 से 2/10/2017 तक जे.जे बस्तियों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था;

शहरी विकास विभाग(स्वच्छ भारत मिशन);

वर्तमान 5 शहरी निकायों में से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् दिल्ली छावनी परिषद् को शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

खुले में शौच मुक्त क्षेत्र सत्यापित किया है। तीनों नगर निगमों ने अपने क्षेत्र को शौच मुक्त घोषित कर दिया है। उनका सत्यापन कार्य प्रगति में हैं। शहरी निकाय समय समय पर खुले में शौच मुक्त हेतु जागरूकता अभियान चला रहे हैं;

उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

हॉ, इसके लिए 'रोको–टोको तथा सीटी बजाओ' अभियान सभी क्षेत्रों में चलाकर तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है;

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमः

नुक्कड़ नाटक, पोस्टर्स, एफ.एम. चैनल, सीटी बजाओ अभियान, रोका–टोको अभियान चलाकर आम नागरिकों को खुले में शौच न करने के लिए एवं शौचालयों के इस्तेमाल करने के लिए जागरूक हेतु अभियान चलाए गए हैं;

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

हॉ, जागरूक करने हेतु अभियान चलाए गये हैं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए इसमें अब क्या क्वैश्चन है? धिंगान जी, मैं एक अलाउ कर रहा हूँ, फिर ये रह जाएंगे सारे क्वैश्चन।

...(व्यवधान)

श्री सही रामः इसमें जो क) भाग के उत्तर में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो दिया है कि पिछले 5 वर्षों में शहर को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' मिशन के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्य के अनुसार।

अध्यक्ष महोदयः कौन सा भाग है?

श्री सही रामः ये क) में देखें जी, नीचे लक्ष्य के अनुपात में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार अगर मैं अपनी विधान सभा के अनुसार, अपनी विधान सभा के दायरे में जाऊँ तो करीब–करीब इन लोगों ने फुटपाथ के ऊपर और बैक सीवर लाईन के ऊपर करीब–करीब 20 से 25 इन्होंने शौचालय बनाये है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसी में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैं वहॉ घूमने जाता हूँ तो या तो वहॉ उसमें जुआरी जुआ खेलते मिलते हैं या कबाड़ी वाले कबाड़ बिनते मिलते हैं। तो ये जवाब जो ये अधिकारी...

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी, एक चीज ये क्वैश्चन में पहले आ चुके, अखिलेश जी के कि जितने भी ऐसे शौचालय हैं, दिल्ली में, हम सबकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है। एक बार लिखित में, मंत्री महोदय को दें; चाहे वो निगम द्वारा संचालित हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है, चाहे वो दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा संचालित हैं, चाहे नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित हैं, एक बार हम अपने इलाके में उनकी सूची बनाकर माननीय मंत्री महोदय को दे दें।

श्री सही रामः अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा सवाल तो इसपे है कि जो उन्होंने 'शत–प्रतिशत' यहां जवाब दिया है, विधान सभा को गुमराह करने का, इन अधिकारियों ने क्या समझ रखा है? ये विधान सभा को भी गुमराह कर रहे है।

अध्यक्ष महोदयः आप दीजिए, करेंगे इसको।

श्री सही रामः मंत्री जी, को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप जानकारी दीजिए, करेंगे इसको। सोमनाथ जी, अंतिम क्वैश्चन बस।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, जो सही राम जी ने बात कही, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरे कार्यक्षेत्र के अंदर, मेरे विधान सभा में हौजखास विलेज गॉव और उसके कई निवासी, वहॉ का जो रोज गार्डन है, उसको शौचालय की तरह यूज करते हैं और ये मैं कई बार संज्ञान में लेके आया हूँ उनके। आजतक इसका समाधान नहीं आया और इन्होंने साफ–साफ कह दिया कि शत–प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये कन्टैंप्ट ऑफ द हाउस है, झूठा जवाब देना, सदन को गुमराह करना, ये कन्टैंप्ट ऑफ दा हाउस है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, चलिए उत्तर दे रहे हैं जैन साहब।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साउथ दिल्ली नगर निगम ने जैसा कि लिखकर दिया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में शत–प्रतिशत टारगेट पूरा कर लिया और वहॉ पर कोई भी ओपन डिफेकेशन की समस्या

नहीं है, किसी भी तरीके की। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में ऐसा है तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इसके बारे में इनसे दुबारा से जवाब मांगा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, ऐसा गलत जवाब इन्होंने क्यों दिया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, प्रश्न संख्या–31 सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः प्रश्न संख्या–31 प्रस्तुत हैः

क्या खाद्य एवं सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा के राशन कार्ड धारकों

को बॉयोमैट्रिक सिस्टम से राशन लेने में उंगलियों का निशान न मिलना जैसी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं;

ख) क्या सरकार इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई ठोस प्रयास कर रही है;

ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि राशन कार्ड में नाम अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अनेक मामलों में कम्पयूटर इसे दिखा नहीं पाता;

ङ) यदि हॉ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पूर्ण विवरण दें;

च) क्या यह भी सत्य है कि राशन कार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में राशन फॉर्म्स की अनुपलब्धता व जनता को इसकी जानकारी के अभाव में राशन दफ्तर में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है;

छ) यदि हॉ, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

ज) मंगोलपुरी विधान सभा में राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी हैं, पूर्ण विवरण दें;

झ) क्या भविष्य में सरकार की नए बी.पी.एल. कार्ड जारी करने की कोई योजना है; और

ञ) नए राशन कार्ड जारी होना कब से शुरू हो जाएगा, पूर्ण विवरण दें?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर प्रस्तुत है:

क) कुछ राशनकार्ड धारकों को राशन मिलने में कठिनाई आई है;

ख) जी हॉ;

ग) उंगलियों का निशान न मिलने पर 1 मार्च 2018 से आईरिश व

ओटीपी की सुविधा को भी लागू कर दिया गया है। बायोमैट्रिक विफल होने पर लाभार्थियो को राशन हस्त प्रणाली के माध्यम से देने के आदेश किये गये हैं। ऐसे मामलों की उचित दर दुकानदार बिक्री रजिस्ट्रर में आवश्यक प्रवषिष्ट करता है। कैबिनेट के आदेश संख्या :– 2555 दिनॉक 20/2/2018 के द्वारा ई–पोज प्रणाली को निलम्बित करने का आदेश प्राप्त हुआ है जो कि माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है;

घ) इस प्रकार का कोई मामला विभाग के मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से संज्ञान में नहीं आया है;

ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

च) जी नहीं, सभी संबधित मण्डल कार्यालयों में राशन फॉर्म्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

ज) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल राशन कार्ड धारकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रंमाक	कार्डधारक श्रेणीनुसार	कुल राशन कार्ड धारक
1	ए.ऐ.वाई	2158
2	पी.आर.एस	4081
3	पी.आर	21181
	कुल संख्या	27420

झ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में बी.पी.एल कार्ड बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है; और

ञ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना सतत् प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, सप्लीमेंटरी।

सुश्री राखी बिड़ला: अध्यक्ष जी, ये जो घ) भाग है, इसमें सवाल था कि क्या यह भी सत्य है कि राशन कार्ड में नाम अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अनेक मामलों में कम्प्यूटर इसे दिखा नहीं पाता, विभाग की ओर से जवाब मिला है कि इस प्रकार का कोई मामला मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में संज्ञान में नहीं आया जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं। अगर आप कहेंगे, तो मैं कल इसको पटल पर भी रखूंगी। पहला सवाल घ) भाग का जवाब पूर्ण रूप से झूठा दिया गया है, गुमराह किया गया सदन को। दूसरी यही था, यदि हॉ तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, उपरोक्त अनुसार लागू नहीं जब कि वो शिकायतें लगातार ऑफिस में आ रही है। मैं कल मंत्री जी को भी और पटल पर भी उस शिकायतों को रखूंगी, फिर च) जो था कि क्या यह भी सत्य है कि राशन कार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में राशन फॉम्स की अनुपलब्धता व जनता को इसकी जानकारी के अभाव में राशन दफ्तर में अव्यवस्था की स्थिति है; जवाब मिला है जी नहीं, सभी संबंधित मंडल कार्यालयों में राशन फॉर्म्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जब कि ये भी कोरा झूठ है। आर. मीना जी, कमिश्नर फूड ,मैंने उनसे भी बात करी थी, असिसस्टैंट फूड सप्लाई कमिश्नर से भी मैंने बात करी थी, उनको अवगत कराया था मैंने कि मेरी विधान सभा में किस तरह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक जो हमारे एफएसओ हैं, ये भी मैं सवाल करना चाहती हूॅं, उसके पास ट्रिप्पल जो है, चार्ज है, वो तीन–तीन सक्रल को देख रहा है। ओलरेडी उसके पास इतना बर्डन है, ऊपर से न फॉर्म्स उपलब्ध है, न एफएसओ दफ्तर में उपलब्ध है, जनता धूप में सुबह आठ बजे से लगती है और जो है अंत में उन्हें खिड़की बंद मिलती है और कहते हैं कि आज काम नहीं

होगा, आज फार्म्स नहीं है, आज एफएसओ सर नहीं हैं। तो माननीय मंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है...

अध्यक्ष महोदयः क्वैश्चन नहीं निकला इसमें।

सुश्री राखी बिड़लाः सर क्वैश्चन है ना, कि जवाब गलत है, विभाग की ओर से जवाब गलत दिये गए हैं, यही तो सवाल है कि गुमराह किया जा रहा है सदन को।

अध्यक्ष महोदयः कुछ कहना चाहेंगे इमरान जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः यदि आपके पास विभाग ने गलत जवाब दिया है और आपके पास ऐसी शिकायतें हैं तो आप मुझे दें, उस पर तुरंत एक्शन होगा।

सुश्री राखी बिड़लाः जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः इमरान जी। सौरभ जी, मैं एक जरा जानकारी के लिए, पिछले चार साल में, अगर जानकारी है, दिल्ली के लोगों का केन्द्रीय सरकार ने कितने लाख लोगों का कोटा था, क्या उसमें बढ़ोत्तरी हुई 4 साल में?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 72,77,995 लोगों का कोटा था जो कि केन्द्र सरकार से आबंटित है, दिल्ली सरकार को। उसमें अभी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदयः पिछले चार साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदयः हॉ सौरभ जी, अंतिम क्वैश्चन।

श्री सौरभ भारद्वाजः ये जो क),ख),ग) भाग है, एक तो ये है कि इस राशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न जो था।

अध्यक्ष महोदयः और प्रश्न रह जाएंगे सब।

श्री सौरभ भारद्वाजः राशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे जगदीष प्रधान जी ने भी पूछा था, इनका उत्तर भी सही नहीं दिया गया। ये राखी बिड़ला बहन का भी उत्तर सही नहीं दिया गया। अधिकारी एक ही है; के. आर. मीणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड। ग) जो इसका सी) है, वो ये है कि अगर राशन के अंदर एक जनवरी, 2018 से बॉयोमीट्रिक की व्यवस्था षुरू हुई, पीओएस की व्यवस्था षुरू हुई। इसमें पूछा गया कि इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए, कृपया विवरण दीजिए। एक जनवरी से ये व्यवस्था षुरू हुई। समस्यायें आ रही थीं, विधायक परेषान थे, लोग परेषान थे। इन्होंने जो पहला निदान इसका बताया, वो बताया है; एक मार्च 2018 को आइरिष व ओटीपी की सुविधा लागू की गई। मैं ये जानना चाहता हॅू कि जनवरी और फरवरी के दौरान जब ये दो महीने तक ये समस्या रही, मंत्री जी कृपया बताने का कश्ट करें। नहीं तो, आपके अफसर मौजूद हैं उनसे पूछकर बताने का कश्ट करें। 2 महीने तक इस समस्या को निदाने करने के लिए इस सरकार ने क्या किया?

खाद्य आपूर्ति मंत्रीः जब ये ई–पोज लागू हुआ तो उसके दौरान एक जनवरी 2018 से, तो उसके उपरांत मैं खुद 10–15 दिन लगभग रोजाना अलग–अलग क्षेत्रों का मैंने दौरा किया। उसमें अधिकारी भी मेरे साथ रहे और जाकर हमने देखा कि काफी दिक्कत आ रही थी, परेषानी आ रही थी और उसके बाद मैंने आदेष दिया कि आप लोग रजिस्टर में एंट्री करके और जिन लोगों का बायोमीट्रिक नहीं मिल पा रहा, उन्हें राशन दें लेकिन

लोग काफी परेषान थे और मैंने देखा और उसके बाद में सारे अधिकारियों को क्षेत्रों में भेजा गया और मैं आपको अभी थोड़ी देर में मीणा जी से बात करके बाकी आपको अभी मैं जवाब लेकर देता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, अब ये अंतिम है इसमें, भई राखी जी, अब नहीं प्लीज। फिर और रह जायेंगे। सिरसा जी अनुपस्थित।

श्री सौरभ भारद्वाजः मेरा निवेदन है, छोटा सा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदयः भई अब नहीं, सौरभ जी, प्लीज। मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने नोट कर लिए हैं प्रश्न संख्या–26, प्रश्न संख्या–27 और प्रश्न संख्या–31, मैं तीनों क्वैष्चनों को क्वेष्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी को सौंप रहा हूँ। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी प्रश्न संख्या–33 सिरसा जी अनुपस्थित हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से प्रश्न संख्या–33 के उत्तर की अपेक्षा करता हूँः

क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में तीनों नगर निगमों को वित्तीय परेशानियों से उबारने का एकमात्र उपाय उनको पुनः एकीकष्त करना है;

ख) सरकार इन तीनों नगर निगमों को वित्तीय परेशानियों से उबारने के लिए क्या कदम उठाना उचित समझती है;

ग) सरकार को पॉचवें वित्त आयोग की सिफारिशें कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है;

घ) सरकार ने चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्येक नगर निगम को कितनी–कितनी राशि आबंटित की है;

ङ) चाथे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्येक नगर निगम को कितना–कितना ग्लोबल शेयर ऑफ टैक्स, स्कूल बिल्डिंग मेंटिनेंस फंड, म्यूनिसिपल एसेट फंड, शिक्षा के लिए फंड, पुनर्वास कालोनियों के फंड तथा म्यूनिसिपल रिफॉर्म फंड मिलना था और सरकार द्वारा वास्तव में कितना–कितना फंड जारी किया गया;

च) सरकार के पास चौथे वित्त आयोग की कौन–कौन सी सिफारिशें अभी लंबित पड़ी हैं और इनके अंतर्गत कितनी–कितनी राशि देनी बनती है;

छ) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक कितना फंड दिया जाना था और सरकार ने कितना फंड जारी किया है;

ज) क्या सरकार तीनों नगर निगमों को चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार फंड जारी करने जा रही है; और

झ) यदि हॉ, तो प्रत्येक नगर निगम को कितना–कितना फंड जारी किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या–33 का जवाब इस प्रकार देना चाहता हूँः

क) जी नहीं;

ख) 1. तीनों निगमों को अपने वर्तमान स्रोतो से आय में वृद्धि करनी चाहिए;

2. अन्य नये आय स्रोतों की पहचान कर लागू करें;

3. वित्तीय प्रबंधन में सुधार करें;

ग) पांचवे वित्तीय आयोग की रिपोर्ट दिनांक 25/10/2017 को प्राप्त हो गई है;

घ) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई हैं;

ङ) दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गये फण्ड का ब्यौरा क) संलग्न[2] है;

च) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई हैं;

छ) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई हैं;

ज) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई है; और

झ) चौथे वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई हैं;

Income (Rs. In lakhs)	Actual income 2012-13	Actual income 2013-14	Actual Income 2014-15	Actual Income 2015-16	Actual Income 2016-17	Income up to Jan 2017-18
Global Share of Assigned Taxes on recommendation of Delhi Finance Commission from Govt.	35935.00	34670.28	38828.51	39835.59	45550.23	26140.10
Municipal Reforms Fund	6000.00	0.00	0.00	0.00	11800.00	11039.00
Grant-in-aid for education from Govt.	31394.00	34565.67	35346.36	36350.40	42047.80	34925.16
Grant in aid for maintenance of School Buildings	1289.00	1426.37	1597.44	1638.88	1873.98	1546.04
Grant in aid for maintenance of Mpl. Assets	1455.00	1610.76	1803.95	1850.73	2116.23	1745.88
Resettlement Colonies	3365.00	3365.00	3365.00	3365.00	3365.00	2523.75

अध्यक्ष महोदयः हॉ जी, सप्लीमेंटरी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा एक सप्लीमेंटरी है। जो मंत्री जी ने बताया ग) भाग के उत्तर में कि पॉचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट दिनॉक 25/10/2017 को प्राप्त हो गई है। जो पांचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूॅगा कि वो सदन के पटल पर कब रखी जाएगी और कब से उसको लागू किया जाएगा? प्रश्न एक और दूसरा मैं फिर दोबारा पूछॅूगा।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पॉचवें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, वो सरकार के विचाराधीन है। उसके विचार के उपरांत उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट इनको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, जो नगर निगमों को वित्त रूप से जिस तरह की समस्याएं हैं, हम सब जानते हैं और अभी जो जवाब आया है, उसमें ये लिखा गया है कि दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिषों पर सरकार से कर का षेयर जो ऑफ देहली फाइनेंस मतलब दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिष, कौन–से वित्त आयोग की? क्या ये तीसरा वित्त आयोग है और अगर ये तीसरे वित्त आयोग के ही अनुसार क्योंकि चौथे वित्त आयोग भी आ चुका है और पांचवां भी आ चुका, तो अभी तक तीसरे वित्त आयोग के अनुसार ही क्यों फंड रिलीज किया जा रहा है? और दूसरा तीसरे वित्त आयोग के अनुसार भी नगर निगमों को पैसा उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूॅगा कि जो म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड है, वो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेषन को अभी तक कुल कितना मिला

है और कितना बकाया है? ईडीएमसी को म्युनिसिपल रिफार्म फंड आपने अभी तक कितना दिया है और कितना बकाया है? 187 करोड़ रूपया आपने ईडीएमसी को दिया है और जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेषन हैं, उनको आपने सिर्फ लगभग 110 करोड़ रूपये के करीब म्युनिसिपल रिफार्म फंड दिया है। बाकी का जो म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड है, वो कब तक रिलीज किया जाएगा और अभी तक नहीं रिलीज किया गया है, तो क्यों नहीं किया है और अगर नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चौथा वित्त आयोग लागू न किया जाने का कारण ये है कि उसके अंदर बहुत सारी रिकमंडेषन्स थी। कुछ रिकमंडेषन्स को दिल्ली सरकार ने मानना था और कुछ रिकमंडेषन्स को केन्द्र सरकार ने मानना था। केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15–20 सालों से दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रूपया फिक्स सहायता देती है सिर्फ 325 करोड़। लोगों को ये गलतफहमी है कि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा देती है और दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा देना है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूॅ कि केन्द्र सरकार चाहे तो एमसीडी को डॉयरेक्ट पैसा दे दें और नहीं, तो हमें पैसा दे दे और हम उस दिन षाम को उसको एमसीडी को पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कुछ सदस्यों के द्वारा भी और जनता को गुमराह किया जाता है कि जैसे केन्द्र ने पैसा दे दिया है और दिल्ली सरकार उसको लेकर बैठ गई है। केन्द्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब केन्द्र से पैसा देने की बात आती है, तो कहते हैं कि हम तो 325 करोड़ रूपये ही देंगे। जबकि

दिल्ली के जो नागरिक हैं, सर, सुन लीजिए पहले, आपका क्वैष्चन मैं ध्यान से सुन रहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, देखिए, अगर हम, विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड रूकिए प्लीज। बैठिए प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने अपनी आय का प्रतिशत देना है और आपने आय लिखी हुई है, प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दिया नहीं है। मेरे सवाल का टू दा प्वाइंट रिप्लाई करिए।

शहरी विकास मंत्रीः ये सबके बारे में सबको पता होना चाहिए। सभी राज्यों को केन्द्र सरकार एक प्रतिशत देती है कि जो उनको पैसा मिला, उसका एक प्रतिशत वापिस करती है जो कि अब 42 प्रतिशत है। दिल्ली के लोग इन्कम टैक्स देते हैं और वो जो इन्कम टैक्स है ,वो बहुत बड़ा अमाउंट है। एग्जेक्टली, मुझे पता नहीं है परंतु कम से कम एक लाख करोड़ तो जरूर होगा, इससे कम नहीं होगा। जो इतना बड़ा इन्कम टैक्स है, उसमें से 325 करोड़ रूपये हमें दिए जाते हैं। 42 परसेंट दे दो, 42 नहीं तो 20 चलो सब काट लेते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये तो नहीं है, ये तो तरीका ऐसे नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः भई, वो आ जाएगा। उसी में जवाब नहीं थे। आप 42 परसेंट वहॉ से दिलवा दीजिए और स्टेटों को दे रहे हैं। मीठा–मीठा आम, खा लें कड़ुवा–कड़ुवा आम छोड़ दें! चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः झा साहब बैठिए, माननीय मंत्री जी खड़े है। झा साहब, माननीय मंत्री जी खड़े है, उत्तर देने के लिए हमें।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उसमें ये कह रहे थे फोर्थ फाइनेंस कमिषन की रिकमंडेषन्स क्यों नहीं करी गई। उसके अंदर ये भी कहा गया था कि डीडीए दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। लैंड किसी भी राज्य का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स लैंड होता है, लैंड दिल्ली सरकार के पास न हो के, डीडीए के पास है और डीडीए ने 25000 करोड़ की तो एफडी करा रखी है और 25 करोड़ रूपये दिल्ली की डवलपमेंट में लगना चाहिए था। उन्होंने कहीं से नहीं कमाया, उस लैंड से कमाया है और कम से कम उनके पास 50 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ की लैंड अभी भी है। जिस लैंड के उपर वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं अगर वो हमें दे दें तो एमसीडी जितना पैसा मांगती है, उससे दुगुना देने को हम तैयार हैं। उससे दुगुना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक एमआरएफ की बात है, उसमें पहले से ही लिखा गया कि म्युनिसिपल रिफार्म फंड है वो। अगर रिफार्म करेंगे तो फंड मिलेगा। इस सदन में बैठे हुए कोई भी सज्जन बता दे कि एमसीडी ने क्या रिफार्म किया आज तक।/330/

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बताइए न।

शहरी विकास मंत्री: सर जी, हमने दे दिया। हमने पिछले बारी बजट अपने कैबिनेट मीटिंग के अन्दर रिफॉर्म न होने के बावजूद भी।

अध्यक्ष महोदय : ये ही समय खा जाएगा सारा। लोगों के वो...

श्री सौरभ भारद्वाज : सप्लीमेंट्री सिर्फ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा, हम जितना समय कॅमेंटस में बर्बाद करेंगे, उतना आपका समय बर्बाद होना है। झा साहब प्लीज।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय जो 2017–18 में म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड के अन्तर्गत 110 करोड़ रुपये और 16–17 में 118 करोड़ रुपये दिए गए हैं, इससे पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, न तो 13–14 में, 14–15 में जीरो जीरो मिला था इनको। तब की बात नहीं करते और उसके...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ठीक है न।

शहरी विकास मंत्री: अरे! सर जी काम करोगे तो देंगे और जितना ये मिन्युसिपल रिफॉर्म फंड बनता है, देंगे।

अध्यक्ष महोदय : भाई विजेन्द्र जी, अब इसमें आपको कुछ और जानकारी लेनी है, लिख के दे दीजिए।

शहरी विकास मंत्री: और दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार ने जितना पैसा थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से बनता है, उससे ज्यादा एमसीडीज को दिया है। हमने लोन भी दिया है। उस लोन के ऊपर न तो लोन वापस दिया इन लोगों ने और न ही उसके ऊपर इन्ट्रेस्ट वापस दिया है उसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फीगर्स में दीजिए।

शहरी विकास मंत्री : सारी फीगर्स में आदरणीय...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन के पेपर्स दिए जाएं।

शहरी विकास मंत्रीः मैं तीनों की दे दूंगा, मैं आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वो ही जो नहीं दिया।

शहरी विकास मंत्रीः आपको मैं तीनों की दे दूंगा न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सारा रिपेमेंट आप ले रहे हैं, अपनी किस्ते काट रहे हैं। एक सैकेण्ड।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दूसरा अध्यक्ष जी, सवाल ये नहीं है कोर्ट के अन्दर टीचर को सैलरी नहीं मिल रही, दिल्ली सरकार को हड़काया जा रहा है। आप फंड्स को रोक रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पंगु बना रहे हैं। उसका नुकसान दिल्ली की जनता उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, अब बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई अंत में, अंत में... जैन साहब छोड़िए प्लीज। बैठिए बैठिए। सारा कन्वजर्न चॉर्जिज हजम हो गया। हॉ बताइए सौरभ जी, क्या पूछना है? अब अंतिम है बस ये।

श्री सौरभ भारद्वाज : मेरा एक सवाल मंत्री महोदय से ये है कि क्या इनके पास एमसीडी, नई एमसीडी जब ये आई है, उसके बाद कोई ऐसा प्रपोजल आया है कि इनको केन्द्र सरकार सीधे मदद कर सके फाइनेंशियली?

शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार पूरे देश में सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता प्रदान करती है। जितनी पॉपूलेशन है, उस पॉपूलेशन के अनुपात में सभी जितनी भी कॉरपोरेशन पूरे देश की हैं, एक फॉर्मूला बनाया गया है, लगभग, शायद 247 रुपया है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी है, जिसको नहीं देते। अकेली दिल्ली है जिसको पैसा नहीं देते हैं और मैं विनती करूँगा केन्द्र सरकार से कि जो पैसा इन कॉरपोरेशंस का, उस फॉर्मूले के हिसाब से बनता है। मैं इन्कम टैक्स वाला अभी नहीं बात कर रहा, वो 42 परसेंट वो बाद में देते रहेंगे। जो सारी कॉरपोरेशंस को, एक फॉर्मूला केन्द्र सरकार ने बनाया, उस फॉर्मूले के अनुसार हर साल इनका 1200–1500 करोड़ रुपये बनता है। पिछले 4–5 साल का जो बनता है और आगे का बनेगा। 5–7 हजार करोड़ रुपये बनता है, सारा दे दीजिएगा, पूरा का पूरा पैसा। हम पूरी एमसीडीज को उस दिन दे देंगे और चाहो तो हमारे थ्रू इन डायरेक्ट दे दो आप। कोई दिक्कत नहीं उनको डायरेक्ट दे दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, फिर आप कॅमेन्टस कर रहे हैं। चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई मैं, अब नहीं प्लीज। प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाएं सब। 280, अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. श्री मोहम्मद इश्राक : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा कितने मकान बनाए गए;

(ख) उन मकानों को बनाने का निर्णय कार्य कब, पूर्ण, शुरू हुआ और कब खत्म हुआ विवरण दें;

(ग) यदि उन मकानों को बनाने में देरी हुई तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उनमें से किसी मकान रहने के लिए पूर्णतः तैयार हैं;

(ङ) वे मकान कब से खाली पड़े हैं वर्ष बार ऐसे मकानों की सुरक्षा एवं रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्च व ऐसी आलस्यपूर्ण गतिविधि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण विवरण दें;

(च) क्या डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा कोई नई हाउसिंग स्कीम के लाने का प्रस्ताव है, और

(छ) यदि हां वह स्कीम कब बनाई तो उसके प्रारंभिक अनुमान सक्षम गई प्राधिकारी द्वारा कब स्वीकृत किए उनकी टेक्निकल सैक्शन सक्षम गए

प्राधिकारी द्वारा कब प्रदान की गई उस स्कीम को प्रारंभ करने में हुई देरी के कारण व उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम सहित पूर्ण विवरण दें।

शहरी विकास मंत्री : (क) पिछले 10 वर्षों मं डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा निम्नलिखित मकान बनाए गए।

1. 2004 मकान सेक्टर 16–बी द्वारका में।
2. 1060 मकान सुल्तान पूरी में।
3. 7620 मकान सावदा घेवरा में।

(ख) इन मकानों के बनाने से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है–

क्रम संख्या	साइट का नाम	मकान बनाने के निर्णय	निर्माण कार्य शुरू की तारीख	निर्माण कार्य की खत्म की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मकान 736 2–साईट सेक्टर–16बी द्वारका	26.3.2008	3.12.2009	20.09.2013
2.	मकान 288 3–साईट सेक्टर–16बी द्वारका बी	26.3.2008	4.12.2009	05.12.2013

1	2	3	4	5
3.	मकान 980 1–साईट सेक्टर 16बी द्वारका	10.3.2011	10.3.2012	31.07.2015
4.	1060 मकान सुलतानपुरी	10.3.2011	10.3.2012	05.10.2016
5.	7620 सावदा घेवरा	30.12.2011	10.3.2012	सर्विसीज का कार्य चल रहा है जो 31.12.2018 तक खत्म हो जायेगा

(ग) इन मकानों को बनाने में देरी के विभिन्न कारण रहे हैं। मुख्य कारण है जैसे कि लैआउट में बदलाव बिजली के समय पर फन्ड की कनेक्शन में देरी तथा समय उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य पूरा करने में देरी हुई।

(घ) सवदा घेवरा साइट पर मकानों का कार्य 30.08.2018 तक रहने योग्य हो जाएंगे। बाकी सभी जगह मकान रहने योग्य हैं।

(ङ) मकान बनाने के बाद से खाली है केवल साईट नं. 1 सेक्टर 16बी द्वारका (980 मकान) पर 747 मकान अलौट किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा पुनर्वास नीति में बदलाव के कारण किसी अधिकारी को चिन्हित नहीं किया जा सकता।

(च) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा चार नई हाऊसिंग स्कीम बनाने का प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है व दिल्ली सरकार में विचाराधीन है। इसके अंतर्गत लगभग नये घर बनाये जाएंगे।

(छ) यह स्कीम में बनाई गई। इसकी एपरुवल 18–2017 डी.यू.एस. आई.बी. बोर्ड द्वारा दी गई है। DPR दिल्ली सरकार के Urban Deptt. में भेजी गई है। इन कार्यों के लिए जरूरी फण्ड के इन्तजाम व दिल्ली सरकार द्वारा डीपास होने आर.पी. के बाद ही टेन्डर प्रक्रिया की जायेगी।

25. **श्री सुश्री भावना गौड़** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा पिछले 10 वर्षों में कितनी बैठकें की गई है;

(ख) इस बोर्ड के पुनर्गठन के बाद कितनी बैठकें की गई हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने प्रस्ताव सैक्शन किए गए हैं; और

(घ) इसके पुनर्गठन के बाद कितने प्रस्ताव सेक्शन किए गए थे?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा पिछले 10 वर्षों में 15 बैठकें की गई हैं।

(ख) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

ट्रांस यमुना बोर्ड के पुनर्गठन के बाद 04 बैठकें की गई हैं।

(ग) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

इस योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों ट्रांस यमुना बोर्ड द्वारा विभिन्न बैठकों में कुल 436 कार्य स्वीकृति किये गये हैं।

(घ) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

इस योजना के अंतर्गत ट्रांस यमुना बोर्ड के पुनर्गठन के बाद 27 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

32. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की राजोरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में शाम नगर, ख्याला में स्थित झुग्गियों को वहाँ से द्वारका में पुनर्वास करने की कोई योजना थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि द्वारका में इस झुग्गियों के लिये चिन्हित जमीन को किसी अन्य क्षेत्र में स्थित झुग्गियों को आबंटित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) शाम नगर, ख्याला के झुग्गीवासियों द्वारा द्वारका में पुनर्वासित होने के लिए तैयार होने के बावजूद सरकार द्वारा उन्हें वहां पुनर्वासित न करने के क्या कारण है; और

(ङ) इन झुग्गीवासियों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की श्याम नगर और सीकरी भट्टा के झुग्गीवासियों को द्वारका में पुनर्वास करने की योजना थी।

(ख) द्वारका स्थित फ्लैट केवल श्यामनगर ख्याला के झुग्गीवासियों के लिए ही नहीं बनाए गए थे। परन्तु सरकारी निर्णय के अनुसार कुछ फ्लैट NH-24 पर बसे झुग्गीवासियों एवं NBCC प्रोजेक्ट, किदवई नगर के झुग्गीवासियों को आबंटित किये गए हैं।

(ग) और (घ) श्याम नगर एवं सीकरी भट्टा झुग्गीवासियों के विरोध के कारण सर्वे का कार्य शुरू नहीं हो सका अतः कुछ दूसरे झुग्गीवासियों को द्वारका में पुनर्वासित किया गया है।

(ङ) इन–सीटू योजना के तहत इन झुग्गी–वासियों को उसी स्थान पर पुनर्वासित करने की योजना है।

34. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'Smart City-NDMC Initiative' के अंतर्गत एन.डी.एम.सी. भवनों की छतों पर वर्ष 2017–18 में तय किए गए लक्ष्य के अनुपात में किसने सोलर पैनल लगाए गए हैं; और

(ख) यह सोलर पैनल 6400 के डब्ल्यू.एच. प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुपात में कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

अभी तक एन.डी.एम.सी. के भवनों पर वर्ष 2015–16 से 3.1 मेगावाट के सोलर पैनल लग चुके हैं। जिसमें वर्ष 2017–18 में नई दिल्ली नगर

पालिका के भवनों में 1.35 मेगावाट के सोलर पैनल लगाये हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने सभी भवनों की छतों पर उपयोगिक क्षमता का उपयोग कर सोलर पैनल लगा दिये हैं। अब एन.डी.एम.सी. के भवनों पर और सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है अन्य सरकारी/निजी बिल्डिंगों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए एस.ई.सी.आई./ई.ई.एस.एल. से अनुबंध किया है। इस दिशा में 20 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका, ई.ई.एस.एल. व भवनों के मालिकों के बीच सिस्टम ऐग्रीगेटर की तरह काम करेगी। इस दिशा में ज्यादातर भवनों का निरीक्षण किया जा चुका है। लेकिन कोई भी भवनों के मालिकों से सोलर पैनल लगाने के लिए सहमति नहीं मिली है। एन. डी.एम.सी. वेबसाईट पर पोर्टल बना दिया गया है जो कि नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

(ख) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

इन सोलर पैनलों से औसतन फरवरी माह के आंकड़े के अनुसार 5123.4 के.डब्लू.एच. प्रतिदिन बिजली पैदा की जा रही है।

35. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अमर कालोनी शाहबाद सेक्टर–17 व सरदार कालोनी सेक्टर–16, रोहिणी को डी.यू.एस.आई.बी. ने बताया था;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इन कालोनियों के रख रखाव का कार्य किस विभाग/एजेंसी द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विभाग के इस कालोनी में कुछ प्लाट व दुकानें खाली हैं; और

(घ) यदि हां, तो विभाग की उन दुकानों व प्लाटों को लेकर क्या योजना है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी, हाँ

(ख) इन कालोनियों में रखरखाव का कार्य उत्तरी नगर निगम एवम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हाँ यह सत्य है।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा खाली प्लाट को नीलामी द्वारा निष्पादन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। खाली दुकानों के लिए अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

36. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में 444 के लक्ष्य के अनुपात में कितने क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट किया गया है; और

(ख) इनमें से कितने स्मार्ट क्लासरूम्स चालू हालत में हैं और कितने विद्यार्थियों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

इस समय नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा नवयुग विद्यालयों के 6–12 कक्षाओं के 433 सेक्शनों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं।,

इसके अतिरिक्त 11 स्मार्ट कक्षाएं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दो कौशल विकास केन्द्रों में स्थापित की गई है।

(ख) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

सभी 444 स्मार्ट कक्षाएं सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा इसका इस्तेमाल 15775 विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है।

37. श्री रामचन्द्र : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में तय लक्ष्य के अनुपात में कितने वाटर ए.टी. एम्स लगाए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने चालू हालत में हैं; और

(ग) इन ए.टी.एम्स के माध्यम से प्रतिमाह कितनी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में तय लक्ष्य 37 (1 स्कूल, 11 गार्डन/पार्कस, 25 अन्य पब्लिक क्षेत्र) वाटर ए.टी. एम्स लगाए गये हैं।

(ख) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

यह सभी वाटर ए.टी. एम्स चालू हालत में हैं।

(ग) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

इनमें सभी ए.टी. एम्स के माध्यम से प्रतिमाह औसतन 35 कि.मी. मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है।

38. श्री अजय दत्त : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017—18 में राशन की कितनी दुकानों के चालान किये गये;

(ख) कुल कितनी राशि के चालान किये गये;

(ग) विभाग को राशन न वितरित न किए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) बायोमैट्रिक मशीनों में खराबी के कारण कितने उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल सका; और

(ङ) पिछले तीन महीनों के दौरान कितने उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल सका, पूर्ण विवरण दें;

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) वर्ष 2017—18 में कुल 375 राशन की दुकानों के चालान किये गये।

(ख) कुल 6,47,000 राशि के चालान किये गये।

(ग) विभाग के सहायता केन्द्र (help-desk) पर राशन के गैर वितरण की 01/01/2018 से 07/03/2018 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पी.जी.एम.एस. पोर्टल के तहत 01/01/2018 से 13/03/2018

तक 353 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमें से जनवरी में 21, फरवरी में 20 व मार्च में 4 (13 तारीख तक) राशन न देने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिनका निवारण किया जा चुका है। ई–पोज मशीन द्वारा राशन वितरित करने के ट्रायल के दौरान कुछ दुकानों पर राशन ठीक ढंग से वितरित न करने की शिकायतें मंत्री महोदय और अधिकारियों को भी मिली जिनका तत्काल निवारण किया गया।

(घ) विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जिन लाभार्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन विफल होता है उन्हें हस्त वितरण प्रणाली के माध यम से राशन दे दिया जाता है ऐसे मामलों की उचित दर दुकानदार बिक्री रजिस्ट्रर में आवश्यक प्रवृष्टि करता है।

(ङ) विभाग द्वारा उन सभी उपभोक्ताओं को राशन दिया है जो राशन की दुकान पर राशन लेने गये हैं।

39. श्री एस.के. बग्गा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में 109 के तय लक्ष्य के अनुपात में कितने स्मार्ट टॉयलेट्स का निर्माण किया गया;

(ख) इनमें से कितने चालू हालत में हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इनमें से बहुत से स्मार्ट टॉयलेट्स चालू हालत में नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में 112 के तय लक्ष्य के अनुपात में 57 स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण किया जा चुका है, 10 पर कार्य प्रगति पर है तथा 22 टॉयलेट के लिए ड्राईंग अनुमोदित की जा चुकी है।

(ख) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

ये सभी 57 टॉयलेट चालू हालत में है।

(ग) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

ये सभी टॉयलेट चालू हालत में है। इसके अलावा 261 पब्लिक टॉयलेट में फीडबैक क्रिया विधि (मैक्निजम)/टेबलेट लगाई गई है। जिसमें एक जनवरी से 28 फरवरी 2018 तक 138562 सिटीजन फीडबैक प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें 87 प्रतिशत लोगों ने टॉयलेटस को स्वच्छ बताया है।

(घ) **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्**

प्रश्न नहीं उठता।

40. श्री जगदीप सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में स्थानीय निकायों को अनधिकृत कालोनियों एवं झुग्गी झोपड़ियों के दिए गए फंड का वर्ष वार विवरण क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई राशि के एवज में दिए गए युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की प्रति प्रदान करें;

(ग) क्या स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिये दिए गए फंड के आबंटन के बाद युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाना अनिवार्य है;

(घ) स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए दिए गए फंड के एवज में युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है;

(ङ) वर्तमान में इस पद पर तैनात अधिकारी का विवरण; और

(च) पिछले 10 वर्षों में इस पद पर कौन से अधिकारी तैनात किए गए पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री : (क) पिछले 10 वर्षों में स्थानीय निकायों को अनाधिकृत कालोनियों के लिये दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है।

तथापि पिछले दस वर्षों में झुग्गी–झोपड़ी कलस्टर के लिये दिये गये कुल धनराशि रु. 39082.96 लाख है जिसका वितरण (अनुलंग्नक–I) संलग्न है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का गठन वर्ष 2010 में हुआ, इसके पहले की वर्ष 2007–08 से 2009–10 स्लम एवं जे.जे. विभाग की सूचना भी इसमें शामिल हैं।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी झोपड़ी के लिये दी गयी राशि के एवज में दिये गये युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के प्रतिलिपियां (अनुलंग्नक–II) संलग्न है।

(ग) नियमानुसार दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिए गए धन राशि का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। जिसे निर्धारित समय पर प्रदान किया जाता है।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) में बजट व वित्त अधिकारी युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिये जिम्मेदार हैं।

(ङ) श्री हरदेव सिंह नानरा, बजट व वित्त अधिकारी (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)

(च) पिछले 10 वर्षों में युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारियों का विवरण नियमानुसार हैं–

वित्तीय वर्ष	अधिकारी नाम	पद
2007–08	श्री ओम प्रकाश नासा	उप लेखापाल–II
2008–09 से 2009–10	श्री जी.एल. गुप्ता	उप लेखापाल–II
2010–11	श्री पंकज कुमार	बजट व वित्त अधिकारी
2011–12	श्री कामिनी दत्ता वैद	बजट व वित्त अधिकारी
2012–13	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	बजट व वित्त अधिकारी
2013–11 से 2016–17	श्री हरदेव सिंह नानरा	बजट व वित्त अधिकारी

Detail of Grant received by DUSIB from GNCTD

Sl. No.	Head of Account	Actual 2007-08	Actual 2008-09	Actual 2009-10	Actual 2010-11	Actual 2011-12	Actual 2012-13	Actual 2013-14	Actual 2014-15	Actual 2015-16	Actual 2016-17	Total 10 Years
b)	**Urban Development**											
(i)	Env. Imp. In Slum areas in J.J. Clusters	400.00	500.00	560.00	546.58	4,000.00	350.00	2,850,00	375.00	1,850.00	1,200.00	12,631.58
(iii)	Construction of Pay & Use Jan Suvidha Complex	400.00	400.00	265.00	235.67	500,00	200,00	1,750.00	1,625.00	4,675.00	7,500.12	17,550.79
(vi)	Basti Vikas Kendras/ Community Halls	300.00	346.67	193.80	185.10	600.00	1,550,00	1,301.48	625.00	1,125.00	1,000.16	7,227.21
(VI)	Shishu Vatikas & JJ clusters	200.00	107.14	75.00	193.74	500,00	0.00	10.00	50.00	237,50	300.00	1,673.38
	Total 1 (b)	1,300.00	1,353.81	1,093.80	1,161.09	5,600.00	2,100.00	5,911.48	2,675.00	7,887.50	10,000.28	39,082.96
	Detail of Plan Expenditure											
b)	Urban Development											
(i)	Env Imp. in Slum areas in JJ Clusters	402.19	482.59	524.10	504.13	2254.87	2149.42	2396.78	587.13	1207 43	1611.81	12,120.44
(ii)	Construction of Pay & Use Jan Suvidha Complex	450.55	25475	396.05	240,00	362.19	344,20	1036.12	1737 82	4494,37	6437.72	15,753.77
(ii)	Pdg Built up facilities of Com Halls/Barat Ghars/ Social Welfare Centres/Basti Vikas Kendras	345.87	201.32	308,82	273.61	434.92	1517.44	1074.30	799.23	837.45	921.47	6,714.42
(iii)	Shishu Vatikas/common spaces Containing the size of capturing open spaces in Jhuggies clusters	181.36	97.67	121.07	112.40	105.52	239.70	208.68	172.96	145.08	337.08	1,721.52
	Total 1 (b)	1,379.97	1,036.33	1,350.04	1,130.14	3,157.50	4,250.76	4,715.87	3,297.14	6,684.33	9,308.08	36,310.16

Note- The Unspent balance of the previous year nos been Utilised as expendetiv in next finoncial year with the approval of GNCTD.

Form No. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1	2	3	4
1.	F-14/2/07-08/UD/ A/C407-423 dated 17/08/2007 (ECS A/C)	Rs.2.00,000,00.00	Certified that out of Rs. 4,00,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2007-08 in favour of
2.	F-14/2/07-08/UD/ A/C 156-169 dated 15/01/2008 (ECS A/C)	Rs. 1.00,00,000.00	Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry-/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 2,29,719.00 on account of
3.	F- 14/2/07-08/UD/ A/C D-422 to 437 (dated 21/02/2008 (ECS A/C)	Rs. 1,00,00,000.00	unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 4,02,18,496.00 has utilized for the purpose of "EJUS" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 11,223.00 remaining unutilized at the end of theyear has been surrendered to Govt.Vide cheque No........... Dated................. will be

1	2	3	4
			adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
	Total	Rs. 4,00,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisionrand conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F-14/2/07-08/UD/A/C 407-423 dated 17/08/2007 (ECS A/C)	Rs.2,00,000,00.00	Certified that out of Rs. 4,00,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2007-08 in favour of Addl.
2.	F-l4/2/07-08/UD/A/C 156-169 dated 15/01/2008 (ECS A/C)	Rs. 1,00,00,000.00	Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs.
3.	F- 14/2/07-08/UD/ A/C D-422 dated 21/02/2008 (ECS A/C)	Rs. 1,00,00,000.00	50,68,669.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 4,50,54,817.00 has utilized for the purpose of "Pay and Use JSC in urban slum for which it has been sanctioned & that balance or Rs. 13,852.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide cheque No. Dated will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
	Total:-	Rs. 4,00,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provision and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1	2	3	4
1	F-14/2/07-08/UD/A/C 407-423 dated 17/08/2007 (ECS A/C)	Rs. 1,50,00,000.00	Certified that out of Rs. 3,00,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2007-08 in favour of Addl.
2.	F-14/2/07-08/UD/A/C 156-169 dated 15/01/2008 (ECS A/C)	Rs.39,53,000.00	Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs.
3.	F- 14/2/07-08/UD/A/ CD-422-437 dated 21/02/2008(ECS A/C) + (Recovery of Principal & Interest Up to the year 2006-07 in r/o the scheme Construction of Houses for Slum Katra Dwellers and other areas from 3rd Installment sanctioned Vide letter No.At serial No. 2 above.)	Rs.75,00,000.00	45,92,511.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 3,45,87,541.04 has utilized for the purpose of "Providing Built up facilities of Community Hall/ BVK" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 4,969.96 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide cheque No. Dated will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.

1	2	3	4
	Principal:	Rs. 17,66,000.00	
	Interest	Rs. 17,81,000.00	
	Total	Rs. 3,00,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Frorm of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F-14/2/07W8/UD/A/C 407-423 dated 17/08/2007 (ECS A/C)	Rs.1,00,00,000.0	Certified that out of Rs. 2,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2007-08 in favour of Addl.
2	F-14/2/07¥08/UD/A/C 156-169 dated 15/01/2008(ECS A/C)	Rs.50,00,000.00	Commissioner (S&JJ) under thisMinistry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 24,21,650.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.
3.	F- 14/2/07W8/UD/A/C D-422-437 dated 21/02/2008 (ECS A/C)	Rs.50,00,000.00	1,81,36,206.00 has utilized for the purpose of Shishu Vatika/ Common Spaces in JJ Cluster (Slum)" in urban slum for which it has been
	Total: -	Rs. 2,00,00,000.00	sanctioned & that balance of Rs. 42,85,444.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide cheque No.............. Dated.............. will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisionrand conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:.....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:..

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 1328 dated 3/6/08	Rs. 1,25,00,000.00	Certified that out of Rs. 5,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2008-09 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 11,223.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs, 4,82,58,400.00 has utilized for the purpose of" EIUS (III-a-i) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 17,52,823.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered toTJovt^. Vide Cheque No. Dated / will be adjusted towards the grant-in-aid payable during th next year.
2.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2239 dated 29/9/08	Rs.2,50,00,000.00	
3.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2699 dated 10/2/09	Rs. 1,25,00,000.00	
	Total:	Rs.5,00,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised.

The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

FORM NO.. GFR-19-A
(See Govt,.of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
I.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 1328 dated 3/6/08	Rs. 1,00,00,000.00	Certified that out of Rs. 4,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2008-09 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under thisMinistry/Deptt. letter No. given in the Margin & Rs. 13,852.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs, 2,54,75,353.00 has been utilized the purpose of" Pay & Use JSC (III-e-i) in slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 1,45,38,499/- remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide Cheque No.............. Dated............... will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2239 dated 29/9/08	Rs.2,00,00,000.00	
3.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2699 dated 10/2/09	Rs. 1,00,00,000.00	
	Total: -	Rs.4,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised.

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:.....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:..

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt,.of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F/14(1)/2008-09/UD/ A/C 1328 dated 3/6/08	Rs.87,50,000.00	Certified that out of Rs. 3,80,00,000.00 of GRANT- IN -AID Sanctioned during the year 2008-09 in favour of Addl.
2.	F/l 4(1)/2008-09/UD/ A/C 2239 dated 29/9/08	Rs.1,41,67,000.00	Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the
	Recovery of Principal & Interest upto the year 2007-08 In r/o Scheme-Const.of Houses for slum katra dwellers.out of IInd installment as above	(Principal) 17,66,000.00 (Interest) 15,67,000.00	margin & Rs. 4,969.96 on account of unspent balance of the previous year, a sum Rs, 2,01,32,356.00 has utilized for the purpose of "Built up facilities (Ill-e iv) in the slum for which it has been sanctioned & that
3.	F/14(1)/2008-09/UD/A/C 2699 dated 10/2/09	Rs. 1,17,50,000.00	balance of Rs. 1,78,72,613.96 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt Vide Cheque
	Total:	Rs.3,80,00,000.00	No................ Dated............. will be adjusted towards the grant-in-aid payable during next year.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised.

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

Form No. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 1328 dated 3/6/08	Rs 37,50,000.00	Certified that out of Rs. 1,50,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2008 - 09 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry /Deptt letter No. given in the margin & Rs. 42,85,444.00 on account of unspent balance of the previous year which was adjusted by Delhi Govt, a sum of Rs,97,66,611/- has utilized for the purpose of Shishu Vatika (III - e - vii) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 52,32,833.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide Cheque No................. Dated.......... will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year
2.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2239 dated 29/9/08 (Unspent Balance of 2007-08 adjusted) (-) Fund released	Rs.75,00,000.00 Rs. 42.86,000.00 32,14,000.00	
3.	F/14(l)/2008-09/UD/A/C 2699 dated 10/2/09	Rs.37,50,000.00	
	Total:	Rs. 1,50,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised.

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: Dy. C.A. (S&JJ) II

Dated:...

FORM NO. GFR-19-A

(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 418 dated 17/07/2009	Rs. 1,12,50,000.00	Certified that out of Rs. 5,60,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2009-10 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No.
2.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1215 dated 09/11/2009	Rs. 1,12,50,000.00	given in the margin & Rs. 17,52,823.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum
3.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1507 dated 14/01/2010	Rs. 1.12.50,000.00	of Rs. 5,24,10,418.00 has utilized for purpose of "EIUS (III-a-i)" in urban slum for which it has been
4.	F/14(l)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1925 dated 19/03/2010	Rs. 2,22,50,000.00	sanctioned & that balance of Rs. 53,42,405.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide
	Total:	Rs. 5,60,00,000.00	Cheque No................ dated............. will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:-

The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Departmental officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached will sanction and are authorized to incur the expenditure.

Signature:-...................................

Designation:- Dy. C.A. (S&JJ)-II

Dated: 15-06-2010

FORM NO. GFR-19-A
(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 418 dated 17/07/2009	Rs. 87,50,000.00	Certified that out of Rs. 2,65,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the yea 2009-10 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 1,45,38,499.00 on account of unspent balance of the previous year a sum of Rs. 3,96,05,252.00 has utilized for the purpose of "Pay & Use JSC (III-e-i)" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 14,33,247.00 remaining unuting at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide Cheque No…………. dated………. will be adjusted toward grant-in-aid payable during the next year.
2	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1215 dated 09/11/2009	Rs. 87,50,000.00	
3.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1507 dated 14/01/2010	Rs. 87,50,000.00	
4.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1925 dated 19/03/2010	Rs. 2,50000.00	
	Total:-	Rs. 2,65,00,000.00	

4. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:-

The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Departmental officers who are required to ensure the codai provisions and conditions attached with sanction and are authorized to incur the expenditure.

Signature:-...................................

Designation:- Dy. C.A. (S&JJ)-II

Dated: 15-06-2010

FORM NO. GFR-19- A
(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(l)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 418 dated 17/07/2009	Rs. 75,00,000.00	Certified that out of Rs. 2,25,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2009-10 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 1,78,72,613.96 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 3,08,82,106.00 has utilized for the purpose of "Built up facilities (III-e-iv)" in slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 94,90,507.96 remaining unuti at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide Cheque No............. dated.......... will be adjusted toward grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1215 dated 09/11/2009	Rs. 43.80,000.00	
	- (+) Recovery of Principal & Interest upto the year 2008-09 in r/o Schemes-Const. of Houses for slum katra dwellers, out of llnd installment. As above	(Principal) 17,66,000.00 (Interest) 13,54,000.00	
3.	F/14(l)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1507 dated 14/01/2010	Rs. 75,00,000.00	
	Total:	Rs. 2,25,00,000.00	

5. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:-

The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Departmental officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and are authorized to incur the expenditure.

Signature:-..................................

Designation:- Dy. C.A. (S&JJ)-II

Dated: 15-06-2010

FORM NO. GFR-19- A
(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 418 dated 17/07/2009	Rs. 25,00,000.00	Certified that out of Rs. 75,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2009-10 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 52,32,833.00 on account of unspent balance of the previous year a sum of Rs. 1,21,06,816.00 has utilized for purpose of "Shishu Vatika (III-e-vii)" in the slum for which it has been sanctioned & the balance of Rs. 6,26,017.00 remaining unuti at the end of the year has been surrendered to Govt. Vide Cheque No................. dated........... will be adjusted towards grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(l)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1215 dated 09/11/2009	Rs. 25,00,000.00	
3.	F/14(1)/2009-10/(S&JJ)/ UD/A/C 1507 dated 14/01/2010	Rs. 25,00,000.00	
	Total:	Rs. 75,00,000.00	

6. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised.:-

The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Departmental officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and are authorized to incur the expenditure.

Signature:-...................................

Designation:- Dy. C.A. (S&JJ)-II

Dated: 15-06-2010

FORM NO. GFR-19- A
(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 385 dated 08/07/2010	Rs.1,00,000,00.00	Certified that out of Rs. 6,00,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2010-11 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. NIL on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 5,04,12,913.00 has utilized for the purpose of "EIUS (III-a-i)" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 95,87,087.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No........... Dated................ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 953 dated 19/10/2010	Rs. 46,58,000.00	
	Unspent balance of Prev. year adjusted	Rs.53,42,000.00	
3.	F/14/(1)2/2010-11/ (S&JJ)/UD/A/C dated 31/03/2011	Rs. 4,00,00,000.00	
	Total	Rs. 6,00,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount	
1.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 385 dated 08/07/2010	Rs.75,00,000.00	Certified that out of Rs. 2,50,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2010-11 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. NIL on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 2,38,02,829.00 has utilized for the purpose of "EIUS (III-a-i)" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 11,97,171.00 remaining unutilized at the end of the year.
2.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 953 dated 19/10/2010	Rs. 60,67,000.00	
	Unspent balance of Prev. year adjusted	Rs.14,33,000.00	
3.	F/14/(1)2/2010-11/(S&JJ)/ UD/A/C dated 31/03/2011	Rs. 1,00,00,000.00	
	Total	Rs. 2,50,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:....................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 385 dated 08/07/2010	Rs.52,50,000.00	Certified that out of Rs. 2,80,000,00.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2010-11 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. NIL on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 2,75,57,716.00 has utilized for the purpose of "EIUS (III-a-i)" in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 4,42,239.00 remaining unutilized at the end of the year.
2.	F/14(1)/2010-11/(S&JJ) UD/A/C 953 dated 19/10/2010	Rs. NIL	
	Unspent balance of Prev. year	Rs.94,90,000.00	
3.	F/14/(1)2/2010-11/(S&JJ)/ UD/A/C dated 31/03/ 2011	Rs. 1,32,60,000.00	
	Total	Rs. 2,80,00,000.00	

2. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised:

The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:.................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:.......................................

Form No. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	& Date	Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2011/(S&JJ)/ UD/A/C 385 dated 08/07/2010	Rs.25,00,000.00	Certified that out of Rs. 2,00,00,000.00 GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2010-11 in favour of Addl. Commission (S&JJ) under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. NIL on account of unspent balance of the previous of Rs. 11,03,800.00 has utilize purpose of "shishu Vatika (III-e-vii) slum for whlen it has been sanstioned balance of Rs. 88,96,200.00 remaining at the end of the year.
2.	F/14(1)/2009-10// (S&JJ)UD/A/C 953 dated 19/10/2010	Rs. 18,74,000.00	
	Unspen Balance of prev. Year	Rs. 6,26,000.00	
3.	F/14(1)/2009-10/ (S&JJ)/UD/A/C Dated 31/03/2011	Rs. 1,50,00,000.00	
	Total	2,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:...

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter No. & Date	Amount	
1.	F/14(1)/2011-12/ (S&JJ)UD/A/C 145-159 dated 26/05/2011	Rs.19,37,50,000.00	Certified that out of Rs. 40,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2011-12 in favour of Addl. Commissioner (S&JJ) under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 95,87,087.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 22,54,86,766.00 has utilized for the purpose of "EIUS A.8(1)(2) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 18,41,00,321.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No............ Dated................ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2011-12/ (S&JJ)UD/A/C 574-588 dated 10/01/2012	Rs. 20,62,50,000.00	
	Total:	Rs.40,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:...

Form No. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date		Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2011-12/ UD/A/C 145-159 dated 26/05/2011	Rs.75,00,000.00	Certified that out of Rs. 5,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2011-12 in favour of DUSIBunder this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 11,97,171.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 3,62,18,603.00 has utilized for the purpose of "Pay & Usc JSC - A.8(2)(1)(1) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 1,49,78,568.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No........... Dated................ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2011-12// UD/A/C 574-588 dated 10/01/2012	Rs. 4,25,00,000.00	
	Total:	Rs.5,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:.......................................

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date		Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2011-12/ UD/A/C 145-159 dated 26/05/2011	Rs.50,00,000.00	Certified that out of Rs. 5,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2011-12 in favour of DUSIB under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 88,96,200.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 1,05,52,307.00 has utilized for the purpose of "Shishu Vatika- A.8(2)(1)(15) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 4,83,43,893.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No........... Dated................ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(4)/2011-12/UD/ 574-588 dated 10/01/2012	Rs. 4,50,00,000.00	
	Total:	Rs.5,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:...................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:...

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	& Date	Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2011-12/ UD/A/C 145-159 dated 26/05/2011	Rs.1,25,00,000.00	Certified that out of Rs. 6,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2011-12 in favour of DUSIB under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 4,42,239.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 4,34,92,196.00 has utilized for the purpose of "Built up facilities - A.8(2)(1)(12) in urban slum for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 1,69,50,043.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No........... Dated................ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2011-12/ UD/A/C 574-588 Dated 10/01/2012	Rs. 4,75,00,000.00	
	Total:	Rs.6,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on these figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date		Letter No.	Amount
1.	30(1)/UD/DUSIB/ 2011 3521-3528 dated 28/03/2013	Rs.3,50,00,000.00	Certified that out of Rs. 3,50,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2012-13 in favour of DUSIB under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 18,41,00,321.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 21,49,41,952.00 has utilized for the purpose of "EIUSJSC - of DUSIB for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 41,58,369.00 remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Govt.Vide cheque No............ Dated................. will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
	Total	Rs. 3,50,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date		Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2012-2013/ UD/A/C DUSIB/ Plan GIA/21-35 dated 21/06/2012	Rs.50,00,000.00	Certified that out of Rs. 2,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2012-13 in favour of DUSIB under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 1,49,78,568.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 3,44,19,943.00 has utilized for the purpose of "Constn. of Pay & Use JSC's" of DUSIB for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 5,58,625.00 remaining unutilized and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	F/14(1)/2012-2013/ UD/A/C DUSIB/ Plan GIA/1585-1597 dated 14/12/2013	Rs. 1,00,00.000.00	
3.	30(7)/UD/DUSIB/ 2011/3521-3528 dated 28/03/2013		
	Total:	Rs.2,00,00,000.00	

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised:

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Form No. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date		Letter No.	Amount
1.	F/14(1)/2012-2013/ UD/A/C DUSIB/ PlanGIA/21-35 dated 21/06/2012	Rs. 2,50,00,000.00	Certified that out of Rs. 15,50,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2012-13 in favour of DUSIB under this Ministry/ Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 1,69,50,043.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 15,17,44,075.00 has utilized for the purpose of "Pdg. Built up facilities of Cont./Hass/BVK's" of DUSIB for which it has been sanctioned & that balance of Rs. 2,02,05,968.00 remaining unutilized and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.
2.	18(180)/A/UD/PLg/ 2011/ 9955-9969 dated 24/07/2012	Rs. 9,98,52,000.00	
3.	14/1/2012-2013/ DUSIB/UD/A/C 3521-3528 dated 28.03.2013	Rs. 3,01,48,000.00	
	Total:-	Rs.15,50,00,000.00	

Kind of check exercised:

Note: Rs.998.52 Lac released in favour of I&FC Deptt. as per orders of GNCTD in the sanction letter itself.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Form No. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No. & Date	Letter No.	Amount
		Certified that out of Rs. NIL of GRANT-IN-AID Sanctioned/released during the year 2012-13 in favour of DUSIB under this Ministry/Deptt. letter No. given in the margin & Rs. 4,83,43,893.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 2,39,69,931.00 has been utilized for the purpose of "Const, of Shishu Vatika's" of DUSIB for which it has been sanctioned & that Rs. 2,43,73,962.00 remaining unutilized will be Adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.

Kind of check exercised:

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Form No. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2012-2013/ DUSIB/UD/ A/c/762-773 dated 18.06.2013	Rs.2,50,00,000.00	Certified that out of Rs. 25,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2013-14 in favour of DUSIB by Urban
2	F.No.2(2)/2013-2014/ Fin(B)/ustb/ 1085-1091 dated 15.07.2013	Rs.15.00,00,000.00	Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 41,58,369.00* on account of unspent balance of the
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/1666-1677 dated 12.03.2014	Rs.7,50,00,000.00	previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & dt given in Margin), i.e. total sum GIA + Moratorium amounting Rs.25,41,58,369.00, a sum of Rs, 23,96,77,830.00 has been
	Total	Rs.25,00,00,000.00	utilized for the purpose of

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter No F.14/A/C/ UD/2013-2014/737 date 14.06.2013 (ELUS) on the basis of provisional figure.	** Rs.41.62,000.00	"EIUS" for which it has been sanctioned The balance amount of Rs. 1,44,80,539.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium as already approved and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2014-15.
	Grant Total	Rs.25,41,62,000.00	

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.
** Provisional Figure as on 01.04.2014
Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19-A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2012-2013/ DUSIB/UD/ A/c/762-773 dated 18.06.2013	Rs.50,00,000.00	Certified that out of Rs. 17,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2013-14 in favour of DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 5,58,625.00* on account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & dt given in Margin) i.e. GIA + Moratorium amounting Rs. 17,05,58,625.00 sum of Rs, 10,36,12,021.00 has been utilized for the purpose of" Constructions of Pay & Use JSC's" for
2	F.No.2(2)/2013-2014/ Fin(B)/ustb/ 1085-1091 dated 15.07.2013	Rs.15,00,00.000.00	
3	F.No.14/1/2013-2014/ DrJSIB/UD/ A/c/1666-1677 dated 12.03.2014	Rs.1,50,00,000.00	
	Total	Rs17,00,00,000.00	

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter No F.14/A/C/ UD/2013-2014/737 date 14.06.2013 (Constructions of Pay & Use JSC's) on the basis of provisional figure.	Rs. 5,60,000.00	which it has been sanctioned The balance amount of Rs. 6,69,46,604.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium as already approved and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial yeari.e F.Y 2014-15.
	Grant Total	Rs17,05,60,000.00	

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

* Provisional Figure as on 01.04.2014

Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Countersined by

Member (Finance)

(DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2012-2013/ DUSIB/UD/ A/c/762-773 dated 18.06.2013	Rs.3,12,000.00	Certified that out of Rs. 10,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2013-14 in favour of
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/1666-1677 dated 12.03.2014	Rs.6,88,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 2,43,73,962.00 * on account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & dt given in Margin), i.e. total sum GIA + Moratorium amounting Rs.2,53,73,962.00 a sum of Rs, 2,08,67,558.00 has been utilized for the
	Total	Rs. 10,00,000.00	purpose of " Constructions

1	2	3	4
3	Moratorium approved and sanction vide letter No F.14/A/C/ UD/2013-2014/737 date 14.06.2013 (Constructions of Shishu Vatiaka) on the basis of provisional figure.	**Rs. 2,43,72,000.00	of Shishu Vatika for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs45,06,404.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium as already approved and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e FY 2014-15.
	Grant Total	Rs.2,53,72,000.00	

Note:- Final Figures of moratorium as per finalized accounts.
** Provisional Figure as on 01.04.2014
Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:...................................
Designation: B&F.O. (DUSIB)
Dated:..

Countersined by
Member (Finance)
(DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2012-2013/ DUSIB/UD/ A/c/762-773 dated 18.06.2013	Rs.2,50,00.000.00	Certified that out of Rs. 10,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2013-14 in favour of
2	F.No.14/l/2013-2014/ DUSIB/UD/A/C/ 1414-1426 dated 12.11.2013	Rs.5,00,00,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 2,02,05,968.00* on
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ 1666-1677.A aated 12.03.2014	Rs.2,50,00,000.00	account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM letter No & dt given in Margin), i.e G1A + Moratorium amounting Rs. 12,02,05,968.00 a sum of Rs, 10,74,29,536.00 has been utilized for the
	Total	Rs.10,00,00,000.00	purpose of "Providing Built

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter No F.14/A/C/ UD/2013-2014/737 date 14.06.2013 (Pdg. Built up facilities of Const./Hall/BVK's) on the basis of provisional figure.	**Rs.2,02,06,000.00	up facilities of Construction of Community Hall/ BVK's" for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 1,27,76,432.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium as already approved and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2014-15.
	Grant Total	Rs.12,02,05,968.00	

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2014

Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:.......................................

Countersined by

Member (Finance)

(DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-14/ DUSIB/UD/A/C/ 2349-2359 dated 26.06.2014	Rs. 62,50,000.00	Certified that out of Rs.10,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2014-15 in favour of
2	F.No14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/a/c/ 3198-3207 dated 29.09.2014	Rs.5,62,50,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 1,27,76,432.00* on
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/353-363 dated 31.03.2015	Rs. 3,75,00,000.00	account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM letter No & dt given in Margin), i.e G1A + Moratorium amounting Rs. 1127,76,432.00 a sum of Rs, 7,99,23,120.00 has been utilized for the
	Total	Rs. 10,00,00,000.00	purpose of "Providing Built

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter NoF.14/4/ A/C/UD/2012-2013/ 2367-77 dated 07-07-2014 (Pdg. Built up facilities of Const./Hall/BVK's) on the basis of provisional figure.	**Rs. 1,28,59,000.00	up facilities of Construction of Community Hall / BVK's" for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 3,28,53,312.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e FY 2015-16.
	Grant Total	Rs.11,28,59,000.00	

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2014 I Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction I and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Countersined by

Member (Finance)

(DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/2349-2359 dated 26.06.2014	Rs.1,25,00,000.00	Certified that out of Rs. 25,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2014-15 in favour of
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/3198-3207 dated 29.09.2014	Rs.15,00,00,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 6,69,46,604.00* on
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/353-363 dated 31.03.2015	Rs. 8,75,00,000.00	account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & dt given in Margin), i.e. GIA + Moratorium amounting Rs. 31,69,46,604.00 sum of Rs, 17,37,82,132.00 has been utilized for the
	Total	Rs. 25,00,00,000.00	purpose of" Constructions

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter NoF.14/4/ A/C/UD/2012-2013/ 2367-77 date 07-07-2014 (Constructions of Pay & Use JSC's) on the basis of provisional figure.	Rs. 6,69,47,000.00	of Pay & Use JSC's" for which it has been sanctioned The balance amount of Rs. 14,31,64,472.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2015-16.
	Grant Total	Rs 31,69,47,000.00	

Note:

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2014 Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:...

Countersined by

Member (Finance)

(DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(Sec Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/2349-2359 dated 26.06.2014	Rs.3,75,00,000.00	Certified that out of Rs 8,75,,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2014-15 in favour of DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs 1,44,80,539* on account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & date given in Margin), i.e. total sum GiA + Moratorium amounting Rs 10,19,80,539.00, a sum of Rs 5,87,12,615.00 has been utilized for the purpose of "EIUS" for
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/353-363 dated 31.3.2015	Rs. 5,00,00,000.00	
	Total	Rs. 8,75,00,000.00	

1	2	3	4
4	Moratorium approved and sanction vide letter NoF.14/4/A/C/UD/2012-13/2367-2377 date 07.07.2014 (E1US) on the basis of provisional figure.	**Rs.1,33,79,000.00	which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 4,32,67,924.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2015-16.
	Grant Total	Rs.10,08,79,000.00	

Note:

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2014

Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisions and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Countersined by

Member (Finance) (DUSIB)

FORM NO. GFR-19-A

(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/2349-2359 dated 26.06.2014	Rs. 50,00,000.00	Certified that out of Rs. 1,62,50,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2014-15 in favour of
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/3198-3207 dated 29.09.2014	Rs. 75,00,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 47,96,404.00 * on
	F.No.14/2013-2014/ DUSIB/UD/A/c/ 353-363 dated 31.03.2015	Rs 37,50,000.00	account of unspent balance of the previous year (as approved & sanction MORATORIUM vide letter No & dt given in Margin), i.e. total sum GIA + Moratorium amounting Rs 2,07,56,404.00 a sum of Rs. 1,72,96,435.00 has been utilized for the purpose of "Constructions

1	2	3	4
3	Moratorium approved and sanction vide letter No F.14/A/C/ UD/2012-2013/ 2367-77 date 07-07-2014 (Constructions of Shishu Vatiaka) on the basis of provisional figure.	**Rs. 44,96,000.00	of Shishu Vatika for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 34,59,969.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e. F.Y. 2015-16.
	Grant Total	Rs 2,06,46,000.00	

Note:

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts
** Provisional Figure as on 01.04.2014

Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure the codal provisons and conditions attached with sanction and authorize to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:.......................................

Countersined by

Member (Finance) (DUSIB)

FORM NO. GFR-19- A

(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)

Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-14/ DUSiB/UD/A/c/660 dated 18.06.2015	Rs.3,12,50,000.00	Certified that out of Rs. 13,50,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/1201-1210 dated 12.10.2015	Rs.6,25,00,000.00	2015-16 in favour of DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin +
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/631-642 dated 30.3.2016	Rs.4,12,50,000.00 Rs.13,50,00,000.00	Rs. 4,32,67,924* on account of unspent balance of the previous year mentioned at S.No 4 in the margin, (where as
4	Final Figure of unspent balance as on 01.04.2015 work out after finalizing final accounts for the year 2014-15	*Rs. 4,32,67,924	approval given by UD department for utilizing unspent balance of Rs. 4,32,62,924.00** vide letter No & dt given in Margin).Thus the total available fund (G1A S.No 1,2,3) + unspent
	Grant Total	Rs.17,82,67,924.00	balance (S.No 4) for the previous year comes to

1	2	3	4
	Approval given by UD Deptt. Vide letter No. F.14/4/AC/UD/ 2012-2013/1344 date 20-11-15 to utilize unspent balance considering provisional figures of unspent balance under (EIUS).	Rs. 4,32,62,924.00	Rs.17,82,67,924.00, out of which a sum of Rs.12,07,43,211.00 has been utilized for the purpose of" EIUS" for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 5,75,24,713.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as unspent balance and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2016-17.

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2015

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure adherence to the codal provisions and conditions attached with sanction and authorized to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Countersined by
Member (Finance) (DUSIB)

FORM NO. GFR-19-A
(See Rule 212(1))
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-14/ DUSIB/UD/A/c/660 dated 18.06.2015	Rs.6,25,00,000.00	Certified that out of Rs 38,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/1201-1210 dated 12.10.2015	Rs.13,75,00,000.00	2015-16 in favour of DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs.
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/631-642 dated 30.3.2016	Rs. 18,00,00,000.00 Rs 38,00,00,000.00	14,31,64,472.00* on account of unspent balance of the previous year mentioned at S.No.4 in the margin (whereas
4	Final Figure of unspent balance as on 01.04.2015 work out after finalizing final accounts for the year 2014-15	*Rs.14,31,64,472.00	approval given by UD department for utilizing unspent balance of Rs. 14,31,66,472.00** vide letter No & dt given in Margin). Thus the total available fund (GIA S.No
	Grant Total	Rs 52,31,64,472.00	1,2,3) + Unspent balance

1	2	3	4
	Approval given by UD Deptt. Vide letter No. F.14/4/AC/UD/2012-2013/1344 date 20.11.15 to utilize unspent balance considering provisional figures ofunspent balance under Constructions of Pay & Use JSC's.	**Rs.14,31,66,472.00	(S.No 4) for the previous year comes to Rs 52,31,64,472.00, out of which a sum of Rs, 44,94,37,273.00 has been utilized for the purpose of "Constructions of Pay & Use JSC's" for which it has been sanctioned The balance amount of Rs.7,37,27,199.00 remained unutilized at the end of the year. This balance amount will be taken as moratorium and will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2016-17.

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2015

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure adherence to the codal provisions and conditions attached with sanction and authorized to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19-A
(See Rule 212(1))
Form of tiiization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.No.14/1/2013-14/ DUSIB/UD/A/c/660 dated 18.06.2015	Rs. 1,12,50,000.00	Certified that out of Rs. 7,50,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSlB/UD/ A/c/1201-1210 dated 12.10.2015	Rs.3,75,00,000.000)	2015-16 in favour of DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs.
3	F.No.14/1/2013-2014/ DUSlB/UD/ A/c/631-642 dated 30.3.2016	Rs. 2,62,50,000.00 Rs.7,50,00,000.00	3,28,53,312.00* on account of unspent balance of the previous year as mentioned at S.No.4 in the margin, (whereas
4	Final Figure of unspent balance as on 01.04.2015 work out after finalizing final accounts for the year 2014-15	*Rs. 3,28,53,312.00	approval given by UD department for utilizing unspent balance of ** Rs. 3,28,53,312.00 vide letter No & dt given in Margin). Thus the total fund available (GIA S.No
	Grant Total	Rs. l0,78,53,312.00	1,2,3) + Unspent balance

1	2	3	4
	Approval given by UD Deptt. Vide letter No. F.14/4/AC/UD/ 2012-2013/ 1344 date 20-11-15 to utilize unspent balance considering provisional figures of unspent balance under (Pdg. Built up facilities of Const./Hall/BVK's)	**Rs.3,28,53,312.00	(S.No 4) for the previous year comes to Rsl0,78,53,312.00, out of which a sum of Rs, 8,36,24,986.00 has been utilized. for the purpose of " Providing Built up facilities of Construction of Community Hall / BVK's" for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs. 2,42,28,326.00 remained unutilized at the end of the year. This balance unspent amount will be taken and adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year *i.e* F.Y 2016-17.

Note:-

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2015

2. *Certified that 1 have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.*

   Kind of check exercised.

1. *Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.*
2. *The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure adherence to the codal provisions and conditions attached, with sanction and authorized to incur the expenditure..*

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

FORM NO. GFR-19-A
(See Govt. of India's Decision (1) Rule 150)
Form of Utilization Certificate

Sl. No.	Letter Number & date of UD Department, GNCTD	Amount	Remarks
1	2	3	4
1	F.NO.14/1/2013-2014/ DUSIB/UD/ A/c/1201-1210 dated 12.10.2015	Rs. 75,00,000.00	Certified that out of Rs 2,00,00,000.00 of GRANT-IN-AID Sanctioned during the year 2015-16 in favour of
2	F.No.14/1/2013-2014/ DUSlB/UD/ A/c/631-642 dated 30.3.2016	Rs. 1,25,00,000.00 Rs. 2,00,00,000.00	DUSIB by Urban Development Department vide letter No. given in the margin + Rs. 34,59,969.00 * on
3	Final Figure of unspent balance as on 01.04.2015 work out after finalizing final accounts for the year 2014-15	*Rs. 34,59,969.00	account of unspent balance of the previous year as mentioned at S.No.4 in the margin, (whereas approval given by UD department for utilizing unspent balance of ** Rs. 34,58,969.00 vide letter No & dt given in Margin). Thus the total fund available (GIA S.No 1,2,4) + unspent balance
	Grant Total	Rs 2,34,59,969.00	(S.No4) for the previous

1	2	3	4
	Approval given by UD Deptt. Vide letter No. F.14/4/AC/UD/ 2012-2013/1344 date 20-11-15 to utilize unspent balance considering provisional figures of unspent balance under (Constructions of	**Rs. 34,58,969.00	year comes to Rs 2,34,59,969.00, out of which a sum of Rs.1,45,07,869.00 has been utilized for the purpose of " Constructions of Shishu Vatika for which it has been sanctioned. The balance amount of Rs.89,52,100.00 remained unutilized at the end of the year. This balance unspent amount will be taken and adjusted towards the grant-in-aid payable during the next financial year i.e F.Y 2016-17.

Note:

* Final Figures of moratorium as per finalized accounts.

** Provisional Figure as on 01.04.2015

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

   Kind of check exercised.

1. Certified that the grant was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.
2. The above certificate is based on figures of expenditure certified by the various Department officers who are required to ensure adherence to the codal provisions and conditions attached with sanction and authorized to incur the expenditure.

Signature:..................................

Designation: B&F.O. (DUSIB)

Dated:..

Countersined by

Member (Finance) (DUSIB)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

45. श्री सोमनाथ भारती : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों अर्थात ई.जी.एम.सी., एन.डी.एम.सी. तथा एन.डी.एम.सी. के बीच स्थानान्तरण अनुमत्य है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में होने वाले ऐसे कितने स्थानांतरण हुए हैं, विवरण सहित बताएं;

(ग) विभाग में 'एम.एल.ए. लैंड' के अंतर्गत होने वाले कामों में कितने अनुरोध लंबित हैं;

(घ) एम.एल.ए. लैंड निधि के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया तथा निर्धारित समय सीमा की जानकारी दें;

(ङ) 351 सड़कों के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना की स्थिति की जानकारी एवं इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वांछित दस्तावेज तथा प्रत्येक अधिकारी के पास फाइल पर लगने वाली समय सीमा की जानकारी दें; और

(च) नगर निगमों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए निदेशकों के पास उपलब्ध अधिकारों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (स्थानीय निकाय)** : जी, हां।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

ग्रुप 'ए' एवं 'बी' के पदों पर स्थानांतरण अनुमत्य है। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थानीय निकाय विभाग के दिशा–निर्देशानुसार ग्रुप 'सी' के कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण संबंधित आयुक्तों की सहमति उपरान्त, निदेशक निकाय के आदेश उपरान्त एक निगम से दूसरे निगम में किये गये हैं।

दिल्ली दिल्ली नगर निगम

इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली स्थानीय निकाय विभाग के दिशानिर्देशानुसार विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किये जाते हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

हाँ, यह सत्य है।

(ख) **शहरी विकास विभाग (स्थानीय निकाय)**

कॉपी संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

इस संदर्भ में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सूचना शून्य है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से दूसरे निगमों में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(ग) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैड)**

शहरी विकास विभाग में एम.एल.ए. लैड के अंतर्गत होने वाले कामों के 23 प्रस्ताव लंबित है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

वर्ष 2017–18 में एम.एल.ए. लैड के अन्तर्गत डुडा द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों में से 17 कार्य जिनकी अनुमानित लागत रुपये 153.96 लाख है, उन्हें अभी तक योजना विभाग में बुक नहीं कराया गया। अतः यह 17 कार्य बुकिंग के लिए लम्बित हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अभियांत्रिक आयुक्त विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर–दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुए सभी एम.एल.ए. लैड के अंतर्गत लैड के अंतर्गत होने वाले कार्यों के अनुरोधों पर कार्यवाही करते हुए अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार किया और तत्पश्चात वह प्रस्ताव विधायक की संतुति के साथ बजट आवंटन के लिए दिल्ली सरकार को भेज दिए गया। अतः कोई भी अनुरोध एस.डी.एम.सी. के पास लंबित नहीं है।

बजट के आवंटन के आबंटन के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के योजना विभाग में छठी विधान सभा में कुल 329 कार्य बुक किए गए हैं जिसमें से 159 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 170 कार्य प्रगति पर है।

उद्यान विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर–यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एम.एल.ए. लैड के अंतर्गत होने वाले कामों का कोई भी अनुरोध लम्बित नहीं है। विधायक फंड से किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति संलग्न है।

(घ) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैड)**

एम.एल.ए. लैड स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोधों के निष्पादन संवधत दिशा–निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस सन्दर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

एम.एल.ए. लैड निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोधों पर अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है–

1. संबंधित विधायक कार्य की सहमति को प्राक्कलन (estimate) के साथ डुडा/यू.डी. के पास स्वीकृति एवं फंड रिलीज करने के लिए भेजते हैं।

2. डुडा/यू.डी. कार्य का स्वीकृति पत्र संबंधित विभाग को एवं फंड वित्त विभाग को रिलीज करते हैं।

3. संबंधित विभाग स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद प्राक्कलन को सक्षम विभाग से स्वीकृत करता है एवं फिर योजना विभाग में बुक किया जाता है।

4. इसके पश्चात संबंधित विभाग द्वारा निविदाएं जारी की जाती हैं तथा संबंधित ठेकेदार को कार्य करने का आदेश दिया जाता है। एम.एल.ए. गाईडलाईंस के अनुसार फंड रिलीज होने के बाद उपरोक्त प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होनी चाहिए।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

एम.एल.ए. लैड निधि के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है :—

1. विधायक कार्य कराने का अनुरोध संबंधित विभाग को भेजने हैं।
2. संबंधित विभाग उस कार्य की अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार करता है।
3. उस प्रस्ताव को संबंधित विधायक की कार्य संस्तुति तथा प्राक्कलन के साथ डूडा/यू.डी. के पास फंड रिलिज करने के लिए भेजते हैं।
4. डूडा/यूडी द्वारा संबंधित विभाग को अनुमानित राशि का 50 प्रतिशत फंड रिलीज किया जाता है।
5. फंड प्राप्त होने के पश्चात् प्राक्कलन योजना विभाग में बुक किया जाता है तथा कार्य के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति ली जाती है।
6. इसके पश्चात् टेंडर जारी किए जाते हैं तथा कार्य करने का आदेश दिया जाता है। एम.एल.ए. गाईडलाइंस के अनुसार फंड रिलीज होने के पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होनी चाहिए।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

विधायक द्वारा संस्तुति प्राप्त होने पर पश्चात कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। उसके पश्चात् दिल्ली सरकार द्वारा बजट मिलने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात कार्य का निष्पादन किया जाता है।

शहरी विकास विभाग (स्थानीय विकास)

संबंधित फाईल हाल ही में विधि विभाग द्वारा जांची गई है और उन्होंने कुछ क्वेरिज पाई है। इन क्वेरिज के उत्तर सभी तीन दिल्ली नगर निगमों से व दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिए गए हैं। फाइल 14/03/2018 तारीख को पुनः विधि विभाग को प्रस्तुत की गई। उन्होंने मामले की जांच करके फाईल 16/03/2018 तारीख को विभाग को वापिस कर दी। इसके उपरान्त शहरी विकास ने अधिसूचना व माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले आई.ए. का प्रारूप समर्थ अधिकारी की अनुमति के लिए 16/03/2018 को प्रस्तुत कर दी है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्य को सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत निवेशकों/विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध वित्तीय अधिकारों का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

इस सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में समस्त अधिकारों का कार्यन्वयन दिल्ली म्युनिसिपल नगर अधिनियम, 2011 (संशोधित) के उचित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अनुसार निगम की सभी कार्यकारी शक्तियां आयुक्त में निहित है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORE OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR LOCAL BODIES
10TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT
I.P.ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No.1/9/AD/DLB/T&P-II/S-12013/Pt-l/1101–7106 Dated : 2-9-16

ORDER

The transfer and posting of following officers is hereby ordered as under :-

S.N.	Name & Designation	Present posting	Posted to
01.	Sh. Vijay Prakash, E-In-Chief, EDMC	EDMC	NDMC
02.	Sh. K.P. Singh, E-In-Chief, NDMC	NDMC	EDMC

This issues with the prior approval of the Director Local Bodies/Principal Secretary, Urban Development Department.

(Lakshmi Krishnan)
Deputy Director (Local Bodies)

Copy to :-

1. The Commissioner, North Delhi Municipal CorporaLion,Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi-100002
2. The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation, 419, Udyog Sadan Patparganj Industrial Area, New Delhi-110096
3. The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation.Dr. S.P.M. Civic Centre, Minto Road, New Delhi-100002
4. PA to Director Local Bodies, Delhi Secretariat, New Delhi S. PA to Addl. Director, Director Local Bodies, Delhi Secretariat, New Delhi
6. Officials concerned

(Lakshmi Krishnan]
Deputy Director (Local Bodies)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
9TH LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.l(9)ADLB/T&PII/2017/Pt-I/701-705 Dated: 3/2/2017

ORDER

With the concurrence of the Commissioner, North DMC & Commissioner, East DMC the inter-corporation transfer of following employees is made with immediate effect.

S.No.	Name & Designation	From	To
1.	Sh. Raja Ram Meena, J.E (Civil)	EDMC	NDMC
2.	Sh. Satpal, Driver	EDMC	NDMC
3.	Sh. Devender Pal, Driver	NDMC	EDMC

This issues with the approval of Director, Local Bodies.

(PAWAN CHOPRA)
DY. DIRECTOR (LOCAL BODIES)

No.F.1(9)ADLB/T&PII/2017/Pt-l/ Dated:

Copy to:-

1. The Commissioner, North DMC, Civic centre, New Delhi.
2. The Commissioner, East DMC, 419, Patparganj Industrial Area, Delhi
3. PA to DLB for information please
4. Officials concerned.
5. Guard file.

(PAWAN CHOPRA)
DY. DIRECTOR (LOCAL BODIES)

45. श्री सोमनाथ भारती : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की दोनों नगर निगमों, अर्थात् ई. डी.एम.ए.सी. तथा एस.डी.एम.सी. के बीच स्थानांरण अनुमत्य है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में होने वाले ऐसे कितने स्थानांतरण हुए हैं, विवरण सहित बताएं;

(ग) विभाग में एम.एल.ए. लैंड के अंतर्गत होने वाले कामों के कितने अनुरोध लंबित है;

(घ) एम.एल.ए. लैंड निधि के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया तथा निर्धारित समय सीमा की जानकारी दें;

(ङ) 351 सड़कों के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना की स्थिति की जानकारी एवं इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वांछित दस्तावेज तथा प्रत्येक अधिकारी के पास फाइल पर लगने वाली समय सीमा की जानकारी दें; और

(च) नगर निगमों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए निदेशकों के पास उपलब्ध अधिकारों का ब्यौरा क्या है।

शहरी विकास मंत्री : (क) हां, यह सत्य है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से दूसरे निगमों में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एम.एल.ए. लैंड के अंतर्गत होने वाले कामों का कोई भी अनुरोध नहीं है। विधायक फंड से किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति संलग्न है।

(घ) विधायक द्वारा संतुति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। उसके पश्चात् दिल्ली सरकार द्वारा बजट मिलने के पश्चात् निविदा प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् कार्य का निष्पादन किया जाता है।

(ङ) 351 सड़कों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत 56 सड़कें पड़ती हैं, जिनको अधिसूचित करने के लिये पहले ही दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका है। इन सड़कों की अधिसूचना जारी करने के लिए फाइल दिल्ली सरकार के पास लंबित है।

(च) डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अनुसार निगम की सभी कार्यकारी शक्तियां आयुक्त में निहित है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से दूसरे निगमों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. विजय प्रकाश, प्रमुख अभियंता
2. श्री आर. एस. मीना, अतिरिक्त आयुक्त
3. श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ आशु.
4. श्री सतपाल, चालक
5. श्री विजय पाल चालक

6. श्री वि.के. मल्होत्रा, एस.ई.
7. श्री ओमप्रकाश, बेलदार
8. श्री जावेद, बेलदार
9. डा. चन्द्र भान, पशु चिकित्सक अधिकारी
10. श्री राहुल वर्मा, जे.ई.
11. श्री तिलक, बेलदार
12. श्री दिवान, बेलदार
13. श्री गोविन्द, बेलदार
14. श्री तरूण, बेलदार
15. श्रीमति उर्मिल, सफाई कर्मचारी
16. सुश्री प्रतिका गौड, अध्यापक
17. सुश्री कमलेश कुमारी, अध्यापक
18. सुश्री शिल्पा बंसल, अध्यापक
19. सुश्री प्रेमवती, स्कूल एटेंडेन्ट
20. सुश्री वरूणा शर्मा, अध्यापक
21. सुश्री गीता, नर्सरी अध्यापक
22. सुश्री नेहा यादव, अध्यापक
23. श्रीमति हेमा चावला, अध्यापक
24. सुश्री सुमन लता, अध्यापक

25. सुश्री वेशाली मल्होत्रा, अध्यापक
26. सुश्री कमलेश संधूजी, अध्यापक
27. श्री दिनेश चंद मिना, अध्यापक
28. सुश्री निधि डोगरा, अध्यापक
29. सुश्री प्रगति मलिक, अध्यापक
30. सुश्री नीतू सिंह, अध्यापक
31. सुश्री दीप्ति पूनम टोपो, अध्यापक
32. सुश्री आचल श्रीवास्तव, अध्यापक
33. सुश्री पायल गुप्ता, अध्यापक
34. सुश्री ज्योति, अध्यापक
35. सुश्री पिंकी, अध्यापक
36. श्री नवल किशोर सिंह, अध्यापक
37. श्री अरविन्द, बेलदार
38. श्री कमल सिंह, सफाई निरिकक्षक
39. श्री जवाहर लाल, सहायक सफाई निरीक्षक
40. श्री राजेन्द्र, सफाई. कर्मचारी
41. श्री मनोज, सफाई कर्मचारी
42. श्री संदीप, सफाई कर्मचारी
43. श्रीमति रोशनी देवी, सफाई कर्मचारी
44. श्री धमी, सफाई कर्मचारी

46. श्री हाजी इशराक : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा 'कचरे से ऊर्जा' के दो नए संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाने थे;

(ख) यदि हाँ तो वर्ष 2017–18 के बजट में प्रस्तावित 'कचरे से ऊर्जा' संयंत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्थिति क्या है;

(ग) क्या इसमें कोई विलंब हो रहा है,

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय की ओर से इसकी जांच के लिए कोई पत्र/पत्रावली दिल्ली नगर निगमों को जारी की गई थी?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन**) जी नहीं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मात्र 01 'कचरे से ऊर्जा' संयंत्र की DPR को State high powered committee (स्वच्छ भारत मशीन) ने मंजूरी दी है। यह संयंत्र दक्षिणी नगर निगम के तेहखण्ड, ओखला में बनाया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कचरे से ऊर्जा बनाने के नो संयन्त्र लगाने की उत्तरी दिलली नगर निगम की कोई योजना नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में प्रतिदिन 2000 टन कूड़े/कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जानकर बिजली पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित किया जाना। इस संबंध में L-i bidder को letter of award 1/3/18 को जारी किया गया है और यह परियोजना पी.पी.पी. मॉडल पर लगाई जानी है। इस कार्य को पूरा होने में लगभग 27 महीने का समय लगेगा।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में सत्य नहीं है।

(ख) **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)**

वर्ष 2017–18 में शहरी विकास एवं आवसन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गई है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में 125 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान रूप में दी जानी है। इस मद में अभी तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में सत्य नहीं है।

(ग) **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)**

जी हां।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

वर्तमान में इस परियोजना में कोई विलम्ब नहीं है। परियोजना को समय से पूरा करने हेतु पर्यावरण स्वीकृत हेतु आवेदन संबंधित दस्तावेजों सहित पर्यावरण मंत्रालय में जमा कर दिया गया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में सत्य नहीं है।

(घ) **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)**

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों में जो ध ान राशि मिलनी थी उसका दावा शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है। जिसका मुख्य कारण नगर निगमों द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि का 75 प्रतिशत के खर्च का सत्यापन (Utilization Certificate) इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में सत्य नहीं है।

(ङ) **शहरी विकास विभाग (स्वच्छ भारत मिशन)**

शहरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट हाई पार्वड कमेटी बैठक में सभी निकायों को शीघ्रता–शीघ्र Utilization Certificate उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा समय–समय पर पत्रावली के माध्यम से भी सूचित किया जाता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में सत्य नहीं है।

47. श्री महेंद्र यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल अर्बन लिवलीहुड ट्रस्ट मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए कितने स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एस.टी.पी. उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों में इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकृत हुए;

(ग) विगत पांच वर्षों में एस.टी.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु कितने व्यक्तियों ने अपना नाम लिखाया है;

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा करके प्रमाणपत्र प्राप्त किया है;

(ङ) उनमें से कितने व्यक्तियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के तीन महीने के अंदर पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त हो गया है;

(च) कितने नए रैन बेसेरों का निर्माण किया गया व कितनों का नवीकरण किया; और

(छ) रैन बसेरों की कुल संख्या में कितने और जोड़े गए?

शहरी विकास मंत्री : (क) शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)

नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन योजना के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए दिल्ली में नेशनल स्किल डवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा 10, डायरेक्ट्रेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा 17 स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के नाम उपलब्ध कराए गए हैं तथा 13 स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने सीधे अपना प्रस्ताव मिशन स्वराज में भेजा है।

(ख) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

विगत 5 वर्षों में, केवल सन् 2017–2018 में इस संबंध में 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से 8 स्वीकृत हुए हैं।

शहरी विकास (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

इस विभाग में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से 17 प्रस्ताव संस्तुत किये गये है। निदेशक, मिशन स्वराज/एन. यू.एल.एम., सिविल लाईन दिल्ली को दिनांक 11.08.2017 को प्रेषित कर दिये गये थे।

(ग) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

विगत 5 वर्षों में, केवल सन् 2017–2018 में एस.टी.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु अभी तक 30 व्यक्तियों ने अपना नाम लिखाया है।

(घ) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

शून्य।

(ङ) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

शून्य।

(च) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

कुल दो रैन बसेरों का निर्माण कार्य नेशनल अर्बन लिवलीहुड ट्रस्ट मिशन के तहत चल रहा है तथा 13 रैन बसेरों में नवीनीकरण का कार्य

प्रस्ताविक था जिनमें 8 कार्य पूरे किये जा चुके हैं, 4 कार्य प्रगति में है तथा 1 कार्य रैन बसेरा बन्द होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)

भारत सरकार के एन.यू.एल.एम. योजना के तहत दिल्ली में दो नये रैन बसेरों कस निर्माण किया जा रहा है और 13 रैन बसेरों की नवीकरण कराया जा रहा है।

(छ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

नेशनल अर्बन लिवलीहुड ट्रस्ट मिशन के तहत 02 रैन बसेरों का कार्य प्रगति पर ह

शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)

उपरोक्तानुसार

48. श्री जगदीश प्रधान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने 200 अनाधिकृत कालोनियों में पाईप लाईन से पानी देने की योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितना फंड आवंटित किया गया और उसमें से कितना व्यय हुआ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी अनधिकृत कालोनियां कवर की गई और कितने घरों में पानी पहुँचाया गया; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सभी अनधिकृत कालोनियों में कब तक पानी पहुँचा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) **दिल्ली जल बोर्ड**

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल 1369 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाईने बिछाई जा चुकी हैं और उनमें से 1226 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई दी जा चुकी है।

(ख) **दिल्ली जल बोर्ड**

अनाधिकृत कॉलोनियों में पाईप लाईन से पानी देने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रुपये 300.00 करोड़ का फंड आबंटित किया गया तथा उसमें से अब तक रुपये 223.69 करोड़ व्यय हुआ।

49. श्री गुलाब सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन योजना'; (अमृत) के अंतर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुँच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की क्या स्थिति है, और

(ख) कार्यादेश में उल्लिखित समय सीमा के अंदर कितने प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हुई हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **अमृत (शहरी विकास)**

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन (अमृत) के अंतर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :–

	Nos.	Amount (In Crores)
Project approved	05	92.88
Under Progress	02	43.76
Completed	02	16.95
Project (s) yet to be started	01	32.16

इस परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न है।

(ख) **अमृत (शहरी विकास)**

अब तक पच्चीस (25) परियोजनाओं में से चार (04) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

Details/Status of Projects approved in three SAAPs (2015-16, 2016-17, 2017-18) under Water (Coverage) Sector

Sl. No.	City	Project Title/ Name	Sector	Project Cost (in Rs. crores)	SAAP Year	Cost of Award	Progress	Estima-ted Compleuon	Expendi-ture	Status	Coverage/ Non-Coverage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	East DMC (DJB)	P/L/J feeder and peripheral water maills in the command of 26.80 ML UGRlBPS. Sonia Vihar (AC-70)	Water Supply	385	2016-17	28.46	25%	2802.2019	335	Work in Progress	Coverage
2.	East DMC (DJB)	P/L/J water supply distribution network in B to Block Sonia Vihar Karawal Nagar (AC-70)	Water Supply	12.24	2016-17	11.34	100%	Work Completed (31 102017)	10.79	Completed	Coverage
3.	Est DMC (OW)	P/L/J water supply distribution network in village Sabhapur Extended Abadi under, Karawal Nagar (AC-70)	Water Supply	5.266	2016-17	3.56	90%	31012018	2.05	Work in Progress.	Coverage

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	East DMC (DJB)	P/L/J water supply distribution netwlork in Sill; Ram Colony. Rajiv Nagar under Karawal Ngar (AC-70)	Water Supply	4.714	2016-17	389	100%	Work Completed (28.082017)	3.86	Completed	Coverage
5.	North DMC (DJB)	P/L/J Feeder main for 8 17 MG capacity MBR at Palla emanating from Ranney wells and Tube wells	Water Supply	32.16	2017-18	-	-	-	-	DPR Approved	Coverage
		Total			92.88				20.05		

50. श्री जितेंद्र सिंह तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डूडा को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के लिए आबंटित फंड शहरी विकास विभाग को मिल चुका है;

(ग) क्या शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक निधि से किये जाने वाले कार्यों की बुकिंग शुरू हो चुकी है; और

(घ) यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

जी नहीं। डूडा को बन्द नहीं किया गया, बल्कि एम.एल.ए. लैंड योजना के क्रियान्वयन का कार्य वापिस लेकर 13.12.2017 से शहरी विकास मंत्री विभाग, दिल्ली सरकार को दे दिया गया है।

(ख) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

वर्ष 2017–18 में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि 4 करोड़ रुपये डूडा (उत्तर–पश्चिम) राजस्व विभाग को जारी की जा चुका है। डूडा (उत्तर–पश्चिम) से बकाया राशि, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

जी हाँ।

(घ) **शहरी विकास विभाग (एम.एल.ए. लैंड)**

श्री अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक (011—23392217)

51. श्री जगदीश प्रधान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण को लेकर क्या नीति है;

(ख) सरकार कितनी अनाधिकृत कालोनियों में आधारभूत सुविधएं पहुंचा चुकी है;

(ग) सरकार अनाधिकृत कालोनियों में पानी की पाईप लाईनें बिछाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) अनाधिकृत कालोनियों में सड़कों व गलियों के निर्माण जल निकासी, सार्वजनिक प्रकाश की क्या व्यवस्था है;

(ङ) अनाधिकृत कालोनियों के लिए सरकार ने वर्ष 2017—18 में कितना फंड आवंटित किया था और उसमें से कितना फंड व्यय किया गया; और

(च) सरकार वर्ष 2018—19 में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए कितना फंड आवंटित करने जा रही है?

(क) **अनाधिकृत कालोनी (शहरी विकास)**

अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए संशोधित किये जाने हेतु विनियमन शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार के पास विचाराधीन है। भारत सरकार से विनियम अधिसूचित हो जाने के बाद अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

(ख) **अनाधिकृत कालोनी (शहरी विकास)**

265 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर प्रणाली प्रदान कर दी गई है। 1369 कालोनियों में पानी लाईनें बिछाई दी गई हैं और 1226 कालोनियों में सप्लाई दी जा चुकी है।

दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 265 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर प्रणाली प्रदान कर दी गई है। जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का प्रश्न है कुल 1369 अनाधिकृत कालोनियों में पानी की लाईनें बिछाई जा चुकी और उनमें से 1226 कालोनियों में पानी की सप्लाई दी जा चुकी है।

बाढ एवं सिंचाई नियंत्रण बोर्ड

इस विभाग द्वारा वर्ष 2007 से वर्ष 2017 के बीच में 429 अनाधिकृत कालोनियों में आधार भूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए सिर्फ सड़क/गलियों तथा जल निकासी के लिए नालियों का कार्य किए।

(ग) **अनाधिकृत कालोनी (शहरी विकास)**

63 कालोनियों में शीघ्र ही पानी चालू करने की योजना है।

दिल्ली जल बोर्ड

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 63 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाईन बिछाई जा रही है।

(घ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास)**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, 34 अनाधिकृत कालोनियों में से 17 अनाधिकृत कालोनियों में सड़कों व गलियों के निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है तथा 17 अनाधिकृत कालोनियों में संड़को एवं निकासी की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। सभी कार्यों के विवरण की सूची 'क' पर संलग्न है।

उत्तर दिल्ली नगर निगम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली अनाधिकृत कालोनियों में केवल गन्दे नाले की सफाई का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 34 अनाधिकृत कालोनियों में से 17 अनाधिकृत कालोनियों में सड़कों एवं जल निकासी की व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है तथा 17 अनाधिकृत कालोनियों में सड़कों एवं जल निकासी की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। सभी कार्यों के विवरण की सूची 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसिंयों द्वारा किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम केवल पहले से

विद्यमान पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाईट्स) का रख–रखाव एवं एनर्जी चार्जेज का भुगतान कर रही है।

बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण बोर्ड

अनाधिकृत कालोनियों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था का कार्य इस विभाग से संबंधित नहीं है। यद्यपि उपरोक्त 'ख' के अनुसार इस विभाग ने 429 अनाधिकृत कालोनियों में सिर्फ सड़कों/गलियों तथा जल निकासी के लिए नालियां बनाने का कार्य किया।

(ङ) **अनाधिकृत कालोनी (शहरी विकास)**

अनाधिकृत कालोनियों के लिए वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान (आर.ई) में कुल रुपये 836.00 करोड़ आबंटित किया गया था जिसमें से रुपये 651.71 करोड़ रुपया विभिन्न एक्जीक्यूटिव एजेंसीज को जारी किया जा चुका है;

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड

अनाधिकृत कालोनियों में पाई लाईन से पानी देने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रुपये 300.00 करोड़ फंड आवंटित किया गया है तथा उसमें से अब तक 223.69 करोड़ व्यय हुआ।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अनाधिकृत कालोनियों के लिए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2017–18 के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है।

बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण बोर्ड

इस विभाग को वर्ष 2017–18 में 5 करोड़ रुपए का फंड (राशि) आवंटित की गई थी। जिसमें से 28 फरवरी, 2018 तक 1.21 करोड़ रुपये की फंड (राशि) का व्यय किया गया।

(च) **अनाधिकृत कालोनी (शहरी विकास)**

इस विभाग द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए वर्ष 2017–19 के लिए रुपये 1235.00 करोड़ का प्रस्ताव योजना/वित्त विभाग को भेजा गया है।

दिल्ली जल बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2018–2019 को बजट अभी पास नहीं हुआ है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 2018–2019 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अभी तक कोई फंड आवंटित नहीं हुआ है।

Office of the Executive Engineer M-I, Najafgarh Zone/SDMC

Teport on Development works in unatorized colonies under the jurisdiction of EE(M-I)-Najafgarh Zone:

Sl. No.	Regd No.	Name of Colony	Roads & Streels	Drains	Status
1	2	3	4	5	6
1.	417	Saraswati Enclave Gopal Nagar, Surakhpur Road	Yes	Yes	WIP
2.	712	Mahesh Garden, Main Bahadurgarh Roa	Yes	Yes	completed
3.	804	Surya Kunj, Bahadurgarh Road	Yes	Yes	WIP
4.	82	Dwarka Vihar, Kakrola Road	Yes	Yes	completed
5.	985	East Krishna Vihar A. B Block Khaira Road	Yes	Yes	completed
6.	1081	Sunder Nagar Gopal Nagar Extn	Yes	Yes	WIP
7.	170	Saraswati Kunj. CRPF road, Jharoda Kalan	Yes	Yes	WIP
8.	1372	Nirmal Vihar, Jajafgarh	Yes	Yes	WIP
9.	685	Krishna Enclave Part-II, Dichaon Kalan road	Yes	Yes	WIP
10.	413	Naveen Place, D-Block, Najafgarh	Yes	Yes	WIP
11.	1053	Gopal Nagar EXTN. PH-I, Main Khaira road	Yes	Yes	WIP
12.	1158	Durga Enclave Jaffarpur Kalan Najafgarh	Yes	Yes	completed
13.	314	Vatasta Enclave (Kashmiri colony) Prem Nagar, Z Block	Yes	Yes	completed
14.	689	Shyam Enclave (Z-Block)] Gopal Nagar EXTN.	Yes	Yes	WIP
15.	1155	Dabar Enclave (SR Block A) Rawta Mode Jaffarpur	Yes	Yes	WIP

1	2	3	4	5	6
16.	98	Dichaon Enclave, OPP DK. Depot. Nanglo	Yes	Yes	WIP
17.	534	Naveen Place Bhadurgarh road	Yes	Yes	WIP
18.	580	Jai Vihar Phase-I, Jajafgarh	Yes	Yes	WIP
19.	1405	Naveen Place, Block C-1, Jharoda road	Yes	Yes	WIP
20.	1504	Prem Nagar F and G Block	Yes	Yes	completed
21.	364	Prem Nagar G Block, Left out Portion Naar Sant Kabir Ashram Najafgarh	Yes	Yes	completed
22.	690B	Mitraon Extn. Main Dhansa road	Yes	Yes	completed
23.	690C	Mitraon Ext. Main Dhansa road	Yes	Yes	completed
24.	1159	Jaffarpur Ext. Jaffarpur Kalan	Yes	Yes	completed
25.	690A	Mitraon Ext. Main DaNsa road	Yes	Yes	completed
26.	0	Krishna Enclave opp CRPF Camp Dichaon road	Yes	Yes	WIP
27.	60	Sangam Vihar, Kakrola road	Yes	Yes	completed
28.	1191	Krishan Vihar west	Yes	Yes	completed
29.	495	Sanik EnClave, CRPF Colony, Jharoda Kalan Road	Yes	Yes	WIP
30.	163	Gopal Nagar Extn. A, B, C, D Block	Yes	Yes	WIP
31.	712A	Mahesh Garden, D-Block, Najafgarh	Yes	Yes	completed
32.	1054	Gopal Nagar Extn. E.F.G.H Block Main Dhansa road	Yes	Yes	completed
33.	1153	Surya Kunj Part-I, Dichaon road	Yes	Yes	completed
34.	645	Sainik Enclave=II, OPP, CRPF Camp Jharoda Kalan	Yes	Yes	WIP

52. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एम.एल.ए. लैड फंड को सैंक्शन करने में डूडा द्वारा बहुत विलम्ब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) डूडा के पास स्वीकृति हेतु पड़े ऐसे सभी प्रस्तावों का विवरण क्या है जिनमें 30 दिन के अंदर कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(घ) इन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

जी नहीं। एम.एल.ए फंड के मापदंडों के अनुसार एस्टीमेट/प्रस्ताव/दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सभी एम.एल.ए. लैंड फंड एस्टीमेट/प्रस्ताव तुरन्त सैंक्शन कर दिये जाते हैं।

(ख) **कार्यालय मण्डलांयुक्त (राजस्व)**

उपरोक्त (क) के आधार पर लागू नहीं।

(ग) **कार्यालय मण्डलांयुक्त (राजस्व)**

ऐसा कोई भी प्रस्ताव सिवाये जिला शाहदरा डुडा सेल के कहीं भी स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। इसके लम्बित होने का कारण डूडा शाहदरा के खातों में पर्याप्त राशि का ना होना है।

(घ) **कार्यालय मण्डलांयुक्त (राजस्व)**

उपरोक्त (ग) के आधार पर लागू नहीं।

53. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकलपुर विधान क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली नगर निगम, द्वारा प्लान एवं नॉन प्लान हेड के अंतर्गत वर्ष 2015 से अब तक कौन कौन से विकास कार्य किए गए;

(ख) संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्लान एवं नॉन प्लान हेड के अंतर्गत आगामी वर्ष में कौन कौन से विकास कार्य करने की योजना है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी द्वारा गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्लान एवं नांन प्लान के अंतर्गत वर्ष 2015 से अब तक कराए गए कार्यों की सूची संलग्न 'क' है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

–उपरोक्तानुसार–

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

आगामी वर्ष में गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा अभी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है।

East Delhi Municipal Corporation

Engineering Department Shah. North Zone

EE-M-I/ SHAH NORTH

Sl. No.	AC	Name of Scheme	Estimate cost (in Lacs)	H/a	Present status
1	2	3	4	5	6
2015-2016					
1	68	Improvement Development of culverts on the brijpuri road [-] by pdg.RCC Item from in Jiwan Pur	216121	89/1157	comp.
2	68	Improvement Development of link gali of shani bazar road in Johripur village [--] by pdg. RMC from hari lal house to prem singh house in Jiwan Pur	414837	89/1157	comp.
3	68	Supply of steel crossing atW. No. 261 Shah. North Zone	309306	89/1157	comp.
4	68	Improvement Development of passage and shed in park [-] by pdg. 0 from near pump house C-block in Gokul Pur	442232	89/1157	comp.

1	2	3	4	5	6
5	68	Improvement Development of culvert at different palace [-] by pdg.O from Gokul pur village in Gokul Pur W.NO-262 SH/NORTH ZONE	426661	89/1157	comp.
6	68	Improvement Development of malaria office [—] by pdg.Interlocking Tiles from in Gokul Pur W.NO-262	152817	89/1157	comp.
7	68	Providing and Fixing of m.s. grating at various location in Gokal pur, ward no. 262 [—] by pdg. 0 from in Gokul Pur W.NO-262	264825	89/1157	comp.
8	68	Supply of course sand, 10 mm stone agg. And brick etc at W. No. 264 Shah. North Zone	199000	89/1157	comp.
9	68	Supply of course sand, 10 mm stone agg. And brick etc at W. No. 263 Shah. North Zone	199000	89/1157	comp.
10	68	Providing and fixing Name Board at various location at W. No. 261 Jiwanpur Shahd. North Zone	174436	89/1157	comp.
11	68	Construction of Urinals [—] by pdg.B/W from 2 nos in D block and A block near dhalao in Gokul Pur W.NO-262	247519	XL-I-B-V	comp.

12	68	Improvement Development of cummunity center [-] by pdg.O from and raising of grond level of back side courtyard in D block in Gokul Pur W.NO-262	482154	XL-I-B-V	comp.
13	68	Improvement Development of Drain [—] by pdg. O from near Ganga vihar dhalao jokal puri w.no-262 in Gokul Pur w.no-262	238870	XL-I-B-V	comp.
14	68	Supply of materials for day to day maintenance at Mpl. Store W. No. 262 Shah. North Zone	237952	XL-I-B-V	comp.
15	68	Improvement Development of 2 waterless urinals [-] by pdg.O from near DDa market D-block near Ganga vihar Gokalpuri in Gokul Puri w.no-262	333457	XL-I-B-V	comp.
16	68	Improvement Development of 2 waterless urinals [-] by pdg.O from near chotu ram park and near cummunity center in Gokul Pur W.NO-262 shah north zone	333537	XL-I-B-V	comp.
25	68	Improvement Development of dhalaos by pdg. 0 from Mandoli in W. No.-264 in Harsh Vihar Sh. N. Zone	157581	XL-III-D-iv	comp.
26	68	Engaging Hydrolic Tractor Trolly with driver and two beldars for removal of Floating material/silt from Nallas/drains in the W. No. 262 Shah. North Zone	340600	XL-III-D-iv	comp.

1	2	3	4	5	6
27	68	Engaging Hydrolic Tractor Trolly with driver and two beldars for removal of Floating material/silt from Nallas/drains in the W. No. 264 Shah. North Zone	386620	XL-III-D-iv	comp.
28	68	Engaging Hydrolic Tractor Trolly with driver and twobeldars for removal of Floating material/silt from Nallas/drains in the W. No. 263 Shah. North Zone	386620	XL-III-D-iv	comp.
29	68	Construction of S.I. office by pdg.B/W from Bank colony road Mandoli in Ward Nq-264 Harsh Vihar Sh.N.Zone	596500	XL-III-D-iv	comp.
30	68	Repair of urinals by pdg.0 from various locations in W.No-264 in Harsh Vihar Sh. N. Zone	98718	XL-III-Div	comp.
31	68	Improvement Development of drain crossings by pdg. 0 from W. No-264 in Harsh Vihar	438015	XL-III-D-iv	comp.
32	68	Improvement Development of drains by pdg.B/W from Mandoli W.No-264 in Harsh Vihar Sh. N. Zone	422531	XL-III-D-iv	comp.
33	68	Improvement Development of road drainage system by pdg.B/W from G.G.S.Sec. School to DDA	863082	XL-III-D-iv	comp.

		Green belt in Mandoli in Harsh Vihar W.No-264 Sh. N. Zone			
34	68	Providing and Fixing of steel gratings at different location by pdg.B/W from Mandoli W. No. 264 in Harsh Vihar	254505	XL-III-D-iv	comp.
35	68	Improvement Development of culverts at different locations by pdg.O from W. No-263 in Saboli Sh. N. Zone	420125	XL-III-D-iv	comp.
36	68	Providing and Fixing of steel gratings at different locations by pdg.B/W from W.No-263 in Saboli Sh. N. Zone	419745	XL-III-D-iv	comp.
37	68	S/R of EDMC School in A-Block Gokalpuri in W. No. 262 Shah. North Zone	76789	XL-VII-Edu.	comp.
38	68	S/R of M.C Pry. School by pdg. 0 from Johri pur &Baghirathi Vihar in W.No.261 Shah N Zone	128059	XL-VII-Edu.	comp.
39	68	S/R of M.C. Pry. School by pdg. 0 from M.C. Pry. School Mandoli Girls, Mandoli boys & harsh Vihar in W.No.264, Shah./N Zone.	320106	XL-VII-Edu.	comp.
40	68	S/R of M.C. Pry. School by pdg. 0 from M.C. Pry. School Mndoli Extn., Meet Nagar & Harizan basti, E -Block in W.No.263, Saboli, Shah./ N Zone.	320223	XL-VII-Edu.	comp.

1	2	3	4	5	6
41	68	S/R of EDMC Pry. School East Gokulpur in Harizan Basti, [—] by pdg. 0 from in Gokalpur W.No.262 Shah.N Zone.	86659	XL-VII-Edu.	comp.
42	68	S/R of EDMC Pry. School in B-Block, Gokalpuri [-] by pdg. 0 from Gokalpur in W.No.262 Shah/ N Zone	230904	XL-VII-Edu.	comp.
43	68	Improvement Development of ground by pdg.O from EDMC Pry. School Mandoli (girls) in Ward No-264 Harsh Vihar Shah.N.Zone	508617	XL-VII-Edu.	comp.
44	68	Improvement Development of ground by pdg. Interlocking Tiles from M C Pry. School Mandoli (Boys) in Ward no-264 Harsh Vihar Shah.N.Zone	605929	XL-VII-Edu.	comp.
2016-2017					
66	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Varun Readymade garments to Rajkumar house in Saboli Ward no-263 Shah. N. Zone	265347	89/1157	comp.
67	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Aaaru electricals to Imran house in Saboli Ward no-263 Shah. N. Zone	380094	89/1157	comp.

68	68	Imp./Dev. of link gali Shani Bazar road in village Johripu.r [Shani Bazaar road] by pdg. BAA/ from W. No. 261 Shahd. North Zone Jiwanpur	425887	89/1157	comp.
69	68	Imp./Dev. of damaged portion of Ravi Das gali Johripur by pdg. RMC in W. No. 261 Shahd. North Zone Jiwan pura	426062	89/1157	comp.
70	68	Improvement Development of JE.maintance store [-] by pdg.O from in Gokul Pur W.NO-262 SH/NORTH	437676	89/1157	comp.
71	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Kishanlal Baithak to Bhagwan Sahai Bhawan Mandoli in Harsh Vihar W. No-264 Shah.N.Zone	446211	89/1157	comp.
72	68	Improvement Development of lane by pdg. CC from Ram singh house to Mehar singh house in. Mandoli in Harsh Vihar W. No-264 Shah. N. Zone	446524	89/1157	Comp.
73	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Bhagwati rolling Mill to Gali no-2 in Mandoli in Harsh Vihar W. No-264 Shah. N. Zone	446823	89/1157	comp.

1	2	3	4	5	6
74	68	Imp./Dev. of drainage by pdg. RCC item from W. No. 261 Shah. North Zone	430527	89/1157	comp.
75	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from V K Chauhan house to Ashok kumar house in Saboli Ward no-263 Shah.N.Zone	434195	89/1157	comp.
76	68	Improvement Development of drain crossings by pdg. O from different locations in W. No-261 Jiwan Pur Sh. N.zone	404978	89/1157	comp.
77	68	Providing and Fixing of M S Gratings by pdg.B/W from different locations in W. No-261 Jiwan Pur Sh. N. zone	404725	89/1157	comp.
78	68	Improvement Development of culverts at different locations by pdg. BAA/ from ward no-263 in Saboli Sh. N. Zone	417093	89/1157	comp.
79	68	Providing and Fixing of steel gratings at different locations by pdg.B/W from Ward No-263 in Saboli Sh. N. Zone	414995	89/1157	comp.
80	68	Supply of material at Mpl. Store W. No. 262 Gokalpuri Shahdara North Zone	253600	89/1157	comp.

81	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Sai Bakery to Bhanu Pratap House in W.No-264 Harsh vihar Sh. N. Zone	290000	89/1157	comp.
82	68	Improvement Development of lane by pdg.CC from Angoori devi to Petwal house in W.No-264 Harsh Vihar Sh. N. Zone	345000	89/1157	comp.
83	68	Imp./Dev. of land and drainage system FROM Ganga Vihar Dhalao to Ch. Shyamlal house [—] by pdg. 0 from in gokalpur W. No. 262	4335485	XL-I-B-V	comp.
84	68	Improvement Development of Dhalao [—] by pdg.O from Ganga vihar in Gokul Pur W.NO-262	441405	XL-I-B-V	comp.
85	68	Improvement Development of Facility [-] by pdg. BAA/ from near D block sr.sec school in Gokul Pur W.NO-262	253763	XL-I-B-V	comp.
86	68	Imp. Dev. of drain by pdg. RCC Item from Kishan Lal Baithak to Wazirabad Road in Mandoli in W. No. 264 Shahdara North Zone	5650000	XL-III-D-(iv)	comp.
87	68	Improvement Development of Dhalao [—] by pdg.O from A-block in Gokul Pur in W. No. 262 Shahdara North Zone	106783	XL-III-D-(iv)	comp.

1	2	3	4	5	6
109	68	Providing and Fixing of steel gratings over drain by pdg.B/W from in W. No-264 in Harsh Vihar Sh. N. Zone	283150	XL-III-D-(iv)	comp.
110	68	Construction of culverts over drains by pdg.RCC Item from village Mandoli W. No-264 in Harsh Vihar Sh.N.Zone	295844	XL-III-D-(iv)	comp.
111	68	Improvement Development of drain crossings by pdg.RCC Item from village Saboli in ward no-263 Sh. N. Zone	288880	XL-III-D-(iv)	comp.
112	68	Improvement Development of entrance of different lanes by pdg.RCC Item from Ward no-264 in Sh. N. Zone	288443	XL-III-D-(iv)	comp.
113	68	Providing and Fixing of precast RCC slab by pdg. RCC Item from different locations in W.No-264 Sh. N. Zone	287770	XL-III-D-(iv)	comp.
114	68	Improvement Development of drains in Mandoli by pdg.RCC Item from W. No-264 in Sh. N. Zone	290454	XL-III-D-(iv)	comp.
115	68	Repair of Mpl. Building by pdg. 0 from Safai Karamchari Shelter and S.I. Office in W. No. 263 in Shahdara North Zone	268484	XL-III-D-(iv)	comp.

116	68	Repair of Mpl. Buildings by pdg. 0 from Safai Karamchari Shelter Malaria Office and J.E. Store in W. No. 264 in Harsh Vihar Shahdara North Zone	330321	XL-III-D-(iv)	comp.
117	68	Improvement Development of drainage system along shamshan ghat by pdg.RCC Item from ward no-263 in Saboli Sh. N. Zone	316625	XL-III-D-(iv)	comp.
118	68	Engaging of LMV with driver and two beldars (TATA Magic or equiavalent) in W. No. 261 Shahdara North Zone	408520	XL-III-D-(iv)	comp.
119	68	Engaging Backhoe loader & Tipper Trucks for desilting/removal of silt from drains falls in ward no. 264 under the juridiction of EE (M-1) Shah. N. Zone	393150	XL-III-D-(iv)	comp.
120	68	Engaging Backhoe loader & Tipper Trucks for desilting/removal of silt from drains falls in ward no. 261 under the juridiction of EE (M-1) Shah. N. Zone	453150	XL-III-D-(iv)	comp.
121	68	Engaging Hydraulic Tractor Trolley with driver and two beldars for removal of floating material/silt from nallas/drains in ward no. 264 Shahdara North Zone	440000	XL-III-D-(iv)	comp.

1	2	3	4	5	6
122	68	Engaging of LMV with driver and two beldars (TATA Magic or equiavalent) in W. No. 263 Shahdara North Zone	408520	XL-III-D-(iv)	comp.
123	68	Engaging Hydraulic Tractor Trolley with driver and two beldars for removal of floating material /silt from nallas/drains in ward no. 263 Shahdara North Zone	428250	XL-III-D-(iv)	comp.
124	68	Improvement Development of drain by pdg. RCC Item from Allopathic/Ayurvedic dispensary to Delhi juice corner in Mandoli W.No-264 Sh. N. Zone	4901997	XL-III-D-IV	comp.
125	68	Engaging of LMV with driver and two beldars (TATA Magic or equiavalent) in W. No. 264 Shahdara North Zone	370000	XL-III-D-IV	comp.
140	68	Improvement Development of School by pdg. Fixing of water tank for fire safty arrangement in EDMC Pry School No 1 Gokal puri by pdg. 0 from in W. No. 262 Shahdara North Zone	118473.24	XL-VII-Edu.	comp.
141	68	Improvement Development of School by pdg. Fixing of water tank for fire safty arrangement in EDMC Pry School Gokal pur New by pdg. 0 from in W. No. 262 Shahdara North Zone	118473.24	XL-VII-Edu.	comp.

142	68	Improvement Development of m.c pry school girls by pdg.Chequred Tile from Ward no-264 in Mandoli Sh. N. Zone	614159.00	XL-VII-Edu.	comp.
143	68	Improvement Development of M C PRY SCHOOL east Gokal puri harijan basti [-] by pdg.O from P/F of water tank for fire safty arrangment in Gokul PurW.NO-262	135362.82	XL-VII-Edu.	comp.
144	68	Imp. Dev. of P/F water tank for fire sefety arrangement by pdg. 0 from in EDMC Pry School Meet Nagar in W. No. 263 Shahdara North Zone	121650	XL-VII-Edu.	comp.
145	68	Restoration of road cut for the work of P/L/J 250mm dia DI feeding water line from Johripur Extn. Nalla road to Shani Bazar road in ward no. 261, Shah(N) Zone.	364101.00	66-1076	comp.
146	68	Restoration of road cutting for the work of laying New HT feeder from Bhagirathi Grid to Shiv Vihar -6 S/stn in Div Karawal Nagar (Scheme no. KW 13NF-4093) in ward no. 261	89092.00	66-1076	comp.
147	68	Restoration of road cut for road along EDMC Pry School near end point of Gali No 11 in Harsh Vihar in W. No. 264 Shahdara North Zone	129516.00	66-1076	comp.

1	2	3	4	5	6
148	68	Restoration of road cut for the work of trapping of escape drain in peripheral sewer line near Brijpuri culvert and Gokalpuri drain near Brahmpuri SPS in ward no. 261Zone.	37337.00	66-1076	comp.
149	68	Improvement Development of mahila park at C and D Block gokal puri by pdg.0 from in Gokul Pur W.NO 262	486035.00	89/1157	comp.
150	68	Restoration of road cut for the work of providing inter connector between Bank colony to Budh Vihar in. Div. NNG Scheme No NN12 NF 4029 (AC-68) in W. No. 264 Shahdara North Zone	295779.00	66-1076	comp.
151	68	Restoration of road cutting for the work of P/L/J 200mm dia DI feeding water line from gali No.6 Bhagirathi Vihar to gali no.1 Indira Vihar at Brijpuri road in ward no. 261	317456.96	66-1076	comp.
152	68	Improvement Development of school by pdg. O from P/F of water tank for fire safety arrangements in M.C. Pry. School Mandoli Extn. in W.No-263 Sh. N. Zone	121518.00	XL-VII-Edu.	comp.
153	68	Improvement Development of school by pdg. O from P/F of water tank for fire safety	121518.00	XL-VII-Edu.	comp.

		arrangements in M.C. Pry School Bhagirathi Vihar in W.No-261 Sh.N.Zone			
154	68	Improvement Development of school by pdg. O from P/F water tank for fire safety arrangements in M.C. Pry. School Boys/Girls Harsh Vihar in W.No-264 Sh.N.Zone	121518.00	XL-VII-Edu.	comp.
155	68	Restoration of road cutting for the work of New feeder from Bhagirathi Vihar to Tunda Nagar in Div KWN (Scheme No. KE14NF 4019) in ward no. 261	88195.00	66-1076	comp.
156	68	Restoration of road cut for the work of laying HT feeder from Shanti Lal S/stn. To Paani Ki Tanki in Div. NNG Scheme No NN14 NF 4059 in W. No. 264 Shahdara North Zone	193891.00	66-1076	comp.
179	68	Imp. Dev. of CTC near creamation ground by pdg. 0 from W. No. 54 E in Saboli Shahdara North Zone	297718	XL-III-D-(iv)	comp.
180	68	Construction of toilet near Brijpuri road NH 9 crossing by pdg. 0 from W. No. 52 E Shahdara North Zone	560062	SBM	comp.
181	68	Imp. Dev. of dhalaos by pdg. 0 from Mandoli Chungi and Charkhumba in W. No. 55 E Shahdara North Zone	259835	XL-III-D-(iv)	comp.

1	2	3	4	5	6
182	68	Providing and Fixing of m.s. grating at various locatoion in Amar Colony ward no. 262 [-] by pdg. 0 from in Gokul Pur W.NO-262	85112	XL-III-D-(iv)	comp.
183	68	Improvement Development of culvert at different palace [—] by pdg.0 from Gokel pur village in Gokul Purw.no-262/53 E	208620	XL-III-D-(iv)	comp.
184	68	Construction of toilet near main road Bhagirathi Vihar by pdg. 0 from W. No. 52 E Shahdara North Zone	565876	SBM	comp.
185	68	Engaging Hydraulic Tractor Trolly with driver and Two beldars for removal of floating material/silt from Nallas/drains in Ward No 52 E Shahdara North Zone	466200	XL-III-D-(iv)	comp
186	68	Contruction of toilet by pdg. 0 from W. No. 52 E Joharipur Shahdara North Zone	493651	SBM	comp.
187	68	Contruction of toilet by pdg. 0 from W. No. 55 E Harsh Vihar Shahdara North Zone	493651	SBM	comp.
188	68	Construction of toilet near NH 9 Bank Colony by pdg. 0 from W. No. 55 E Shahdara North Zone	544083	SBM	comp.

189	68	Construction of toilet near 9 Bhopura Boarder by pdg. 0 from W. No. 55 E Shahdara North Zone	544083	SBM	comp.
190	68	Imp. Beautification of road under Gokalpuh flyover on Wazirabad road by white washing painting & Imp. Of all civil work in W. No. 53 E Gokapur Shahdara North Zone	1238171	XL-I-B-V	comp.
191	68	Contruction of toilet by pdg. 0 from W. No. 54 E Saboli Shahdara North Zone	496824	SBM	In Progress
192	68	Construction of toilet near NH 9 Amar Colony by pdg. 0 from W. No. 53E Shahdara North Zone	414608	SBM	In Progress
193	68	Improvement Development of CTC Block on drain no. 1 near Johri pur extn. by pdg.O from Ward no-52 E in Sh. N. Zone	274269	XL-III-D-(iv)	In Progress
194	68	Improvement Development of CTC Block in C-Block Gokal puri [—] by pdg.O from in Gokul Purw.no-53 E	593812	XL-III-D-(iv)	Complete
195	68	Imp. /Upgd. Of Gokalpuri fly over on Wazirabad road No. Acrylic water based primer/Anti Carbonation coating paint in W. No. 53 E Gokalpuri Shahdara North Zone	1236000	XL-I-B-V	In Progress

1	2	3	4	5	6
196	68	Providing and fixing of additional steel grill under Gokalpuri flyover by pdg 0 from in W. No. 53-E/262 Gokalpur Shahdara North Zone	784998	XL-I-B-V	Complete
197	68	Providing rain water harvesting tank in EDMC Pry School by pdg. 0 from in Mandoli (Girls) ward no. 55 E Shahdara shah. North zone	438100	XL-VII-Edu.	Tender Called
198	68	Providing rain water harvesting tank in EDMC Pry School by pdg. 0 from in Meet Nagar ward no. 54 E Shahdara shah. North zone	446700	XL-VII-Edu.	Tender Called
199	68	Providing rain water harvesting tank in EDMC Pry School by pdg. 0 from in Harsh Vihar ward no. 55 E Shahdara shah. North zone	368900	XL-VII-Edu.	Tender Called
200	68	Providing rain water harvesting tank in EDMC Pry School by pdg. 0 from in Joharipur ward no. 52 E Shahdara shah. North zone	450800	XL-VII-Edu.	Tender Called

Sl. No.	Name of the project/ Work	Estimated cost (in Lacs)	Head of Account	Status as on 28.02.18
	2015-16			
1.	Nil	Nil	Nil	Nil |
	2016-17			
2.	Construction of Community Toilet Complex near C-483 in C Block Gokulpuri in Ward no. 262 Shahdara (North) Zone.	46.08	XL-III-D-IV	Work completed
3.	Construction of Pucca School Building at MC Pry School Mandoli (Boys) Shahdara (North) Zone.	189.88	XL-VII-Education	Work in progress.
4.	Construction of Maternity Home at Community Toilet Complex, Kheda Road, Saboli Extn, Shahdara-(North) Zone	224.81	XL-IX-V (Medical)	Work is to be closed as decided by Health Department, EDMC
	2017-18			
5.	Construction of Dhalao at Harsh Vihar (Near Pertol Pump) on Wazirabad Road, Ward No. 55E, Shahdara (North) Zone.	19.93	XL-III-D-IV	Work, held up due to land dispute with DDA
6.	Construction of Dhalao near Meet Nagar Shamshan Ghat on Wazirabad Road in Ward No. 54E, Saboli Shahdara (North)	20.41	XL-III-D-IV	Work held up due to land dispute with DDA

54. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन योजना' (अमृत) के अंतर्गत सीवेज व्यवस्था तक घरों की पहुंच बढ़ने के लिए वर्ष 2017—18 में स्वीकृत परियोजनाओं में से कितनी परियोजनांए पूरी हो चुकी हैं;

(ख) नियमित रूप से सीवर रुकने की समस्या को देखते हुए सीवर व्यवस्था में सुधार के लिए क्या सरकार ने अपनी ओर से कोई कदम उठाए हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या जहां कदम उठाए हैं, वहां स्थिति में सुधार हुआ है, और

(घ) अभी भी इस समस्या का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार की क्या योजना है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **दिल्ली जल बोर्ड**

वर्ष 2017—18 में अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर की दो परियोजनाएं स्वीकृति हुई हैं दोनों ही परियोजनाओं की अभी निविदा आमन्त्रित की जानी है।

शहरी विकास विभाग (अमृत शाखा)

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फॉर्मेशन योजना' (अमृत) के अंतर्गत सीवेज व्यवस्था घरों की पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2017—18 में दो परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, और अभी कोई परियोजना पूरी नहीं हुई।

(ख) **दिल्ली जल बोर्ड**

दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक डिवीजन में सीवर सफाई की मशीनों की व्यवस्था कर रखी है। इसके अतिरिक्त ट्रंक एवं पूरीफेरल सीवर लाइनों की सफाई एवं रिहेबलीटेशन के कार्य भी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं।

(ग) **दिल्ली जल बोर्ड**

—उपरोक्तानुसार—

(घ) **दिल्ली जल बोर्ड**

क्षतिग्रति सीवर लाईनों को चरणबद्ध तरीके से बदलने अथवा रिहेबलीटेशन करने एवं मशीनों द्वारा नियमित सफाई की योजना है।

55. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत कॉलोनियों में विधायक द्वारा प्रस्ताविक आवश्यक सेवाओं के प्रावधान हेतु स्वीकृत, पूरी हो चुकी तथा अभी भी चल रही एच.टी./एल. टी. लाइन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) अनधिकृत कॉलोनियों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों, गलियों में नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वीकृत, पूरी हो चुकी तथा अभी भी चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त में से कितनी परियोजनाएं कार्यादेश में उल्लिखित समयसीमा के अदंर पूरी हुई व कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ;

(घ) जिन परियोजनाओं में विलंब हुआ उनके संबंध में किसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, और;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) शहरी विकास विभाग (अनाधिकृतं कॉलोनी) :— अनाधिकृत कॉलोनियों में विधायक द्वारा आवश्यक सेवाओं के प्रावधान हेतु 2016—17 एवं 2017—18 में स्वीकृत एच.टी./एल.टी. योजनाओं की संख्या 16 है। इसमें तीन योजनाओं में कार्य चल रहा है तथा बाकी योजनाओं में कार्य सम्पन्न हो चुका है।

(ख) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :—

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, 34 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों व गलियों के निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है तथा 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों एवं जल निकासी की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

(ग) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :—

इनमें से 13 परियोजनाएं कार्यादेश में उल्लिखित के अन्दर पूर्ण हुई हैं और इनमें से चार परियोजनाओं विलंब हुआ है।

(घ) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :—

कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(ङ) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :—

उपरोक्तानुसार—

56. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पुनर्वास कालोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाने की योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का वर्तमान स्टेटस क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने नागरिकों ने आवेदन पत्र दाखिल किये और कितनों को फ्रीहोल्ड अधिकार दिया गया; और

(घ) क्या यह सत्य है कि इस योजना की सरकार द्वारा कोई विशेष पब्लिसिटी नहीं की गई, जिसके कारण यह योजना आम जनता तक नहीं पहुँच सकी?

शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड :–

जी हां।

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** :–

इस योजना की मंजूरी के लिए भारत सरकार को दिनांक 02–01–2018 को भेज दिया गया है। भारत सरकार से मंजूरी लम्बित है।

(ग) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड** :–

उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

57. श्री पंकज पुष्कर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एम.एल.ए. लैड' योजना के अंतर्गत विधायकों की संस्तुति पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए स्वीकृत, पूरी हो चुकी तथा अभी भी चल रही परियोजनाओं की संख्या क्या हैं,;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं कार्यादेश में उल्लिखित समय सीमा क अंदर पूरी हुई हैं और कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(ग) इनका विभागवार ब्योरा क्या है;

(घ) जिन परियोजनाओं में विलंब हुआ, उनमें विलंब के क्या कारण थे,

(ङ) इस विलंब के लिए क्या कार्रवाई की गई,

(च) कितनी निविदाएं दो से अधिक बाद अनाहूत रह गई और क्यों, अैर

(छ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **मंडलायुक्त (राजस्व विभाग)**

11 जिलों से प्राप्त जानकारियों की सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पूर्व), राजस्व

सूची संलग्न है

उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व

सूची संलग्न है

2015–16 से 2017–18 तक विवरण

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिण–पश्चिम), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (नई दिल्ली), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (शाहदरा), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (पश्चिम), राजस्व

सूची संलग्न है।

(ख) **उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व**

समय के अन्दर पूर्ण परियोजनाएँ–126 व विलंब–80

उपायुक्त कार्यालय (शाहदरा), राजस्व

276

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी), राजस्व

समय के अन्दर पूर्ण परियोजनाएँ–103 व विलंब–64 प्रति संलग्न है।

(ग) **उपायुक्त कार्यालय (पूवी), राजस्व**

'एम.एल.ए. लैड' योजना के अंतर्गत विकास कार्य ई.डी.एम.सी., आई. एंड. एफ.सी. विभाग, दिल्ली जल बार्ड.बी.एस.ई.एस. और डुसीब द्वारा कराए गए है।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पूवी), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व

कार्य का निष्पादन करने वाले निम्न विभाग है :–

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 2 सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, 3 लोक निर्माण विभाग 4 टी.पी.डी.डी.एम.।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

कार्य का निष्पादन करने वाले निम्न विभाग है:–

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 2 सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, 3 लोक निर्माण विभाग 4 टी.पी.डी.डी.एम।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी), राजस्व

कार्य का निष्पादन करने वाले निम्न विभाग हैः–

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 2 सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, 3 लोक निर्माण विभाग 4 टी.पी.डी.डी.एम।

उपायुक्त कार्यालय (नई दिल्ली), राजस्व

उपरोक्त 'क' के अनुसार सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी), राजस्व

विभागवार ब्यौरा ए.सी. अनुसार प्रति संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (शाहदरा), राजस्व

सूची संलग्न है।

उपायुक्त कार्यालय (पश्चिम), राजस्व

'एम.एल.ए. लैड' योजना के अंतर्गत विधायकों की संस्तुति पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए स्वीकृति पूरी हों चुकी तथा अभी भी चल रही परियोजना का विभागवार ब्यौर उपरोक्त सूची में दर्शाया गया है।

(घ) **उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व**

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी), राजस्व

कार्य की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलवाा निविदा के उपर भी विलंब का कारण बनता है।

उपायुक्त कार्यालय (दक्षिणी), राजस्व

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचा के आधार पर अधिकतर कार्य दो या दो से अधिक बार अनाहूत रह गयी है।

(ङ) **उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व**

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

(च) **उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व**

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी), राजस्व

उपरोक्तानुसार।

(छ) **उपायुक्त कार्यालय (मध्य–जिला), राजस्व**

लागू नहीं होता।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तर–पश्चिम), राजस्व

लागू नहीं।

उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी), राजस्व

लागू नहीं।

58. श्री गिरीश सोनी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत कॉलोनियों में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों, गलियों में नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वीकृत, पूरी हो चुकी तथा अभी भी चल रही परियोजनाओं की संख्या बताएं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं कार्यादेश में उल्लिखित समयसीमा के अंदर पूरी हुई हैं और कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(ग) जिन परियोजनाओं में विलंब हुआ उनमें विलंब के क्या कारण थे;

(घ) इस विलंब के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) कितनी निविदाएं दो से अधिक बाद अनाहूत रह गईं और क्यों, और

(च) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :–

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, 34 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों व गलियों के निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है तथा 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों एवं जल निकासी की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

(ख) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :–

इनमें से 13 परियोजनाएँ कार्यादेश में उल्लिखित के अन्दर पूर्ण हुई है और इनमें सें 4 परियोजनाओं में विलंब हुआ है।

(ग) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :–

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा था।

(घ) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :–

कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(ङ) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :–

कोई भी नहीं।

(च) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी)** :—

—उपरोक्तानुसार—

59. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र तथा नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि से कौन कौन से विकास कार्य किये गये;

(ख) उसमें से कितने और कौन कौन से विकास कार्य प्रगति पर हैं और कितने और कौन कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं;

(ग) इनमें से कितने विकास कार्यों की राशि जारी कर दी गया है और कौन—कौन से विकास कार्यों की राशि अभी जारी नहीं की गई है; और

(घ) जो विकास कार्य चल रहे है तथा प्रगति पर हैं, वे कब तक पूरे हो जायेंगे?

शहरी विकास मंत्री : (क) अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी

सूची संग्लन है।*

(घ) **अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी**

कार्यकारी निकाय को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

60. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नॉर्थ एम.सी.डी. से नारायणा गाँव के सामने रिग रोड पर स्थित पुल के नीचे काफी खाली जगह पड़ी है जहाँ पर राहगीर खुले में शौच करते हैं जिससे स्थानीय लागों एवं दुकानदारों को काफी परेशानी होती हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एम.एल.ए. फंड से इस स्थान पर सार्वजानिक शौचालय बनवाने के लिए काफी समय से लगातार नॉर्थ एम. सी.डी. से निवेदन करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नारायणा गाँव के सामने रिग रोड़ पर स्थित पुल के नीचे सार्वजानिक शौचालय कब तक बन जायेगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) उत्तर दिल्ली नगर निगम

यह सत्य है कि नारायणा गाँव के सामने रिग रोड पर स्थित पुल के नीचे काफी जगह खाली पड़ी है, वर्तमान में स्वस्छ भारत मिशन के अंतर्गत निगम कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाती है ताकि उक्त स्थान पर कोई खुले में शौच व पेशाब न करें।

(ख) **उत्तर दिल्ली नगर निगम**

यह सत्य है कि इस स्थान पर शौचालय बनवाने के लिए निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि इस स्थल के नजदीक (500 मी. के

अंदर) 5 अन्य शौचालय एवं मूत्रालय है। जिसके कारण यहाँ पर नया शौचालय बनाने की जरुरत नहीं समझी गयी। वर्तमान में जो शौचालय/मूत्रालय अस्तित्व में है, उसकी सूची संलग्न 'क' है।

(ग) **उत्तर दिल्ली नगर निगम**

—उपरोक्तानुसार—

(घ) **उत्तर दिल्ली नगर निगम**

—उपरोक्तानुसार—

अनुसंगलक 'क'

वर्तमान में जो शौचालय/मूत्रालय नरायणा रिंग रोड फ्लाई ओवर के पास अस्तित्व में है, उसकी सूची निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	स्थान	शौचालय/मूत्रालय	पॉट की संख्या/सीट		
			पुरूष	महिला	नरायणा रिंग रोड़ फ्लाई ओवर से दूरी
1	2	3	4	5	6
1.	माता मंदिर नरायणा गांव	मूत्रालय	4 पॉट	—	400 मीटर (लगभग)
2.	डी.डी.ए. मार्किट, ए—ब्लॉक नरायणा बिहार	मूत्रालय एवं शौचालय	2 सीट एवं	2 सीट	50 मीटर (लगभग)

1	2	3	4	5	6
3.	सी.बी. क्षेत्र, रिंग रोड नरायणा गांव	मूत्रालय	2 पॉट	—	50 मीटर (लगभग)
4.	पैट्रोल पम्प के सामने नरायणा	मूत्रालय	2 पॉट	—	50 मीटर (लगभग)
5.	सैनिक विश्राम गृह दिल्ली छावनी बोर्ड एरिया	पब्लिक टॉयलेट	3 सीट	3 सीट	50 मीटर (लगभग)

61. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने हर झुग्गी बस्ती में घर—घर पानी पहुँचाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो अभी तक कितने घरों में पानी के कनैक्शन पहुँचाये गये हैं;

(ग) प्रत्येक झुग्गी बस्ती में घर—घर तक पानी कब तक पहुच जायेगा;

(घ) इस कार्य के लिए वर्ष 2017—18 में कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ङ) इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई, पूर्ण विवरण क्या है?

(घ) इस कार्य के लिए वर्ष 2017—में कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ङ) इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई, पूर्ण विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) और (ग) एवं झुग्गियों में जल कनैक्शन हेतु दिल्ली जल बोर्ड के अधिनियम 1998 में संशोधन करवाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संस्तुतित करके दिल्ली सरकार को भेजा गया हैं, जिस पर निर्णय अपेक्षित है।

(घ) झुग्गी बस्ती में पानी पहुँचाने के कार्य के लिए वर्ष 2017—18 में रू. 7.00 करोड़ आबंटित किये गये हैं।

(ङ) अब तक रु. 3.21 करोड़ खर्च हुए हैं।

62. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितनी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटियों का गठन किया गया है;

(ख) इन कमेटियों द्वारा अब तक कितने मामले हाथ में लिए गए और कितने मामलों में रियायती दरों पर ऋण प्रान किया गया; और

(ग) इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

नेशनल अरबन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 11 डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटियों का गठन किया गया है।

(ख) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

शून्य

(ग) **शहरी विकास (मिशन स्वराज/सामाजिक सुविधा संगम)**

इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सचिव (राजस्व) द्वारा दिल्ली के सभी सांसद, विधायक एवं निगम पार्षदों को स्कीम के बारे में सूचित किया जा रहा है।

63. श्री जगदीप सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूडा (वेस्ट) को कुल कितने कार्य प्रदान किए गए;

(ख) इन कार्यों में से कितने कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है;

(ग) एस्टीमेट तथा कार्य प्रदान करने के बाद 30 दिन से अधिक लंबित कार्यों की संख्या बताएं;

(घ) लंबित कार्यों का ब्यौरा दें; और

(ङ) विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों व विभागों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

113 एस्टीमेट प्राप्त हुए वर्ष 2017–18 में।

(ख) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

74 स्वीकृत हुए।

(ग) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

39

(घ) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

20 एस्टीमेट शहरी विकास विभाग में भेजने हेतु वापिस किए गए/किये जा रहे हैं। 6 एस्टीमेंट अस्वीकृत किये गए। 13 एस्टीमेट खामियाँ दूर करने के लिए निष्पादन एजेंसियों से ई–मेल एवं दूरभाष से सम्पर्क किया गया जिनका उत्तर अभी तक लंबित हैं।

(ङ) **कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)**

उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

64. **श्री सही राम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.यू.एस.आई.बी. की इलेक्ट्रिकल तथा सिविल विंग की विभिन्न डिवीजनों के निरीक्षण से संबंधित क्वालिटी कंट्रोल के कितने पैरा लंबित हैं;

(ख) पिछले दस वर्षों की अवधि के लिए इनका वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(ग) कितने ठेकेदारों डी.यू.एस.आई.बी. में काम की खराब गुणवत्ता के लिए क्वालिटी कंट्रोल के अध्यक्ष द्वारा काली सूची में डालने के लिए संस्तुत किया गया है;

(घ) काम की खराब गुणवत्ता के लिए कार्यरत स्टाफ के विरुद्ध क्वालिटी कंट्रोल के अध्यक्ष द्वारा कुल कितनी संस्तुतियां की गई;

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. के चल रहे कार्यों/परियोजना के लिए क्या कोई निगरानी तंत्र है;

(च) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण दें।

(छ) डी.यू.एस.आई.बी. के निगरानी तंत्र का उत्तरदायित्व किसका है

(ज) इस निगरानी के क्या परिणाम रहे हैं, डी.यू.एस.आई.बी. परियोजनाओं की निगरानी के विगत दस वर्षों के परिणाम का विवरण क्या है;

(झ) डी.यू.एस.आई.बी. के शौचालय परिसरों के परिचालन/रखरखाव के लिए क्या कोई निगरानी तंत्र है, और

(ञ) विगत पांच वर्षों की निगरानी रिपोर्ट तथा फील्ड स्टाफ द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जुलाई, 2010 में डुसिब के गठन के उपरान्त, सिविल तथा इलैक्ट्रिकल विंग के विभिन्न कार्यों के निरीक्षण से सम्बन्धित क्वालिटी कन्ट्रोल के 254 पैरा लंबित है।

(ख) 2010 से 2018 तक की अवधि के लिए वर्ष वार ब्यौरा संलग्न तालिका–1 में दिया हुआ है।

(ग) क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा किसी भी ठेकेदार को काली सूची में डालने के लिए संस्तुत नहीं किया गया है।

(घ) विगत वर्षों में काम की खराब गुणवत्ता के लिए चार केसों में कार्यरत स्टाफ के विरुद्ध सतर्कता विभाग को कार्यवाही हेतु संस्तुतियां की गई।

(ङ) विभिन्न कार्य परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। इसके अलावा क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा द्वारा 25 लाख लागत के कार्य रैन्डम बेसिस पर चैक किये जाते हैं तथा 25 लाख से 100 लाख लागत तक के कार्य अनिवार्य रूप से चेक किये जाते हैं। 100 लाख से ज्यादा लागत के कार्य अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी से चेक कराए जाते हैं।

(च) उपरोक्त तंत्र में कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवम अधिशासी अभियंता के द्वारा विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया जाता हैं

समय–समय पर किसी भी कार्य परियोजना का निरीक्षण उच्च अधिकारियों जैसे अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवम मैम्बर (ई.) द्वारा भी किया जाता है।

(छ) संबंधित अधिशासी अभियंता के कार्यालय का उत्तरदायित्व होता है।

(ज) कार्यों में कमी पाये जाने संबंधित अधिशासी अभियंता के कार्यालय द्वारा कार्य को दरुस्त करना सुनिश्चित किया जाता है। डूसीब के गठन के उपरान्त क्वालीटी कंट्रोल शाखा द्वारा 1072 कार्यों का निरीक्षण किया गया जिन में पायी गई कमियों को ठीक करने के उपरान्त 818 कार्यों के पैरा ड्रॉप कर दिए गए हैं तथा 254 कार्यों के पैरा अभी लंबित हैं।

(झ) संबंधित अधिशासी अभियंता की देख रेख में शौचालय परिसरों के परिचालन/रखरखाव का कार्य किया जाता है तथा अभी एस.बी.एम. शाखा द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है।

(ञ) संबंधित अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता नियमित निगरानी करते हैं, परन्तु उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनाते एवं उसी स्थान पर कमियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर देते हैं। डी.यू.एस.आई.बी. ने अलग से पांच टीमें अधिशासी अभियंताओं के अन्तर्गत लगाई गई हैं। ई.ई. (एस. बी.एम.) की टीमें 29.11.2017 से लगायी हैं व उनकी सेम्पल रिपोर्ट संलग्न है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों से कुछ टीमें मेम्बर एक्सपर्ट के अन्तर्गत अलग से निगरानी करती थी व रिपोर्ट मेल द्वारा सभी को भेजी जाती थी। इसका ब्यौरा 26.03.2018 तक उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा।

लंबित क्यू.सी. पैरों का वर्षवार ब्यौरा (प्रश्न संख्या 64ख के संदर्भ में)

तालिका—1

क्र.सं.	वर्ष	लंबित पैरों की संख्या
1.	2010—11	12
2.	2011—12	04
3.	2012—13	13
4.	2013—14	12
5.	2014—15	07
6.	2015—16	37
7.	2016—17	44
8.	2017—18	125
	कुल योग	254

ANNEXURE 2

Daily Inspection Report of JSCs

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD

Punarwas Bhawan, IP Estate, New Delhi - 110002]

DAILY JSC INSPECTION REPORT

Status: Deficient, For area: All
Status as on: 04 January, 2018 till 05:57:10 pm

Total Number of JSCs: 620; Total Seats: 18713; Total Reports Received: 619; Area of Jurisdiction (All)

Note:

1. In case for Functional status of JSCs "F" represents Functional and "N" Non Functional.
2. In the status report of all other conditions "A" represent "Satisfactory" and "B" represents "Deficient".
3. Blank cell denote report is not submitted for that particular item.
4. The reporting system is currently open till midnight of every day. Due to this the report generated in any time of the day may vary in case of further reporting is continue.

This report is generated by the System Analyst, DUSIB on Thursday, 04 January, 2018 at 05:57:10 pm from IP 14.97.84.132

Daily Inspection Report of JSCs

JSC Status Summary Report for 04 January, 2018*

Status	Good	Bad	No Report	Total
Functional	613	6	1	620
Water	605	13	2	620
Lighting	610	8	2	620
Cleanliness	595	23	2	620
Disp Board	615	3	2	620
Drainage	608	10	2	620
O&M	595	23	2	620
Over All	595	24	1	620

Daily Inspection Report, of JSCs

Division-wise JSC Report Details for 04 January, 2018*

Division	Good	Bad	No Report	Total	Ex.Eng.
SBM01	48	7	0	55	Sh. Naresh Gera (9717999343)
SBM02	123	5	1	129	Sh. P.D. Ashok (9650298800)
SBM03	149	4	0	153	Sh. Phool Singh (9717999275)
SBM04	132	14	0	146	Sh. K.B Sharma (9717999325)
SBM05	135	2	0	137	Sh. Pardeep Kr. Garg (9717999271)
Total	587	32	1	620	

Daily Inspection Report of JSCs

List of JSCs which have not been reported on 04 January, 2018 till 05:57:10 pm

S.No.	JSC Code and Name	Division	Ex.Eng.	Agency
1	Sanjay Colony Mehrauli-Bhatti Mines at community hall ID: 46RJ0915	SBM02	Sh. PD. AShok (9650298800)	YLDA India Pvt Ltd

65. श्री सोमनाथ भारती : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों में सड़कों, गलियों, सफाई, सीवर, जल–निकासी, पथ प्रकाश, सुरक्षा, नशा–विमुक्तीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, बाल कल्याण तथा महिला सशक्तीकरण जैसे समस्त कार्यों की जिम्मेदारी डी.यू.एस.आई.बी. की है;

(ख) यदि इनमें से किसी कार्य की जिम्मेदारी डी.यू.एस.आई.बी. की नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार विभाग व अधिकारी के नाम व फोन नंबर का विवरण क्या है;

(ग) मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली वाल्मिकि कैम्प बेगमपुर, इंदिरा कैंप, बेगमपुर, वाल्मिकि कैंप, नवजीवन विहार, एफ ब्लॉक के पीछे जे.जे. कॉलोनी, गरूद्वरा मालवीय नगर की झुग्गी बस्तियों में विगत 15 वर्षो किए गए कार्यो का वर्षवार विवरण क्या है;

(घ) वाल्मिकि कैंप बैगमपुर में डाली जाने सीवर लाइन के कार्य की शर्ते हैं;

(ङ) क्या इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की है;

(च) बस्ती विकास केंद्र, इंदिरी कैंप में कितने कमरे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है;

(छ) क्या बस्ती विकास केद्रों पर कोई सामाजिक अथवा उपयोगितामूलक परीक्षण किया गया है;

(ज) उपर्युक्त क्षेत्रों की झुग्गी निवासियों के वहां पर कब्जे की प्रकृति क्या है, यह सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की प्रकृति क्या है, यह सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की प्रकृति क्या है, यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण है या लीजहोल्ड अथवा फ्रीहोल्ड है;

(झ) क्या यहां के भूमिधारक अपनी संपत्ति किसी तीसरी पार्टी को बेच सकते हैं;

(ञ) यदि हां, तो क्या यह बिक्री वैध एवं बाध्यकारी होगी;

(ट) उक्त झुग्गी बस्तियों के मूल भूमिधारकों का ब्यौरा दें;

शहरी विकास मंत्री : (क) यह सत्य नहीं हैं, डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा जे.जे. बस्ती की गलियों में केवल सी.सी. पेवमेन्ट एवं नालियों का कार्य किया जाता है।

(ख) इन कार्यों की जिम्मेदारी निम्नानुसार है:—सड़कों, गलियों की सफाई एवं जल निकासी—सम्बन्धित दिल्ली नगर निगम सीवर—दिल्ली जल बोर्ड पथ प्रकाश—सम्बन्धित डिस्कोमस (DISCOM) सुरक्षा—दिल्ली पुलिस

नशा–विमुक्तीकरण, पौढ़ शिक्षा, बाल कल्याण तथा विभाग तथा बाल एवं महिला कल्याण विभाग

(ग) सन्दर्भ में जे.जे. बस्तियों में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

(घ) EIUS प्लान स्कीम के विवरण में जे.जे. बस्तियों में खुली नालियों का प्रावधान है। बाल्मिकी कैम्प बैगमपुर में सीवर लाइन डालने का कार्य तत्कालीन विधायक का आदेशानुसार क्षेत्रीय विधायक फण्ड के अंतर्गत डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। विभाग के पास रख–रखाव एवं सीवर की सफाई के लिए आधारिक संरचना ना होने के कारण माननीय विधायक द्वारा निर्णय लिया गया कि सीवर की सफाई एवं रख–रखाव झुग्गीवासी स्वयं करेगे। बाल्मिकि कैम्प वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा पत्र दिनांक 15–9–2014 को इस विषय में दायित्व लेने के बाद विभाग द्वारा सीवर लाइन का कार्य किया गया। वर्तमान में इस सीवर का रख–रखाव एवं सफाई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) नहीं।

(च) बस्ती विकास केंद्र, इंदिरी कैंप में 9 कमरे है। पूरा बस्ती विकास केन्द्र एन.जी.ओ. सर्वेन्टस ऑफ दा पीपुल सोसायटी को आबंटित हैं एन.जी.ओ. द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालन में हैं–

1. नॉन फॉर्मल एजूकेशन फॉर चाइल्ड
2. वोकेशनल ट्रैनिंग, कटिंग एण्ड टेलरिंग सेन्टर

3. कम्प्यूटर ट्रैनिंग सेन्टर

(छ) बस्ती विकास केन्द्रों पर कोई सामाजिक अथवा उपयोगिकतामूलक परीक्षण नहीं किया गया है।

(ज) यह अतिक्रमण है।

(झ) जी नहीं।

(ञ) उपरोक्त के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं।

(ट) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सन्दर्भित जे.जे. बस्तियों की भूमिधारक दिल्ली विकास प्राधिकरण है।

(ट) दिल्ली जल बोर्ड से सम्बन्धित है।

(ड) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सन्दर्भित जे.जे. बस्तियों की भूमि के मूल भूमिधारक दिल्ली विकास प्राधिकरण है।

(ढ़) जी नहीं। भूमिधारक विभाग अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

(ण) डूसिब की वर्तमान में इस झुग्गी बस्ती के बारें में ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

Detail of works w.r.t. Assembly Question No. 64 dt. 20.03.2018

Sl. No.	Name of Cluster	Year	Detail of works	Expenditure (In lacs)
1	2	3	4	5
1.	Balmiki Camp Creamation Ground Begum	2010	EIUS SH: C/o SW Drain for disposal of waste water of JJC Balmiki Camp Cremation Ground, Begumpur	1.97
	Pur	2012	EIUS SH P/L CC Pavement over deteriorated CC and improvement of drainage system in JJ Cluster Balmiki Camp, Cremation ground, Begampur	23.75
		2013	EIUS SH Improvement of approach road to JJ Cluster Balmiki Camp, Cremation ground, Begampur by P/L RMC	8.33
		2015	Pay & Use JSC SH: Up-gradation and remodeling of 20 seater JSC and c/o additional 13 seater at JJC Balmiki Camp, Cremation Ground Begumpur	21.00
		2015	MLA LAD Fund SH: Providing and Laying sewer line at JJC 2015 Balmiki Camp cremation ground, Begumpur	36.63
		2016	Renovation of Shishu Vatika in JJ Basti at Balmiki Camp near Cremation Ground, Begumpur (AC-43)	3.20
		2017-18	Providing and laying CC Pavement and improvement of drainage system in damaged lanes due to laying water	0.00 (work in progress)

1	2	3	4	5
			line in JJ Basti Balmiki Camp, near Cremation Ground, Begampur (AC-43)	
			(Contractural amount Rs. 19.02 lacs)	
2.	Indira Camp Begum Pur	2009-10	EIUS SH: P/L welded steel grating on drain and P/L CC Pavement in JJC Indira Camp, Begumpur Malviya Nagar	1.85
		2012	EIUS SH: P/L CC pavement over deteriorated CC and Improvement of drainage system in JJ Cluster at Indira Camp, Begumpur	22.29
		2012	"Renovation of Shishu Vatika at Indira Camp Begumpur	2.99
		2012	"Renovation of Shishu Vatika at Indira Camp Begumpur	2.99
		2014	EIUS SH: Improvement of existing approach to JJ Cluster at Indira Camp, Begumpur	8.34
		2015	Pay & USe JSC SH : Upgradation and 20 remodelling of seater JSC and additional 21 seats at JJC Indira Camp Begumpur	37.44
		2016	Upgradation of Shishu Vatika and repair of platform at JJC Indira Camp, Begumpur	5.87
		2016	Upgradation of existing BVK at JJC Indira Camp, Begumpur (AC-43)	14.01
		2017	P/L CC Pavement over deteriorated cement concrete improvement and	11.94 (Work

1	2	3	4	5
			raising of drainage system in JJC at Indira Camp, Begumpur (AC-43) (Contractural amount Rs. 32.49 lacs)	held up)
3.	Balmiki Camp Navjeewan Vihar Malviya Nagar	2012	EIUS SH :- Providing and laying Cement Concrete pavements and improvement of drainage system JJC Balmiki Camp, Navjeevan Vihar, Malviya Nagar.	2.12
4.	Jhuggies near Malviya Nagar F-Block Gurudwara behind Metro Station, Malviya Nagar		No work executed	

66. श्री रघुविंदर शौकीन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीयूएसआईबी में कुल 'बस्ती विकास केन्द्रों' की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है।

(ख) इन विकास केन्द्रों की आबंटन नीति क्या है और विगत दस वर्षों में इनसे कितना किराया प्राप्त हुआ है।

(ग) ईआईयूएस योजना के अंतर्गत पूरी की गई पूरयोजनाएं व विगत दस वर्षों में ईआईयूएस योजना के अंतर्गत हुए व्यय का ब्यौरा क्या है।

(घ) डीयूएसआईबी के अंतर्गत कुल कितने 'स्लम कटरा' हैं,

(ङ) डीयूएसआईबी ने कितने कटरों को खतरनाक घोषित करते हुए कार्रवाई की है।

(च) विगत दस वर्षों में स्लम कटरों में ढांचागत सुधार तथा पनर्वास हेतु कितना खर्चा किया गया है, और

(छ) ट्रांसयमुना एरिया डेवलपमेंट तथा पूरी हो चुकी अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत विगत दस वर्षों में प्राप्त धनराशि?

शहरी विकास मंत्री : (क) डीयूएसआईबी में कुल बस्ती विकस केन्द्रों की संख्या 319 है।

(ख) बस्ती विकास केन्द्रों का आवंटन गैर सरकारी संस्था स्वयंसेवी संस्था आदि को किया जाता है जो झुग्गी वासियों के लिए सामाजिक शैक्षणिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत हों। इस आवंटन के लिए लाइसेंस फीस 2 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह और रिफण्डेबल सिक्योरिटी 10 हजार रूपए ली जाती है। 17वीं बोर्ड मीटिंग दिनांक 29/9/2016 के आधार पर बस्ती विकास केन्द्रों का आवंटन स्थगित किया गया है।

डीयूएसआईबी का गठन सन्–2010 में हुआ हैं। उससे पहले इसे सल्म एवं जे जे विभाग के नाम से जाना जाता था। इन दस वर्षों में कुल 1592.06 लाख रुपये किराये के रूप में प्राप्त हैं।

(ग) ईआईयूएस योजना के अंतर्गत पूरी की गई पुरयोजनाओं की सूची बनाने में लगभग एक महीने का समय लगेगा क्योंकि यह सूचना सभी सम्बन्धित कार्यालयों से एकत्र की जायेगी जिसके लिए विभाग को समय दिया। विगत दस वर्षों में ईआईयूएस योजना के अंतर्गत हुए व्यय ब्यौरा संलग्न है। सूची ''क''

(घ) कुल 2423 निर्मित कटरा सम्पतियां हैं।

(ङ) डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अनुसार किसी भी भवन को खतरनाक घोषित करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम के पास है।

(च) डूसिब का गठन सन्–2010 में हुआ जिससे पहले इसे सल्म एवं जे जे विभाग के नाम से जाना जाता था। विवरण संलग्न है। सूची ''क''

(छ) डूसिब का गठन सन्–2010 में हुआ जिससे पहले इसे सल्म एवं जेजे विभाग के नाम से जाता था। विवरण संलग्न है। सूची ''क'' एवं ''ख''

Daily Inspection Report of JSCs

List of Deficient JSCs reported on 04 January, 2018 till 05:57:10 pm for area All

Sl. No.	Details of JSC	Functional	Water	Lighting	Cleanliness	Disp Board	Drainage	O&M	Over All	Comment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Back of Commercial Centre, Mayapuri ID: 28CJ0002 Div: SBM01 Seats: 8 Ag: Socail Skill Vision Society EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) WZE Block Mata Mandir Road Maya Puri.	F	B	A	B	A	A	B	B	Complex is under repair and cleaning found unsatisfactory., No Photo By: 9717999229, at: 04:13 pm
2	ID: 28CJ0004 Div: SBM01 Seats: 43 Ag: Akhil Bhartiya Prayavaran Gramin Vikas Sansthan. EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) WZE Block Kanchan Basti Rewari Railway Line Maya Puri.	F	A	A	B	A	A	B	B	Not found satisfactory, No Photo By: 9717999229, at: 04:17 pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ID: 28CJ0005 Div: SBM01 Seats: 41 Ag: Akhil Bhartiya Prayavaran Gramin Vikas Sansthan. EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) C187 Maya Puri Phase.II.	F	A	A	B	A	A	B	B	Cleaning not found satisfactory. No Photo By: 9717999229, at: 04:08 pm
4	ID: 28MJ0008 Div: SBM01 Seats: 14 Ag: Socail Skill Vision Society EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) Shanker Garden B Block Vikas Puri, Site-1	F	A	A	B	A	A	A	B	The existing MTV is in a verybad condition and need to replace at earliest., Photo: 1 By: 9717999229, at: 03:57 pm
5	ID: 29CJ0017 Div: SBM01 Seats: 31 Ag: Divya Pollution control and Social Organisation EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) Gali No.7 Mahavir Enclave ID:33CJ0021 Div: SBM01 Seats: 20	F	B	A	B	A	A	B	B	The roof tank was found under repair. So there was less water availability. No Photo By: 9717999229, at: 03:43 pm

	Ag: South-West Delhi Educational and Cultural Society									
6	EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) Back of Commercial Centre, Mayapuri, Site-2	F	A	A	B	A	A	B	B	The overall condition is very poor as the JSC is reported under construction. The JSC is running through unauthorized electric meter and today raided by enforcement of electricity deptt.of Delhi as reported by the Pradhan., Photo: 6 By: 9717999229, at: 03:18 pm
7	ID: 28PJ0034 Div: SBM01 Seats: 30 Ag: Delhi Paryavaran Vikas Samiti EE: Sh. Naresh Gera (9717999343) Amar Park Infront of HIL Factory Gate, Petrol Pump, Zhakira	F	B	A	B	A	A	B	B	#*Running through unauthorized electric meter connection.*#, No Photo By: 9717999229, at: 04:11 pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ID: 25PJ0508 Div: SBM02 Seats: 32 Ag: International Social Service Centre EE: Sh. P.D. Ashok (9650298800) Old Cloth Market Raghubir Nagar	F	B	A	A	A	A	A	A	Upgradation Required Work allotted to HPCL for Renovation Boring in progress, No Photo By: 9634858580, at: 04:13 pm
9	ID:27CJ0510 Div: SBM02 Seats: 20 Ag: Social care reforms Soceity EE: Sh. P.D. Ashok (9650298800) IG Camp No. 1 near Sidharth Basti near Hari Nagar Ashram	N							B	The JSC needs extensive repair. The O&M agency contract was terminated. Repair estimate was framed and is in process., No Photo By: 9780184890, at: 03:16 pm
10	ID: 41CJ0659 Div: SBM03 Seats: 21 Ag: M/s Delhi Paryavaran Vikas Samiti. EE: Sh. Phool Singh (9717999275) Madrasi Basti Near Railway Line Jal Vihar	F	B	B	B	A	A	B	B	No Electric connection available, No Photo By: 9717999264, at: 04:38 pm

11	ID: 41PJ0664 Div: SBM03 Seats: 44 Ag: Delhi Paryavaran Vikas Samiti EE: Sh. Phool Singh (9717999275)	N	A	A	B	A	A	B	B	Locked during inspection, No Photo By: 9717999264, at: 04:33 pm
12	Janta Jeewan Camp Tigri Part-II (H-Block) ID-1964 ID: 47CJ0808 Div: SBM03 Seats: 41 Ag: Azad Samajik Sewa Sanstha EE: Sh. Phool Singh (9717999275) Bilas Pur Camp Molar Bandh NTPC ID:53CJ0881 Div: SBM03 Seats: 63	N	A	A	B	A	A	B	A	J.s.c. is closed due to construction of Naltah by SDMC, No Photo By: 9717999275, at: 01:08 pm E.E. May kindly be requested to see it in person and made
13	Ag: Manav Sewa Kalyan Samiti EE: Sh. Phool Singh (9717999275) Nand Lal Camp Near Gopalpur Village (Part-1)	F	A	A	B	A	A	B	B	another arrangement of toilet, No Photo By: 9717999275, at: 03:38 pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ID: 3CJ1008 Div: SBM04 Seats: 6 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) east of 64 khamba	F	B	B	B	A	B	B	B	2 wc broken, No Photo By: 8130596144, at: 03:40 pm Closed due to renovation required Door damaged
15	ID: 21CJ1080 Div: SBM04 Scats:6 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) JJC Shakoor Ki Dandi (Basti Khawaja)	N	B	B	A	A	B	B	B	Electric connection notavailable, No Photo By: 8826397610, at: 02:58 pm
16	ID: 21CJ1081 Div: SBM04 Seats: 4. Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) 64 Khamba Dhobi Ghat No.26, J.N.Marg ID: 21CJ1083 Div: SBM04 Seats: 5	F	B	A	B	A	B	B	B	No meter Street light illuminates to some extent, No Photo By: 9717999325, at: 04:20 pm Local residents Door damaged Floor required repair No electric connection Requiredrenovation,
17	Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma	N	B	B	B	B	B	B	B	No Photo By: 8826397610,

	(9717999325) Pushta Between Old Seemapuri, DLF Dilshad Garden (Indira Nehru Camp Part-II)								at: 03:00 pm 4wc 7 doors broken
18	ID: 62CJ1103 Div: SBM04 Seats: 32 Ag: Arya Bhatt Sewa Sansthan EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) H Block Kalender Colony, Dilshad Garden Part 11	F	A	A	B	A	B	B	B	No Photo By: 9717999180, at: 12:57 pm
19	ID:62CJ1110 Div: SBM04 Seats: 44 Ag: Manav Sewa Kalyan Samiti EE: Sh. K.B Sharma (9717999325)	F	A	A	B	A	B	B	B	16 doors broken, No Photo By: 9717999180, at: 04:04 pm
	Block D 1&2 Nand Nagari (I)	F	A	A	B	A	B	B	B	No electric meter,
20	ID: 63CJ1122 Div: SBM04 Seats: 40 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) Block D 1&2 Nand Nagari (II)									alternate arrangements done, No Photo By: 9717999180, at: 04:49 pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ID: 63CJ1126 Div: SBM04 Seats: 40 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) F1 F2 Sunder Nagari	F	A	A	B	A	B	B	B	No electric meter, alternate arrangements done, No Photo By:,9717999180, at: 01:41 pm
22	ID: 63CJ1127 Div: SBM04 Seats: 84 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) MCD Land Friends colony Gate No.l	F	A	A	B	A	B	B	B	38 wc chocked, No Photo By: 9717999180, at: 01:44 pm
23	ID: 62MJ1138 Div: SBM04 Seats: 14 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) Chander Puri Railway Lines Old Seelam Pur	F	B	B	A	A	A	B	B	Unsatisfactory, No Photo By: 9717999180, at: 04:15 pm
24	ID:61CJ1147 Div: SBM04 Seats: 42 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma	F	A	A	A	B	A	A	A	Partly functioning, renovation work in progress, hence no proper cleaning,

	(9717999325) AGCR Shahdara									No Photo By: 9717999180, at: 04:25 pm
25	ID: 59MJ1221 Div: SBM04 Seats: 10 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) C-Block, Jaina Tower Preet Vihar	F	B	B	B	A	A	B	B	No electric meter No care taker, Photo: 1. By: 9717999325, at: 03:19 pm
26	ID: 59CJ1243 Div: SBM04 Seats: 9 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) Harizan Samiti Near Dispensary Mangal Bazar Mandavali	F	B	B	A	A	A	B	B	Care taker not found and cleaning required, No Photo By: 9818593711, at: 04:46 pm No electricity connection but street lights sufficient, water
27	ID: 58MJ1249 Div: SBM04 Seats: 10 Ag: RWA EE: Sh. K.B Sharma (9717999325) JJ Camp near Farishta Soap Factory, Old Rohtak Road	F	B	A	A	A	A	A	A	line leaking, bib cock damaged & Plumbring work in progress, No Photo By: 8527393465, at: 05:00 pm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ID: 19CJ1303 Div: SBM05 Seats: 20 Ag: Jyoti Samajik Sewa Sansthan EE: Sh. Pardeep Kr. Garg (9717999271) Kalander Colony Part C near Bhalswa Dairy	N	A	A	B	B	A	B	B	Due to renovation work this complex not functional, No Photo By: 9717999305, at: 02:15 pm All performance good, Photo: 1
29	ID: 5CJ1408 Div: SBM05 Seats: 65Ag: Manav Uthan Maha Samiti EE: Sh. Pardeep Kr. Garg (9717999271) JJ Cluster Hoti Camp Rangpuri Pahari	F	A	A	A	A	B	A	A	By: 9953045583, at: 11:58 am
30	ID: 36RJ0549 Div: SBM02 Seats: 20 Ag: YLDA India Pvt Ltd EE: Sh. P.D. Ashok (9650298800) JJ Cluster Israel Camp Rangpuri Pahari	F	A	A	B	A	A	A	A	Satisfactory, No Photo By: 9717999186, at : 03:33 pm
31	ID: 36RJ0550 Div: SBM02	F	A	A	B	A	A	A	A	Satisfactory, No Photo

	Seats: 2031 Ag: YLDA India Pvt Ltd EE: Sh. P.D. Ashok (9650298800) Sanjay Colony Mehrauli - Bhatti Mines near dispencery									By: 9717999186, at: 03:34 pm
32	ID: 46RJ0914 Div: SBM02 Seats: 50 Ag: YLDA India Pvt Ltd EE: Sh. P.D. Ashok (9650298800)	F	A	B	A	A	A	A	A	Satisfactory, No Photo By: 9717999186, at: 03:20 pm

67. श्री रघुविंदर शौकीन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के सुधार के लिए डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) विगत दस वर्षों में 'एम.एल.ए. लैंड' योजना के अंतर्गत डी.यू. एस.आई.बी. द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में फ्री होल्ड योजना के संशोधित जे.जे.आर. तथा इनके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(घ) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा लागू की जारी ब्याज/दंड में छूट की योजना क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन के बाद कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

शहरी विकास मंत्री : (क) विगत दस वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के सुधार के लिए डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा 26.03.2018 तक उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा।

(ख) विगत दस वर्षों में 'एम.एल.ए. लैंड' योजना के अंतर्गत डी.यू. एस.आई.बी. द्वारा खर्च की गई धनराशि तथा पूरी की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा 26.03.2018 तक उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास रहेगा।

(ग) वर्ष 2013 में लागू फ्री होल्ड योजना के अंतर्गत 89 संपत्तियों को फ्री होल्ड किया गया है। संशोधित फ्री होल्ड नीति सरकार के विचाराधीन है।

(घ) स्पेशल रजिस्ट्रेशन योजना–1985 के तहत आवंटित मकानों में से 50% मकान हायर परचेज के अंतर्गत आवंटित किये गये हैं। जिसमें से किस्तें समय पर ना चुकाने वालों के खिलाफ 48% साधारण ब्याज का प्रावधान था जिसे बोर्ड के अनुमोदन के बाद ''पैनाल्टी वेवर'' योजना के अन्तर्गत ब्याज के दर को 48% से घटाकर 12% किया गया है उसके उपरांत ब्याज दर को पुनः घटाकर 12% से 7% किया गया है। यह योजना विभाग द्वारा पांच चरणों में लागू की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. 01.09.2013 से 31.03.2014
2. 01.10.2014 से 31.03.2015
3. 01.11.2015 से 30.06.2016
4. 01.03.2017 से 31.08.2017
5. 01.11.2017 से 30.04.2018

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत विभाग को अभी तक कुल 1394.66 लाख रुपये का राशि प्राप्त हुई है।

68. श्री जितेन्द्र तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दि.श.आ.सु.बो. के खाली पड़े फ्लैटों के रख–रखाव व सुरक्षा पर होने वाले वार्षिक व्यय का वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) इस प्रक्रिया में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) दि.श.आ.सु.बो. में खाली पड़े प्लाटों का वर्ग मीटर के हिसाब से क्षेत्रफल के अनुसार विवरण क्या है, तथा ये प्लाट कब से खाली पड़े हैं;

(घ) इस खाली पड़े प्लाटों सदुपयोग हेतु कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का पद नाम क्या है;

(ङ) आज की तारीख में इन खाली पड़े प्लाटों का मूल्यवार विवरण क्या है;

(च) चार दिवारी, प्रत्यक्ष या एजेंसियों के मार्गपत तैनात कर्मचारियों के वेतन सहित प्लाटों की सुरक्षा व रखरखाव पर हुए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(छ) आज की तारीख में दि.श.आ.सु.बो. की भूमि तथा अच–अचल कुल संपत्तियों सहित कुल परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ज) कुल लागत व आवंटन के बाद देय राशि की वसूली संबंधी राशि के कुल ब्यौरे सहित विभिन्न धर्मार्थ संगठनों, गैर सरकारी संस्थानों व सरकारी संगठनों को आवंटित भूमि का विवरण क्या है;

(झ) उक्त गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों के नाम क्या है;

(अ) डी.एम.आर.सी. को हस्तान्तरित भूमि का वर्षवार ब्यौरा व बदले में वसूली गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इस हस्तांतरण व वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ट) दिल्ली सरकार को मौहल्ला क्लीनिकों के लिए हस्तांतरित भूमि का और बदले में कोई राशि वसूली गयी तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) वार्षिक रख–रखाव के व्यय का विवरण इस प्रकार है :

1. वर्ष 2013–2014	11.32 लाख
2. वर्ष 2014–2015	5.17 लाख
3. वर्ष 2015–2016	10.22 लाख
4. वर्ष 2016–2017	34.98 लाख
5. वर्ष 2017–2018	33.75 लाख
कुल व्यय–	95.44 लाख

(ख) दिल्ली सरकार की स्कीम के अनुसार दि.श.आ.सु.बो. के संबंधित अधिशासी अभियंता अधिकारियों के द्वारा यह रख–रखाव किया जाता है।

(ग) वर्ष 2014 में ली गई जानकारी के अनुसार 1127 भूखण्ड खाली हैं, जिसकी लिस्ट संलग्न है। (संलग्नक–1) जो प्लाट खाली पड़े हैं व उस स्थान के योजनागत विकास के समय से खाली हैं।

(घ) नियमों के तहत एवं भू–उपयोग के अन्तर्गत बोर्ड तथा सक्षम अधिकारी निर्णय लेते हैं।

(ङ) उपरोक्त संलग्नक–1 में सर्किल रेट के आधार पर मूल्य दिया गया है।

(च) यह जानकारी एक माह में एकत्रित करके उपलब्ध करा दी जायेगी। कृपया इसके लिए समय प्रदान किया जाए।

(छ) विभिन्न योजनाओं की भूमि का विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है तथ अन्य चल–अचल संपत्तियों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है जिसे तीन माह में एकत्रित करके उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ज) बोर्ड के संस्थापन के बाद किसी भी गैर सरकारी संस्था व धर्मार्थ संगठन को दि.श.आ.सु.बो. द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। यद्यपि कुछ भूमि का सरकारी संगठन/सरकारी विभागों को आवंटन किया गया है जिसकी सूची राशि सहित सलग्न है। (संलग्नक–3)

(झ) सरकार/बोर्ड के निर्णयानुसार आवंटन किया जाता है। इस प्रक्रिया मे किसी विशिष्ट अधिकारी की संलिप्तता को इंगित नहीं किया जा सकता है।

(अ) डी.एम.आर.सी. को हस्तान्तरित भूमि का वर्षवार ब्यौरा व बदले में वसूली गई राशि का ब्यौरे की सूची संलग्न है। (संलग्नक–4)

सरकार/बोर्ड के निर्णयानुसार भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तथा इस इस प्रक्रिया मे किसी विशिष्ट अधिकारी की संलिप्तता को इंगित नहीं किया जा सकता है।

(ट) दिल्ली सरकार को मौहल्ला क्लीनिकों के लिए उपयोग हेतु अस्थायी तौर पर दी गई भूमि का हस्तांतरण कैबिनेट निर्णय, दिल्ली सरकार के आधार पर बिना कोई राशि वसूले किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है। (संलग्नक–5)

Abstract of Vacant Plots Above 100 Sqm.

Sl. No.	Sub Head	No. of Plots	Area	Remarks
1	SRS	150	984196	
2	JJR	103	527327	
3	Tenements	14	56477	
4	Others	24	48888	
	Total	291	1616888	404 Acre

Vacant Land / Plots above 100 Sqm of DUSIB, GNCT

SRS

Sl. No.	Div.	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No.	Name of MLA	Name of SRS	Location	Size/ Area (Sqm.)	Cate-gory	Current Circle Rate per sqm (in Rs.)	Land use	Proposed use by DUSIB	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-B	444	H	23280	Religious	Religious Building & Other community facilities	To be Allotted as per policy
2	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-B	1000	-	-	Tot lots	Tot lots	To be developed as green
3	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-B	165	H	69840	Commr	Shops Near STP	To be Auctioned
4	C-l	Pk Singh (9717999137")	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-B	120	H	69840	Commr	Shops Near UGR	To be Auctioned
5	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-D	165	H	69840	Commr	Shops	To be Auctioned
6	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-E	400	H	46560	Maternity Home	Maternity Home	To be Auctioned/ Alloted
7	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-E	3600	H	23280	CFC	C, Hall	To be Constructed by DUSIB

8	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-E	926	H	23280	CFC	C. Hall	To be Constructed by DUSIB
9	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-E	1140	H	23280	Site Office	Site Office	To be Constructed by DUSIB
10	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-E	1000	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned
11	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block G	551	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned
12	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block H	254	H	23280	ESS	ESS	To be Allotted
13	C-l	Pk Singh (9717999 137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.-I, Dwarka	276	D	383040	Commr	Shops	To be Auctioned
14	C-1	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.-I. Dwarka	187	D	127680	CFC	Communiry Hall	To be Constructed by DUSIB
15	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3. Ph.-I, Dwarka	165	D	383040	Commr	Shops	To be Auctioned
16	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3. Ph.-I, Dwarka	264	D	383040	Commr	Shops	To be Auctioned
17	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.-I. Dwarka	933	D	127680	CFC		To be Constructed by DUSIB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	C-l	Pk Singh (97 17999 137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.-II, Dwarka	280	D	383040	Commr	Shops	To be Auctioned
19	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector 3, Ph.-II, Dwarka	270	D	383040	Commr	Shops	To be Audioned
20	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph -II, Dwarka	787	D	127680	CFC		To be Constructed by DUSIB
21	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.-III, Dwarka	970	D	127680	Night Shelter	Night Shelter	To be Constructed by DUSIB
22	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-3, Ph.- III. Dwarka	2544	D	127680	Resi	Housing under RAY	To be Auctioned
23	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sehyog Vihar (Site 1)	387	D	383040	Commr	CSC	To be Auctioned
24	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sehyog Vihar (Site 2)	115	D	383040	Cortimr	Shops	To be Auctioned
25	C-l	Pk Singh (97179991371)	34 Matiala	Sh, Gulab Singh	Dwarka	Sector -9 Dwarka	657	D	127680	Night Shelter	Night Shelter	To be Constructed by DUSIB
26	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-16B Dwarka, near kakrola Village	1302	D	127680	Night Sheter	Night Sheter	To be Constructed by DUSIB

27	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-20 Dwarka	2000	D	127680	Night Sheter	Night Sheter	To be Constructed by DUSIB
28	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Settor-16B Dwarka	497	D	127680	CFC	JNNURM (736)	To be Constructed by DUSIB
29	C-1	Pk Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sector-16B Dwarka	791	D	127680	CFC	JNNRUM (980)	To be Constructed by DUSIB
30	C-1	Pk Singh (9717999137)	37 Palam	Ms.Bhavna Gaur	Dwarka	Sector-1, Dwarka (Community Services-1)	172	D	383040	Commr	CSC	To be Auctioned
31	C-1	Pk Singh (9717999137)	37 Palam	Ms.Bhavna Gaur	Dwarka	Sector -1, Dwarka (Community Services-2)	672	D	383040	Commr	CSC	To be Auctioned
32	C-l	Pk Singh (9717999137)	37 Palam	Ms.Bhavna Gaur	Dwarka	Sector -7, Dwarka (Community Services-1)	120	D	383040	Commr	CSC	To be Auctioned
33	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I & II	Pocket Z-l	4424	H	23280	Affordable Housing	Vacant Land 1.09 Acre	To be Decided for EWS or Affordable Housing
34	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I & II	Pocket Z-2	3844 55.93	H	23280	Affordable Housing	95.36 Acre (386030.93 - 1575) = 384455.93 (Allotted to CNG Petrol Pump	To be Decided for EWS or Affordable Housing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I & II	Pocket Z-3	15960	H	23280	Affordable Housing	Vacant Land 3.94 Acre	To be Decided for FWS or Affordable Housing
36	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I & II	Pocket Z-4	12944	H	23280	Affordable Housing	Vacant Land 3.2 Acre	To be Decided for EWS or Affordable Housing
37	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-1 & II	Pocket Z-5	8562	H	23280	Affordable Housing	Vacant Land 2.12 Acre	To be Decided for EWS or Affordable Housing
38	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-A	840	H	46560	Petrol Pump	Petrol Pump	To he Auctioned
39	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-B	989	H	69840	Commr	CSC 988.76 (1052.76 64.00)	To be Auctioned
40	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-B	2066.32	H	69840	Commr	LSC	To be Auctioned
41	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-G	703	H	69840	Commr	CSC (766.80-64.00) = 702.80	To be Auctioned
42	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-H	2209	H	46560	Nursing	Nursing Home	To be Auctioned
43	C-2	Satish Sharma	8 Mundka	Sh.Sukhvir	Savda	Block-H	820	H	69840	Commr	CSC	To be

		(9717999 154)		Singh	Ghewra Ph-I							Auctioned
44	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-H	1547	H	46560	LPG Goc	LPG Godown	To be Auctioned
45	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-K	405	H	46560	For Tax	For Taxi Stand	To be Auctioned
46	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-K	224	H	46560	OCF	OCF	To be usedas/ requirement
47	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-L	1063	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned
48	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	1460	H	69840	Commr	Hawker Market	To be Auctioned
49	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	140	H	46560	OCF	OCF	To be usedas/ requirement
50	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	1403	H	46560	PolyClir	Poly Clinic	To be Auctioned/ Allotted
51	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	2003	H	69840	Commr	LSC	To be Auctioned
52	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-0	721	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-H near Site Office	3767	H	69840	Commr	LSC	To be Auctioned
54	C 2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-I	1228	H	69840	69840	CSC	To be Auctioned
55	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-E	1994	H	69840	69840	LSC	To be Auctioned
56	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-A	630	H	23280	ESS	ESS	To be
57	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-A	504	H	23280	Dispens	Dispensary	To be
58	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-C	322	H	46560	Religious Building	Unauthorized enroached by RWA by construct temple on it.	To be regularised as per policy
59	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-1	Block-D	1891	H		UGR	2021-130.11 = 1890.89 For UGR. 130.11 sqm Hande dover to D|B for drinking water plant.	Handed over to DJB

60	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-G	5.00	H	46560	RB	2 Nos. RB @ 250	To be alotted as policy
61	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-I	631	H	23280	Dispens	Dispensary	To be Allotted
62	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-K	554	H	23280	Post Off	Post Office	To be Allotted
63	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-K	3064	H	23280	DTCTer	DTC Terminal	To be Allotted
64	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-L	420	H	23280	Dispens	Dispensary	To be Allotted
65	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-L	2485	H	23280	Pr- Sch	Pr Sch	To be Allotted
66	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	5143	H	23280	HSS	HSS	To be Allotted
67	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	5032	H	23280	HSS	HSS	To be Allotted
68	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8	Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	250	H	46560	Religious Building	Unauthorized enroached by RWA by construct temple on it.	To be regularised as per policy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	701	H	23280	Telegraf	Telegraph	To be
70	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	701	H	23280	Post Office	Post Office	To be
71	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	2294	H	23280	Pr Sch	Pr Sch	To be
72	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	5520	H	23280	use	HSC	To be
73	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-N	1502	H	23280	UGR/P	UGR/Pump House	To be
74	C-2 Allotted	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-0	576	H	23280	Dispensary	Dispensary	To be
75	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-0	275	H	46560	Religious Building	Unauthorized enroached by RWA by construct temple on it.	To be regularised as per policy

76	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-0	2345	H	23280	Pr Sch	Pr Sch	To be Allotted
77	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-E	1846	H	23280	SS Sch	SS Sch	Allotted to Edu. Dept.
78	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-D	673	H	23280	Composit facility centre	Composit facility centre	To be Constructed by DUSIB
79	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-F	765	H	23280	Composit facility centre	Composit facility centre	To be Constructed by DUSIB
80	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-F	782	H	23280	Composit facility centre	Composit facility centre	To be Constructed by DUSIB
81	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-B	200	H	46560	KB	RB	To be Allotted
82	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-F	900	H	23280	School	School	To be Allotted
83	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-A	3449	H	23280	Hospital	Hospital	To be Allotted
84	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-G	2189	H	23280	School	School	Allotted to Edu. Dept.
85	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-G	474	H	46560	RB	RB	To be Allotted

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-C,	193	H	46560	RB	RB	To be Allotted
87	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block F	180	H	46560	RB	RB	To be Allotted
88	C-2	Satish Sharma (9717999154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-D	318	H	46560	RB	RB	To be Allotted
89	C-2	Satish Sharma (9717999 154)	8 Mundka	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-I	882	H	23280	School	School	To be Allotted
90	C-5	SK Varshney (9717999 192)	54 Okhla	Amanatullah Khan	Madanpur Khadar Ph-III		1176	G	46200	Dispensary	Dispensary	To be Allotted
91	C-5	SK Varshney (9717999 192)	54 0khla	Amanatullah Khan	Madanpur Khadar Ph-III	312	G	46200		ESS	ESS	To be Allotted
92	C-5	SK Varshney (9717999 192)	54 Okhla	Amanatullah Khan	Madanpur Khadar Ph-III	400	G	46200		ESS	ESS	To be Allotted
93	C-5	SK Varshney (9717999 192)	54 Okhla	Amanatullah Khan	Madanpur Khadar Ph-III	Site-2	596	G	138600	Commr	CSC	To be Auctioned
94	C-5	SK Varshney (9717999 192)	54 Okhla	Amanatullah Khan	Madanpur Khadar Ph-III	Site-1	225	C	138600	Commr	Fair Price Shop	To be Auctioned

95	C-6	OP Paruthi (9717999345)	53 Badarpur	Sh.Narayan Dutt Sharma	Gautampuri Ph-I	Near STP Plant	495	G	138600	Commr	informal shopping center	To be Auctioned
96	C-6	OP Paruthi (9717999345)	53 Badarpur	Sh. Narayan Dutt Sharma	Gautampuri Ph-I	near Mother dairy	495	G	138600	Commr	informal shopping center	To be Auctioned
97	C-6	OP Paruthi (9717999345)	53 Badarpur	Sh. Narayan Dutt Sharma	Gautampuri Ph-II	block B	577	G	138600	Commr	informal shopping center	To be Auctioned
98	C-6	OP Paruthi (9717999345)	53 Badarpur	Sh. Narayan Dutt Sharma	Gautampuri Ph-I & II	Shop Plots (5 locations)	740	G	138600	Commr	Shops 148 Sqm each	To be Auctioned
99	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Block C-5	697.60	G	138600	Commr	Hawkers Market	To be Auctioned
100	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Block A-2	990	G	138600	Commr	Hawkers Market	To be Auctioned
101	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket A at Bhalswa	47920	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
102	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket B at Bhalswa	50127	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
103	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket C at Bhalswa	7250	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
104	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket D at Bhalswa	10132	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket E at Bhalswa	26311	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
106	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket F at Bhalswa	51182	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
107	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket G at Bhalswa	6254	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing. Court Case in Part plot Demarcation is to be done.
108	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket H at Bhalswa	19244	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
109	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket I at Bhalswa	149764	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
110	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket J at Bhalswa	3577	G	46200	Resi	To be Used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
111	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket K at Bhalswa	9707	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing
112	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket L at Bhalswa	3160	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing	To be used for EWS Housing Court Case
113	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Bhalswa, Jahangirpuri, Ph-I	Pocket M at Bhalswa	15466	G	46200	Resi	To be used for EWS Housing.. For	To be used for EWS Housing For De-

											Deaddiction centre	addiction centre
114	C-12	Kamal Singh 9717999 165	6 Rithala	Sh. Mohinder Goyal	Rohini, Ph-III, Sector-23	Abutting 9.0m road	120	E	210240	Commr	CSC	To be Auctioned
115	C-12	Kamal Singh 9717999 165	6 Rithala	Sh. Mohinder Goyal	Rohini, Sector-26	21 Nos. @ 10 (2.5x4.0) Sqm (At three sites)	210	E	210240	Commr	Shops	To be Auctioned
116	C-12	Kamal Singh 9717999 165	6 Rithala	Sh. Mohinder Goyal	Sec-23. Rohini	Sec-23, Rohini	30000	E	70080	Resi	Housing under Planning total area 3.29 hac, 0.29 hac. Under enchroach-ment & not acquired from DDA	to be decided for EWS/ Affordable Housing
117	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-I	Block ACSC-2	594	H	69840	Commr	CSC(One Milk Booth existing in One Corner)	To be Auctioned
118	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-I	Block B	935	H	69840	Commr	LSC (Two no. Shops exists in this plot)	To be Auctioned
119	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-I	Block C CSC-1	750	H	69840	Commr	CSC (partialy encroached by One Kali Mandir and two juggies exist)	To be Auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-1	Block C	730	H	698404	Commr	Howkers Mkt (One pump house and some trees exist in this plot)	To be Auctioned
121	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan. Ph-II	Block B Abul 13.5m Road	696	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned
122	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh. Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-II	Block B Opp Plot 2701 to 2718	1547	H	69840	Commr	l.SC	To be Auctioned
123	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-II	Block B Opp Plot 1527 & 1617	1120	H	69040	Commr	LSC	To be Auctioned
124	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan, Ph-II	Block B Opp Plot 17&86	896	H	69840	Commr	CSC (Partialy encroached by One Temple and one milk booth eexist)	To be Auctioned
125	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Kalan', Ph-II	Block B Opp Plot 2682 & 2665	1251	H	69840	Commr	Howkers Mkt	To be Auctioned

126	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh.Sharad Kumar	Holambi Khurd	Opp Plot 524, 525, 588, 589	485	H	69840	Commr	Howkers Mkt (Fully encroached by Mandir ad Masjid)	To be Auctioned
127	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block A Opp Plot 1. 72.73 & 144	588	H	69840	Commr	CSC	To be Auctioned
128	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block B Opp Plot 733, 782, 789 & 832	1550	H	69840	Commr	LSC (Fully encroached by buggies)	To be Auctioned
129	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block B Opp Plot 885 to 904	1400	H	69840	Commr	LSC (One milk booth exist)	To be Auctioned
130	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block B Opp Plot 15 to 28	1920	H	69840	Commr	Howkers Mkt (Encroached by Mandir)	To be Auctioned
131	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block D Opp Plot 1417 to 1424	562	H	69840	Commr	CSC (Encroached by Mandir)	To be Auctioned
132	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	Bawana	Block E Opp Plot 2424 to 2432	671	H	69840	Commr	CSC (Fully encroached by Masjid)	To be Auctioned
134	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	Narela Sec-A-6	Pkt-4, Bet Plot No. 1292 & 32	518	H	69840	Commr	CSC	Already auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Pkt.-II Sector-A-6	486	H	69840	Commr	SP Addl. Info Shop 250x400 m x6 Nos. R. Shop 3.00x4.00 m x 7 Nos. Stalls 1.80x2.45 m x12	To be Auctioned
136	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-10	Pkt.-07 Sector-A-10	561	H	39840	Commr	SP Addl Info. 5 shop @2.50x4 0m7 R. Shop 3.00x4.00 m 2 Milk Booth 5.0x5.05 Stall plots 1.80 x 2.45 m 2 Shop 3.00 x 4.50m (two nos. trees exist in shop plots)	To be Auctioned
137	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-10	Pkt.-07 Sector-A-10	609	H	69840	Commr	Hawker market	To be Auctioned
138	C 12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-5	Pkt.-08 Sector-A-5	182	H	69840	Commr	SP Addl. Info. 13nos. Shops@2.50x 4.00 m 2 nos. Ration shop @3.00x4.50m	To be Auctioned

											1 no. Milk Booth@ 5.00x5.00m	
139	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A 5	Pkt.-08 Sector-A-5	502.85	H	69840	Commr	Hawker market (Encroached by Masjid)	To be Auctioned
140	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Pkt.-04 Sector-A-6	105	H	69840	Commr	SP Addl. Info, 8 nos. Shops@2.S0x 4.00 m 1 nos. Milk Booth @5.00x5.00m (Partialy encroached)	To be-Auctioned
141	C-12	K.K. Sharma (9717999 266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Pkt.-04 Sector-A-6	440	H	69840	Commr	Howker Mkt.	To be Auctioned
142	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Block-B Opp Plots No. 853 to 864	110	H	69840	Commr	SP DTP 4nos.@2.50x 4.0 m 4nos. SP@3.0x4.0m 2nos.SP@ 3.0x5.0m (Encroached by Khokhas)	To be Auctioned
143	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Block-B	884.50	H	69840	Commr	Shop plots. (31 no. shops size (4.00x 2.50m) one no. Milk booth exist size (5.0x5.0m)	To be Auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	7 Bawana	Sh.Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Block-C	1493.50	H	69840	Commr	Shop plots 18 no. size (2.45xl.80m.), 24 no. size (3.0Gx4.00m) and 12 nos. size (3.00 x 4.50m) milk booth size 5x4.90m to be allotted) 408.00 sqm. under encroa-chment by Sant Nirankari Bhawan (1493.50-408.00 = 1085.50 Sqm)	To be Auctioned
145	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Pkt.-05 Sector-A-6	324	H	69840	Commr	SP Addl. Info. 14 nos. Stall plots@ 1.80x2.45 m 3 Nos. Shop @3.00x4.00m (Partialy encroached)	To be Auctioned
146	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-6	Pkt.-13 Sector-A-6	215	H	69840	Commr	SP Addl Info Total 19 shops@ 2.50x4.00 m (Partialy	To be Auctioned

											encroached and 7 nos. trees comes in alignment of shop plots)	
147	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh. Ved Prakash	SRS Narela. Sec-A-6	Pkt -13 Sector-A-6	326.32	H	69840	Commr	Hawker market	To be Auctioned
148	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	1 Narela	Sh.Ved Prakash	SRS Narela, Sec-A-5	Pkt.-14 Sector-A-5	296	H	69840	Commr	Hawker market (Encroached by Tample)	To be Auctioned
149	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	07, Bawana	Sh.Ved Prakash	Sec-24, Rohini	E Block	1800	H	69840	Commr	CFC (Partialy encroached)	To be Auctioned
150	C-12	K.K. Sharma (9717999266)	07, Bawana	Sh. Ved Prakash	Sec-25, Rohini	B Block	1250	H	69840	Commr	CFC (Vacant)	To be Auctioned
		Total					984196					

JJR

Sl. No.	Div.	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No.	Name of MLA	Name of JJR	Location	Size/ Area (Sqm.)	Cate-gory	Current Circle Rate per sqm (in Rs.)	Land use	Proposed use by DUSIB	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	C-1	Pk Singh (9717999137)	33Dwarka	Sh. Gulab Singh	Manglapuri	Ph-I	416	D	383040	Shops	Shops	To be auctioned
2	C-1	Pk Singh (9717999 137)	33Dwarka	Sh. Gulab Singh	Manglapun	Ph-II	768	D	383040	Shops	Shops	To be auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 Vikas Puri	Mahinder Yadav	Hastsal	Hastsal	3058	D	127680	School	School	Proposed for construction of school by DUSIB as deposit work
4	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh.Sandeep Kumar	Sultanpuri	At P-2 nearC/Hall Sultanpuri	4465	G	46200	Resi	Resi (Housing for registration scheme 1985)	To be Auctioned RG
5	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh.Sandeep Kumar	Sultanpuri	At P-3 (Coal Depot) Sultanpuri	9200	G	46200	Resi	Resi (Housing for registration scheme 1985)	To be Auctioned RG
6	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	At Jalebi Chowk Sultanpuri Site -13	52985	G	138600	Commr	Community Centre	To be Auctioned RG
7	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	At F-6 Sultanpuri Site -1	1200	G	46200	Resi	Resi	To be allotted To be Decided for Public Facility
8	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh.Sandeep Kumar	Sultanpuri	Between Block E & DSite -3	5060	G	46200	JSC	Park	Park
9	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh.Sandeep Kumar	Sultanpuri	Between Block E & D Site -4	3740	G	46200	Police Station	Police Station	To be allotted to Delhi Police
10	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	D-3 Block Sultanpuri Site -5	6800	G	138600	Commr	LSC	To be Auctioned RG

11	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	A-1 Block Jalebi Chowk Sultanpuri Site -12	30560	G	46200	Hospital	Hospital	To be allotted Developed Park
12	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	Nursery Schools in all Blocks Sultanpuri (27 nos.)	32400	C	46200	Nursery School	Nursery School 27x1200 Sqm	To be Allotted to Education Deptt GNCTD
13	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	C-10 Block Sultanpuri Site-9	22960	G	46200	Resi Green	Vacant Plot Partial Non working	Partially 9945 sqm for EWS Housing and rest Park
14	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	10 Sultanpur Mazra	Sh. Sandeep Kumar	Sultanpuri	Between B-2 and A-4 Sultanpuri Site 10	12600	G	46200	Resi Green	Park	Park
15	C-3	K.K. Sharma (9717999 266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Commr plot opposite C/ Hall ABC Block near Kala Mandir Mangolpuri.	28300	C	138600	Commr	Community Centre	
16	C-3	K.K. Sharma (9717999 266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Commr plot in LSC at 0/ N Block Mangolpuri	924	G	138600	Commr	LSC	
17	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Plot in U Block Mangolpuri (Site no. B-5)	10393	G	46200	Rest	Developed Park	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	U Block Mangolpuri adjoining site no. B 5	3306	G	46200	Sr Sec. School	Planning for EWS Housing	
19	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Commr plot of LSC at F Block Mangolpuri	368	G	138600	Commr	LSC	
20	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Commr plot of LSC at A Block Mangolpuri. (Part-I)	1307	G	138600	Commr	LSC	
21	C-3	K.K. Sharma (9717999266)	12 Mangol puri	Ms. Rakhi Bidlan	Mangolpuri	Commr plot of LSC at A Block Mangolpuri. Part-ID	578	G	138600	Commr	LSC	
22	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	B-Block, Madipur Near B-815/2	208	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
23	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madjpur	B-Block, Madipur Near B-658 (Near Park No.2)/2	204	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
24	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	B-Block, Madipur Near B-	210	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement

						571/2						Pertains to JJR Section
25	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	B-Block, Madipur Near B-579	106	C,	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
26	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	D-Block, Madipur Opp Ravidas Mandir B-Block	144	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
27	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	D-Block, Madipur Opp. D-375 (Health Centre Delhi Govt.)	144	C	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
28	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	B-Block, Madipur B-877 (Khatik Mandir)/2	217	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
29	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	C-Block, Madipur (C-7)	104	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
30	C-4	SC Sharma (9717999 154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	C-Block, Madipur Near (C 44 & B-993)/2	228	C	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requiremenl Pertains to JJR Section

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	A-Block, Madipur Near (A 289)/2	199	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
32	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Between M-229 & M-263	107	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
33	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Between C-232 & N-162	255	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
34	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Between P-216& P-219	115	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
35	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Near P-223	111	C	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
36	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh Girish Soni	Madipur	Between P-182 & P-208	175	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement pertains to JJR Section

37	C-4	SC Sharma (9717999 154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	R-383	330	G	46200	Resi	Facility	To be Derided as per requirement pertains to JJR Section
38	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	K-293 & L-64	130	C	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
39	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	K-200& L-59	130	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
40	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	M-283 & M-272	106	G	46200	Resi	Facility	To be Decidad as per requirement Pertains to JJR Section
41	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	M-403	107	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section
42	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26	Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	P-73&P-64	257	G	46200	Resi	Facility	To be Decided as per requirement Pertains to JJR Section

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	16 Tri nagar	Sh. Jitender Singh Tomar	Shakurpur	Shakurpur JJ Colony/6 Plots	3253	E	70080	Public Utility	To be used as CFC Shakurpur JJ Colony	To be Decided as per requirement
44	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	25 Moti nagar	Sh.Shiv Charan Goel	Moti Nagar	Plot No. 25 & 26 Karam Pura/1	2321	E	70080	Office Building	Office Building	Office Building
45	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	N-Block Raghubir Nagar/1	1889 9.30	G	46200	Commr	Community Centre	To be Auctioned RG
46	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Rohtak Road Near Ambedkar Park/1 Kh No. 824/825	3415			Not Spd	Court case	To be decided after court decision
47	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Land Near Pocket-2 Paschim Puri	2677			Green	Green	Green
48	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Land at 552 Slum teneme-nts at Madipur	732	G	138600	Commr	CSC	To be Auctioned RG
49	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20	37029	D	383040	Semi public institutional	Habitate Centre	To be Auctioned RG

50	C-4	S.C. Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot NO. 17a	7139	D	383040	Commr	Hotel/ Commercial/ Multiplex	To be Auctioned RG
51	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No 17b	7352	D	383040	Commr	Hotel/ Commercial/ Multiplex	To be Auctioned RG
52	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 21a	5395	D	383040	Commr	Commr	To be Auctioned RG
53	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 21b	5824	D	383040	Commr	Commr	To be Auctioned RG
54	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 22a	4484	D	383040	Commr	Commr	To be Auctioned RG
55	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 22b	4536	D	383040	Commr	Commr	To be Auctioned RG
56	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 24a	4212	D	383040	Commr	Commercial/ Multiplex	To be Auctioned RG
57	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Rajagarden	District Shopping Centre Plot No. 24b	4212	D	383040	Commr	Commercial/ Multiplex	To be Auctioned RG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	C-4	SC Sharma (9717999154)	27 Rajouri Garden	Sh. Jarnail Singh	Khyala	A Block, Khyala (L.S.C)	1807.61	G	138600	Commr	LSC	To be Auctioned RG
59	C-4	SC Sharma (9717999154)	27 Rajouri Garden	Sh. Jarnail Singh	Khyala	Land Between K-Block Shyam Nagar and Shikari Bhatia	5688.00	G	138600	Commr	Community Centre	To be Auctioned RG
60	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	-	Raja Garden	District Centre plot No 14	216	D	383040	Utility	-	-
61	C-6	OP Paruthi (9717999345)	48 Ambedkar Nagar	Sh. Ajay Dutt	Dakshinpuri	Vacant Land behind police station Dakshinpuri Block-2	5000	G	46200	Resi/Toilet Block	Resi/Toilet Block	To be Decided
62	C-6	OP Paruthi (9717999345)	48 Ambedkar Nagar	Sh. Ajay Dutt	Dakshinpuri	Vacant Land near Dhobi Ghat Dakshinpuri, Block 5	2000	G	46200	Resi/Toilet Block	Resi/Toilet Block	To be Decided
63	C-6	OP Paruthi (9717999345)	48 Ambedkar Nagar	Sh. Ajay Dutt	Dakshinpuri	Vacant Land opp police station Ambedkar Nagar	1600	G	46200	Resi	Resi	To be Decided
64	C-6	OP Paruthi (9717999345)	48 Ambedkar Nagar	Sh. Ajay Dutt	Dakshinpuri	Vacant Land near JJC Sanjay Camp. Dakshinpuri	8000	G	46200	Resi	Resi	EWS Housing

65	C-6	OP Paruthi (9717999345)	48 Ambedkar Nagar	Sh. Ajay Dutt	Dakshinpuri	Near Mini Subhash camp Dakshin Pun	31000	G	46200	Resi	Under Dispute with DDA	Disputed
66	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	D Block, New Seemapuri	1017	F	56640	Community Facility	Earmarked for C.F.C (Choupal) under TYADB Fund	To be Constructed by DUSIB
67	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	Near JJ plots, New Seemapuri (Opp A Block, Dilshad Colony)	744	F	566401	Community Facility	Earmarked for Choupal under SC/ST Fund	To be Constructed by DUSIB
68	C-8	PK Garg (9717999 271)	62 Shahdra	Sh. Ram Niwas Niwas Goel	Shahdara	Jhilmil Colony, Shahdara (Swayam Sewa Co-operative Group Housing Society)	2402	G	138600	Commr	Earmarked for Convinient Shopping (presently used by society as parking)	Auctioned after removal of Encroach-ment
69	C-8	PK Garg (9717999271)	62 Shahdra	Sh. Ram Niwas Goel	Shahdra	Jhilmil Colony, Shahdara (Swayam Sewa Co-operative Group Housing Society)	C	138600		Commr	Earmarked for Nursery School & Shopping Community Center (presently used by society as parking)	To be Auctioned after removal of Encroach-ment

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	F Block, New Seemapuri	450	F	56640	CFC	Earmarked for Nursery-School	To be Allotted to Edu
71	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	B block, New Seemapuri (Opposite School)	350	-	-	Green	Green belt	Green
72	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	B Block, New Seemapuri (Near JSc & Shishu Vatika)	725	-	-	Green	Green belt, a small temple of 5 sqm exists	Green
73	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Behind Gagan Cinema, Nand Nagri	22390	F	169920	Commr	Community-Centre structure exsiting on this land (i) Night Shelter 170 sqm (ii) Temple-318 sqm (iii) JSC-233 sqm (iv) Dustbin-46 sqm. Total = 767 sqm	To be Auctioned
74	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	E-2 Block, Nand Nagri	2725	F	169920	Commr	Part of existing Purnarvas	To be Auctioned

											Bazaar, Nand Nagri	
75	C-8	PK Garg (9717999271)	65 Seelampuri	Mohd. Ishraque	Seelampur	Land Near Community hall 0 Block, Seelampur	1867	G	46200	CFC	Proposal for multi skill training center, a project of Govt. of India Initiated by DC (North east) MCD as deposite work. There exists 02 nos. MCD Toilet block in abandoned condition and not in use	To be Allotted to concerned
76	C-8	PK Garg (9717999271)	65 Seelampur	Mohd. Ishraque	Seelampur	JB-6, Welcome Seelampur	3109	G	46200I	CFC	Community hall under construction in 185 sqm, there exists toilet block of EDMC, a dhallao, a electric transformer, a maleria office of EDMC.	To be Allotted to concnerned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Abondoned shops at block-27, market Trilokpuri	130	G	138600	Commr	Abandoned/ dilapitated. To be demolished as per permission granted by CEO/DUSIB.	To be Auctioned RG
78	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Abondoned shops at block-6, 7 & 8, Trilokpuri.	370	C	138600	Commr	Abandoned/ dilapitated. To be demolished as per permission granted by CEO/DUSIB.	To be Auctioned RG
79	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-8, near Hr. Sec. School, Trilokpuri.	475	G	46200	JSC	The land has been reitrieved after demolition of abandoned MCDJSC There is not any arrangement of its watch and ward.	Public Facilty as per requirement
80	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-9, Trilokpuri.	1200	G	46200	JSC	The land has been reitrieved afte rdemolition	Public Facilty as per requirement

											of abandoned MCDJSC. There is not any arrangement of its watch and ward	
81	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-10, Trilokpuri. (Abandoned shops)	1200	G	46200	JSC	The land has been reitrieved after demolition of abandoned MCDJSC There is not any arrangement of its watch and ward.	Public Facilty as per requirement
82	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Jhingan	Trilokpuri	Block-26, along BVK, Trilokpuri	1000	-	-	GREEN	Being Booked for social functions	To b Decided for Park
83	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Between block-32 & 34, Trilok-puri.	875	C	46200	JSC	The land has been reiterated after demolition of abandoned MCD-JSC There is not any arrangement of its watch and ward	Public Facilry as per requirement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-19, Trilokpuri.	13350	-	-	Green	Green belt	Green
85	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-25, Trilokpuri	925	G	46200	JSC	The land has been reiterated after demolition of abandoned MCD JSC. There is not any arrangement of its watch and ward	Public Facilty as per requirement
86	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Block-9, along BVK, Trilokpuri.	360	G	46200	JSC	The land has been reiterated after demolition of abandoned MCD JSC. There is not any arrangement of its watch and ward.	Public Facilry as per requirement
87	C-9	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Block-35 extra Trilokpuri	1000	-	-	Green	Being Booked for social functions	To be Decided for Park

88 C-9 Allotted	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Along corner of block-35, extra Trilok-pur	200	G	46200	DJB Pump House Retrieved	Reitreated from aboandend pump house of DJB.	To be to DJB
89 C-9 per	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-5, Khichripur	1100	G	46200	JSC	Open toilet block demolished by MCD.	Public Facility as requirement
90 C-9 Facilty	RR Singla (9717999218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Near Gas Godown at block-1 Khichripur.	300	G	46200	ISC	Open toilet block demolished by MCD	Public as per requirement
91 C-9 per	RR Singla (9717999218)	55 Trilokpuri	Sh Raju Dhingan	Trilokpuri	Near Gas Godown at block-1 Khichripur	1500	G	46200	SC	JSC PU	Public Facility as requirement
92 C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Near SBI at Gazipur Dairy Farm	1700	C	138600	Commr	CSC	To be Auctioned
93 C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Near C/Hall at block-14, Kalyanpuri.	1100	-	-	Green	HT Line Passing	Green
94 C-9 Facilty	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Abandoned JSC near C/Hall at block-14, Kalyanpuri	850	C	46200	JSC	Abandoned JSC not functional.	Public as per requirement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Near Central Market & Pry. School at block-15-16, Kalyanpuri.	2500	C	46200	PSch	P Sch Vacant land DDA sign board exist.	To be allotted to Edu
96	C 9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Opp. Block-3. Khichripur (near MCD Store)	8000	G	138600	Commr	open vacant land passing high tension line. DDA boundary wall (store work). Police Post, Khadi Gramodyog	To be Auctioned RG/To be decided
97	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Trilokpuri	Near Zonal office bldg. block-18. Kalyanpuri.	3500	G	138600	Commr	LSC Only two shop exist.	To be Auctioned RG
98	C-9	RR Singla (9717999 218)	55 Trilok puri	Sh. Raju Dhingan	Himmatpuri	Block-31 (Trilokpuri)	400	G	46200	Resi	Vacant Plot	To be Decided for Auction
99	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	5 Badli	Sh. Ajesh Yadav	Jahangirpuri	Block C Jahangirpuri	475.60	G	138600	Commr	CSC	To be Auctioned
100	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	4 Adarsh Nagar	Sh. Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Jahangirpuri H2 block Adj oining KUSAL Cinema	13500	G	138600	Commr	CSC (Area has provided by architect)	To be Auctioned RG
101	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	4 Adarsh Nagar Sharma	Sh. Pawan Kumar	Jahangirpuri	Jahangirpuri H2 block adjoining	13500	-	-	Green	Park. (Area as provided by Architect)	To be Planned as Park

						Kusal Cinema							
102	C-11		4 Adarsh Nagar	Sh. Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	A-Block Jahangir Puri LSC	17500	G	138600	Commr	LSC (Area as provided by Architect)	LSC Partially vacant. Building materials. PO. Bank etcexisting
103	C-11	Ajay Saxena (9717999 214)	4 Adarsh Nagar	Sh. Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Jahangir puri Block A, Slum Tenameni E-Block	822	G	138600	Commr	CSC	To be Auctioned RG
				Total			527327					

Tenement

Sl. No.	Div.	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No.	Name of MLA	Name of Tenements	Location	Size/ Area (Sqm.)	Cate- gory	Current Circle Rate per sqm (in Rs.)	Land use	Proposed use by DUSIB	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh.Jarnail Singh	Tilak Vihar	Opposite Cremation Ground. Tilak Vihar	10110	F	56640	Resi	Planning for EWS	EWS Housing
2	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh	Tilak Nagar	Near Sanatam Dharam Mandir Tilak Nagar	3590	E	210240	Commr	Community Centre	To be Auctioned

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh.Jarnail Singh	Tilak Vihar	Community Services & Nursary School F-Block Tilak Vihar	2266	F	56640	Housin g	Planning for EWS Commr & Green	EWS Housing
4	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh.Jarnail Singh	Tilak Vihar	Land near CRPF Camp, Tilak Vihar	6270	F	-	Park.	Park.	Park
5	C-1	PK Singh (9717999137)	34 Matiala	Sh. Gulab Singh	Dwarka	Sec-16, B Dwarka	1085	D	127680	School	School	To be allotted to Education Department
6	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh.Praveen Kumar	Nehru Nagar near Apna Bazar	Nehru Nagar near Apna Bazar	1454	E	210240	Commr	H/T Tower exists near plot	To be Decided
7	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh.Praveen Kumar	Near Block-3 Nehru Nagar	Near Block-3 Nehru Nagar	811	E	70080	Resi		To be Decided
8	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh.Praveen Kumar	Hari Nagar Ashram	Hari Nagar Ashram	6283	G	46200	Resi	Resi	Presently MCD Park. Earmarked for EWS Housing 390 Dus@ 690/hac
9	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh.Praveen Kumar	Sarai Kale Khan	Sarai Kale Khan	4500	G	46200	Resi	Planning for Office	Allotted to DMRC for two years. Earmarked for DUSIB Office

10	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh.Praveen Kumar	Lajpat Nagar	Kasturba Niketan	5000	E	70080	Resi	Temporary Parking by Lajpat Nagar Traders Association as per NGT Orders	To be Decided
11	C-5	SK Varshney (9717999 192)	41 Jangpura	Sh. Praveen Kumar	Lajpat Nagar	Kasturba Niketan	7500	E	70080	Resi	Temporary-Parking by Lajpat Nagar Traders Association as per NGT Orders	To be Decided
12	C-5	SK Varshney (9717999 192)	50 Greater Kailash	Sh.Saurabh Bharadwj	Kalkaji	Kalkaji	993	C	319680	Commr Nursing Home	Commr Nursing Home	To be Auctioned
13	C-7		18 Model Town	Sh.Akhilesh Pati Tripathi	Sangam Park	Sangam Park Rly line	4615	D	127680	Resi	2000 sqm for EWS Housing & 2615 sqm for Revenue	EWS housing and Revenue
14	C-7		18 Model Town	Sh.Akhilesh Pati Tripathi	Sangam Park	Sangam Park tenaments	2000	D	127680	Resi	EWS Housing full	EWS Housing
				Total			56477					

Others

Sl. No.	Div.	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No.	Name of MLA	Name of other Location	Location	Size/ Area (Sqm.)	Cate-gory	Current Circle Rate per sqm (in Rs.)	Land use	Proposed use by DUSIB	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	C-3	KK Sharma (9717999266)	11 Nangloi Jat	Sh. Raghuvin-der Shokeen	Jwalapuri	A-Block	8006	D	127680	Resi	E.W.S Housing	EWS in 7100 sqm
2	C-4 Housing	SC Sharma (97179991S4)	27 Rajouri Garden	Sh. Jarnail Singh	Khyala	D-Block Tagore Garden	9673.85	G	138600	Commr	Planning for EWS Housing	EWS
3	C-6 Housing	OP Paruthi (9717999345)	47 Deoli	Sh.Prakash Jarwal	Tigri	In side JJC	5700	C	46200	Rest	Housing under RAY	EWS
4	C-6 Housing	OP Paruthi (9717999345)	47 Deoli	Sh.Prakash Jarwal	Sanjay Camp	Near JJC Sanjay camp	8000	G	46200	Resi	Housing under RAY	EWS
5	C-9 for Utility	RR Singla (9717999 218)	59 Vishwas Nagar	Sh. Omprakash Sharma	Kasturba Nagar	Near Community Hall	420	F	56640	JSC	Retrived by demolition of toilet complex	To be used Public
6	C-9 Decided	RR Singla (9717999 218)	59 Vishwas Nagar	Sh. Omprakash Sharma	Kasturba Nagar	Near Community Hall	1650	-	-	Not Spd	Under charge of DUSIB However title of land un-clear	To be

7	C-9	RR Singla (9717999 218)	60 Krishna Nagar	Sh. S K Bagga	Geeta Colony	Geeta Colony	864	E	56640	Night Shelter	Taken over from DDA for C/o Night Shelter	Night Shelter to be Constructed by DUSIB
8	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No.6774/XV, Kila Kadam Sharif.	105.10	E	70080	Resi	Boundary wall exists	To be Decided for Public Utility as per requirement
9	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 10797/ XV, near Hari Mandir School, Sadar Thana Road.	113.05	E	70080	Rest	Boundary wall exists	To beDecided for Public Utility as per requirement
10	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No. 1153/XV, Main Bazar, Pahar Can)	167.00	E	70080	Rest	Boundary wall exists	To be Decided for Public Utility as per requirement
11	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	18 Tank Road, Behind Community Hall. Karol Bagh	172.75	D	127680	Resi	Boundary wall exists	To be Decided for Public Utility as per requirement
12	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dun	Slum Katra	Prop. No. 333/XVIII, Bagh Kare Khan.	176.90	E	70080	Resi	Boundary wall exists	To be Decided for Public Utility is per requirement
13	C-l 0	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 36-/XIV, Idgag Road.	178.75	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 1576 77/V11, Rodgran, Earash Khana	18000	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
15	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No. 3665/XV Dariba Paan, Pahar Ganj	198.64	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
16	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No 9577-92/XV, Multani Dhanda, Pahad Ganj	204.73	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
17	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No. 9858-61 & 9886-95/XV. Gall No. 5 & 6, Multani Dhanda, Pahad Gani	240.60	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
18	C-10	Shyam Singh (8527295929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No. 9333-35 & 9346-48/XV, Gali No. 7&8, Multani Dhanda, Pahar Ganj	325.77	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
19	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop. No. 3616/XV, Dariba Paan, Pahad Ganj	336.00	E	70080	Resi	Court case pending	To be Decided on decision of the Court
20	C-10	Shyam Singh	22 Ballimaran	Imran	Slum Katra	Prop. No.	417.66	E	70080	Resi	Boundary	To be Decided

		(8527295929)		Hussain		6236-37/XV. Gah Ravi Das. Nabi Karim					wall exists.	for Public Utility as per requirement
21	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Prop No. 4536-39/XV, Daal Mandi, Pahar Ganj	558,00	E	70080	Resi	Boundary wall exists.	To be Decided for Public Utility as per requirement
22	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 202/XV. Basti Tant Wall.	742.00	E	70080	Resi	Two Nos criminal matters and one civil suit pending against the property	To be Decided on Decision of the Court
23	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Plot No.2, 3 & 4, Ram Kumar Marg, Motia Khan.	110300	E	210240	Commr Manufacture & Service Industries	Reconstruc-tion of front boundary wall and c/o three side new boundary wall	To be Auctioned
24	C-10	Shyam Singh (8527295 929)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Vacant Land	Dev Nagar	9354.00	D	127680	Resi	Boundary wall exists. Plot encroached temporarily by jhuggis and rickshaw-pullers. Detailed report already submitted.	EWS Housing
				Total			48888					
				Grand Total			1616888		sq.mt.	404.22	acre	

Abstract of Vacant Plots Below 100 Sqm.

Sl. No.	Div.	SRS	JJR	No/of Plots Tenements/ JNN URM	Others	Total No. of Plots
1	C-1	38	-	49	-	87
2	C-2	29	-	6	-	35
3	C-3	-	-	-	-	-
4	C-4	-	56	-	26	82
5	C-5	-	-	22	-	22
6	C-6	-	-	-	-	-
7	C-7	-	-	-	-	-
8	C-8	-	343	-	-	343
9	C-9	-	-	-	-	-
10	C-10	-	-	-	95	95
11	C-11	120	-	-	7	127
12	C-12	45	-	-	-	45
	Total	232	399	77	128	836

Vacant Land / Plots below 100 Sqm. Under the Jurisdiction of DUSIB

SRS Colonies

Sl. No..	Divi sion	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No./AC Name	Name of MLA	Name of SRS	Location	No. of Plots/ Units	Area of Each Unit sqm	Area (Sqm)	Land use	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C-1	Pk Singh (9717999137)	37 (Palam)	Adarsh Shastri	Dwarka	Sector-7	9	10.00	90 00	Commr	SP 2.50x4.00 m = 10.00
2	C-1	Pk Singh (9717999137)	34 (Matiala)	Adarsh Shastn	Dwarka	Sehyog Vihar (Site 3)	1	47.25	47.25	Commr	(18.90 X2.50) m
3	C-1	Pk Singh (9717999137)	34 (Matiala)	Adarsh Shastn	Dwarka	Sehyog Vihar (Site 4)	1	59.80	59.80	Commr	15,00+ 11.00 X 4.60, 2.00
4	C-l	Pk Singh (9717999137)	34 (Matiala)	Adarsh Shastri	Dwarka	Sehyog Vihar (Site 2)	1	38.52	38.52	Commr	12.40 + 9.00 X 3.602.00
5	C-1	Pk Singh (9717999137)	34 (Matiala)	Adarsh Shastri	Dwarka	Sector-3, Ph.-II. Dwarka	1	99.00	99 00	Commr	
6	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 (Vikas Puri)	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-B	1	80.00	80 00	ESS	Adjoining to OCR 10x8 m
7	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 (Vikas Puri)	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-D	1	80.00	80.00	ESS	Adjoining to Milk booth 9.00X8.90 m
8	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 (Vikas Puri)	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block F	1	89.15	89.15	Commr	Shop Plot @17.83x5.0 m
9	C-1	Pk Singh (9717999137)	31 (Vikas Puri)	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block-D	11	15.00	165.00	Commr	SPDTP(3x5)m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C-l	Pk Singh (9717999137)	31 (Vikas Puri)	Mahinder Yadav	Bakkarwala	Block B	11	13.50	148.50	Commr	12.80 x 7.75 m
11	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-G	1	80.00	80.00	ESS	Public Utility
12	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-I	Block-K	1	80.00	80.00	ESS	PU
13	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-II	Block-M	1	80.00	80.00	ESS	PU
14	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-E	1	80.00	80.00	ESS	PU
15	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Block-L	2	80.00	160.00	ESS	PU
16	C-2	CP Singh (9717999171)	8 (Mundka)	Sh.Sukhvir Singh	Savda Ghewra Ph-III	Ph-III	23	13.50	3.10 50	Commr	Shop Plots (3.0x4.50) m
17	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-2 Block	1	27.28	27 28	Commr	Built up shop in dilapidation condition
18	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-2 Block	2	21.08	42 16	Commr	2 No. Built up shops(S) 21.08 each in dilapidation condition
19	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block	1	20.46	20.46	Commr	Built up shop in dilapidation condition

20	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block	1	21.08	21.08	Commr	Built up shop in dilapidation condition
21	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block	1	25.42	25 42	Commr	Built up shop in dilapidation condition
22	C-11	Ajay Saxena (9717999211)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt.	3	10.00	30 00	Commr	Shop Plots
23	C-11	Ajay Saxena (9717999211)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt.	1	12.00	12 00	Commr	Shop Plots
24	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt.	7	13.50	94 50	Commr	Shop Plots
25	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt.	1	11.25	1125	Commr	Shop Plots
26	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt.	15	4.41	66.15	Commr	Shop Plots
27	C-11	Ajay Saxena (97179992141)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-5 Block Howkers Mkt	3	2.70	8 10	Commr	Shop Plots
28	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block Howkers Mkt.	78	4,41	343 98	Commr	Stall Plots
29	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block Howkers Mkt.	2	13.62	27 24	Commr	Built up Shops
30	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	A-2 Block	1	18.04	18 04	Commr	Built up Shops
31	C 11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-2 Block	2	13.41	26 82	Commr	Built up Shops
32	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	5 (Badli)	Ajesh Yadav	SRS Bhalaswa	C-2 Block	1	17.70	17.70	Commr	Built up Shops

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C-12	PD Ashok (9650298800)	Bawana 7	Sh. Ved Prakash	Sahabad Daulatpur	Old A-Block	2	19.00	38.00	Commr	Built up Shop 3.75x4.0 m = 15Sqm + Ver 3.84x1.05 m = 4 Sqm
34	C-12	PD Ashok (9650298800)	Rithala 6	Sh.Mohinder Goyal	Samaipur Badli (Amar Jyoti Colony)	Amar Jyoti Colony	4	12 00	48 00	Commr	Built up Shops 3.0x4.0 m
35	C-12	PD Ashok (9650298800)	Bawana 7	Sh Ved Prakash	SRS Bawana	Block A	8	10.00	80.00	Commr	Shops 2.5x4.0 m
36	C-12	PD Ashok (9650298800)	Bawana 7	Sh Ved Prakash	SRS Bawana	Block C	3	10.00	30.00	Commr	Shops 2.5x4.0 m
37	C-12	PD Ashok (9650298800)	Bawana, 07	Sh. Ved Prakash	Sector-26, Ph-IV	Ph-IV	5	10.00	50.00	Commr	SP Addl. Info. 2.50x4.00 Each
38	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Narela	Pkt.-14 Sector-A-5	1	44.00	44.00	Commr	SP Addl. Info. 2nos. Shops @2.50x4.00 m 2nos R. Shops@ 3.00x4.00 m
39	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Narela	Pkt -14 Sector A-5	1	25 00	25.00	Commr	1 nos. M. Booth# 5.00x5.00
40	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Holambi Kalan Ph-I	Block-B	5	10.00	50.00	Commr	SP Addl. Info. 5 nos.@2.50x4.00 m
41	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Holambi Kalan Ph-II	Block-A	5	10.00	50.00	Commr	SP Addl. Info. 5nos.@2.50x4.00 m
42	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Holambi Kalan Ph-II	Block-B	5	10.00	50.00	Commr	SP Addl. Info. 5nos.@2.50x4.00 m
43	C-12	PD Ashok (96S0298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Holambi Kalan Ph-ll	Block-C	2	10 00	20 00	Commr	SP Addl. Info. Snos.@2.50x4.00 m

44	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Holambi Khurd	opposite plot no 848, 849	2	10.00	20.00	Commr	(2.50x4.0)m
45	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Narela	Pkt.-04 Sector-A-6	1	89.00	89.00	Commr	SP Addl. Info. 4 nos. Shops @2.5x4.00 m 2 nos. Shops @3.00x4.00 m 1 nos. Milk Booth @5.00x5.00 m
46	C-12	PD Ashok (9650298800)	Narela, 01	Sharad Kumar	SRS Narela	Pkt -07 Sector A-10	1	75.00	75.00	Commr	SPAddl. Info. 5shop @2.50x4,00 m 1 Milk Booth 5.00x5.00
				Total			232				

Vacant Land / Plots below 100 Sqm. Under the Jurisdiction of DUSIB

JJR Colonies

Sl. No..	Divi-sion	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No./AC Name	Name of MLA	Name of JJR	Location	No. of Plots/ Units	Area of Each Unit sqm	Area (Sqm)	Land use	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Plots at LSC Madipur 1 to 18	18	10.00	180.00	Commr	LSC 18x10.0=180, 10@(2.50x 4.00 m.)
2	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Plots at LSC Madipur 1to 18	18	15.00	270.00	Commr	LSC 18x15.0=270, 15@(3.00x5.00)
3	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	Plots at LSC Madipur 8 No	8	5.00	40.00	Commr	LSC 8x5.0=40 5@(2.00x2.50)
4	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Madipur	WZ -152 Village Madipur	1	80.00	80.00	resi	Resi Trapezoidal Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C-4	SC Sharma (9717999154)	27 Rajouri Garden	Sh. Jarnail Singh	Khyala	36 Nos. Plots at Site & Service at Hot Mix Plan Khyala	11	12.50	137.50	Resi	19 u/n encroachment/6 alloted to l&F deptt./ 11 No. Vacant
6	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots of 111-Block Nand Nagri (Plot No -28. W. 84. 88. 1 14. 133. 138. ISO. 173. 177. 186. 206. 250)	13	21 00	273 00	resi	Corner Plot 3.00x7.01) m
7	C 8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots of Dl - Block Nand Nagri (Plot No -35. 89. 172)	3	21 00	63 00	Resi	3.00x7.00 m
8	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots of D2-Block Nand Nagri Plot no 368. 382. 406. 413)	4	21 00	84 00	Resi	Corner Plot 3.00x 7.00 m
9	C 8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots of D3-Block Nand Nagri (Plot No - 7, 8. 9. 10. 11)	5	36 00	180 00	Resi	4.00x9.00 m
10	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots of D3-Block Nand Nagri (Plot No -12)	1	36 00	36 00	resi	Corner Plot 4.00x 9.00 m
11	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Resi plots A3-Block Nand Nagri Plot no 7. 14.15.16, 17. 18)	6	40 00	240 00	Resi	4.00x10.00 m

12	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC A -Block Nand Nagri Plot No 9. 10. 1 1. 14. 15. 16. 17 18)	8	10 00	80 00	Commr	LSC 2.50x4.00 m
13	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Raiendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC A -Block Nand Nagri Plot No. A1)	1	70 00	70 00	Commr	LSC Corner plot 5.00x14.00 m
14	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC A Block Nand Nagri Plot No - A2, A3)	2	70 00	140 00	Commr	LSC 5.00x14.00 m
15	C 8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC A - Block Nand Nagri Plot No.29, 35, 36, 42, 43, 49, 50,56, 57, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 80)	16	6.00	96.00	Commr	LSC Corner plot 2.00x3.00 m
16	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC A -Block Nand Nagri Plot No s 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 66, 67, 75, 76, 81, 82	28	6.00	168.00	Commr	LSC 2.00x3.00 m
17	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC B -Block Nand Nagri (Plot No - 61, 62, 65)	3	30 00	90 00	Commr	LSC 4.00x7.50 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC B -Block Nand Nagri (Plot No - 68. 69)	2	70.00	140.00	Commr	LSC 5.00x14.00 m
19	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema Plot No -2, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	16	15.00	240.00	Commr	LSC 3.00x5.00 m
20	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema (Plot No - 14, 15, 28)	3	15.00	45.00	Commr	LSC Corner plot 3.00x5.00 m
21	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagn near Gagan cinema Do (Plot No 47, 55, 71, 79, 88, 93, 97, 98, 110, 123, 150, 166, 184, 217, 285, 311, 319, 345, 352, 360)	20	10.00	200.00	Commr	LSC Corner plot 2.50x4.00
22	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema Do (Plot No - 30, 35, 39, 40, 43, 44,	53	10.00	530.00	Commr	LSC 2.50x4.00

						49, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 101, 104, 106, 107, 112, 113, 117, 118, 120, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 145, 148)					
23	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagti	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema Do (Plot No - 154, 158, 160, 162, 170, 172, 174, 175, 176, 181, 185, IS6, IS8, 190, 192, 195, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 225, 226, 227 225 230, 233 2,37, 239, 240, 241, 243, 245, 248, 254, 255, 259, 260, 261, 266, 267, 271, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 283, 286, 290, 292, 294, 295, 297, 298, 301, 302,, 303, 304, 314, 322, 324, 326, 329, 333, 336, 337 340, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 355, 356, 358, 362,,364, 365)	89	10.00	890.00	Commr	LSC 2.50x4.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema (Plot No- 29. 37. 38)	3	13.00	39.00	Commr	LSC Corner Plot 3.25x4.00
25	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Cenire (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema (Plot No- 124, 149)	2	12 00	24 00	Commr	LSC Corner Plot 3.00x4.00
26	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Community Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema (Plot No - 335, 344, 361)	3	14.00	42.00	Commr	LSC Corner Plot 3.50x4.00
27	C 8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Communis Shopping Centre (Punarwas Bazar) Nand Nagri near Gagan cinema Do Plot No 18)	1	14.00	14.00	Commr	LSC 3.05x4.00
28	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC in front of Block - 1 at Nand Nagri Extension (Plot No 1, 6, 10, 11, 15, 16, 20)	7	13.50	94.50	Commr	LSC Corner Shop plot 3.00x4.50 m
29	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Commercial plots LSC in Iront of Block - 1 at Nand	13	13.50	175.50	Commr	LSC (Block towards ESS) Corner Shop Plot 3.00x4.50 m

						Nagri Extension (Plot No - 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19)					
30	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Block towards Masnd (Plot No - 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18)	8	13.50	108.00	Commr	LSC Corner Shop plot 3.00x4.50 m
31	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Block towards Masjid (Plots NO - 2. 3, 8, 9. 10, 11. 14. 15. 16. 17)	10	13 50	135 00	Commr	LSC (Block towards Masjid) Corner Shop Plot 3.00x4.50 in
32	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Block towards Masjid (Plot No -1, 5, 7, 8, 10, 15)	6	4 32	25 92	Commr	LSC (Block towards Masjid), Corner Platform plot 1.80x2.40 m
33	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Block towards Masjid (Plots No- 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14)	9	4.32	38.88	Commr	LSC 1.80x2.40 m
34	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh.Rajendra Pal Gautam	Old Seemapuri	DDA Indra Market, Old Seemapuri (Shop No -64, 121, 123, 125)	4	4.32	17.28	Commr	LSC 1.80 X 2.40 m
35	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh.Rajendra Pal Gautam	Old Seemapuri	DDA Indra Market, Old Seemapuri (Shop No. -124)	1	4.32	4.32	Commr	LSC Corner Platform Plot 1.80 X 2.40 m
36	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Sh. Rajendra Pal Gautam	New Seemapuri	Fruit and Vegetable market E Block, New Seemapuri, (Stall no -4)	1	4.32	4.32	Commr	LSC stalls No. - 4 of size 1.80 m X 2.40 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Milk Booth	1	25.00	25.00	Commr	LSC 5.00x5.00 m
38	C-8	PK Garg (9717999271)	63 Seemapuri	Rajendra Pal Gautam	Nand Nagri	Vegetable Booth	1	25.00	25 00	Commr	LSC 5.00x5.00 m
39	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	4 (Adarsh Nagar)	Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	B-Block (LSC) Thara No, 45	1	4.32	4.32	Commr	Thara No Encroachment
40	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	4 (Adarsh Nagar)	Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Block B-3 Market Thara No 137 & 142	2	4.32	8.64	Commr	Thara No Encroachment
41	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	4 (Adarsh Nagar)	Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Block G-1 Market Thara No 16	1	4.32	4.32	Commr	Thara No Encroachment
42	C-11	Ajay Saxena (9717999214)	4 (Adarsh Nagar)	Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Block G-1 Market Thara No 17, 57	2	4.32	8.64	Commr	Thara Closed with brick walls and roof constructed no enchment
43	C-11	Ajay Saxena (971799921 4)	4 (Adarsh Nagar)	Pawan Kumar Sharma	Jahangirpuri	Block G-1 Market Thara No 64	1	4.32	4.32	Commr	Thara Closed with Drick walls and roof constructed no enchment One unauthorized room constructed in the passage in front of he thara
				Total			406				

Vacant Land/Plots below 100 Sqm. Under the Jurisdiction of DUSIB,

Tenements Colonies

Sl. No..	Division	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No./AC Name	Name of MLA	Name of Tenements	Location	No. of Plots/ Units	Area of Each Unit sqm	Area (Sqm)	Land use	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh	Tilak Vihar	CSC Near UGR Tilak Vihar	5	12.00	60.00	Commr	CSC Vacant Plot @ 3x4 m
2	C-l	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh	Tilak Vihar	CSC Near UGR Tilak Vihar	26	4.41	114.66	Commr	CSC 26 Fruit & Vegetable built up Stalls @1.80x2.45 m
3	C-1	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh	Tilak Vihar	CSC Near 20 Block Gurudwara	16	4.41	70.56	Commr	CSC Builtup F/V stalls @ 1.80x2.45 m
4	C-l	PK Singh (9717999137)	29 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh	Tilak Nagar	Shops at 288 Tenements Tilak Nagar	2	10.00	20.00	Commr	CSC 2 Vacant built up Shopsig) 2.5x4 m
5	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola.	1	10.36	1036	Commr	2.545 x 4.04 mtr
6	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola.	1	10.36	10 36	Commr	2.545 x 3.47 mtr.
7	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola.	1	10.36	10.36	Commr	2.545 x 3.47 mtr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola	1	10.36	10.36	Commr	2.545 x 3.47 mtr.
9	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola.	1	29.86	29 86	Commr	Marked for "Fair Price Shop" 8.08 x 3 695 mtr
10	C-2	Satish Sharma (9717999154)	31 Vikas Puri	Sh. Mahinder Yadav	Baprola	Facilities Centre at F-Block, EWS houses at Baprola	1	9.89	9.89	Commr	Marked for "Chemist Shop" 2.43 x 4.07 mtr
11	C-5	SK Varshney (9717999192)	41, Jangpura	Praveen Kumar	Sarai Kale Khan	Sarai Kale Khan	2	20.00	20.00	Commr	Shop plots No. 10 @(2.50 x 4)
12	C-5	SK Varshney (9717999192)	41, Jangpura	Praveen Kumar	Sarai Kale Khan	Sarai Kale Khan	1	4.41	4.41	Commr	Shop plots No. 22 @(1.80 x 2.45)
13	C-5	SK Varshney (9717999192)	44, RK Puram	Smt. Parmila Tokas	Ekta Vihar Sec-VI, RK Puram	Ekta Vihar Sec-VI, RK Puram	10	12.50	125.00	Orphan	For Orphan House @(10x 12.5)
14	C-5	SK Varshney (9717999192)	50, Greater Kailash	Avtar Singh Kalkaji	Kalkaji	Kalkaji	9	40.00	360.00	Commr	Local shopping center shop plots @ 9 x (4 x 10)
				Total			77				

Vacant Land / Plots below 100 Sqm. Under the Jurisdiction of DUSIB

Other Colonies

Sl. No..	Divi-sion	Name of Ex. Engr. & Mobile No.	AC No./AC Name	Name of MLA	Name of Others	Location	No. of Plots/ Units	Area of Each Unit sqm	Area (Sqm)	Land use	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector f & G, Shivaji Enclave (Plot No FD-64)	1	70.00	70 00	Resi	Existing Shrubs in the whole plot & Surround with Boundary Wall @(5.00 x 14.00)
2	C-4	SC Sharma (971799915 4)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G, Shivaji Enclave (Plot No FE-45 to FE 55)	11	70.00	770 00	Resi	Existing Shrubs in the whole plot & Surround with Boundary Wall @(5.00x 14.00)
3	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G, Shivaji Enclave (Plot No. FE-56 to FE-63)	8	7000	560.00	Resi	Existing Shrubs in the whole plot 8. Surround with Boundary Wall @(5.00x 14.00)
4	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G. Shivaji Enclave (Plot No FC-1)	1	98.00	98.00	Resi	Existing one well of 1.4 m. Dia in the centre of the plots@ (6.00-8.00) x14.00
5	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G, Shivaji Enclave (Plot No FC-3.6,9)	3	84.00	252.00	Resi	Existing 1 tree and lying malba in the whole plot @ (6.00x14.00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C-4	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G. Shivaji Enclave (Plot No. FC-107)	1	70.00	70.00	Resi	Existing one tree in the plot and surrounded with boundary wall. Three nos. of jhuggies are on road, berms infront of the plots. (5.00x14.00)
7	C-4,	SC Sharma (9717999154)	26 Madipur	Sh. Girish Soni	Raghubir Nagar	Sector F & G, Shivaji Enclave (Plot No. FC 24)	1	87.85	87.85	Resi	Existing shrubs in the whole plot 8. Surround with Boundary Wall @ (4.85+7.70)/2x14. 00
8	C-10	Shyam Singh (852729592 9)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dutt	Shahzada Bagh. Industrial Area, Ph-II	Shahzada Bagh, Industrial Area, Ph-II	1	40.00	40.00	Commr Manufact-ure & Service Industry	Plot No. 163
9	C-10	Shyam Singh (8527295929)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dutt	Shahzada Bagh, Idustrial Area, Ph-1	Shahzada Bagh, idustrial Area, Ph-I	3	15.00	45.00	Commr Manufact-ure & Service Industry	Plot No. 149, 189 & 27
10	C-10	Shyam Singh (8527295929)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dutt	Shahzada Bagh, Idustrial Area, Ph-2	Shahzada Bagh. Idustrial Area, Ph 2	74	40.00	2960.00	Commr Manufac-ture & Service industry	To be Developed in 3 Land pockets. Plot No, 218 to 291
11	C-10	Shyam Singh (852729592 9)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dutt	Slum Katra	Bounded land opposite Usna Mata Mandu	1	48.00	48.00	Resi	Boundary wall exists.

12	C-10	Shyam Singh (8527295929)	19 Sadar Bazar	Sh. Som Dutt	Slum Katra	Prop. No. 458/XVIII, Kashmiri Bagh	1	59.15	59.15	Resi	Boundary wall exists.
13	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussam	Slum Katra	Prop. No. 63S1/XV (part), Sikli Garan Nabi Karim	1	7 92	7.92	Resi	Boundary wall to be constructed.
14	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop No 5761-65/ XV (Part), Sikli Garan Nabi Kanm	1	32 80	32 80	Resi	Boundary wall in dilapidated condition.
15	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 6111/XV, Gali Ravi Das, Nabi Karim	1	57.22	57,22	Resi	That portion of community hall at prop. NO.6108/XV, Nabi Karim
16	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 6298-6302/XV, Gali Ravi Das, Nabi Karim	1	45 63	45.63	Resi	Boundary wall exists.
17	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussam	Slum Katra	Prop 6306IAJ/XV, Gali Ravi Das, Nabi Karim	1	24.74	24 74	Resi	Part of Retrieved property.
18	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 6306(B)/ XV, Gali Ravi Das, Nabi Karim	1	20.33	20,33	Resi	Part of Retrieved property.
19	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop No 6313 14/ XV, Gad Ravi Das. Nabi Kan m	1	15 00	15.00	Resi	Boundary wall exists.
20	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussam	Slum Katra	Prop. No. A-284, Amar Puri.	1	27 84	27 84	Resi	Boundary wall exists.
2]	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 6708/XV, Shanker Marg, Yog Maya Marg,	1	42 59	42.59	Resi	Boundary wall exists.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J 2	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 1023/VII. Farash Khana	1	51 34	51 34	Resi	Boundary wall exists.
23	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop No. 6771/XV .Kila Kadam Sharif	1	56 51	56 51	Resi	Boundary wall exists.
24	C 10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop No 941 2-14/ XV, Gali No.9. Mullani Dhanda	1	68 33	68 33	Resi	Boundary wall exists.
25	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop No 61 76-82/ XV, Gali Gurudwara	1	87.88	87.88	Resi	Boundary wall exists.
26	C-10	Shyam Singh (8527295929)	22 Ballimaran	Imran Hussain	Slum Katra	Prop. No. 10502/XV, Sadar Thana Road.	1	94.99	94.99	Resi	Boundary wall exists.
27	C-10	Shyam Singh (852729592 9)	23 Karol Bagh	Sh.Vishesh Ravi	Slum Katra	Near Khalsa College at Corner near Red Light.	1	80 64	80.64	Res.	Boundary wall exists.
				Total		121					
				Grand Total		836			14853.94		

Delhi Urban Shelter Improvement Board Land Section
(Area in Acres)

Total Land with DUSIB as under :

Jhuggi Jhompri Romoval Scheme	4565.434	Annexure-A
Slum Schemes	1386.849	Annexure-B
Squetters Relocation schemes	1073.074	Annexure-C
Night Shelter Schemes	4.1448	Annexure-D
Total =	7029.5018	

ANNEXURE-A

Detail of Land Transferred to DUSIB from various Department's (JJR SCHEMES)

Sl. No.	Name of Scheme	Area (In Acre)	Date of Possession	Taken over from which Department	Remarks
1	2	2	4	5	6
1	Shakur Pur (Tri Nagar)	30.73	20.01.1984	DDA	
2	Wazir Pur	293.83	21.06.1962	L&H	
3	Shahbad Daulatpur	78.57	11.05.1967	DDA	
4	Nangloi Jat	100.77	03.12.1968 & 10.06.1985	DDA	
5	Jahangirpuri	414.14	01.03.1982 & 27.12.1984	DDA	
6	Mangol Puri	557.13	20.12.1982, 11.01.1983, 15.01.1983, 17.08.1984, 16.05.1985, 01.06.1985 & 06.06.1985	DDA	
7	Sultanpuri	476.08	25.06.1969, 07.07.1978, 24.02.1982, 20.12.1982, 16.05.1985, 01.06.1985 & 06.06.1985	DDA	

1	2	2	4	5	6
8	Nehru Vihar	38.532			Deemed Transferred w.e.f 01-09-1992
9	Kalkaji	128.30	09.07.1964	Land & Housing	
10	Sunlight Colony	32.05	1960, 18.09.1962 & 24.01.1969	MOR & Land & Housing	
11	Garhi Jharia Maria	14.80	12.03.1963 & 26.09.1966	Land & Housing	
12	Madangir Khanpur	173.89	09.07.1964, 26.06.1965 & 14.01.1983	Land & Hounsing & DDA	
13	Dakshinpuri & Dakshinpuri Extn.	159.48			Deemed Transferred w.e.f 01.09.1992
14	Sri Niwas puri	13.972	05.02.1962	L& DO	By L&DO. Plan No. 2054/1
15	d.t.u Khanpur	23.18	07.11.1973	DDA	
16	Arkpur Bagh Mochi	14.50	24.04.1962	L& DO	
17	Saidulla Jaib	9.15	26.07.1975 & 12.05.1977	DDA	Used by DDA

1	2	2	4	5	6
18	Tigri	68.57	16.01.1969, 05.01.1972, 13.12.1972, 16.11.1973 & 13.02.1974	Land & Building & DDA	
19	Najafgarh Road	184.43	21.09.1960, 30.03.1962, 10.07.1962 & 30.06.1964	Land & Housing	
20	Ranjeet Nagar	59.02.	1961, 09.04.1964, 22.07.1964, 21.08.1964 & 07.10.1964	Land & Housing and MOR	
21	Manglapuri	21.50	1960		Deemed Transferred w.e.f 01.09.1992
22	Madipur	195.31	10.06.1965, 07.07.1965, 20.04.1966 & 10.06.1985	DDA & Land & Housing	
23	Inderpuri	69.30	30.06.1964	Land & Housing	
24	Khayala & Chaukandi	110.19	06.01.1977 & 24.05.1985	DDA	
25	Hastsal	41.84	12.11.1968, 09.02.1971 & 15.01.1973	DDA & Land & Housing	

1	2	2	4	5	6
26	Jwalapuri	131.43	04.12.1970 & 10.06.1985	DDA	
27	Easten Yamuna Canal	125.44	22.04.1963 & 24.06.1966	Land & Housing	
28	Marginal Bandh Shahdra	74.39	24.04.1961, 30.05.1962 & 24.06.1966	Land & Housing	
29	Gokulpuri	39.14	31.10.1975	DDA	
30	Nand Nagri	247.95	07.11.1975	DDA	
31	Sunder Nagri	41.60			Deemed Transferred w.e.f 01.09.1992
32	Patparganj	478.82	30.03.1982	DDA	
33	Old Seemapuri	44.00			Deemed Transferred w.e.f 01.09.1992
34	New Seemapuri	72.35	30.03.1982	DDA	
35	Pankha Road	10.20			Deemed Transferred w.e.f 01.09.1992
	Total =	4574.584			
	Used by DDA	9.15			
	Balance with DUSIB	4565.434			

ANNEXURE-B

Detail of land transferred to DUSIB from various Departments (Slum Schemes) Area in Acres

Sl. No.	Name of Scheme	Area	Date of Possession	Handed over from which Department	
1	2	3	4	5	6
1	Sarai Rohilla	124.10	04.03.1963, 06.03.1963, 20.04.1963, 30.10.1964 & 30.01.1968	Land & Housing & DDA	
2	Sangam Park	44.84	19.06.1962, 21.01.1966 & 22.02.1982	DDA and Land & Housing	
3	Shakurpur	113.18	03.06.1974 & 03.07.1974	DDA	
4	Ghosi Colony (Madanpur Khadar)	16.60	30.06.1964 & 05.10.1964	Land & Housing	
5	Nehru Nagar	2.31	05.02.1979	MCD	
6	Sri Niwas Puri Dhobi ghat site, &MCD Quarters Cambridge School	0.79	12.01.1970 & 14.08.2001	L & DO, CPWD	Transferred to MCD for Dhobi Ghat 0.24
7	Kasturba Niketan	3.07	23.03.2000	L& DO	
8	Kalkaji	30.00	09.07.1964	Land & Housing	

1	2	3	4	5	6
9	Sarai Kale Khan	6.90	24.03.1983	DDA	
10	Najafgarh Road	581.91	21.09.1960, 27.10.1961 & 30.03.1962	Land & Housing	
11	Ranjeet Nagar	66.67	1961, 09.04.1964 & 22.07.1964	MOR and Land & Housing	
12	Madi Pur	50.00	10.06.1965, 07.07.1965, 20.04.1966 & 10.06.1985	Land & Housing and DDA	
13	Tilak Vihar	78.67	24.05.1961	MOR	
14	Tilak Nagar	16.696	10.11.1987	DDA	
15	New Moti Nagar	18.81	01.01.1960	MOR	
16	Baljeet Nagar Booster Pump (Khampur Raya)	0.083	Prior to notification		
17	Marginal Bandh Shahdra	27.26	30.05.1962	Land & Housing	
18	A.R. Shahdra	2.58	13.11.1968	Land & Housing	
19	G.T. Road Shahdra	10.67	1960	LAC	
20	Jhilmil Colony	64.5	1968	DDA	
21	Gazipur Dairy Farm	98.23	02.12.1975	DDA	

1	2	3	4	5	6
22	Amrit Kaur Puri	3.79	07.12.1960	DDA	
23	Kardam Sharif	0.04	06.11.1996 and l5.11.1996	DDA	
24	Dujana House	1.45	1976	DDA	
25	Mata Sundari Road	5.54	07.12.1960	MOR	
26	Sarai Khalil	4.7	1976	MOR	
27	Gudar Basti	0.44	1962	MOR	
28	Turkman Gate	7.00	1976	MOR	
29	Sarai Phoos	1.45	18.11.1958	Land & Housing	
30	Boulverd Road	1.22	25.02.1984	L&DO	
31	Motia Khan	1.50	25.10.1982	DDA	
32	Dev Nagar	2.09	06.01.2005	L & DO	
	Total =		1387.089		
	Transferred to MCD = for Dhobi Ghat		0.24		
	Balance with DUSIB =		1386.849		

ANNEXURE-C

Detail of Land Transferred to DUSIB from various department's (Squetter Relocation Schemes)

Sl. No.	Name of the Scheme	Area (In acres)	Date of possession	Possession Taken over by which Deptt.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	**Dwarka**				
I	Mirjapur	12.35	21.12.1990	DDA	
II	Palam	12.08	18.01.1990	DDA	
III	Matiala-I	14.11	11.05.1990	DDA	
IV	Matiala-II	11.387	15.01.1991	DDA	
V	Matiala III	12.35	07.02.1991	DDA	
VI	Matiala IV	6.735	07.02.1991	DDA	
VII	Nawada Pkt-I	8.05	11.05.1990 & 23.09.1991	DDA	Land measuring 7.76 Acre alloted to DMRCon 06.05.2005
VIII	Nasirpur	6.24	11.11.1991	DDA	Land used by DDA
IX	Bindapur	13.11	11.11.1991	DDA	
X	Bakkarwara	50.00*	03.12.1999	DDA	
XI	Sec-16B, Site-I	1.73	03.12.1999	DDA	
XII	Sec-16B, Site-II	4.59	03.12.1999	DDA	

1	2	3	4	5	6
XIII	Sec-16B, Site-III	6.038	03.12.1999	DDA	
2	**Rohini**				
1	Samaypur Sec-16	12.00	...	DDA	Land attoted to Delhi Govt, and subsiquently developed by C-10 at the request of Delhi Govt.
II	Samaypur Sec-16	4.00	14.09.1990	DDA	
III	Pooth Kalan Sec-23	7.41	27.12.1991	DDA	
IV	Pooth Kalan Sec-23	2.02	07.12.1997 & 09.12.1997	DDA	
V	Rithala Sec-24	18.5	31.01.1991 & 24.04.1991	DDA	
VI	Rithala Sec-25	14.82	24.04.1991	DDA	
VII	Shahbad Daulatpur	7.03.	17.02.1999	DDA	
VIII	Shahbad Daulatpur	4.00	05.05.1999	DDA	
3	**Bhalswa Jahangirpur**	41.19 29.125 12.010 6.000 68.96 59.89	02.09.1998, 03.11.1999, 16.12.2001, 26.04.2001, 22.06.2001 & 26.04.2008	L & B Deptt.	
		Total- 217.175			

1	2	3	4	5	6
4	**Narela**				
I	Tikri Khurd	5.7	06.12.1990	DDA	
II	Sec. A-5/8	5.45	17.04.2000	DDA	
III	Sec. A-6/5	6.82	26.11.1999	DDA	
IV	Sec. A-6/11	16.31	26.11.1999	DDA	
V	Sec. A-6/13	6.66	17.04.2000	DDA	
VI	Sec. A-10/7	12.89	17.04.2000	DDA	
VII	Sec. A-5/14	3.71	30.06.2000	DDA	
VIII	Sec. A-6/4	11.24	30.06.2000	DDA	
IX	Holambi Khurd	7.68	17.05.2000	DSIIDC	
X	Holambi Kalan	30.00	16.11.2000	Transport Deptt.	
XI	Sannouth and Holambi Kalan	70.10	25.05.2001	Land & Building Deptt.	
XII	Bawana	103.044	31.12.2001& 11.08.2004	Land & Building Deptt.	
XIII	Sawda	55.17	02.07.2003	Land & Building Deptt.	
XIV	Ghevra	196.94	22.08.2003, 04.11.2003, 17.12.2003 & 17.07.2008	Land & Building Deptt.	

1	2	3	4	5	6
5	**Jaunapur**	61.79	14.05.1996, 03.09.1996	Development Deptt.	Cancelled by Hon'ble L.G. Delhi
		39.115	14-03-1997	Do	Temporary allotment for 1 year (Out of which 4-0 Acre land alloted/handed over to BDO Mehrauli Development Deptt. of GNCTD) on 19-08-1997
6	Tehkhand	30.14	04.09.1997	DDA	Resumed, order of Hon'ble LG Delhi
7	Molar Bund	51.0	11.08.1998 & 28.08.2000	DDA	
8	Madanpur Khadar	23.76	19.05.2001	L & DO	
	Total		=	1183.244	
I	Land used by DDA		=	6.24	
II	Land cancelled by Hon'ble LG.		=	91.93	
III	Land alloted to Delhi Govt.		=	12.00	
	Total (I+II+III)		=	110.17	
	Balance land with DUSIB			1073.074	

APNEXURE-D

List of the land transferred to Delhi Urban Shelter Improvement Board by DDA for Night Shelters in Delhi

Sl. No.	Address / Location of the Night Shelters	Area (Sq. Metres)	Date of Possession Taken from DD	Date of Handing Aover To Concerned Engg. Division
1	2	3	4	5
1	Sector -22, Rohini	800	27.12.2012	28.12.2012
2	Sector-1, Avantika, Rohini	842	04.03.2013	05.03.2013
3	Mulla Colony, Gazipur	1029	25.07.2014	25.07.2014
4	Service Centre Sector-9, Dwarka	657	05.09.2011	05.09.2014
5	Sector-5, Rohini	1465.78	05.11.2014	05.11.2014
6	Chemical Tradors at IFC, Narela	940	26.11.2014	26.11.2014
7	PSP Pocket Near Village Kakrola, Sector-16B, Dwarka	1302	26.11.2014	26.11.2014
8	Geeta Colony Near Community Centre	878	27.11.2014	27.11.2014
9	Rohini Sector-18	1210.67	28.11.2014	28.11.2014
10	Dilshad Garden Near Telephone Exchange, GT Road	1000	03.12.2014	03.12.2014

1	2	3	4	5
11	Service Centre Sector-20, Dwarka	2000	05.12.2014	05.12.2014
12	HAF, Pocket-II, Near Village Bharthal, Sector-26, Dwarka	1131.027	05.12.2014	05.12.2014
13	Sector A/9, Narela	2548	09.12.2014	09.12.2014
14	Truck Terminal IFC, Narela	970	09.12.2014	09.12.2014
		Total	4.1448 Acres	

ANNEXURE-1

Details of allotment of land during the year 2010-2017

Name of agencies/department/ corporation/ etc. who were allotted land by DUSIB	Month/Year of allotment	Amount recoverable	Amount recovered
1	2	3	4
Delhi Police at C- Blk Shahbad Dairy Outer District- land measuring 644.11 sq.mtr in place of 708.47sq.mtr	15.3.2013	Rs.2,67,94,335/- G/Rent Rs. 6,69,858/- p.a	Rs.2,74,64,193/-
Delhi Police at Bharat Nagar for Police Station land measuring 2301.28 sq.mtr in place of 2366 sq.mtr	28.4.2016	Rs.13,40,10,240/- G/Rent Rs.33,50,256/- p.a	Rs.13,73,60,496/-
Delhi Police Sawda Ghewra Ph-1 Land measuring 788.16 sq.mtr and in place of 571 sq.mtr	3.12.2015	Rs.4,25,170/-G/Rent Rs. 2,23,217/- p.a	Rs.6,48,387/-
Delhi Jal Board at Blk-D Ph-1 Sawada Ghewra for UGR- 1400 sq.mtr	04.07.2013	N.A	Free of cost
Delhi Jal Board for Water Pilot plant opp. D- Blk near BVK at Bakkarwala-1125 Sq.ft for 5 years only(Right ofuse basis)	10.04.2015	N.A	Free of cost
Delhi Jal Board for Water Pilot plant at Ramleela Park Sulabh No.3 Ph-3 Madan Pur Khadar, Delhi - 1050 sq.ft for 5 years only (Right of usebasis)	10.04.2015	N.A	Free of cost

1	2	3	4
Delhi Jal Board for Water Pilot plant Ph-1 park near Mother dairy in Ph-2 at Molar Bandh Gautampuri- 1125 sq.ft for 5 years only (Right of usebasis)	10.04.2015	N.A	Free of cost
Delhi Jal Board at SRS Colony Bhalaswa for UGR/BSP land measuring 787.80 sq.mtr	14.08.2015	N.A	Free of cost
Delhi Jal Board for ATM at Plot No.A-2070 Ph-2 Holambi Kalan-112.52 sq.mtr	20.08.2014	N.A	Free of cost
Mother Dairy Milk Booth at Shahbad Daulatpur near Mandir Masjid -25sa.mtr	03.05.2010	Rs.2400/- per annum	Rs.2400/-per annum
DHS for C/o Mother & Child Hospital at JJ Colony Nangloi Land measuring 2430 sq.mtr	10.4.2015	Rs.1,80,23,310/- G/Rent Rs. 4,50,583/- p.a	Rs.21,16,71,407/-
DHS for C/o Dispensary/Hospital at Re-settlement colony Sawda Ghewra Ph-3 Land measuring 3449sq.mtr	24.3.2015	Rs.2,55,81,233/- G/Rent Rs. 6,39,531/- p.a	Rs.2,62,20,764/-
DHS for Hospital adjacent to Sanjay Gandhi Memorial Hospital at Mangolpuri-1900 sq.mtr	24.03.2015	Rs. 1,40,92,300/- &G/Rent Rs. 3,52,308/- p.a	Rs. 1,44,44,608/-
IGL for CNG Filling station at Blk-19,Trilokpuri -1119.83 sq.mtr	26.11.2013	Rs.37,94,888/-	Rs.37,94,888/-
IGL for CNG Filling station at Blk-30, Trilokpuri -1107.27 sq.mtr	26.11.2013	Rs 38,37,934/-	Rs.38,37,934/-

ANNEXURE-2

Details of allotment of land during the year 2010-2017.

Name of agencies/department/ corporati on/etc. who were allotted land by DUSIB	Month/Year of allotment	Amount recoverable	Amount recovered
1	2	3	4
DMRC at Trilokpuri-2382.88 sq.mtr	11.05.2013	Rs. 1,76,73,821/- G/Rent @ Rs.2,77,016/- p.a	Rs1,79,50.837/-
DMRC at Trilokpuri-11, 138.83 sq.mtr (permanent).	11.05.2013	Rs. 8,26,15,159/- G/Rent @ Rs.20,65,450/-	Rs.8,46,80,609/-
DMRC at Trilok puri- 3558.98 sq.mtr	13.06.2013	Rs.2,63,969,55/-	Rs.2,63,969,55/-
DMRC at Rajouri Garden -5286 sq.mtr (On temporary basis for 2 years only)	11.05.2013	Rs.3,92,06,262/-	Rs.3,92,06,262/-
DMRC at Sarai Kale Khan-337 sq.mtr (permanent)	01.08.2014	Rs.24,99,570/- G/Rent @ Rs.62,490/-	Rs.25,62,060/-
DMRC at Shakurpur Delhi-1211.80 sq.mtr	01.08.2014	Rs. 89,88,065/- G/Rent @ Rs.2,24,702/- p.a	Rs.92,12,767/-
DMRC at G.T. Road New Seeiampur- 953 sq.mtr	01.08.2014	Rs. 70,68,514/- G/Rent @ Rs. 1,76,713/-	Rs.72,45,227/-

1	2	3	4
DMRC at Rajouri Garden-701.14 sq.mtr (On temporary basis for 2 years only)	01.08.2014	Rs. 5,20,044/-	Rs.5,20,044/-
DMRC at Rajouri Garden-1607.28 sq.mtr (Oh temporary basis for 2 years only)	01.08.2014	Rs. 11,92,140/- Intimation regarding extension of period isstill awaited for recovery of over dues	Rs.11,92,140/-
DMRC at Sarai Kale Khan-2895 sq.mtr (On temporary basis for 2 years only	01.08.2014	Rs,7,61,10,990/- Extended period up to 30.6.2017	Rs.21,47,256/-

ANNEXURE-5

NOC issued for AAMC total sites (107)

Sl. No.	Proposed Site/Name of Location	Request received from	Feasibility asked for Engg.Wing	Remarks/Status
1	2	3	4	5
1	Rain Basera, JJ Colony, Sec-1,Dwarka.	DGHC Sector-2 Dwarka (South West)	EEC-1	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
2	Land allotted for dispensary in JJ colony Bakkarwala	DGD Bakkarwala (West Distt)	EEC-1	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
3	A Block, Savda Ghevra, JJ colony, Ph-I	DGD Savda Ghevra (North. West)	EEC-2	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
4	Land behind the Build office Of DUSIB at Rajiv Ratan Yojna Project	DGD Baprolla (West Distt.)	EEC-2	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
5	J -Block in National Flag Park Mangolpuri (Property DUSIB in possession NDMC)	DGD Mangolpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
6	I-Block Opp. H Block DUSIB and four side open adjacent. I-624 house no near Sant Ram Chowk	DGD Mangolpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
7	Y Block Park opp Chuni Lal Halwai, DUSIB	DGD Mangolpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016

1	2	3	4	5
8	Sultanpuri 908 Bus Terminal K Pass, Park near Masjid Wala Park	DGD Sultanpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
9	Sultanpuri F-2 Barat Ghar k Sath Wala Park	DGD Sultanpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
10	NWD-125 Y Block building of DUSIB adjacent DUSIB to Barat Ghar opp. Indian Gas Agency, Gym Park Sulatnpur Majra.	DGD Mangolpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
11	NWD122, H Block park near Govt Sarvodaya Kanya Vidhalaya, Mangolpuri.	DGD Mangolpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
12	NWD 128, P- 2 Block Near Barat Ghar, Sultanpuri	DGD Sultanpuri (North West)	EEC-3	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
13	Vacant land opposite house No- G. 831, Shakurpur.	DGD Shakurpur (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
14	Land Opposite E Block DDA Market. Shakurpur, adjacent to Dhobi Ghat	DGD Shakurpur (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
15	Near & MCD Block Pathar Wala Bagh, Wazirpur colony	DGD Wazirpur JJ (O) (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
16	Adj. to Delhi Govt. Library MCD Sulab Sauchalaya Opp. DUSIB Sulab Toilet Wazirpur JJ colony	DGD Wazirpur JJ (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016

1	2	3	4	5
17	DUSIB land Labour Welfare Centre Labour Deptt Wazirpur JJ Colony	DGD Wazirpur JJ (O) (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
18	Vacant land of DUSIB in front of house No- 307 Block-D Shakurpur, Delhi	DGD Shakurpur (North West)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
19	Adjacent to Rain Basera Banjara Basti	DGD Chowkhandi (West Distt)	EEC-4	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
20	Sanjay Camp on a road to Vayusenabab	DGD Dakshinpuri (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
21	Block No-7 Dakshinpuri Ext.	DGD Dakshinpuri (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
22	Block No-5 Dakshinpuri Ext.	DGD Dakshinpuri (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
23	Mahila Vikas Sangh, JJ Camp Tigri	DGD K-ll Sangam Vihar (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
24	E 2nd - 10, Snaan Ghar near Budha Park DJB, Booster Camp	DGD Madangir (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
25	PICO of friant + asha dispensary, B Block JJ Camp, Deoli	DGD K-ll Sangam Vihar (South)	EEC-6	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016

1	2	3	4	5
26	JJ clusters Aruna Nagar	DGD Majnu Ka Tila (Central)	EEC-7	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
27	Seemapuri, F block near Jama Masjid behind MCD primary school old seemapuri	DGD Old Seemapuri (Shadhara)	EEC-8	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
28	A 3 Nand Nagri, near Dev Medical Centre, Tanga Stand	DGD Nanad Nagri (Shadhara)	EEC-8	NOC issued by vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
29	B 3 Block Nand Nagri, Near DGD Nand Nagi	DGD Nanad Nagri (Shadhara)	EEC-8	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
30	A 2 Block opp. Kanchhi Pura Village, Tikona Park	DGD Nanad Nagri (Shadhara)	EEC-8	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
31	E 1 Nand Nagri, Near Quadri Chicken behind Gagan Cinema	DGD Nanad Nagri (Shadhara)	EEC-8	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
32	19, Block Kalyanpuri, Ward No - 213	DGD Kalyan Puri (East Distt)	EEC-9	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
33	Plot in parking place, Block No-5, Khichripur, Ward No - 214	DGD Kalyan Puri (East Distt)	EEC-9	NOC issued vide Letter No D-102 dated 01.06.2016
34	Corner plot Ganga Mandir Marg near Khalsa College	DGD Regrapura (Central)	EEC-10	NOC issued vide Letter No.D-31 dated 3.3.2017

1	2	3	4	5
35	Jawahar Camp area, New Delhi	CDMO/West	EE C-4	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
36	Rain Basera, station Road, behind Taxi Stand Sarai Kale Khan	CDMO/South East	EE C-5	NOC issued vide letter No. D-103 dt. 2.8.2017
37	Apna Bazar, Block-3 Nehru Nagar, New Delhi	CDMO/South East	EEC-6	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
38	Venetary Hospital Ram Kumar Marg, Commercial Building	CDMO /Central Distt	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
39	F-1/351 Sunder Nagari, Delhi-93 (Ward No. 244)	CDMO/Shahdra	EE C-8	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
40	JB-6, Samudaya Bhawan, Opposite New RD Public School, Gali No-11 Welcome, Shahdra, Delhi.	CDMO/Shahdra	EE C-8	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
41	Ward No- 210, Blk-12-A, Trilok puri Delhi	CDMO/East	EE C-9	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
42	Extra 35 Block DSIDC market opp.35 block, Trilok puri, Delhi	CDMO/East	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
43	Block-8, Janta Flats beside MCD School, Trilok Puri, Delhi	CDMO/East	EE C-9	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017

1	2	3	4	5
44	Block - 9 beside Dr. B.R. Ambedkar Khel Parisar Trilok Puri	CDMO/East	EE C-9	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
45	32 Qte. Tail Mil (DUSIB)	CDMO/Central Distt	EE C-10	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
46	9412/14, Multani Dhanda Gali No 9	CDMO /Central Distt	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-103 dt.2.8.2017
47	Metro Vihar, Ph-I (Near Dispensary), B-Block	Sh. Sharad Kumar Chauhan Narela (AC-1)	EEC-12	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
48	Metro Vihar, Ph-II (Near Dispensary)	Sh. Sharad Kumar ChauhanNarela (AC-1)	EEC-12	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
49	Block, Ph-II, Savda Ghevra JJ Colony	Sh. Sukhbir Singh Dalai Rithala (AC-6)	EEC-21	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
50	Shakurpur village nearM-Block JJ Colony, Shakurpur	Sh.Jitender Tomar Tri Nagar(AC-16)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
51	Shastri Nagar, L-2 Block	Sh.Som Dutt Sadar Bazar (AC-19)	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017 handed over on 20.12.2017 to CDMO
52	Shivanand Basti, Punjabi Bagh	Sh. Shiv Charan Goel Moti Nagar (AC-25)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017

1	2	3	4	5
53	Sewa Basti Chunna Bhatti	Sh. Shiv Charan Goel Motj Nagar (AC-25)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
54	Open Thada Exit point of Paschim Vihar Ext. B Block Madipur,	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
55	Open Space (Thada) Near B-958 Madipur	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
56	Open Thada in front of House No. 232 A -Block, Madipur,	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
57	Open Space in front of N-162, Raghubir Nagar	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
58	Open Space in front of L-56, Raghubir Nagar	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
59	Open Space (Thada) near House No.R-380, Raghubir Nagar,	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
60	Toilet Platform, Opp-529, E Block Budh Nagar, Inderpuri,	Sh. Vijender Garg Rajender Nagar (AC-39)	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
61	Sanjay Camp Dakshinpuri Camp	Sh. Prakash Jarwal Deoli,(AC-47)	EEC-6	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017

1	2	3	4	5
62	Gautam Puri, Ph-1 Near Bal Vaatika Kharab Sauchalaya Ki Zameen	Naryan Dutt Sharma Badarpur, (AC-53)	EEC-6	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
63	Park JJ Colony, Ph-III Madanpur Khadar, DUSIB	Amanatulla Khan Okhla, (AC-54)	EEC-5	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
64	Block No-1, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri (AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
65	Block No-2, JJ Camp, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
66	Block No-8, Behind Bal Bhawan School, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
67	Block No-9, Public Toilet, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri (AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
68	Block No-9 vacant and abandoned space, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
69	Block No- 25 near Sant Nirankari Samagam Bhawan, Trilokpuri	Sh: Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
70	Block No Extra 30 near Delhi Govt Dispensary, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017

1	2	3	4	5
71	Block No - 31 Public toilet, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
72	Block No - 13 Vacant Land, Trilokpuri	Sh. Raju Dhingan Trilokpuri(AC-55)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
73	DDA Flats Gazipur	Sh. Manoj Kumar Kondli(AC-56)	EEC-9	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
74	Sunder Nagari Ward 244	Sh. Rajender Pal Gautam Seemapuri (AC-63)	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
75	C-3 near H.No 507, Nand Nagari	Sh. Sarita Singh Rohtash Nagar (AC-64)	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
76	Near Dr. Siddiqui Clinic Block C-3 Nand Nagari	Sh. Sarita Singh Rohtash Nagar (AC-64)	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
77	8/35, Basti Vikas Kendra (NGO),	Sh. Shiv Charan Goel Moti Nagar (AC-25)	EEC-4	NOC issued vide tetter No. D-122 dated 13.09.2017
78	BVK near Chameli Park Raghubir Nagar	Sh. Girish Soni Madipur(AC-26)	EEC-4	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13,09.2017
79	Basti Vikas Kendra, F Block Budh Nagar, Inderpuri	Sh. Vijender Garg Rajender Nagar (AC-39)	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017

1	2	3	4	5
80	Basti Vikas Kendra, Indira Camp,	Sh. Som Nath Bharti Malviya Nagar (AC-43)	EEC-5	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
81	Shri Ram Camp Basti Vikas Kendra	Sh. Parmila Tokas R.K.Puram(AC-44)	EEC-5	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
82	V.P.Singh Camp Railway Colony, Tughalkabad	Sh. Sahi Ram Tughalkabad (AC-52)	EEC-6	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
83	Buland Masjid, premises of DUSIB	Sh. Anil Kumar Bajpai Gandhi Nagar (AC-61)	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
84	Kailash Nagar DUSIB premises	Sh. Anil Kumar Bajpai Gandhi Nagar. (AC-61)	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-122 dated 13.09.2017
85	Office of the DUSIB shelter Gali Ravi Dass, Sadar, Delhi.	(AC-19) Sadar Bazar, Ward No 80N Sadar Bazar	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017 and handed over on 20.12.2017 to CDMO
86	Block 6 Dev Nagar Community Centre	(AC-23), Ward No 94N Dev Nagar	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017 handed over on 20.12.2017 to CDMO
87	1546-51 A/III, Gali Borian Ajmeri Gate, Delhi(Night Shelter)	(AC-21), Matia Mahal, Ward No 86N	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017

1	2	3	4	5
88	797/VIII, Kundewalan, Ajmeri Gate (Night Shelter)	(AC-21), Matia Mahal, Ward No 86N	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
89	Kabir Basti Malka Ganj within premise of Raghushalla, Delhi	(AC-3), Timarpur, Ward No13N, Malka Ganj	EEC-70	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
90	Slum Park Shankar Gali Sita Ram Bazar	Ward No.87N Bazar Sita Ram	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
91	Slum Community Centre Dharamshala/Shankar Gali Sita Ram Bazar, Delhi	Ward No.87N Bazar Sita Ram	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
92	F- Block Tilak Nagar	013-S	EEC-1	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
93	Site at J-Block New Seelampur near Madrasa, Delhi.	(AC-65), W-42-E, Seelampur	EEC-8	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
94	Majnu Ka Tila, Night Shelter	(AC-20), Chandni Chowk, Ward No 83N Civil Line	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
95	Toilet platform opp. Rakesh Hardware Main road B Block Budh Nagar Inderpuri	Rajender Nagar, (AC-39) Ward No-103	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
96	Toilet platform near store, F-block budh nagar, Inderpuri	Rajender Nagar, (AC-39) Ward No-103	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
97	DUSIB plot J- Block JJ Colony Sawda	(AC-8) Mundka, 35N Kanjhwala	EEC-2	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017

1	2	3	4	5
98	DUSIB plot A- Block JJ ColonySawda	(AC-8) Mundka, 35N Kanjhwala	EEC-2	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
99	DUSIB Night Shelter, (Women) Ph-II, Matiala	(AC-34) Matiala Ward No 37S	EEC-1	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
100	Office of the DUSIB shelter Pratap Nagar, Delhi	(AC-19) Sadar Bazar, Ward No. 81N Kishan Ganj	EEC-10	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017 handed over on 20.12.2017 to CDMO
101	Sunder Singh Gali Arya Pura Shishu Vatika, Delhi.	(AC-3), Timarpur, Ward No 13N, Malka Ganj	EEC-7	NOC issued vide letter No. D-151 dated 09.11.2017
102	RVK Sonia Camp Jhilmil Industrial Area - PWD	Sh. Rajender Pal Gautam (AC-63)	EEC-8	BVK
103	Community Centre at Blk-2 Tilak Nagar	Sh. Jarnail Singh Tilak Nagar (AC-29)	EEC-1	BVK/CS
104	BVK at C-76 Mayapuri	Sh. Vijender Garg Rajender Nagar (AC-39)	EEC-10	BVK
105	Night Shelter site at Dandi Park Opposite Hanuman Mandir, ISBT	Ms. Alka Lamba (AC-20) Chandani Chowk	EEC-7	Already Constructed
106	Night Shelter site at Sarai Kale Khan	Mr. Praveen Kumar (AC-41) Jangpura	EEC-5	Already Constructed
107	Night Shelter site at Cement Siding Shakurpur	Mr. Satyendar Jain (AC-15) Shakur Basti	EEC-12	Already Constructed

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)

Room No.38, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. F/PC/AQC/68/D-57 **Dated: 14.5.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing supplementary reply in r/o question no. 68.

Kindly find enclosed herewith the supplementary answer in r/o unstarred question no. 68 raised by Sh. Jitender Tomar, MLA.

Asstt. Director(PC)

68. श्री जितेन्द्र तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्न संख्या (क) से (ङ) तक

(च) चारदीवारी, प्रत्यक्ष या एजेंसियों के मार्फत तैनात कर्मचारियों के वेतन सहित इन प्लाटों की सुरक्षा व रखरखाव पर हुए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(छ) आज की तारीख में डी.यू.एस.आई.बी. की भूमि तथा अन्य चल और अचल संपत्तियों सहित कुल परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

प्रश्न संख्या (ज) से (ठ) तक

शहरी विकास मंत्री : (क) से (ड़) उत्तर 20.03.2018 को दिया जा चुका हैं।

(च) प्लाटों की चार दीवारी बनाने के ऊपर 2016–2017 व 2017–2018 में 93.95 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इन प्लाटों की सुरक्षा का प्रबन्धन दि.श.आ.सु.बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता के पास तैनात मेट व सहायक सुपरवाइजर द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त किया जाता है। इस कारण सुरक्षा हेतु अलग से कोई खर्चा नहीं किया जाता है। इस कारण सुरक्षा हेतु अलग से कोई खर्चा नहीं किया जाता। केवल भलस्वा के खाली प्लाटों की सुरक्षा पर रु. 10.85 लाख का खर्चा वर्ष 2017–18 में अभी तक किया गया है।

(छ) इस प्रश्न के उत्तर के लिए 3 माह का समय मांगा गया है।

(ज) से (ठ) उत्तर 20.03.2018 को दिया जा चुका है।

69. श्री जगदीश प्रधान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने झुग्गीवासियों को झुग्गियों के बदले मकान देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मकान देने का लक्ष्य रखा था;

(ग) पिछले तीन वर्ष में कितने झुग्गी वासियों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) इस हेतु वर्ष 2017—18 में कितनी धनराशि का प्रावधान था, इसमें कितना खर्च किया गया; और

(ङ) वर्ष 2018—19 के लिए कितने धन के प्रावधान का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) विभाग की जानकारी के अनुसार कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल 1658 मकान आवंटित किये गए हैं।

(घ) In situ slum Rehab के मद में वर्ष 2017—18 RE में 25 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान है। जिसमें से रुपये 10.17 खर्च किया गया।

(ङ) In situ Slum Rehab के में वर्ष 2018—19 के लिए रुपये 40 करोड़ धन के प्रावधान का प्रस्ताव है।

70. श्री जितेन्द्र तोमर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ स्तर के पदों के सृजन व उपलब्ध कैडर में से प्रोन्नति दिये जाने का डी.यू.एस.आई.बी. ने क्या औचित्य बताया है;

(ख) वरिष्ठ स्तर के पदों के सृजन व उन पर प्रोन्नति के लिए वैध ाानिक संस्थाओं से ली जाने वाली वे कौन सी अनुज्ञाएं हैं जो डी.यू.एस. आई.बी. के लिए भी अनिवार्य हैं;

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. में विगत तीन वर्षों में विभिन्न कैडर पदों परा होने वाली प्रोन्नतियों का ब्यौरा क्या है।;

(घ) वर्तमान स्टाफ व पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा संबन्धी नियम क्या हैं;

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. में कर्मचारियों के लिए सरकारी वाहन दिये जाने संबंधी नियम क्या हैं;

(च) डी.यू.एस.आई.बी. में स्टाफ कार का प्रयोग कर रहे स्टाफ का श्रेणीवार ब्यौरा व उन्हें उपलब्ध कराए गये, हायर परचेज के आधार सहित, वाहनों के मॉडल इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(छ) सेवानिवृत कर्मचारियों को डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ज) डी.यू.एस.आई.बी. के सतर्कता अनुभाग में कितने मामले लंबित हैं और कब से?

(झ) क्या डी.यू.एस.आई.बी. में कोई दागी अधिकारी किसी संवेदनशील पद तैनात हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) डुसिब एक्ट के प्रावधानों 6 (1) के तहत बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि बोर्ड को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता कर सकें। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में अपनी 18वीं बोर्ड मीटिंग में एक मुख्य अभियंता, दो अधिशासी अभियंता एवं तीन कार्यपालक अभियंता के पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। सृजन किए गए पद पूर्णकालिक नहीं हैं।

(ख) चूंकि डूसिब एक बोर्ड है और अपने कार्य के निष्पादन हेतु इस तरह के निर्णय बोर्ड की सहमति से ले सकता है। सृजन किए गए पद पूर्णकालिक नहीं हैं एवं डूसिब एक स्वतः वैधानिक बोर्ड है अतः इस कार्य के लिए किसी अन्य वैधानिक संस्था की अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं।

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. में विगत तीन वर्षों में विभिन्न कैडर पदों पर होनें वाली प्रोन्नतियों का ब्यौरा निम्नलिखित है–

1. अवर लिपिक
2. अपर लिपित
3. मुख्य लिपिक
4. सहायक निदेशक
5. उप निदेशक

6. वरिष्ठ लेखाधिकारी

7. वास्तुकार/सहायक वास्तुकार/वास्तुकार सहायक

8. वरिष्ठ इन्वेटिगेटर

9. सहायक अभियंता सिविल व विद्युत

10. अधिशासी अभियंता सिविल व विद्युत

11. अधिक्षण अभियंता सिविल व विद्युत

12. मुख्य अभियंता इत्यादि।

(घ) वर्तमान स्टाफ व पेंशन भोगियों द्वारा चयनित विकल्प के अनुरूप निर्धारित मासिक चिकित्सा भत्ता व निर्धारित परिसीमा के अंतर्गत ओ.पी.डी. चिकित्सा दावे का भुगतान किया जाता है एवं अस्पताल में दाखिल होने की स्थिति में नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाता है। भुगतान सेंटस्टीफन अस्पताल की निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है।

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. में क्षेत्र के सरकारी कार्य के लिए समूह ए स्तर के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन नियमानुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से दिया जाता है।

(च) सरकारी वाहन व किराये पर लिये गये वाहनों की सूची अधिकारी सहित संलग्न हैं।

(छ) सेवानिवृत कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही हैं–

1. पेंशन व पारिवारिक पेंशन की सुविधा।

2. चिकित्सा संबंधी सुविधाएं जो रेगुलर कर्मचारियों को दी जा रही हैं वहीं सेवानिवृत कर्मचारियों को भी दी जा रही हैं।

(ज) डी.यू.एस.आई.बी. के सतर्कता अनुभाग में फरवरी 2015 से निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ 7 आर.डी.ए. केस लंबित हैं। इसके अतिरक्त 14 केस में इन्क्वाइरी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 12 केस में इन्क्वाइरी लंबित है एवं 7 केस में माईनर पेनल्टी हेतु मामले लंबित हैं।

(झ) विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रशासन विभाग नियुक्तियां करते समय यह ध्यान रखता है कि दागी अधिकारी किसी संवेदनशील पद पर स्थापित न हो।

Current List of Vehicles of DUSIB

Sl.No.	Name & Officer	Designation	Vehicle No.	Make & Year	No. of Vehicles
1	2	3	4	5	6
1.	Sh. Shurbir Singh, I.A.S	Chief Executive Officer	DL11CA-0017	Maruti Ciaz Sigma, 2017	Ciaz-2017-01
2.	Sh. Ravi Dadhich	Member (Admn.)	DL6CM-2813	Maruti Sx4, 2012	Sx4-2011-03
3.	Sh. M.K. Tyagi	Member (Engg.)	DL6CJ-1390	Maruti Sx4, 2012	Sx4-2012-03
4.	Sh. S.K. Mahajan	CE-II	DL1CU-2565	Maruti Swift desire, 2015	Swift Desire, 2011-03
5.	Sh. Arun Sharma	CE-(Elect.)	DL1CJ-2618	Maruti Swift Desire, 2015	Swift Desire, 2012-02
6.	Sh. Bansh Raj Ram	Pr. Director (Admn.)	DL1CJ-9574	Maruti Sx4, 2011	Swift Desire, 2012-06
7.	Sh. Pushotam Pathak	C.A. (Tis Hazari)	DL6CM-3331	Indigo LX, 2012	Maruti Wagon R 2006-07
8.	Sh. R.K. Gupta	Director(JJR)	DL-6CJ-9573	Maruti Swift Dzire, 2011	Maruti Alto, 2012-01

9.	Sh. Jeet Ram	Director (T.P.)	DL1CR-5349	Maruti Wagon R, 2016	Mahindra Bollero, 2012-02
10.	Ms. Arti Lal Sharma, IAS	Director(AM)	DL1CU-2576	Maruti Swift Dzire, 2015	Zypsy, 2011-04
11.	Sh. B.V. Gautam	SE-IV	DL1CU-2585	Maruti Swift Desire, 2015	Indigo Lx-2012 -01
12.	Sh. N.H. Sharma	SE-I	DL6CJ-9572	Swift Desire, 2011	Maruti Van, 2011-13
13.	Sh. T.S. Grover	SE (Coord)	DL1CR-5332	Wagon, R 2016	Maruti Sx4, 2010-01
14.	Sh. R.R. Singla	SE(QC)	DL1CU2543	Maruti Swift Desire, 2015	Total -45
15.	Sh. Anil Bhan	SE(Elect.)	DL6CJ-9567	Gypsy, 2011	
16.	Sh. Shailender Dania	SE	DL-1CU-2598	Swift Dzire, 2015	
17.	Sh. I. K. Srivastav	EE(C-1)	DL3CCB-0917	Maruti Alto, 2012	
18.	Sh. Satish Sharma	EE(C-2)	DL-9CA-C4214	Swift Dzire, 2012	
19.	Sh. V.S. Fonia	EE(C-3)	DL6CJ-9631	Maruti Van, 2011	
20.	Sh. S.K. Varshney	EE(C-5)	DL1CR-5367	Maruti Wagon R, 2016	

1	2	3	4	5	6
21.	Sh. O.P. Pruthi	EE/C-6	DL-6-CJ-9609	Van, 2011	
22.	Sh. Kulbhushan Sharma	EE (C-7)	DL6CJ-9632	Van, 2011	
23.	Sh. P.K. Garg	EE/SBM-05	DL6CJ-9633	Maruti Van, 2011	
24.	Sh. Shyam Singh	EE(C-10)	DL1CR-5350	Maruti Wagon R, 2016	
25.	Sh. Ajay Sexena	EE(C-11)	DL1CR-5382	Maruti Wagon R, 2016	
26.	Sh. Anil Aggarwal	EE/(C-4)	DL6CJ-9608	Van, 2011	
27.	Sh. R.C. Meena	Tehsilder-II	DL6CJ-9630	Van, 2011	
28.	Night Shelter		DL6CJ-9612	Van, 2011	
29.	Rehabilitation		DL6CJ-9613	Maruti Van, 2011	
30.	Rehabilitation		DL6CJ-9631	Maruti Van, 2011	
31.	Sh. K. K. Sharma	EE/JSC	DL1CR-5617	Maruti Wagon R, 2016	
32.	Sh. P.D. Ashok	EE/Enforcement	DL6CJ-9611	Maruti Van, 2011	
33.	Sh. P.K. Mittal	SE(Electric)	DLICJ-9569	Gypsy, 2011	
34.	Sh. Sudhir Kashyap	EE(QC)/Elect	DL6CJ-9610	Van, 2011	
35.	Sh. N.K. Gera	EE/E&M	DL-2CQ-7805	Mahindra Bollero	

36.	Enforcement		DL-6CJ-9610	Van, 2011
37.	Co-ordination Section	Sh. V.K. Jain, Dy. Dir.	DL1CR-5408	Maruti Wagon R, 2016
38.	Pool Duty		DL-6CJ-9571	Swift Dzire, 2011
39.	Pool Duty		DL6CM-2812	Maruti Sx4, 2012
40.	Pool Duty		DL-2CQ-7807	Mahindra Bollero
41.	Pool Duty		DL-6CJ-9570	Gypsy, 2011
42.	Pool Duty		DL6CJ-9568	Gypsy, 2011
43.	Pool Duty		DL9CA-4213	Ssift Dzire, 2012
44.	Pool Duty		DL4CNE-0001	Maruti Sx4 Vxi, 2010
45.	Work Shop		DL6CJ-9628	Maruti Van, 2011
46.	Sh. Sunil Kumar Gupta	EE/E-2	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA
47.	Sh. R.C. Gupta	EE/E-4	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA
48.	Sh. Ram Das	EE/C-9	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA
49.	Sh. R. C. Meena	Dy. Director (RP/L&L)	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA

1	2	3	4	5	6
50.	Sh. Rajeev Kumar	EE/E-3	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	
51.	Sh. Naveen Jain	EE(Planning)	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	
52.	Sh. Phool Singh	EE/SBM-02	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	
53.	Sh. P.K. Bhagwani	EE/C-8	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	
54.	Sh. Kamal Singh	EE/C-12	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	
55.	Ms. Honey	Architect-2	Hired Vehicle	As per approved rate of DDA	

71. चौधरी फतेह सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.यू.एस.आई.बी. के पुरुष एवं महिला वर्ग के शौचालयों में तैनात देखरेख/सफाई कर्मचारियों में महिलाओं व पुरुष कर्मचारियों की अलग–अलग संख्या क्या है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. के पुरुष व महिला वर्ग के शौचालयों में रखे गयी डस्टबिनों की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(ग) शौचालय परिसरों में इलेक्ट्रिक फिक्स्चर उपलब्ध कराए जाने संबंधी नियम क्या हैं;

(घ) इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी है;

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. में सभी प्रकार के रैनबसेरों की कुल संख्या कितनी हैं;

(च) वर्ष 2010 के बाद डी.यू.एस.आई.बी. ने कितने रैनबसेरों का निर्माण किया हैं;

(छ) विगत दस वर्षों में रैन बसेरों के निर्माण व उनके रखरखाव पर कए गये खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ज) विगत दस वर्षों में रैन बसेरों सुचारू परिचालन, प्रबंधन व रखरखाव के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(झ) परिचालन, प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए रैनबसेरे आवंटित किए जाने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(अ) विगत पांच वर्षों में रैन बसेरों का परिचालन व रखरखाव जांचने के लिए कितनी बार रात्रि–निरीक्षण किया गया;

(ज) जिन अधिकारियों द्वारा ये निरीक्षण किया गया उनकी सूची प्रदान करें; और

(ड़) विगत पांच वर्षों में डी.यू.एस.आई.बी. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रैनबसेरों के रात्रि निरीक्षण की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा जनसुविधा परिसरों का देखरेख व रखरखाव का कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा रखरखाव एजेंसियों को सौंपा जाता है। विभाग द्वारा कर्मचारी तैनात/नियुक्त नहीं किये जाते।

(ख) पुरुष वर्ग में एक तथा महिला वर्ग में एक से दो अथवा जरूरत अनुसार।

(ग) शौचालय परिसरों में इलेक्ट्रिक फिक्स्चर सी.पी.डब्लू.डी. मैन्युअल मानकों के आधार पर लगाये जाते हैं।

(घ) इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता एवं अधिक्षण अभियंता (विद्युत) की है।

(ङ) रैनबसेरों की कुल संख्या 266 है इनमें से 198 स्थायी रैन बसेरे हैं।

(च) वर्ष 2010 के पहले 27 स्थायी रैन बसेरे थे। 2010 के बाद कुल 171 स्थायी रैन बसेरे बनाए गये।

(छ) विगत दस वर्षों में रैन बसेरों के सुचारू परिचालन व रखरखाव के लिए कुल रुपये 10989.68 लाख अब तक खर्च हुए हैं।

(ज) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही हैं जिसमें लगभग एक महीने का समय लगेगा। अतः उचित समय दिया जाये।

(झ) उपरोक्त

(अ) उपरोक्त

(ट) उपरोक्त

(ड़) उपरोक्त

72. श्री पंकज पुष्कर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों की संख्या क्या है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना को लागू करने वाले अधिकारियों के नाम क्या है;

(ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत निर्मित फ्लैटों पर हुए कुल खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन फ्लैटों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) राजीव आवासीय योजना के अंतर्गत यदि कोई एस. फ्लैटों का निर्माण हुआ है तो उनका ब्यौरा ई.डब्ल्यू.एस. और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) राजीव आवास योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के निर्माण पर हुए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत डूसिब द्वारा निर्मित कुल 10684 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट हैं।

(ख) यह कार्य दिल्ली सरकार की स्कीमों के अंतर्गत डूसिब द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद डूसिब के अधिकारियों CEO, M (Engg), CE, SE & EE द्वारा किये जाते हैं।

(ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत निर्मित फ्लैटों पर हुए कुल खर्च का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1 वर्ष 2008—09	6.36 लाख
2 वर्ष 2009—10	401.3 लाख
3 वर्ष 2010—11	1013.92 लाख
4 वर्ष 2011—12	3930.52 लाख
5 वर्ष 2012—13	18753.17 लाख
6 वर्ष 2013—14	25129.37 लाख
7 वर्ष 2014—15	13099.66 लाख
8 वर्ष 2015—16	16432.14 लाख
9 वर्ष 2016—17	7871.22 लाख
10 वर्ष 2017—18	(Upto 28.02.18 तक)
	1424.78 लाख

(घ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुल 18084 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट बनाने का प्रावधान था जिनमें से 10684 फ्लैटों का निर्माण हो चुका है। 7400 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

(ङ) राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

(च) उपरोक्त।

73. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की झुग्गी बस्तियों को उसी स्थान पर बसाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दें और यह योजना कहां–कहां पर लागू हो चुकी है;

(ग) सरकार का और कहां–कहां पर इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस मद में कितनी धनराशि का प्रावधान था और उसमें से कितना खर्च हुआ; और

(ङ) वर्ष 2018–19 में कितने धन के प्रावधान का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) अभी कोई योजना फाइनल नहीं हो पायी है।

(ग) उपरोक्त

(घ) वित्तीय वर्ष 2017–19 में इस In-Situ मद में RE में रुपये 25 लाख का प्रावधान था और उसमें से अभी तक 10.17 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(ङ) वर्ष 2018–19 में In-Situ मद में 40 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव विचाराधीन है।

74. श्री पंकज पुष्कर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड में विभिन्न संवर्गों में कुल स्वीकृत पदों और इनमें से रिक्त और भरे गए पदों की संख्या का विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड में कार्यरत स्टॉफ के वेतन पर होने वाले कुल मासिक खर्च का विवरण;

(ग) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड में मस्टर रोल पर कार्यरत स्टॉफ को पद ओर संवर्ग वार नियुक्ति की वास्तविक तिथि और इन्हें आगे नियमित करने की योजना का विवरण क्या है;

(घ) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड में किसी एजेंसी के माध्यम से या सीधे भर्ती काण्ट्रेक्चुअल स्टॉफ की संख्या का विवरण क्या है;

(ङ) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड की ट्रांस्फर और पोस्टिंग नीति क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है :

श्रेणी	स्वीकृत पद	रिक्त पद
क	86	16
ख	237	45
ग	1253	698
घ	507	231

(ख) वर्तमान में दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड मे कार्यरत स्टॉफ के वेतन पर मासिक खर्चा 816.37 लाख रुपये है।

(ग) मस्टर रोल भर्ती 59 व्यक्तियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है। चूंकि उमादेवी बनाम कर्नाटक सरकार एवं अन्य के सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशानुसार यह लोग जोकि 2004 में भर्ती हुए थे उन्हें 2006 में आए उपरोक्त निर्देशानुसार नौकरी में 10 साल की अवधि पूरी नहीं हुई थी। (59 लोगों की सूची संलग्न है)

(घ) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड में सीधी भर्ती द्वारा काण्ट्रेक्चुअल स्टॉफ का विवरण निम्नलिखित है :–

1. इंजीनियर इंटर्न सिविल–45
2. इंजीनियर इंटर्न विद्युत–16

3. विधि सहायक—03

4. इंटर्न वास्तुकार—02

5. पटवारी—1

6. वित्तीय सलाहकार—1

7. आशुलिपिक—1

8. डाटा एंट्री ऑपरेटर—92

9. प्रोग्रामर—3

10. सिस्टम एनाजिस्ट—1

11. मीडिया कोआर्डिनेटर—1

(ङ) विभाग में कर्मचारियों की कमी है अतः ट्रांस्फर पोस्टिंग विभागीय आवश्यकता अनुसार की जाती है।

An year wise detail of engagement of M/Roll officials is as under :

Sl.No.	Name	Designation	Name of Division	Year of engagement
1	2	3	4	5
1.	Riyasat Ali	Mali	Hort.	06.01.2004
2.	Basindhar	Mali	Hort.	06.01.2004
3.	Smt. Geeta	Collie	Hort.	06.01.2004
4.	Vipin Kumar	Mali	Hort.	13.02.2004

1	2	3	4	5
5.	Vindhyachal Singh	Supervisior	Hort.	06.01.2004
6.	Upender Nath Singh	Supervisior	Hort.	06.01.2004
7.	Harmesh Kumar	Chowkidar	Hort.	01.04.2004
8.	Sushil	Mali	Hort.	06.01.2004
9.	Abhimanu Singh	Mali	Hort.	06.01.2004
10.	Hemender Singh	Mali	Hort.	06.01.2004
11.	Hari Nath	Mali	Hort.	06.01.2004
12.	Naresh	Mali	Hort.	06.01.2004
13.	Parvinder Kumar	Mali	Hort.	14.07.2004
14.	Vijay Bhushan	Mali	Hort.	13.02.2004
15.	Vipin Kumar	Mali	Hort.	29.01.2004
16.	Deepak Kumar	Mali	Hort.	03.09.2004
17.	Chandar Dev Paswan	Security Guard	El	04.08.2004
18.	Pitamber Dutt	Khallasi cum Helper	E3	31.07.2004
19.	Vikrarn Singh	Khallasi cum Helper	E3	31.07.2004
20.	Sunil Kumar	Khallasi cum Driver	E-3	31.07.2004
21.	Vipin Kumar	Driver	E3	31.07.2004
22.	Dinesh Kumar	Driver	E-3	31.07.2004
23.	Suraj' Pal	Chowkidar	Cl	16.06.2004

1	2	3	4	5
24.	Sachin Jain	Chowkidar	C5	01.10.2004
25.	Abhijeet Basoya	Asstt. Supervisior	C-6	14.07.2004
26.	Manveet Sharma	Chowkidar	C-6	1.10.2004
27.	Nagendra Mehto	Chowkidar	C8	05.08.2004
28.	Sanjay kumar	Security Guard	El	16.03.2005
29.	Jogender Kumar	Security Guard	El	16.03.2005
30.	Sunil Kumar Mishra	Security Guard	El	07.04.2005
31.	Mukesh Sharma	Security Guard	E2	16.03.2005
32.	Gopal Dass	Security Guard	E2	16.03.2005
33.	Vijay	Security Guard	E2	16.03.2005
34.	Amar Nath	Security Guard	E2	16.03.2005
35.	Mukesh Kumar	Security Guard	E2	16.03.2005
36.	Jai Bahadur	Security Guard	E2	16.03.2005
37.	Satyendra Kumar Singh	Security Guard	E2	16.06.2005
38.	Darban Lal	Security Guard	E2	16.03.2005
39.	Rajan Kumar	Security Guard	E2	16.03.2005
40.	Brijesh Kumar Yadav	Security Guard	E2	16.03.2005
41.	Poonam	Coolie	C4	16.03.2005
42.	Sanjeev Kumar	Security Guard	C4	16.03.2005
43.	Jitender Singh Rawat	Security Guard	E4	16.03.2005
44.	Vinod Kumar	Security Guard	E4	16.03.2005

1	2	3	4	5
45.	Vijay Kumar	Chowkidar	C-6	17.03.2005
46.	Vijay Rani	Peon	C7	30.06.2005
47.	Manish Aggarwal	Chowkidar	C7	16.05.2005
48.	Tarun Sharma	Chowkidar	C9	16.05.2005
49.	Puneet Kataria	Chowkidar	C10	16.05.2005
50.	Sh. Rohit Kumar	S/Guard	E-3	16.03.2005
51.	Ashutosh	Security Guard	E3	16.03.2005
52.	Ram Khilari	Security Guard	E3	16.03.2005
53.	Wasim	Security Guard	E3	16.03.2005
54.	Ramesh	Security Guard	E3	16.03.2005
55.	Chander Mohan	Security Guard	E3	16.03.2005
56.	Ram Khilari	Security Guard	E3	16.03.2005
57.	Pankaj Kumar	Security Guard	E2	16.03.2005
58.	Inder Kumar Sagar	Chowkidar	C9	02.09.2008
59.	Chander Mohan	Chowkidar	C4	19.12.2009

75. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में डी.यू.एस.आई.बी. ने डब्ल्यू.सी. सीट वाले कितने शौचालय परिसरों का निर्माण किया है व इनके निर्माण मे कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. के अंतर्गत कुल शौचालय परिसरों में से कितने इसके गठन अर्थात 2010 के पहले से थे और कितने बाद में बनाए गए, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2010 के बाद से इन सभी शौचालय परिसरों की देखरेख पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत शौचालय परिसरों की सूची तथा ऐसे सभी शौचालय परिसरों पर होने वाले बिजली खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ङ) जिन अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम से शौचालय परिसरों को बिजली खपत राशि के भुगतान के बकाए के साथ ही अधिगृहीत किया उनकी सूची क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि आज की तारीख में कम से कम 150 शौचालय परिसर ऐसे हैं जिनमें वैध बिजली कनेक्शन नहीं है और वहां मुख्य लाइन अवैध बिजली लेकर काम चलाया जा रहा है।

(छ) ऐसी खतरनाक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ज) पूर्व निर्मित शौचालयों, मोबाइल टॉयलेट वैनों, पोर्टेबल क्युबिकल शौचालयों आदि सहित सभी शौचालयों तथा डी.यू.एस.आई.बी. की सभी परिसंपत्तियों में बिजली कनेक्शन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(झ) कितने शौचालय दिव्यांगों के अनुकूल हैं और कितने शौचालय एसे हैं जो दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं; और

(ञ) उक्त शौचालयों का पिछले पांच वर्ष का शौचालय परिसरवार ब्यौरा क्या है।

शहरी विकास मंत्री : (क) विगत पांच वर्षों में डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा 245 शौचालय परिसरों का निर्माण किया गया। शौचालयों के निर्माण व उन्नयन में कुल 140.50 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. के अंतर्गत आने वाले 620 शौचालय परिसरों में से 183 शौचालय परिसर 2010 से पहले के थे व 245 शौचालय परिसर 2010 के बाद मे बनाये गये। इसके अतिरिक्त 192 शौचालय परिसर दिल्ली नगर निगम से समय–समय पर अधिगृहीत किये गये हैं।

(ग) वर्ष 2010 के बाद से 2016–2017 तक पे एण्ड यूज योजना के अंतर्गत कुल निर्माण व रखरखाव पर 146.52 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

(घ) दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत शौचालय परिसरों की सूची संलग्न है। दिल्ली नगर निगम अधिगृहीत शौचालय परिसरों में रखरखाव एजेंसियों द्वारा बिजली कनेक्शन स्वयं लिए गये एवं बिजली का खर्च रख–रखाव एजेंसियों द्वारा दिया गया।

(ङ) यह एक पोलिसी निर्णय था, अतः इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है।

(च) टेन्डर की शर्तों के अनुसार बिजली का इंतजाम व कनेक्शन रखरखाव एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। आज की तारीख में 67 शौचालय में कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। जिनमें स्थानीय व्यवस्था की

गयी है। DISCOM के द्वारा MCD के समय के लंबित बकाया राशि के कारण कनेक्शन देने से मना करने के कारण कनेक्शन लंबित हैं। अब माननीय मंत्री (शहरी विकास) की स्वीकृति के बाद MCD की बकाया राशि को ड्रसिब के द्वारा देने के बाद DISCOM के अधिकारी कनेक्शन देने के लिए तैयार हो गये हैं और उम्मीद है कि एक महीने में सभी शौचालयों में मीटर लग जायेगा।

(छ) उपरोक्त

(ज) DUSIB के टॉयलेट में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जिम्मेदारी ओ. एण्ड एम. एजेंसी की है, कुछ काम्पलेक्स में डीस्कोम ने कनेक्शन देने से मना किया था क्योंकि MCD के समय के ड्यूज पेन्डिंग थे। अब माननीय मंत्री (शहरी विकास) के द्वारा एमसीडी के ड्यूज दे दिये गये हैं। व अब डीस्कोम ने कनेक्शन देने की तैयारी कर ली है। DUSIB के 620 कॉम्पलेक्स में से 453 में इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए है व 67 मे अप्लाई किया हुआ है और 100 एम.टी.वी. व पोर्टेबल में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है।

(झ) 372 शौचालय दिव्यांग अनुकूल हैं तथा 248 शौचालय दिव्यांग अनुकूल नहीं हैं जिनमें ऐसा प्रावधान करने के प्रयास जारी हैं।

(ञ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

76. श्रीमती बंदना कुमारी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास उपलब्ध कुल हॉल की संख्या, सामुदायिक हॉल्स के आवंटन की नीति और दिल्ली आश्रय सुधार

बोर्ड द्वारा पिछले दस वर्षों में किराये के रूप में प्राप्त की गई राशि का विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के सामुदायिक हाल्स के आवंटन की नीति बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण;

(ग) आज की तारीख में कितने सामुदायिक हॉल्स खाली पड़े हैं, बाकी हॉल्स किन शर्तों पर किराये पर किसको दिए गए हैं;

(घ) पिछले दस बरसों में सामुदायिक हॉल्स की कितनी वसूली की गई और इन वसूलियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण क्या है;

शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अंतर्गत 194 सामुदायिक भवन उपलब्ध है। इनके आवंटन की नीति निम्न प्रकार है–

सामुदायिक हाल का निर्माण सामाजिक कार्य जैसे कि शादी, ब्याह एवं क्रिया इत्यादि के लिए किया जाता है।

वर्तमान में इन भवनों की बुकिंग प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर की जाती है।

किराये की राशि जगह व क्षेत्र के हिसाब से तय की गई है।

अति आवश्यक पब्लिक के कार्य हेतु सामुदायिक भवन का आवंटन सरकारी विभाग को किया जाता है।

वर्तमान में गैर सरकारी संस्था को आबंटन करने की कोई नीति नहीं है।

पिछले दस वर्षों (2007—08 से 2016—17 तक) में लाइसेंस फी/बुकिंग चार्ज एवं अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि रु. 2768.93 लाख हैं।

(ख) सामुदायिक भवन के आवंटन की नीति निर्धारित करने का अधिकार बोर्ड के पास है।

(ग) सामुदायिक भवन प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर शादी, ब्याह, सामाजिक कार्य, क्रिया इत्यादि के लिए स्थानीय निवासियों को उपलब्ध कराया जाता है। इनकी बुकिंग सम्बंधित क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता के कार्यालय में की जाती है।

(घ) पिछले दस वर्षों (2007—08 से 2016—17 तक) में लाइसेंस फी/बुकिंग चार्ज एवं अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि रु. 2768. 93 लाख हैं।

सामुदायिक भवन प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर बुक किया जाता है और इसकी वसूली के लिए क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होता है।

77. श्री दिनेश मोहनिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो तीन साल से लगातार या रूक रूक कर एक ही डिवीजन/स्थान पर कार्यरत है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. में विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के नियम क्या हैं;

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. के रिक्त पदों को भरने के शेडयुल प्लान क्या है;

(घ) डी.यू.एस.आई.बी. में पदों के सृजन के क्या नियम है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि हाल ही में वर्किंग हैण्डस ऑफ जूनियर इंजीनियर्स के पद सरैण्डर कर सुपरिटैंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के पदों का सृजन किया गया;

(च) यदि हां तो किन नियमों के तहत इन पदों का सृजन किया गया?

(छ) क्या इस हेतु डी.ओ.पी.टी. से स्वीकृति ली गई थी;

(ज) ऐसे पदों के सृजन का क्या औचित्य है; और

(झ) नये पदों के सृजन के सी.पी.डब्यु.डी. के नार्म्स से तुलनात्मक विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री : (क) 44 इंजीनियर्स तीन साल से एक ही डिवीजन/स्थान पर कार्यरत है।

(ख) विभाग के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति विभिन्न पदों के भर्ती नियमों के अंतर्गत की जाती है जोकि डी.डी.ए. में लागू है। ग्रुप क में 6 प्रकार के पद उपलब्ध है, ग्रुप ख में 8 प्रकार के पद उपलब्ध है एवं ग्रुप ग में 20 प्रकार के पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हैं।

(ग) सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 61 जूनियर इंजीनियर (सिविल) एवं 27 जूनियर इंजीनियर (विद्युत) के पदों को भरने के लिए पत्र भेजा है।

सीधी भर्ती के अन्य रिक्त पदों के भरने के लिए भी विभाग कार्यवाई कर रहा है।

प्रोन्नति द्वारा भी रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रतिनियुक्ति तथा संविदा के आधार पर भी कुछ नियुक्तियां की गई है।

(घ) डूसिब एक्ट के प्रावधानों 6.1 तथा 30 के तहत बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि बोर्ड को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता कर सके। चूंकि डूसिब एक बोर्ड है अपने कार्य के लिए निष्पादन हेतु इस तरह के निर्णय बोर्ड की सहमति से ले सकता है।

(ङ) जी हां। केवल जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 10 एवं जूनियर इंजीनियर (विद्युत) के 8 रिक्त पदों को सरैण्डर किया गया।

(च) डूसिब एक्ट के प्रावधानों 6.1 तथा 30 के तहत बोर्ड ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि बोर्ड को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता कर सकें। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपनी 18वीं बोर्ड मीटिंग में सुपरिटैडिंग इंजीनियर (सिविल) व (विद्युत) और चीफ इंजीनियर्स (सिविल) व (विद्युत) के पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। इन पदों के सृजन हेतु 10 खाली पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) एवं 8 खाली पद जूनियर इंजीनियर (विद्युत) को सरेंडर किया गया था। ताकि विभाग पर वित्तीय बोझ ना पड़े। सृजन किए गए पद पूर्णकालिक नहीं है।

(छ) चूंकि डूसिब एक बोर्ड है अपने कार्य के निष्पादन हेतु इस तरह के निर्णय बोर्ड की सहमति से ले सकता है। चूंकि सृजन किए गए पद

पूर्णकालिक नहीं है एवं डूसिब एक स्वतः वैधानिक बोर्ड है अतः इस कार्य के लिए किसी अन्य वैधानिक संस्था की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ज) उपरोक्त।

(झ) संबंधित नहीं है।

78. श्री बंदना कुमारी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रद्द किए गए फ्लैटस की डी.यू.एस.आई.बी. की क्या नीति है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. की मैरिज चंक/पार्किंग साइट्स के आवंटन की नीति क्या है और ऐसी साइट्स की बुकिंग से प्राप्त राशि का विवरण क्या है;

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. के श्रेणीवार कितने स्टॉफ क्वार्टर्स है और कितने स्टॉफ क्वार्टर्स खाली हैं और कब से; और

(घ) डी.यू.एस.आई.बी. की स्टॉफ क्वार्टर्स आवंटन की नीति क्या है;

शहरी विकास मंत्री : (क) प्रश्न स्पष्ट है कि किन फ्लैट्स की जानकारी मांगी गई है।

(ख) अस्थाई आबंटन के लिए बोर्ड प्रमुख समाचार पत्रों, हिन्दी एवं अंग्रेजी में विज्ञापन जारी करता है और ई–टेण्डर द्वारा अधिकतम बोलीदाता को आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त राशि निम्न प्रकार है–

1. मैरिज चंक (5) – रु. 8,77,00,000/– प्रतिवर्ष
2. पर्किंग साइटस (4)–रु. 1,34,69,280/– प्रतिवर्ष

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. में कुल स्टॉफ क्वार्टर्स की संख्या 352 है जिनमें से 213 आवंटित है एवं 139 खाली है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात कई स्टाफ क्वार्टर्स खाली हुए है।

(घ) स्टॉफ क्वार्टर्स आबंटन करने हेतु एक आबंटन कमेटी का गठन किया गया है। समय–समय पर आबंटन कमेटी प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए बैठक करती है और पात्रता अनुसार आबंटन करती है।

79. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डी.यू.एस.आई.बी. के अंतर्गत कितने सामुदायिक भवन है;

(ख) इनमें से कितने समुदाय भवनों को एन.जी.ओ. को किराये पर दिया गया है;

(ग) इन समुदाय भवनों को किराये पर देने की क्या नीति है;

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ एन.जी.ओ. नियमित रूप से किराये का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ तो उन पर कितनी राशि बकाया है; और

(च) सरकार उनसे यह राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री : (क) डी.यू.एस.आई.बी. के अंतर्गत 194 सामुदायिक भवन है।

(ख) बोर्ड के गठन से पहले 31 एन.जी.ओ. को सामुदायिक भवन किराये पर दिये गए हैं।

(ग) वर्तमान में सामुदायिक भवन को गैर सरकारी संस्था के आवंटन की कोई नीति नहीं है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के गठन के बाद सामुदायिक भवन का कोई भी आबंटन किसी गैर सरकारी संस्था को नहीं किया गया है। सामुदायिक भवन का इस्तेमाल सामाजिक कार्य/शादी, ब्याह इत्यादि के लिए प्रतिदिन बुकिंग के आधार पर किया जाता है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) जो एन.जी.ओ. राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनकी कुल देय राशि का विवरण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है जिसे एक महीने में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(च) पिछले एक वर्ष में 24 नोटिस दिए गए हैं। वसूली की प्रक्रिया के लिए संबंधित शाखा अपने रिकार्ड से देखने के पश्चात, लाइसेंस फीस देय न होने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस के लिए अपने सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नोटिस देने के पश्चात जिन एन.जी.ओ. का पैसा बकाया होता है सरकार उससे पैसे वसूलने हेतु कलैक्टर/सहायक कलैक्टर के सम्मुख ब्यौरा पेश कर लैण्ड रिवेन्यु अधिनियम के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है।

80. श्री राजू धिंगान : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्ती विकास समिति के क्रियाकलापों में बोर्ड को सहायता एवं सलाह देने के लिए डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा कितनी समितियां गठित की गयी हैं;

(ख) बस्ती विकास समिति को गठित करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं जो जनहित के कार्य कर सकें;

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा वर्ष 2010 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को झुग्गी झोंपडी से हटाकर एल्टरनेटिव आवास प्रदान करने हेतु पुनर्वास के लिए वर्ष वार कितनी हाउसिंग स्कीम शुरू की गई है, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) हाउसिंग स्कीम शुरू करने वाले और लागू करने वाले अधिकारियों के पद नामों का विवरण क्या है;

शहरी विकास मंत्री : (क) अभी तक बस्ती विकास समितियों का गठन नहीं हुआ है।

(ख) डूसिब बोर्ड को डूसिब एक्ट 2010 के अनुसार गठन करना है।

(ग) ऐसी 6 हाउसिंग स्कीम बनाई गई है जिसकी सूची संलग्न है।

(घ) हाउसिंग स्कीम दि.श.आ.सु. बोर्ड के अभियांत्रिक, वित्त व्यय व प्रशासन विभागों के समन्वय से शुरू की जाती है।

संलग्नक–1

Year Wise Status of EWS Housing under JNNURM

Present Status	Sl No.	Location	No. of units
Completed	1.	Dwarka Site-II	736
	2.	Dwarka Site-III	288
	3.	SultanPuri	1060
	4.	Dwarka Site-I	980
	5.	Savda Ghevra	7620
Completed Total			**10684**
In Progess	6.	Bhaswa Jhangirpuri	7400
In Progess Total			7400

81. श्रीमती बंदना कुमारी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों में डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा कितने नशा मुक्ति केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने लोगों को नशे से मुक्त करने हेतु इलाज किया गया;

(ग) पिछले पांच वर्षों में नशा मुक्ति केन्द्र चलाने पर कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(घ) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा अपने भवनों, पोर्टा केबिन्स और अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए;

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. कितनी शिशु वाटिका है और इनका कुल वर्ग मीटर क्षेत्रफल कितना है; और

(च) पिछले दस वर्षों में शिशु वाटिका केन्द्रों के रखरखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गयी?

शहरी विकास मंत्री : (क) डी.यू.एस.आई.बी. के चार रैन बसेरों में अप्रैल 2016 से NGO, SPYM द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

(ख) NGO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन केन्द्रों में अब तक कुल 1022 लोगों को नशे से मुक्त करने हेतु इलाज किया गया।

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा इन चार रैन बसेरों में अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक कुल रुपये 33,96,000/— व्यय किये गये। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए दवाइयां व खाने का खर्चा एन.जी.ओ. द्वारा स्वयं किया गया।

(घ) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा अपने भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा विभाग में उपलब्ध तर्क चार्ज चौकीदारों द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. के अंतर्गत 277 शिशु वाटिकाएं हैं जिनका क्षेत्रफल 150416 वर्ग मीटर है।

(च) पिछले दस वर्षों में शिशु वाटिका केन्द्रों के रखरखाव पर 1721.52 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

82. श्रीमती बंदना कुमारी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पी.जी. एम.एस.) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित 3823 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 94 शिकायतें अभी लंबित हैं;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 19 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं ;

(ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 404 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हां तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए।

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इसके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें; और

(ञ) इन शिकायतो का निवारण कितने समय में हो जायेगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है कि दिनांक 27.02.2018 तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित 3823 पी.जी.एम.एस. शिकायतें दर्ज की गई थी जिनमें से 94 शिकायतें लंबित थीं जिसमें से 42 शिकायतों का अंतरिम जवाब विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका है।

(ख) (ग) जी हां, यह भी सत्य है कि दिनांक 27.02.2018 तक इनमें से 19 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित थी लेकिन ये कम्प्यूटर सिस्टम आधारित सेवा है जिसका डाटा गतिशील होन के कारण बदलता रहता है। दिनांक 15.03.2018 को इस प्रकार की 22 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से अधिक से लंबित हैं जिन्हें जल्द से जल्द निवारण कर दिया जायेगा।

(घ) (ङ) जी हां, यह भी सत्य है कि दिनांक 27.02.2018 तक 404 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही की आवेदनकर्ता के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया गया है।

इस संदर्भ में बताना उचित होगा कि शिकायतों पर कार्यवाही केवल विभागीय नीतियों द्वारा ही की जाती है। इन सब को ध्यान में रखकर ही आवेदनकर्ता को जवाब दिया जाता है। हालांकि विभाग द्वार इन शिकायतों को समय–समय पर संबंधित शाखा अधिकारियों को संतोषजनक जवाब देने हेतु पुनः भेज दिया जाता है। यह सूचना भी गतिशील है एवं समय समय पर बदलती रहती है।

(च) जी हां, यह भी सत्य है।

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर संतोषजनक जवाब देने हेतु सभी शाखााधि ाकारियों की सभा बुलाकर उन्हें समय पर शिकायतों के निवारण हेतु निर्देश दिये जाते है।

(ज) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा 17 सहायक शिकायत निवारण अधिकारी (ए.जी.आर.ओ.) बनाए गए हैं निवारण हेतु विभाग द्वारा सभी शिकायतें तुंरत सबंधित शाखा अधिकारी (ए.जी.आर.ओ.) को ऑनलाइन द्वारा भेज दी जाती है। दिनांक 15.3.18 तक इस प्रकार की 3869 शिकायतें विभिन्न अधिकारियों को भेजी गई जिसकी सूची संलग्न है।

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इसके निवारण हेतु सरकारी की नीतियों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की है जिसका पूर्ण विवरण पी.जी.एम.एस. वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

(ञ) इन शिकायतें के शीघ्रातिशीघ्र निवारण हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। दिनांक 15.03.2018 तक कुल 86 शिकायतें ही लंबित है जिसमें से 42 का अंतरिम जवाब विभाग द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। गतिशील डाटा होने के कारण कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती परन्तु प्रयास किया जाता है कि शिकायतों का निवारण तुरंत कर दिया जाये। इसके साथ ही बताना उचित होगा कि विभाग सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही कार्य करता है। अधिकतर शिकायतों में नीतियों और न्यायालय की कार्यवाही भी शामिल होती हैं। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इन शिकायतों के निवारण में कितना समय लगेगा।

83. श्री एस.के. बग्गा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.यू.एस.आई.बी. में कितने डब्ल्यू.सी. सीट शौचालय पुरुषों, महिलाओं, बच्चों व दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, अलग–अलग संख्या क्या है;

(ख) इन शौचालयों से कितनी आबादी लाभान्वित है;

(ग) इन शौचालयों के निर्माण के लिए अपनाएं जाने वाले नियम क्या हैं और उन नियमेां की स्वीकृति किससे ली गई;

(घ) रात के समय ये शौचालय कितने कार्यक्षम हैं, इसकी जांच के लिए कितनी बार निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षकों की क्या टिप्पणियां रहीं;

(ङ) इन शौचालयों में दिन के समय और विशेषकर रात के समय महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) शौचालय परिसर के रात्रि प्रयोग के संबंध में इनके परिचालन व रखरखाव संबंधी शर्तें क्या हैं;

(छ) निगर निगम से अधिगृहीत डब्ल्यू.सी. शौचालयों सहित कुल शौचालय परिसरों की संख्या क्या है और उन्नयन पर कुल कितना खर्च किया गया;

(ज) उक्त शौचालय कब अधिगृहीत किए गए, उनके उन्नयन के लिए एस्टीमेट कब तैयार किया गया और अंततः उन्हें जनता के प्रयोग के लिए

कब खोला गया तथा जनता के उपयोग लायक बनाने मे आए कुल खर्च का ब्यौरा वर्षवार क्या है;

(झ) दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत किए जाने और उन पर खर्च किए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है।

(ञ) ऐसे सभी शौचालय परिसरों का ब्यौरा जिनका अवशिष्ट सीधे सीवर लाइन में, सेप्टिक टैंक में, बायो डाइजेस्टर्स में अथवा नालों में जाता है; और

(ट) उन अधिकारियों का नाम क्या है जो मानव अवशिष्ट को सीधे नालों में बहने दे रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) डी.यू.एस.आई.बी. में 19175 डब्ल्यू.सी. सीट शौचालय हैं जिनमें 9681 डब्ल्यू.सी. सीट पुरुषों के लिए, 8440 डब्ल्यू.सी. महिलाओं के लिए, 438 डब्ल्यू.सी. सीट बच्चों के लिए 616 डब्ल्यू.सी. दिव्यांगों के लिए है।

(ख) ये शौचालय 675 जे.जे. बस्ती में रहने वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

(ग) इन शौचालयों के निर्माण 2014 के पहले मिनिस्ट्री आफ हुपा, केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार 50 व्यक्तियों पर एक डब्ल्यू.सी. बनाने का प्रावधान था जो अब स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के आने से 30 व्यक्तियों पर एक डब्ल्यू.सी. है।

(घ) दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार सभी शौचालय 01/01/2018 से फ्री कर दिए गए हैं और 24 घंटे खुलेगें रात्रि के समय सभी शौचालय

प्रयोग हेतु खुले हैं। रात्रि के समय डूसीब द्वारा निमित अधिकारियों से एक बार औचक निरीक्षण कराया गया। जिनकी टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं :—

1. कम यूजर पाये गये।

2. सुरक्षा व कानून व्यवस्था की समस्या।

(ङ) रखरखाव एवं देखभाल एजेंसियों ने दिन एवं रात में केयर टेकर नियुक्त किये हुए हैं और प्रकाश की सम्पूर्ण व्यवस्था सभी परिसरों में है। सुरक्षा के हिसाब से सभी शौचालयों में रात्रि के समय प्रकाश की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा केयर टेकर नियुक्त हैं।

(च) रखरखाव व देखभाल एजेंसियों को रात्रि के समय आवश्यकता अनुसार डब्ल्यू.सी. सीटों को जनता हेतु खोलने हेतु हिदायत दी गई है।

(छ) समय—समय पर नगर निगम से 192 शौचालय अधिगृहीत किये गये व आवश्यकता अनुसार उनका उन्नयन किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एक महीने का समय दिया जाये।

(ज) उक्त शौचालयों को अधिगृहीत करने की प्रक्रिया 2014 से अभी तक चल रही है। आवश्यकता अनुसार समय—समय पर उनका उन्नयन कार्य किया गया व तैयार होने पर जनता को समर्पित किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए एक महीने का समय दिया जाये।

(झ) दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम के अनुसार डूसिब के अधिकारियों द्वारा यह काम किये गये। (CE/SE/EE/CIVIL AND ELECTRIC)

(ञ) 391 शौचालय परिसरों का अवशिष्ट सीवर लाइन में, 219 शौचालय सेप्टिक टैंक में व 10 शौचालयों का खुले नालों में जाता है।

(ट) खुले में शौच करने की समस्या से निपटने के लिए व अवशिष्ट विसर्जन का कोई उपर्युक्त विकल्प के अभाव में अस्थाई तौर पर 10 शौचालयों का अवशिष्ट नालों में जा रहा है। इन शौचालयों को डिवीजन नम्बर सी–4, सी–8 और सी–11 के अधिशासी अभियंताओं द्वारा स्थाई समाधान के प्रयास जारी हैं।

84. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डूसिब में अत्यधिक पद रिक्त हैं;

(ख) डूसिब में पदानुसार कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डूसिब में अत्यधिक पद रिक्त होने से डूसिब अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है;

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए डूसिब क्या कदम उठा रहा है, पूर्ण ब्यौरा दें।

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ।

(ख) स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है :

श्रेणी	स्वीकृत पद	रिक्त पद
क.	86	16
ख.	237	45
ग.	1253	698
घ.	507	231

(ग) हाँ, हालांकि इस कमी से निपटने के लिए संविदा एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ नियुक्तियां की गई हैं।

(घ) सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 61 जूनियर इंजीनियर (सिविल) एवं 27 जूनियर इंजीनियर (विद्युत) के पदों को भरने के लिए पत्र भेजा है।

सीधी भर्ती के अन्य रिक्त पदों के भरने के लिए भी विभाग कार्रवाई कर रहा है।

प्रोन्नति द्वारा भी रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया जारी है।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक, उप निदेशक, उप मुख्य लेखापाल, बजट व वित्त अधिकारी कार्यरत हैं तथा संविदा के आधार पर भी कुछ नियुक्तियां की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1 इंजीनियर इंटर्न (सिविल) – 45

2 इंजीनियर इंटर्न (विद्युत) – 16

3 विधि सहायक – 03

4 इंटर्न वास्तुकार – 02

5 पटवारी – 1

6 वित्तीय सलाहकार – 1

7 आशुलिपिक – 1

85. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 में सरकार द्वारा कितने रैन बसेरे स्थापित किये गये;

(ख) क्या अब रैन बसेरों की संख्या मांग के अनुरूप पूरी है;

(ग) इस वर्ष इस मद में कुल कितना बजट आबंटित किया गया और उस में से कितना बजट वास्तव में व्यय हुआ;

(घ) क्या इस वर्ष रैन बसेरे में रहने वाले किसी बेघर की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है; और

(ङ) यदि हाँ तो उसका विस्तृत विवरण दें;

(च) रैन बसेरों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2018–19 में क्या कदम उठाने की योजना बनाई है;

(छ) दिल्ली सरकार द्वारा कितने रैन बसेरे कहाँ कहाँ चलाये जा रहे हैं, इनमें से कितने स्थाई हैं और कितने अस्थाई हैं तथा इनमें दी जा रही सुविधाओं का पूर्ण विवरण क्या है;

(ज) महिलाओं के लिए अलग से कितने रैन बसेरे चलाये जा रहे हैं तथा इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी हैं;

(झ) क्या यह सत्य है कि भविष्य में महिलाओं के लिए रैन बसेरों की संख्या बढाने की योजना है;

(ञ) यदि हाँ, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ट) क्या यह सत्य है कि अधिकतर रैन बसेरों मे सुविधाओं का अभाव रहता है;

(ठ) क्या यह भी सत्य है कि इनमें स्वच्छता का अभाव रहता है; और

(ड़) सरकार इन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री : (क) वर्ष 2017–18 में दो रैन बसेरे स्थापित किये गये हैं (कोड नं 249 सराये काले खान) एवं (कोड नं 248 सब्जी मंडी तिलक नगर)। इसके अलावा शीतकाल मे 66 टेन्ट और एक सबवे स्थापित किये गये।

(ख) हाँ, वर्तमान में रैन बसेरों की संख्या मांग के अनुरूप पूरी है। वर्ष 2017–18 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा 197 स्थाई तथा 67 अस्थाई रैन बसेरे संचालित किये गये। अस्थायी रैन बसेरे जरूरत के हिसाब से लगाए जाते हैं।

(ग) इस मद में 20 करोड़ का बजट आबंटित किया गया। उसमें से 13 करोड पचास लाख रुपये व्यय किये गये।

(घ) हाँ इस वर्ष रैन बसेरे में रहने वाले एक बेघर की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है।

(ङ) यह मृत्यु दांडी पार्क रैन बसेरा (कोड नं 558) जो कि अस्थाई रूप से टेन्ट में स्थापित था, में अचानक आग लगने से हुई है। स्थानीय पुलिस ने इस सम्बंध में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट आना शेष है।

(च) वर्ष 2018–19 के लिए दो नए रैन बसेरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(छ) दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में 268 रैन बसेरे पूरी दिल्ली में चलाये जा रहे हैं। इनमें से 197 स्थाई तथा 66 अस्थाई एवं एक सबवे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नजदीक है। इन सभी में मूलभूत सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, सफाई, अग्निशमन यंत्र, दरी, कम्बल, जूट मेट आदि उपलब्ध हैं। स्थायी रैन बसेरो में सर्दियों मे गरम पानी की व्यवस्था, गर्मियों में ठण्डे पानी की व्यवस्था व गर्मियों में सभी रैन बसेरों मे कूलरों के द्वारा ठण्डे हवा की व्यवस्था की जाती है, सर्दियों में सुबह सुबह सभी रैन बसेरें में मुफ्त चाय बिस्कुट एवं रस्क की व्यवस्था की जाती है तथा मेडिकल टीम सप्ताह में 2 दिन सभी रैन बसेरों में शाम 5 बजे के बाद विजिट करते हैं। तथा जरूरतमदों को परामर्श एवं दवाईयां मुफ्त दी जाती हैं। (सूची संलग्न)

(ज) महिलाओं के लिए अलग से 19 रैन बसेरे चलाये जा रहे हैं तथा इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए रैन बसेरों के बाहर सीसी टीवी

कैमरे लगाये गये हैं और महिला केयर टेकर रखे गये हैं। इसके अलावा कुछ महिला रैन बसेरों को अलग से चार दीवारी के अंदर रखा गया है और अलग शौचालय तथा स्नानागार की व्यवस्था की गई है।

(झ) अभी कोई योजना नहीं है परन्तु जरूरत पडने पर इनकी संख्या बढाई जा सकती है।

(ञ) उपरोक्त उत्तर के दृष्टिकोण से लागू नहीं।

(ट) यह असत्य है, रैन बसेरों का संचालन विभाग द्वारा नियुक्त आश्रय प्रबंधन एजेंसी/एन.जी.ओ. द्वारा किया जाता है और सभी सुविधाएं जो कि उपरोक्त (छ) में वर्णित हैं, दी जाती हैं।

(ठ) नहीं यह भी सत्य नहीं है। आबंटन के नियमों और शर्तों के अनुसार स्वच्छता का पूरा प्रबंध रैन बसेरा संचालन करने वाली आश्रय प्रबंधन एजेंसी/एन.जी.ओ. करती है। रैन बसेरों का निरीक्षण विभाग द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ड़) रैन बसेरों को सुधारने के लिए विभाग ने निरीक्षण समितियां तीन चरणों में बनाई है। प्रथम चरण में CEO/Members की टीम आवश्यकता अनुसार निरीक्षण करती है। द्वितीय चरण में DDs/ADs की टीम निरीक्षण करती है जो सप्ताह मे कम से कम दो दिन होता है। तृतीय चरण में EEs की टीम नित्य निरीक्षण करती है।

List of Night Shelters

Sl. No.	NS Code	Night Shelter	Capacity
1	2	3	4
		RCC Building	
1	1	Delhi Gate (GF)-Handicapped, (FF & SF)-Children Drug Rehabilitation Centre	150
2	2	Katra Maula Bux, Roshanara Road.	310
3	3	Kabool NagarShahdra	60
4	4	Sarai Pipal Thala, 1st Floor, Adarsh Nagar	200
5	5	Shahzada Bagh	220
6	6	S.P. Mukharjee Market	70
7	7	Lahori Gate	350
8	8	Raja Garden-08	130
9	9	R - Block Mangolpuri.	190
10	10	Nizamuddin Basti near Hazrat Nizamuddin Dargah	300
11	11	Fatehpuri Old Delhi Railway Station	450
12	12	Fountain Chandni Chowk	180
13	13	Prop. NO. 10615, Jhandewalan Road	90
14	14	Property No. 10788-89, Jhandewalan, Road	70
15	15	Prop. No. 6108, Gali Ravi Dass	100
16	16	Gali Tel Mill, Nabi Karim	80
17	18	Community Hall, Regharpura, Karol Bagh (Ladies Shelter)	110
18	20	Kabir Basti Malka Ganj.	110

1	2	3	4
19	21	1st Floor community Hall Sarai Phoosh	60
20	22	Phool Mandi Building, Mori Gate	250
21	23	759/1 Chabi Ganj Community center	280
22	24	Kotla Mubarakpur, Ground Floor, De-addiction (Men)	80
23	25	At Property No.l546-51/VIII.(Gali Borian, Ajmere Gate)	120
24	26	Community Center Hanuman Mandir Yamuna Bazar (First Floor)	210
25	27	Ganda Nallah (1st Floor) MCD Community Center, Kashmire Gate	100
26	28	Commercial Building, Motia Khan	540
27	29	Chamelian Road, 6562/XIV	60
28	30	Property No. 9090/XV, Gali No.2, Multani Dhanda, Pahar Ganj.	30
29	32	9386-87/XV, Pahar Ganj	50
30	34	L-Block, Pratap Nagar, Near Shastri Nagar	220
31	35	Kharian Mohalla, Roshanara Road.	210
32	36	Kilokari Village near circle office, Ring Road	90
33	37	Tank Road, Bapa Nagar, Karol Bagh.	50
34	38	A- Block Motia Khan	30
35	39	Padam Nagar	20
36	40	Chander Shekhar Azad Colony near Sarai Rohilla	14
37	41	Sector-3, PH-I, Dwarka	70

1	2	3	4
38	42	Sector-3, PH-II, Dwarka	70
39	43	Sector -1,Dwarka	70
40	44	Shelter Home For Destitute Pregnant & Lactating Women Block A JahangirPuri	10
41	45	Bawana relocation scheme block-E	70
42	46	Rohini Sector-26, Rohini	70
43	47	Banjara Community Hall at Chaukhandi	60
44	48	Site & Services Plots at HMP Khayala	50
45	49	At open air theater Community Hall at 2541-51/VIII.	130
46	50	Kasturba Nagar Shahdara Near Cremation Ground	110
47	51	At property No.2819/VIII, Turkman Gate, Gali Shanker	20
48	52	At property No.3074/VII Ajmere Gate	90
49	53	At property N0.797/VIII, Kundewalan.	40
50	54	3329-30/XI., Delhi Gate	50
51	55	Block-Ill Dakshinpuri, (F.F.) NearThana Amedkar Road (Drug addicts)	110
52	56	At 1st floor property no.l675/VIII, Himmat Garh.	20
53	58	811/1 Kashmere Gate	20
54	59	Aruna colony Majnu ka tilla community hall	100
55	61	Sarai Kale Khan Village (Ground Floor)	50
56	62	Sunlight Colony-I, Community Hall	90
57	63	Community Hall Kalkaji	80
58	64	F-Block, New Seemapuri	50

1	2	3	4
59	65	Kotla Mubrakpur, First Floor (Drug addicts)	80
60	66	Hall No 4 Fatehpuri [For Children]	150
61	67	Night Shelter Bldg. Extn at R Block Mangolpuri	150
62	68	Azad Pur BVK	70
63	69	Trilokpuri BVK Block 31 mear Gas Godwn	40
64	70	Seelampur BVK, Kabari Market.	80
65	71	Vishwas Nagar BVK Sanjay Amar Colony	40
66	72	BVK D-4 Block Sultanpuri.	30
67	74	BVK Goyala Diary, Near Dwarka	50
68	75	Khazan Basti Maya Puri	80
69	76	BVK (1st Floor) Water Tank No.2 Udyog Nagar, Peeragarhi	90
70	77	Gokalpuri	50
71	78	Sarai Pipal Thala, 2nd Floor (Shifted from Parcel House, Adarsh Nagar)	200
72	89	Mori Gate- BVK	50
73	176	At Plot No.l & 2, Asif Ali Road, Near Police Bhawan	290
74	177	Priyadarshnay Colony Yamuna Bazar	60
75	178	Community center Parda Bagh (llnd Floor)	160
76	179	Rohini Avantika, Sector 1	200
77	180	BVK Raghubir Nagar (F Block Extn Khayala near Guru Gobind Singh Hospital)	70
78	181	A- Block JJR Colony Sultanpuri	120

1	2	3	4
79	182	Community Hall at A, B & C Block Mangolpuri	100
80	183	Community Hall at P-l Block Sultanpuri	25
81	191	Kabir Basti near Subzi Mandi Police Station (Women)	100
82	192	IFC, Pocket C, Ghazipur	160
83	193	Sector-22, Rohini	200
		Total	9659
PORTA CABIN			
84	19	Nand Nagari	120
85	80	GTB chowk Near GTB Hospital	50
86	81	Majnu ka Tilla	50
87	82	Yamuna Pusta near ISBT	50
88	83	At Himmat Garh, Ram Leela Ground.	50
89	84	Bangla Sahib for Male	50
90	85	Bangla Sahib-1	50
91	86	Lodhi Road near Indian Social Institute	50
92	88	Nehru Place, Opposite MTNL exchange	50
93	90	District Centre, Behind Hilton Hotel, Janak puri	50
94	91	Safdarjung Near Safdarjang Airport Flyover	50
95	92	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS 1	50
96	93	Hari Nagar, Beri Wala Bagh	50
97	94	Munirka near Masjid Sec- 4, R. K. Puram (Ladies)	50
98	95	Shakarpur (Laxmi Nagar) Near Railway flyover, Akshardham	50

1	2	3	4
99	96	Mansarover Park-1, Lal Bagh	50
100	97	YamunavBazar opp. Hanuman Mandir	50
101	98	Yamuna Bazar Old Bridge	50
102	99	Jama Masjid-1	50
103	100	Yamuna Pusta Near Nigam Bodh Ghat	50
104	101	Jama Masjid (ii) Male	50
105	102	Near Liberty Cinema, Dev Nagar, Karol Bagh	50
106	104	Gurudwara Bangla Sahib	50
107	105	Yamuna Pusta, Code-105	50
108	106	Hayaat Hotel, R.K. Puram opp. Fire Station	50
109	107	Okhla Modi Mill behind TATA Indicom	50
110	108	Kela Godown, Azadpur opp Fortis hospital Shalimar Bagh	50
111	109	Cement godown side Shakur Basti-ll	50
112	110	Nilothi Extension near fish market, Near Dwarka	50
113	111	Chilla Goan dist Centre, Hilton Hotel (Mayur Vihar)	50
114	112	Nasirpur, Near Dwarka	50
115	113	Jama Masjid (iii) Family	50
116	114	Jama Masjid iv (for Children)	50
117	115	Yamuna Pusta Near Nigam Bodh Ghat	50
118	116	Hanuman Mandir Yamuna Bazar	50
119	117	Raza Bazar, Bangla Sahib	50

1	2	3	4
120	118	Nangli Khadar, Near Ramchirtr Manas temple Near Mayur vihar	50
121	119	Raja Garden-119	50
122	120	JJ Cluster Bhagwanpura, Badli	50
123	122	Taimur Nagar, Okhla near Dhobi Ghat	50
124	124	Wajir Pur Industrial Area	50
125	125	Mansrover Park-2, Lai Bagh	50
126	127	Kalkaji Mandir	50
127	128	Nehru Place 1, Metro Station	50
128	129	Nehru Place 2, Metro Station	50
129	130	Geeta Colony, Shamsan Ghat	50
130	131	Akshardham Temple near Metro Station	50
131	132	Shastri Park (Red Light)	50
132	133	Yamuna Bajar Ghat -1	50
133	134	Sarai Kale Khan-2 Near petrol pump, outer ring road	50
134	135	Kudesia Ghat near NDPL	50
135	136	Mori Gate Gole Chakar	50
136	137	Raja Garden -II Near Raja Garden Chowk, Opposite City Square Mall.	50
137	138	Kali Mandir, Sector - 3 Rohini for Men	50
138	141	Ram Lila Ground Nand Nagri	50
139	142	Opp. Mayur Vihar metro station yamuna khadar	50
140	143	Sector-12, Dwarka	50

1	2	3	4
141	144	Madipur Sajjan Park	50
142	145	Ganesh Nagar Near Mother Dairy	50
143	146	Panchsheel Garden Shahdra	50
144	147	Vasant Vihar Behind Pahari	50
145	148	AIIMS (Safdarjung side) near Raj Garhia Vishram Sadan	325
146	149	Yamuna Pushta, Code-149	50
147	150	Nangli Chilla Khadar Village, Near Mayur Vihar	50
148	160	Jama Masjid	50
149	161	Mori Gate Terminal -1	70
150	175	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-2	70
151	201	Shastri Park (Theka) Near Wine Soap	50
152	202	Pushta Usmanpur opp. Jag Pravesh Hospital	50
153	203	Pusta Usman Pur near DDA Park.	50
154	204	Chand Cinema Kalyanvas	50
155	205	Near DLF corner road no - 70 new seemapuri	50
156	206	Kali Mandir, Sec-3, Rohini	50
157	207	At New Delhi Railway Station near LNJP.	50
158	208	Fountain chowck Chandni Chowk	50
159	209	Jama Masjid-5	50
160	210	Mori Gate Terminal - 2	50
161	211	Porta Cabin Idgah Telephone Exchange	50
162	212	Near MAX Hospital Badli Mor	50

1	2	3	4
163	213	Badarpur Border Near Toll Plaza	50
164	214	Anand Vihar-1 (Male)	50
165	215	Yamuna Bajar Near Hanuman Mandir	50
166	216	Dandi Park -1	50
167	217	Dandi Park - II	50
168	218	Near Sai Baba Mandir Lodhi road.	50
169	220	Munirka near Masjid Sec- 4, R. K. Puram (Men)	50
170	221	At Ram Lila Ground (Himmat Garh).	50
171	222	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-3	50
172	223	Near Britainia Chowk	50
173	224	Uttam Nagar East	50
174	225	Pusta Ushmanpur opp. Jag Pravesh Hospital (Families)	50
175	226	Near Britainia Chowk	70
176	227	Kudsia Ghat No.l, Yamuna Pusta	50
177	228	Behind Hanuman Mandir	50
178	229	Sector-10, Dwarka	50
179	230	Dhouli Piao, Vikaspuri	50
180	231	Ring Road, Bus Terminal Sarai Kale Khan, Site-2 (DSIIDC)	50
181	232	Ring Road, Bus Terminal Sarai Kale Khan Site-3 (DSIIDC)	50
182	233	Bangla Sahib Gurudwara Site-5	50
183	234	Bangla Sahib Gurudwara Site-6	50

1	2	3	4
184	235	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota Cabin No. 1 (Jamuna Side)	150
185	236	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota Cabin No. 2 (Parking Site)	180
186	237	Leprosy colony Siriniwaspuri (3 Nos Cabins)	50
187	238	Opp. Chattarpur Mandir (4 Nos Cabins)	50
188	240	Dandi Park - III Near Pusta	160
189	241	Dandi Park - IV Near Pusta	190
190	242	Anand Vihar -2 (Female)	50
191	243	Geeta Ghat-1 Yamuna Bank Near Monestory Ring Road	210
192	244	Geeta Ghat-2 Yamuna Bank Near Monestory Ring Road	210
193	245	Munirka	50
194	246	Jasola Opposite Church	50
195	247	Yamuna Pusta near Nigam Bodh Ghat	225
196	248	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-4	70
197	249	Sarai Kale Khan in Parking, Double Storey (Recovery Shelter)	100
198	903	Porta Cabin, Dev Nagar (Families) (Nos 4 units)	25
		Total	7175
Subway			
199	584	AIIMS Metro Gate No. 2 Subway	350
		Total	350

1	2	3	4
Tent			
200	506	Lado Sarai	50
201	507	Nehru Place under Flyover towards Kalka Mandir	50
202	510	Yamuna Bazar, Hanuman Mandir under Flyover	300
203	511	In Parking Under Flyover near Hanumaan Mandir Yamuna Bazar	100
204	512	Karkardooma Court (Families)	50
205	516	Kishan Kunj, Laxmi Nagar	50
206	518	Near Idgah Exchange	50
207	519	Rohini West near Metro station	50
208	520	Madhuban Chowk near DDA Office	50
209	522	Rohini East near Metro Station	50
210	523	Subhash Nagar near Metro Station	50
211	527	Yamuna Pustha near Nigam Bodh Ghat-3	50
212	528	Yamuna Pustha River Bed Side-1	50
213	529	Yamuna Pustha River Bed Side-2	50
214	530	Janakpuri small vegetable market (Infront of mahavir nagar near redlight)	50
215	531	Lajwanti Garden near Flyover	50
216	532	Kesho Pur Vegetable Market	50
217	534	Uttam Nagar East Metro Station	50
218	535	Janakpuri West Metro Station	50
219	537	Rani Garden Geeta Colony	50
220	538	Khureji Road	50
221	540	Jama Masjid near Meena Bazar	50

1	2	3	4
222	541	Sai Baba Mandir Patpadganj	50
223	542	Karkari Village Near Petrol Pump	50
224	545	Hedgewar Hospital near Karkardooma Court	50
225	546	Connaught Place near Hanuman Mandir (Bangla Sahib-1)	50
226	547	Connaught Place near Hanuman Mandir (Bangla Sahib-2)	50
227	1 553	Shahdara Metro Station	50
228	554	Yamuna Pustha near NDPL Office	50
229	557	Adjoining Blind School near Nizamuddin Flyover-1	50
230	558	Dandi Park Campus	50
231	559	Subhash Nagar Mor	50
232	560	Mayapuri Flyover (Family)	50
233	561	DDU Hospital (Family)	50
234	564	GTB Hospital	50
235	565	Gokalpuri Flyover (Families)	5C
236	568	Jama Masjid	50
237	569	Jama Masjid, Urdu Park-1	100
238	571	Connaught Place near Hanuman Mandir (Bangla Sahib-3)	50
239	572	Sarai Kale Khan Near Red Light	50
240	573	Faridabad Bus Stand Ring Road ISBT Yamuna Pusta-1	50
241	574	AIIMS near Metro Station Gate No.2 (Tent No.1)	50
242	575	AIIMS near Entrance Gate (Footover Bridge)	100
243	577	Yamuna Pustha near Park, Nigam Bodh Ghat-4	50
244	578	Yamuna Pusta (LG Samadhi)	50

1	2	3	4
245	579	AIIMS near Metro Station Gate No.2 (Tent No.2)	100
246	580	Faridabad Bus Stand Ring Road ISBT Yamuna Pusta-2	50
247	581	Lal Bahadur Shastri Hospital, Khichripur	50
248	588	Nathu Chowk, GTB Flyover	50
249	589	Seelampur Flyover torward Kabari Bazar	50
250	591	Welcome Metro Station	50
251	594	Near Dev Nagar Metro Porta Cabin NS Code 903	50
252	597	Lajwanti Garden under flyover.	50
253	598	Sarojini Nagar under flyover.	50
254	602	Faridabad Bus Stand Ring Road ISBT Yamuna Pusta-3	100
255	603	Under Flyover Ring Road near Faridabad Bus Stand, ISBT (Tent-1)	50
256	604	Yamuna Pustha River Bed Side	100
257	605	Connaught Place near Hanuman Mandir (Bangla Sahib-4)	50
258	606	Adjoining Blind School near Nizamuddin Flyover-2	50
259	607	Jama Masjid, Urdu Park-2	100
260	608	AIIMS near Metro Station Gate No.2 (Tent No.3)	50
261	609	Asif Ali Road, Plot No.1 and 2	50
262	610	Under Palam Flyover Manglapuri	100
263	611	Under Flyover Ring Road near Faridabad Bus Stand, ISBT (Tent-2)	50
264	612	Under Flyover Ring Road near Faridabad Bus Stand, ISBT (Tent-3)	50
265	613	Sarai Kale Khan Bus Stop near Flyover	50
		Total	3950

86. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है की रिटाला विधान सभा के रोहिणी सेक्टर–1, अवंतिका एक रैन बसेरा बना हुआ है;

(ख) क्या यह सत्य हैं की उस भवन का मात्र एक ही तल उपयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या विभाग की इसमे मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हा तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो उसका क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री : (क) हाँ यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर–1 अवंतिका में एक रैन बसेरा बना हुआ है।

(ख) नहीं, यह असत्य है। यह पूरा भवन रैन बसेरा के रूप में उयोग में लाया जाता हैं।

(ग) ऐसी कोई योजना विभाग के पास नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान से रखते हुए, लागू नहीं।

(ङ) –वही–

87. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला गांव में एक बड़ा भूभाग खाली पड़ा है;

(ख) यदि हॉ, तो उस भूभाग को लेकर सरकार की क्या योजना है;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार को इस भू भाग पर मोहल्ला क्लिनिक बनाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस भू भाग पर रैन बसेरा बनाने की योजना अभी निलम्बित कर दी है। अभी कोई योजना नहीं है।

(ग) वर्तमान में बेघरों की समुचित संख्या ना होने की वजह से अभी इस योजना को निलम्बित रखा गया है।

(घ) डूसिब को ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ) उपरोक्त

(च) यह भूभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण से रैन बसेरा बनाने के लिए आंवटित हुआ है।

88. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली केंट विधान सभा क्षेत्र के लिए किन–किन विकास कार्यों के प्रस्ताव आए हैं,

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली केंट के झुग्गी क्षेत्रों में क्या–क्या विकास कार्य किए गए हैं;

(ग) किन–किन विकास कार्यों की एनओसी मिल चुकी है;

(घ) एन.डी.एम.सी. और दिल्ली छावनी परिषद के द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद भी अभी तक विकास कार्य क्यों नहीं किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि कुछ समय पहले बोर्ड की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी विधायकों के साथ कार्य का विवरण लेकर शीघ्र कराए जाने का ए.टी.आर. माननीय मुख्यमंत्री जी को देना था;

(च) यदि हाँ तो वह कब और किस–किस विधायक को दिया गया;

(छ) उन ए.टी.आर. पर अभी तक विधायकों द्वारां दिए गए कामों में से कौन से काम अभी तक सपंन्न हो पाए हैं;

(ज) ए.टी.आर. पर आभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने कर किसकी जिम्मेदारी बनती है;

(झ) दिल्ली केंट विधान सभा क्षेत्र हेतु दिए गए समस्त कार्यों का विवरण क्या है; और

(ट) ये सभी कार्य कब तक निष्पादित हो जायेंगी?

शहरी विकास मंत्री (क) दिल्ली केंट विधान सभा क्षेत्र को ग्यारह जे.जे. बस्तियों में सड़क, नाली व शौचालय बनवाने के प्रस्ताव माननीय विधायक से प्राप्त हुए हैं। सूची संलग्न है।

(ख) दिल्ली कैन्ट की झुग्गी बस्तियों के विकास कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित्त विभाग से न मिलने के कारण अभी तक नहीं किये गये है।

(ग) दिनांक 23–1–2018 को अधिशासी अभियन्ता (R-IV) नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा संजय कैम्प, चाणक्यपुरी में सड़क व नाली के निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद संजय झुग्गी बस्ती के सड़क व नाली को बनाने का आंकलन बना दिया गया है। जिसे अगले वित्त वर्ष में प्रारम्भ करा दिया जाएगा। दिल्ली छावनी परिशद से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ङ) माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डूसिब द्वावारा माननीय विधायकों के साथ की गई बैठको के मिनट्स सम्बन्धित विध ाायको व मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा दे दिये गये हैं।

(च) सूची संलग्न है। संलग्नत्तक (A)

(छ) विधायको द्वारा दिये गये कामो के सम्पन्न होने की सूची बनाने में लगभग एक महीने का समय लगेगा क्योंकि यह सूचना सभी सम्बन्धित कार्यालयों से एकत्र की जायेगी जिसके लिए विभाग को समय दिया जाए।

(ज) विधायको द्वारा दिये गये कामो पर विभाग द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी सूचना उपरोक्त (छ) के अनुसार दी जाएगी।

(झ) सड़क व नाली के कार्यों को सभी बस्तियों में करने के लिए दी गयी बस्तियों की सूची संलग्न है। संलग्नत्तक (B)

(अ) एक कार्य (उपरलिखित) जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, वह 31—8—18 तक निष्पादित हो जायेगा व अन्य कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आंकलित किये जायेंगे।

List of the MLA's to whom the copy of the minutes of the meeting held with CEO, DUSIB/ME given :-

S.No.	Name of the Hon'ble MLA	AC No.	Dated issue of the Minutes of the Meeting
1	2	3	4
1.	Sh. Shukhvir Singh Dalal	08	31.10.17
2.	Sh. Raghuvinder Shokeen	11	31.10.17
3.	Sh. Jagdeep Singh	28	31.10.17
4.	Sh. Mahinder Yadav	31	31.10.17
5.	Sh. Gulab Singh	34	31.10.17
6.	Sh. Parmila Tokas	44	01.11.17
7.	Sh. Parmila Kumar	41	01.11.17
8.	Sh. Naresh Yadav	45	01.11.17
9.	Sh. Surender Singh	38	01.11.17
10.	Sh. Girish Soni	26	01.11.17
11.	Sh. Ajay Dutt	48	01.11.17
12.	Sh. Shiv Charan Goyal	25	01.11.17
13.	Sh. Avtar Singh	51	01.11.17

1	2	3	4
14.	Sh. Alka Lamba	20	07.11.17
15.	Sh. Pankaj Pushkar	03	07.11.17
16.	Sh. O.P. Sharma	59	07.11.17
17.	Sh. Gopal Rai	67	07.11.17
18.	Sh. Manish Sisodiya	57	07.11.17
19.	Sh. Akhilesh Pati Tripathi	18	07.11.17
20.	Sh. Bandana Kumari	14	08.11.17
21.	Sh. Vishesh Ravi	23	08.11.17
22.	Sh. Hajaria Lal	24	08.11.17
23.	Sh. Rajesh Gupta	17	13.11.17
24.	Sh. J.S. Tomar	16	02.01.18

ANNEXURE 'B'

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICE EEC-4

Sub: List of Proposed works in Delhi Cantonment AC- 38

Reply of Q No 88 Part 9 and 10

Sl. No.	Location where request received from Hon,ble MLA	Land owning Agency	Status of Works
1	2	3	4
1.	Barar Squara Railway Station	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
2.	CB Area Naraina	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
3.	Dhabi Ghat Kirbi Place	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
4.	Village Jherea Delhi Cantt.	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
5.	Kandhar Line Delhi Cantt.	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC

1	2	3	4
6.	Behind	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
7.	Sadar Cantt.	Military Area /CANTI. BOARD	Date will be intimated after receipt of NOC
8.	Sanjay Camp Part-l, Railway Camp Colony, Chankya Puri	NDMC	NOC Received, Estimate Framed, under
9	Sanjay Camp Part-II, Railway Camp Colony, Chankya Puri Camp Iraq Embassy Side	NDMC	scrutiny and likely to be completed by 31.8.2018
10.	Shanker Camp Behind C-II Flats, Moti Bagh Near Vidhan Chand Vidvalava.	NDMC	Date will be intimated after receipt of NOC
11.	JJ Cluster Harijan Basti, Anan Ram Dairy, Sector XIII, R.K. Puram	NDMC	Date will be intimated after receipt of NOC

89. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 31/12/2017 से पहले टॉयलेट कॉमलेक्सेज पे एण्ड यूज स्कीम के अंतर्गत चल रहे थे

(ख) टॉयलेट प्रयोग करने वाले लोगो से 31—12—2017 तक चार्ज के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित कर डी.य.एस.आई.बी. के खाते में जमा को गयी;

(ग) पे एण्ड यूज योजना के तहत चार्ज की नई राशि वसूल करने और खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नामों का विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य कि टायलेट कॉम्पलेक्स और नाइट शेल्टर्स आदि डी.यू.एस.आई.बी. की सम्पति के लिए बिजली के कनैक्शन एजेन्सी/एनजीओ के नाम से लिये जाते हैं;

(ङ) यदि हॉ तो विभाग के नाम की बजाय किसी एजेन्सी/एनजीओ के नाम से कनैक्शन लेने के प्रशासनिक निर्णय की प्रति और यह निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम का विवरण प्रस्तुत करें;

(च) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा पिछले दस वर्षों में कितनी टॉलेट वैन्स किस दर पर खरीदी गई;

(छ) ऐसी खरीद को नॉन शड्यूल रेट्स पर खरीदने की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी का विवरण क्या है;

(ज) पिछले दस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट खरीदने और रखरखाव पर व्यय कुल धनराशी का विवरण क्या है।

(झ) कितनी टॉयलेट वेन्स स्थायी तौर पर एम.सी.डी. या किसी न्यू विभाग को स्थायी तौर पर सौंपी गयी हैं;

(ट) पिछले दस वर्षों में इनकी कीमत की कितनी राशि प्राप्त कर डी. यू.एस.आई.बी. के खाते में जमा को गयी?

शहरी विकास मंत्री (क) जी हाँ यह सत्य हैं।

(ख) जो राशि रखरखाव व देखभाल एजेन्सी द्वारा प्रयोग करने वाले लोगों से एकत्र की जाती थी वह राशि एजेन्सी द्वारा रखरखाव के लिए खर्च को जाती थी। इसका कोई रिकार्ड डूसिब के पास नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त

(घ) जी हॉ, यह सत्य है।

(ङ) पहले से चलती प्रथा एवं निविदा की शर्तो के अनुसार अधिकारी/अधीक्षण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(च) 1 चार सीटर मोबाइल टॉयलेट लेन –29 85.38 लाख रुपये

2 दस सीटर मोबाइल टॉयलेट वेन 16 63.47 लाख रुपये

(छ) अधिक्षण अभियन्ता (इ एण्ड यम) की अध्यक्षता में गठित कमैटी यह स्वीकृति प्रदान करती हैं।

(ज) कुल खर्च – 567 लाख रुपये।

(झ) 28 नम्बर मोबाइल टॉयलेट वेन एम.सी.डी. को स्थायी तौर पर सौंपी गयी हैं;

(ट) उपरोक्त के सन्दर्भ में कोई धन राशि प्राप्त नहीं की गयी है।

90. श्री रामचन्द्र : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक आयोजनों और सामान्य जनता और राष्ट्रीय समारोहों के लिए प्रयोग हेतु मोबाइल टॉयलेट किराये पर देने से पिछले दस वर्षों में कितनी धनराशि एकत्रित हुई;

(ख) ऐसी ट्रांजैक्शन्स का ब्यौरा रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के पद नामों का विवरण क्या है;

(ग) मोबाइल टॉयलेट किराये पर देने पर डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(घ) पिछले दस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट वैन्स को किराये पर देने से हुई आय का विवरण क्या है;

(ङ) पिछले बीस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट वेन्स विंभिन्न धार्मिक/धार्मिक/राष्ट्रीय/सामाजिक/निजी समारोहों से किराये के रूप में चार्ज धनराशि और इस अवधि से चार्जेज में किए गए संशोधन की जानकारी भी उपलब्ध की जाये;

(च) डी.यू.एस.आई.बी. के मोबाइल टॉयलेट और इनके रखरखाव पर वर्ष 2010 से व्यय की गयी राशी का विचरण क्या है; और

(छ) वर्ष 2010 से कम्युनिटी कन्वीनीएन्सेज के लिए डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा डब्ल्यु.सी सीट्स सहित प्रिफेब टॉयलेट कॉम्पलेक्सेज पर आये कैपिटल एक्सपैण्डीचर सहित रख रखाव के खर्चे का विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री (क) रुपये –74.64 लाख

(ख) संम्बन्धित अधिशासी अभियंता (विधुत) खण्ड एवं मुख्यालय वित्तीय विभाग द्वारा विवरण रखा जाता है।

(ग) टॉयलेट वैन चालू हालत में लगाया तथा समारोह के बाद हटाया जाता हैं।

(घ) रुपये–74.64 लाख

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से पूर्व, पहले दिन का किराया 3900 रुपये तत्तपश्चात् 500 रुपये और वर्ष 2014 के बाद पहले दिन का किराया 8400 रुपये तत्तपश्चात् 1050 रुपये प्रतिदिन।

(च) कुल व्यय राशि रुपये 294.16 लाख।

(छ) इसकी सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित करने हेतु 30 दिन का समय प्रदान किया जाय।

वर्ष	खर्चा (लाख रुपयों में)
2010–11	240.00
2011–12	362.19
2012–13	344.20
2013–14	1036.12
2014–15	1737.82

वर्ष	खर्चा (लाख रुपयों में)
2015—16	4494.37
2016—17	6437.72
2017—18	4803.25

91. **श्री ऋतुराज गोविंद** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.यू.एस.आई.बी. के कितने टॉयलेट कॉम्पलैक्सेज वैध बिजली के कनेक्शन से और कितने अवैध बिजली के कनेक्शन से और कितने अवैध बिजली के कनेक्शन/अधिकृत इलैक्ट्रिक बिजली टेपिंग से चल रहें है;

(ख) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा सभी अवैध कनेक्शन को समय बद्ध तरीके से नियमित करने की क्या योजना है;

(ग) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा हॉयर परचेज बेसिस पर उपलब्ध किए गए क्यूबिकल टॉयलेटस/रिक्शा टॉयलेटस की संख्या क्या है;

(घ) जे.जे. कलानियों में हॉयर परचेज पोर्टेबल टॉयलेट/रिक्शा टॉयलेटस लगाने पर वर्ष वार खर्चे का, किसी एजेन्सी को प्रति क्यूबिकल/रिक्शे की दर का विवरण क्या है;

(ङ) जे.जे. कलानियों में क्यूबिकल टॉयलेटस/रिक्शा टॉयलेटस लगाने के शेड्यूल रेट्स निर्धारित करने और एजेन्सी को दी जाने वाली दरों के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी का विवरण क्या है;

(च) ऐसे सभी कार्यों के टैण्डर/वर्कऑर्डर वाइज विवरण उपलब्ध किया जाये;

(छ) डी.यू.एस.आई.बी. में क्वालिटी कन्ट्रोल यूनिट कैसे कार्य करती है;

(ज) क्वालिटी कंट्रोल यूनिट का प्रमुख कौन है और उनके आधीन सिविल और इलैक्ट्रिकल वर्क के लिए प्रदत्त स्टॉफ का विवरण क्या है;

(झ) क्वालिटी कंट्रोल निरीक्षण कैसे लिया जाये, इस बारे में जारी किए गए निर्देशों की प्रति उपलब्ध करें;

(ट) सिविल विंग की क्वालिटी कंट्रोल यूनिट दवारा पिछले पांच वर्षों में क्वालिटी कंट्रोल के कितने निरीक्षण किए गए;

(ठ) ई.ई.(ई) (क्यू.सी.) कब से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं;

(ड) क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में कार्यरत स्टॉफ की सूची और वे कब से इस यूनिट में कार्यरत हैं; और

(ढ़) डी.यू.एस.आई.बी. में क्वालिटी कन्ट्रोल सेल के स्टॉफ के ट्रांस्फर/पोस्टिंग के नार्म्स क्या है?

शहरी विकास मंत्री (क) DUSIB के टॉयलेट्स में इलेक्ट्रिक कनेक्शन को जिम्मेदारी ओ. एण्ड एम. एजेन्सी की है। कुछ कॉम्पलेक्श में डीस्कोम ने कनेक्शन देने से मना किया था क्योकि MCD के पेन्डिंग के ड्यूज देने की स्वीकृति के बाद डूसिब ने MCD पेन्डिंग के ड्यूज दे दिये हैं व अब डीस्कोम ने कनेक्शन देने के लिए तैयारी कर ली है। DUSIB के 620 कॉम्पलेक्स में से 453 में इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुये है व 67 में आवेदन

किया हुआ है जिसमें ओ.एवं.एम संस्था ने स्थानीय प्रबन्ध किया हैं। 100 एम. टी.वी. व पोर्टेबल शौचालयों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरुरत नहीं है।

(ख) DUSIB द्वारा द्वारा ड्यूज देने के बाद डिस्कोम बिजली कनेक्शन देने के लिए तैयार है और 67 कनेक्शन के लिए ओ. एण्ड एम. एजेन्सी ने आवेदन किया हुआ है। उम्मीद है की एक महीने में सभी कनेक्शन मिल जाएगे।

(ग) कुल संख्या 395 है।

(घ) 2016–17 में 49.99 लाख और 2017–18 है 55.80 लाख रुपये

खर्च किये है। रुपये 4140/–प्रति टॉयलेट प्रतिमाह अंतिम निविदा दर प्राप्त हुई है।

(ङ) यह डी.यू.एस.आई.बी. बोर्ड द्वारा स्वीकृत तथा तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा जो कि अधिशासी/अधीक्षण/मुख्य अभियन्ता है।

क्वालिटी कन्ट्रोल यूनिट में कार्यरत स्टाफ की सूची (प्रश्न संख्या 91 ड. के सन्दर्भ में)

तालिका (अ)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद	नियुक्ति
1	2	3	4
1.	श्री आर.आर. सिंगला	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	नवम्बर, 2017
2.	श्री नवीन जैन	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	मई, 2017

1	2	3	4
3.	श्री सुधीर कश्यप	अधिशासी अभियन्ता (ई.)	सितम्बर, 2014
4.	श्री बी.एल. दिवाकर	सहायक अभियन्ता (ई.)	अगस्त, 2014
5.	श्री कुलभूषण	सहायक अभियन्ता (सि.)	अक्टूबर, 2014
6.	श्री पी.एस. गुलाटी	सहायक अभियन्ता (सि.)	जनवरी, 2016
7.	श्री के. एल. सुनेजा	सहायक अभियन्ता (सि.)	जुलाई, 2017
8.	श्रीमती चन्दा मोहतवानी	निजी सचिव	जनवरी, 2013
9.	श्री सुरेश पाल	अवर लिपिक	दिसम्बर, 2015

(च) वर्क आर्डर नं. ए एल/45, 46, 47/ई 2, ईई/ई–3/602 दिनांक 10/01/2017 एन्ड ए एल /47, 48 ई–04 दिनांक 18/03/17, (एवार्ड प्रतिलिपि संलग्न है)–

(छ) विभिन्न कार्य परियोजनाओं के लिए संबधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। इस के अलावा क्वालिटी कट्रोल शाखा द्वारा 25 लाख लागत तक के कार्य रैन्डम बेसिस पर चैक किये जाते है तथा 25 लाख से 100 लाख लागत तक के कार्य अनिवार्य रूप से चेक किये जाते है। 100 लाख से ज्यादा लागत के कार्य अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी से चेक कराए जाते है।

(ज) क्वालिटी कंट्रोल यूनिट का प्रमुख अधीक्षण अभियंता होता है तथा उसके अधीन निम्न लिखित स्टाफ कार्यरत हैः–

1. अधिशासी अभियंता (सि.) –1
2. अधिशासी अभियंता (ई.) –1

3 सहायक अभियंता (सि.) —3

4 सहायक अभियंता (ई.) —1

(झ) क्वालिटी कन्ट्रोल के द्वारा कार्यों का निरिक्षण के.लो.नि.वि. के मैन्यूल एवं सपैसिफिकेशन के आधार पर किया जाता है।

(ट) सिविल विंग की क्वालिटी कंट्रोल यूनिट द्वारा पिछले पाँच वर्षों में क्वालिटी कंट्रोल के 353 निरिक्षण किये गए।

(ठ) ई.ई.(ई) क्यू. सी. सितम्बर 2014 से एवं ए (ई) क्यू सी अगस्त 2014 से एक स्थान पर कार्य कर रहे है।

(ड) क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में कार्यरत स्टॉफ की सूचि संलग्न तालिका (अ) में दी गई है।

(ढ़) इस प्रकार के कोई मानंदड उपलब्ध नहीं हैं।

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIE ENGINEER, E02

1, Opposite Kilokari, Maharani Bagh New Delhi, Delhi-110014

NO.: AL/46/WA/9834/EE/E2/DUSIB/17-18/D- 353 Dated: 29-08-2017

To

M/s YLDA India Pvt. Ltd.
Shop No. 235, Kama'la Market New Delhi
110007

Name of Scheme: **C/O JSC PAY & USE**

Sub Head: **Providing of portable toilets as service facility including operation Management & Maintenance at Various Locations Under C-6 and /or any other Locations. Where water supply and sewage facilities are not available.(on rental basis). (Project ID 000008852)**

Tender No.: **2017_DUSIB_133898_3**

Dear Sir(s),

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. 1,19,23,200/- (One Crore, Nineteen Lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Only), which is 0.00% above the estimated cost of Rs. 1,25,28,000/- (One Crore, Twenty Five Lakh Twenty Eight Thousand Only).

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. 6,00,000/- (Six Lakh Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause T, of tie General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 2 years shall be reckoned from 22 days after the date of issue of this letter.

* This is an item rate tender and your quoted rate @ 4140/- for each Job (120 no cubical x 24 months = 2880 nos jobs).

Executive Engineer, E02
DUSIB

Distribution

1 Chief Executive Officer, DUSIB

2 Member Engineer, DUSIB

3 Chief Engineer I, DUSIB 4. Chief Engineer II, DUSIB

5 Director (P & M)

6 FA, DUSIB

7 SE, Circle(E&M) 0 All SEs, DUSIB 9 EE, E02

10. All WEs, DUSIB

11. Asstt. Dir. Vigilance, DUSIB

12. SE QC

13. DCA

14. ACA

15. Concerned AE

16. AE (P)

17. AAO

18. Head Clerk / Cashier

19. Office Copy

* Award letter for project id #8852, originally generated on 29/08/2017 at 07:16.36 pm from IP 164.100.152.65 by user #13

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIE ENGINEER, E02

1, Opposite Kilokari, Maharani Bagh New Delhi, Delhi-110014

NO.: AL-/45/WA/9834/EE/E2DUSIB/17-18 ID-352 Dated : 29-08-2017

To,

M/s YLDA India Pvt. Ltd.
Shop No. 235, Kamala Market New Delhi
110007

Name of Scheme: **C/O JSC PAY & USE**

Sub Head: **Providing of portable toilets as service facility including operation Management & Maintenance at Various Locations Under C-4 and or any other Locations. Where water supply and sewage facilities are not available (on rental basis). (Project ID 000008850)**

Tender No. **2017_DUSIB_133898_1**

Dear Sir(s),

Your tender for the vvork mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. 1,19,22,200/- (One Crore, Nineteen Lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Only), which is 0.00% above the estimated cost of Rs. 1,25,28,000/- (One Crore, Twenty Five Lakh Twenty Eight Thousand Only)

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. 6,00,000/- (Six Lakh Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause 1 of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid uplo stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 2 years shall be reckoned from 22 days after the date of issue of this letter.

* This is an item rate tender and your quoted rale @ 41401- for each Job (120 no cubical x 24 months = 2880 nos jobs).

Executive Engineer, E02
DUSIB

Distribution

1 Chief Executive Officer, DUSIB

2 Member Engineer, DUSIB

3 Chief Engineer I, DUSIB 4. Chief Engineer II, DUSIB

5 Director (P & M)

6 FA, DUSIB

7 SE, Circle(E&M) 0 All SEs, DUSIB 9 EE, E02

10. All WEs, DUSIB

11. Asstt. Dir. Vigilance, DUSIB

12. SE QC

13. DCA

14. ACA

15. Concerned AE

16. AE (P)

17. AAO

18. Head Clerk / Cashier

19. Office Copy

* Award letter for project id #8852, originally generated on 29/08/2017 at 07:16.36 pm from IP 164.100.152.65 by user #13

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIE ENGINEER, E02
1, Opposite Kilokari, Maharani Bagh New Delhi, Delhi-110014

NO AL/47/WA/9834/EE/E2/DUSIB/17-18/D-354 Dated 30-08-2017

To,

M/s YLDA India Pvt. Ltd.
Shop No. 235, Kamala Market New Delhi 110007

Name of Scheme: **C/O JSC PAY & USE**

Sub Head: **Providing of portable toilets as service facility including operation Management & Maintenance at Various Locations Under C-5 and /or any other Locations. Where water supply and sewage facilities are not available.(on rental basis). (Project ID 000008851)**

Tender No: **2017_DUSIB_133898_2**

Dear Sir(s),

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs 1,19,23,200/- (One Crore, Nineteen Lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Only). which is 0.00% above the estimated cost of Rs. 1,25,28,000/- (One Crore, Twenty Five Lakh Twenty Eight Thousand Only).

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs 6,00,000/- (Six Lakh Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause 1 of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 2 years shall be reckoned from 25 days after the date of issue of this letter

* This is an item rate tender and your quoted rate @ 4140/- for each Job(120 no cubical x 24 months = 2880 nos jobs).

Executive Engineer, E02
DUSIB

Distribution

1 Chief Executive Officer, DUSIB

2 Member Engineer, DUSIB

3 Chief Engineer I, DUSIB 4. Chief Engineer II, DUSIB

5 Director (P & M)

6 FA, DUSIB

7 SE, Circle(E&M) 0 All SEs, DUSIB 9 EE, E02

10. All WEs, DUSIB

11. Asstt. Dir. Vigilance, DUSIB

12. SE QC

13. DCA

14. ACA

15. Concerned AE

16. AE (P)

17. AAO

18. Head Clerk / Cashier

19. Office Copy

* Award letter for project id #8852, originally generated on 29/08/2017 at 07:16.36 pm from IP 164.100.152.65 by user #13

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIE ENGINEER, E02
1, Opposite Kilokari, Maharani Bagh New Delhi, Delhi-110014

No.: WFM0834/P.G./E.E.(E-3)/DUSIB/2016-17 ID- 602 Dated 10-01-2017

To

M/s YLDA India Pvt Ltd.
Shop No. 235, Kamala Market New Delhi
110007

Name of Scheme: **C/O JSC PAY & USE**

Sub Head: **Pay & Use(JSC) SH: Providing of Portable Toilets as service facility i/c Operation,Management and Maintenance in JJ Cluster Mayur Vihar Ph-I Khadar. (Project ID 000008188)**

Tender No.: **2016_DUSIB_119105_1**

Dear Sir(s),

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. 6,24,960/- (Six Lakh Twenty Four Thousand Nine Hundred Sixty Only), which is 0.23% below the estimated cost of Rs. 6,26,400/- (Six Lakh Twenty Six Thousand Four Hundred Only).

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. 31,250/- (Thirty One Thousand Two Hundred Fifty Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause 1 of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 12 Months shall be reckoneo from 22 days after the date of issue of this letter.

Executive Engineer, E03
DUSIB

Distribution

1 Concerned AE

2 AAO

3 Head Clerk/Cashier

4 Office Copy

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, E04
Vikas Kutir, Near ITO, New Delhi

No. AL-48/7553/EE/F-4/2016-17/D- 125 Dated 18-03-2017

To

M/s YLDA India Pvt. Ltd.
Shop No. 235, Kamala Market New Delhi
110007

Name of Scheme: **C/o JSC Pay & Use**

Sub Head: **NOW :- Pay & Use JSC SH:- Providing of Portable toilets as service facility i/c Operation, Management and maintenance in JJ Cluster U & V Block Shalimar Bagh, (Project ID 000008540)**

Tender No: **123933 NIT No-46 Dt -16-02-2017**

Dear Sir(s).

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. 11,64,000/- (Eleven Lakh Sixty Four Thousand Only), which is 0% above the estimated cost of Rs. 0/- (Only).

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. 58,200/- (Fifth Eight Thousand Two Hundred Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause 1 of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 12 Months shall be reckoneo from 22 days after the date of issue of this letter.

* As this is an item rate tender and your quoted by the agency i.e Rs. 4850 each has been accepted by DUSIB.

Executive Engineer, E04
DUSIB

Distribution

1 Chief Engineer II, DUSIB

2 Director (P & M)

3 FA, DUSIB

4 SE, Circle (F&M)

5 EE, E04

6 Asstt, Dir Vigilance, DUSIB

7 SE QC

8 DCA

9 ACA

10 Concerned AE

11 AAO

12 Head Clerk/ Cashier

13 Office Copy

* Award letter for project id #8540, originally generated on 18.03.2017 at 02:54:58 pm from IP 164.100.31.82 by user #28

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, E04
Vikas Kutir, Near ITO, New Delhi

No. AL-48/7553/EE/F-4/2016-17/D- 124 Dated 18-03-2017

To

M/s YLDA India Pvt. Ltd.
Shop No. 235, Kamala Market New Delhi
110007

Name of Scheme: **C/o JSC Pay & Use**

Sub Head: **NOW :- Pay & Use JSC SH:- Providing of Portable toilets as service facility i/c Operation, Management and maintenance in JJ Cluster U & V Block Shalimar Bagh, (Project ID 000008540)**

Tender No: **123938 NIT No-46 Dt -16-02-2017**

Dear Sir(s).

Your tender for the work mentioned above has been accepted on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board at your quoted tender amount of Rs. 11,64,000/- (Eleven Lakh Sixty Four Thousand Only), which is 0% above the estimated cost of Rs. 0/- (Only).

You are requested to submit the performance security/guarantee of Rs. 58,200/- (Fifth Eight Thousand Two Hundred Only) within 15 days of issue of this letter. The performance guarantee shall be in the prescribed form as provided in clause 1 of the General conditions of contract for CPWD works, and shall be valid upto stipulated date of completion plus 60 days beyond that.

On receipt of the prescribed performance guarantee, necessary letter to commence the work shall be issued, and the site of work handed over to you thereafter.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the tender 12 Months shall be reckoneo from 22 days after the date of issue of this letter.

* As this is an item rate tender and your quoted by the agency i.e Rs. 4850 each has been accepted by DUSIB.

Executive Engineer, E04
DUSIB

Distribution

1 Chief Engineer II, DUSIB

2 Director (P & M)

3 FA, DUSIB

4 SE, Circle (F&M)

5 EE, E04

6 Asstt, Dir Vigilance, DUSIB

7 SE QC

8 DCA

9 ACA

10 Concerned AE

11 AAO

12 Head Clerk/ Cashier

13 Office Copy

---

* Award letter for project id #8539, originally generated on 18.03.2017 at 02:46:47 pm from IP 164.100.31.82 by user #28

92. श्री एस.के. बग्गा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गी बस्तियों में स्थित भवनों, पोर्टो केबिन्स में सिविल, इलैक्ट्रिकल व मैकेनिकल कार्य कराने व जन सुविधाएं जिन दरों पर प्रदान की जाती हैं, उनके स्पेसिफिकेशन का विवरण क्या है;

(ख) उक्त निर्माणों के गुणवत्ता के स्तर की जांच हेतु जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण क्या है;

(ग) क्या भवनों, पोर्टो केबिन, क्युबिकल प्रिफैब टॉयलेटस, पोर्टेबल क्युबिकल टॉयलेट ओर मोबाइल टॉयलेटस वैन के निर्माण के विभिन्न एस्टिमेंट बनाते समय नॉन शेड्यूल आइटम्स को शामिल किया जाता है तथा ऐसी सभी स्वीकृति हेतु डूसिब के अधिकार कहां तक सक्षम हैं;

(घ) पोर्टो केबिन, रैन बसेरों अथवा कम्युनिटी टॉयलेट कॉम्पलेक्सेज में बॉयो डायजेस्टर टॉयलेट प्रदान करने हेतु कन्सलटेण्ट/डी.आर.डी.ओ. अथवा विभागीय इंजीनियर्स द्वारा अनुसंशा किए गए नोट की प्रति उपलब्ध करें;

(ङ) झुग्गी बस्तियों में बायोडायजेस्टर टॉयलेट प्रदान करने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है;

(च) वर्ष 2010 के बाद डूसिब द्वारा प्रदान किए गए बायोडायजेस्टर का पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़े या वहां से हटाये गये बायोडायजेस्टर का विवरण क्या है;

(ज) डूसिब द्वारा बायोडायजेस्टर टैक्नॉलाजी को अपनाने की स्वीकृति किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई पूर्ण विवरण क्या है;

(झ) डूसिब के विभिन्न अधिकारियों की बायोडायजेस्टर टैक्नॉलॉजी के संदर्भ में दिए गए प्रशिक्षण का विवरण तथा इस प्रशिक्षण के पश्चात क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ;

(ञ) उन अधिकारियों के नामों की सूची जिन्होंने बायोडायजेस्टर की अनुशंसा की समय–समय पर बायोडायजेस्टर की मरम्मत पर हुए खर्च का विवरण क्या हे़;

(ट) वर्ष 2010 के बाद रैन बसेरों/सामुदायिक शौचालयों में बायोडायजेस्टर शौचालय प्रदान करने तथा उनके रख–रखाव में प्रत्येक बायोडायजेस्टर पर हुए खर्च का विवरण क्या है;

(ठ) वर्तमान में डूसिब द्वारा चल रहे बायोडायजेस्टर शौचालयों के निर्माण कार्य, उन पर होने वाले खर्च का विवरण तथा इस कार्य में शामिल अधिकारियों सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ड) विभिन्न स्थानों पर आज तक निर्मित बायोडायजेस्टर शौचालयों सहित रीड बेडस की संख्या कितनी है;

(द) क्या यह सत्य है कि डूसिब द्वारा स्थापित कोई भी रीड बेडस निष्क्रिय होने के कारण अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं है; और

(ण) उन अधिकारियों का विवरण क्या है जिन्होंने बायोडायजेस्टर शौचालयों सहित रीड बेडस की अनुशंसा की परन्तु उनका रख रखाव नहीं कर सके?

शहरी विकास मंत्री : (क) डी.एस.आर. तथा वास्तविक साईट कन्डिशन सी.पी.सी.डब्लु.डी. स्पेसीफिकेशन एवं तत्कालीन मार्केट रेट के आधार पर मूल्य तय किया जाता है।

(ख) गुणवत्ता की जांच सम्बन्धित अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता द्वारा की जाती हैं।

(ग) जी हां, डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा स्वीकृत विभाग में वितरित वित्तीय एवं तकनीकी सक्षमता के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता को अधिकार है।

(घ) समक्ष अधिकारी द्वारा डेलिगेटिड पावर के अनुसार किया जाता है। प्रति लिपि संलग्न है।

(ङ) वर्तमान में झुग्गी बस्तियों में डी.यू.एस.आई.बी. नहीं लगे हुए हैं।

(च) सूची संलग्न है। (संलग्न–1)

(छ) रैन बसेरा जमामसजिद–6 नं., तिलक नगर रैन बसेरा–8 नं., रतनपुरी चौक रैन बसेरा–06 नं. बगला साहिब गुरुद्वारा 05, नं. जय हिन्द कैम्प बसंत कुंज–11 नं.।

(ज) सक्षम अधिकारी द्वारा डेलिगेटिड पावर अनुसार किया जाता है। डूसिब में अधीक्षण अभियन्ता को अधिकार है।

(झ) विभाग द्वारा तीन दिन की प्रशिक्षण डी.आर.डी.ओ. ग्वालियर में कराई गई इस उपरांत वायोटॉलेट का काम सुचारू तरीके से कराया जा सका। श्री वी.एल. दिवाकर, सहायक अभियन्ता, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री राकेश राणा, श्री नवीन जैन, श्री विनोद सहगल इन सभी अधिकारियों ने

प्रशिक्षण लिया है।

(ञ) इसकी सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित करने हेतु 30 दिन का समय दिया जाए।

(ट) इसकी सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित करने हेतु 30 दिन का समय दिया जाए।

(ठ) वर्तमान में बायोडायजेस्टर शौचालयों का निर्माण नहीं हो रहा है।

(ड) संख्या–6 नं. (एक स्थान पर)।

(द) नहीं

(ण) उपरोक्त के कारण जरूरी नहीं।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (E&M)
DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI

No.-F/10796(19)/S.E.(E&M)/2013/D-213 Dated : 28.05.13

To,

The Excutive Engineer (E-3),
DUSIB, New Delhi.

Namke of Work : Providing of Bio Toilets at Temporary Night shelter

Sub Head : Providing & fixing of single seator type ERE moulded folding pretab WC/Bath cabin with bio-digester sludge tanks at temporary night shelters (Yamuna Bazar Pushta-4 sites, Bharat Gas Godown opposite Hanuman Mandir, Kudsiya ghat, Kudsiya Ghat near NDPL Mori Gate. Idgah Telephone Exchange, Wazir Pur, Jhandewalan & Old Yamuna Bridge.)

Head of A/C : III-b-(i)

With reference to EE (E-3) note on dt. 28.05.2013 of above mention subject. I am directed to convey the A/A & E/S accorded by E.E. (E&M) dt. 28.05.2013 for execution of the above said work at an estimated cost of Rs. 20,82,255 (Rs. Twenty lacs eighty two thousand two hundred fifty five only).

The expenditure is to be bookded under the head of account as indicated above. The expenditure on the above work, should not exceed the saanction budget placed at the disposal of the disivison, This A/A & I.S is subject to the condition that the figure amount shown in Budged booking slip is in order. The work is concered under the parameter write up of the approved plan scheme.

Encl : Copy to P.F.

Copy to:-

1. Dorector (P&M).
2. E.E.(P)E.
3. ACA (E&M).
4. Office copy.

The details of Bio- Digester provided by DUSIB after 2010 (Question NO.92).

Sl. No.	Location of Night Shelter Where Bio-digester provided	No. of Bio-digester Tanks
1	2	3
1.	Old Loha Pul	1
2.	Yamuna Ghat-I Near Old Bridge.	1
3.	Katha Park Behind Hanuman Mandir.	1
4.	Kahta Park Behind Hanuman Mandir-II.	1
5.	Hanuman Mandir ring road.	2
6.	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat.	4
7.	Kudesia Ghat near NDPL	2
8.	Kudesia Ghat near ISBT	2
9.	Mori Gate Gol Chakl<ar.	1
10.	Mori Gate Terminal Mava MandL	3
11.	GTB Chowk near GTB Hospital	1
12.	Majnu Kania	1
13.	Shakarpur Laxmi Nagar.	1
14.	Mansarovar Park-I	1
15.	ChUla Goan Dist Centre, Hilton Hotel (Mayur Vihar).	1
16.	Yamuna Pushta-II near Nigam Bodh Ghat.	2
17.	Nangli Khadar (for Families).	1
18.	'Mansarovar Park.	1

1	2	3
19.	Geeta Colony, Shamshan Ghat.	1
20.	Akshardham Temple.	1
21.	Shastri Park (Red light).	1
22.	Ramlila Ground, Nand Nagri.	1
23.	Opp. Mayur Vihar Metro Stn. Yamuna Khadar.	1
24.	Ganesh Nagar near Mother dairy.	1
25.	Panchsheel Garden Shahdara.	1
26.	Chilla khadar.	1
27.	Shastri park near wine shop.	1
28.	Pushta Usmanpur, OppJa	1
29.	Pushta Usmanpur, DDA.	1
30.	Kalyanwas, near chand cinema.	1
31.	Mori Gate Terminar	2
32.	Pushta Usmanpur.	1
33.	Anand Vihar-I.	1
34.	Gazipur near Police Station.	1
35.	Anand Vihar-II (Female).	1
36.	. Geeta Ghat.	6
37.	Yamuna Pusta.	6
38.	Badarpur.	1
39.	Apolo Hospital Near Jasola.	2
40.	Batala House.	1

1	2	3
41.	Sarai Kale Khan.	5
42.	Kalka Ji	1
43.	Sant Nagar Nehru Place.	2
44.	Britainia Chowk Lawrence road.	3
45.	Mimirka·	3
46.	Safdarjung boparbridge near airport	1
47.	Hayat Hotel	2
48.	Chander Shekhar Azad Colony	1
49.	Sajjan Park Madipur.	2
50.	Chhatarpur.	2
51.	Ghari Gaon	1
52.	Hari Nagar.	2
53.	Dhaula Pyaon Uttam Nagar.	1
54.	Naseerpur.	1
55.	Fish Market Vikaspuri.	2
56.	Dwarka Sector 10 and 12.	2
57.	Jhandewalan.	2
58.	Dew Nagar.	1
59.	Shakurbasti.	4
60.	Shalimar Garden Max Hospital.	1

93. श्री जगदीप सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013 से अब तक ऐसी–28 के मायापुरी/पीली कोठी में किए गए विकास कार्यों तथा प्रत्येक कार्य पर खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(ख) ए.सी.–28 में खाली पड़े जमीन पार्क और भवन का विवरण क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र की उन सड़कों/ड्रेन्स की आर.एम.सी. का विवरण जिन्हें आगामी वित्त वर्ष में बनाया जाता है?;

शहरी विकास मंत्री : (क) वर्ष 2013 से अब तक ए.एसी.–28 के मायापुरी/पीली कोठी में निम्नलिखित कार्यों को किया गया है :–

1. सी.सी. पेवमेंट व नालियों का कार्य–15 लाख रुपये।

2. जन सुविधा परिसर (40 सीटर)–49 लाख रुपये।

(ख) कोई भी जमीन खाली नहीं है। केवल दो बस्ती विकास केन्द्र– C-76 जे.जे. क्लस्टर व पीली कोठी जे.जे. क्लस्टर में खाली है।

(ग) ए.सी.–28 के क्षेत्र में सड़कों/ड्रेन्स की आर.एम.सी. का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है केवल झुग्गी बस्तियों के अंदर आर.एम.सी. का काम और छोटी नालिओं का काम इस विभाग द्वारा किया जाता है। आगामी वर्ष 2018–2019 में आर.एम.सी./ड्रेन्स का कार्य निम्नलिखित बस्तियों में किया जाना है :–

1. जे.जे. बस्ती WZ-E ब्लॉक नजदीक फिश मार्केट (बैलेंस वर्क)

2. जे.जे. बस्ती WH-58-59 मायापुरी फेस–1

3. जे.जे. बस्ती C-200 मायापुरी फेस–1

94. श्री जगदीश प्रधान : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने रजोकरी में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के निर्माण कि घोषणा की थी;

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और इसमें से अब तक कितनी राशि अभी तक व्यय हुई है;

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने कि आशा है; और

(घ) बर्ड सेंचुरी के निर्माण के बाद आने वाले पक्षियों कि संख्या तथा प्रजाति में प्रजाति में कितनी वृद्धि हुई है?

शहरी विकास मंत्री : (क) हाँ, रजोकरी में बर्ड एवं वाइल्ड लाइफ रेस्कयू सेंटर की घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) यह योजना अभी conception stage में है और अभी तक इसके लिए Budget provision नहीं किया गया है।

प्रारंभ में, लोक निर्माण विभाग ने 6.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 6 एकड क्षेत्र बर्ड एवं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, रजोकरी पर निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। बर्ड एंच वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के निर्माण का ब्योरा और योजना रिज मैनेजमेंट बोर्ड में 03.08.2017 को हुई बैठक में रखा गया था जिसमें बोर्ड सिफारिश की :

(a) बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ("बी.एन.एच.एस.") जैसी किसी प्रोफेशनल एजेंसी/एन. जी. ओ. को बर्ड रेस्क्यू सेंटर के प्रबंधन में engage करने की संभावना विभाग द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(b) निर्माण के लिए प्रस्तावित इमारत ग्रीन बिल्डिंग (बांस की छत, फूस की छत आदि) की अवधारणा के आधार पर होनी चाहिए और कंक्रीट का उपयोग न्यूनतम होना चाहिए। इसके अलावा, निर्माण को कम से कम रखा जाना चाहिए और सभी green areas को स्वदेशी प्रजातियों के साथ maintained रखा जाना चाहिए। वास्तविक निर्माण क्षेत्र को कम करने के लिए 2.428 हेक्टेयर के कुल भूखंड क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से कम निर्मित क्षेत्र रखने के वर्तमान प्रस्ताव की समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में की गई चर्चा के अनुसार सी.ई.सी. को पत्र दिनांक 29.08. 2017 के विचार के लिए भेजा गया था। आर.एम.बी. के निर्देश के अनुसार, विभाग ने डॉ. विभु प्रकाश, उप–निदेशक (बी.एन.एच.एस.) से साइट योजना तैयार करने और उद्देश्य के लिए आवश्यक संरचनाओं को डिजाइन करने में सहायता के लिए विशेषज्ञ सलाह मांगी थी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी निदेशक डॉ. विभु प्रकाश ने 10.11.2017 को साइट का दौरा किया और दोनों साइटों (पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा finalized site और पुराबब nused monkey cages) का मूल्यांकन किया। डॉ. विभु प्रकाश ने रजोकरी पर मौजूदा abandoned monkey shelter में बर्ड एवं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए 23.11.2017 को प्रारंभिक सुझाव प्रस्तुत किए हैं। डॉ. विभु प्रकाश

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 15.12.2017 को आयोजित बैठक में आर.एम.बी. के समक्ष रखी गई थी। चूंकि डॉ. विभु प्रकाश बैठक में उपस्थित नहीं थे, उस स्थान की साइट और डिजाइन के निर्णय के लिए अगली बैठक में आर.एम.बी. के समक्ष यह रिपोर्ट रखी जाएगी। माननीय सप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद, निर्माण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(घ) दिल्ली में कोई बर्ड सेंचुरी नहीं है।

95. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नवम्बर 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली में आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण शुल्क लगाया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने इस मद के अन्तर्गत लगभग 1500 करोड़ रूपये वसूल किये हैं;

(ग) इस भारी भरकम फंड में से कितना फंड प्रदूषण कम करने के लिए व्यय किया गया;

(घ) उपरोक्त फंड के अन्तर्गत पर्यावरण सुधार के लिए क्या–क्या कार्य किये जाने थे; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम सरकार को प्रतिदिन पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क देती है; और

(च) यदि हाँ, तो कितना?

पर्यावरण मंत्री : (क) जी हाँ।

डब्लू.पी.सी. नं. 13029/1985 (एम.सी. मेहता VS यूनियन ऑफ इंडिया एवंम अन्य) में मान्नीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 और 16. 12.2015 के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी माल वाहक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ई.सी.सी.) लगाया जा रहा है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है।

(ख) दिनांक 07.03.2018 तक कुल 961,48,83,001/– रुपए दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार को प्रेषित किये गये।

(ग) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क निधि (फंड) से कुल 1.23 करोड़ रुपए व्यय किया है।

(घ) मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 के अनुसार, एकत्रित ई.सी.सी. राशि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने व सड़को में सुधार के लिए उपयोग की जानी है, विशेष रूप से साईकिल चालक व पैदल चलने वालों के लिए इत्यादि।

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा परिवहन विभाग को प्रति सप्ताह पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क प्रेषित किया जाता है।

(च) विवरण संलग्न है। अनुलंग्नक–'क'*

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

96. श्री ओम प्रकाश : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है सरकार ने 20 एयर क्वालिटी स्टेशन बनाने की घोषणा की थी;

(ख) इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई थी;

(ग) इस वर्ष कुल मिलाकर कितनी राशि अब तक व्यय हुई है;

(घ) सभी 20 एयर क्वालिटी स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे;

(ङ) इन स्टेशनों के बन जाने से प्रदूषण से लड़ाई में किस प्रकार सहायता मिलेगी; और

(च) सरकार वातावरण के शुद्धिकरण के लिए किन योजनाओं पर काम कर रही है?

पर्यावरण मंत्री : (क) जी हाँ।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में 20 नए निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी.पी.सी.सी. के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डी.पी.सी.सी. द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है।

(ख) दिल्ली सरकार ने कोई राशि आवंटित नहीं की थी। 20 Ambient Air Quality Monitoring Stationc नाने के लिये राशि Air Ambience Fund से खर्च की जा रही हैं।

(ग) अभी तक रूपये 19,06,81,086 इन 20 स्टेशनों को लगाने के लिये NTPC को दिया गया है। उपरोक्त राशि में इन स्टेशनों के संचालन एवं रख रखाव पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है।

(घ) ये सभी 20 Ambient Air Quality Monitoring Stations कार्य कर रहे है।

(ङ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्राण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में 20 नए निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है।

इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ो के द्वारा प्रशासन Micro Level पर कार्यवाही कर पायेगा।

(च) दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए 08.11.2017 वाले सप्ताह के दौरान उठाये गयेइन आकस्मिक कदमों के साथ ही निम्नलिखित कदम निरंतर उठाये गये हैं;

* **खुले में अपशिष्ट/कूड़ा–करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों /कूड़ा–कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभ्यिान शुरू किया है।

4. पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंषण समिति **(डी.पी.सी.सी.)** ने ''मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 मोबाइल नंबरों पर अपना व्हाटस्प खाता'' खोला है।

5. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्टेटों (एस.डी.एम.) के साथ साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

6. सूखी पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए) को कहा गया है कि अगर उल्लंघन का पता चलता है तो संबंधित एस.ओ. (बागवानी) और सफाई निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

* **धूल उड़ने से रोकने के नियमके उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धुल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान भुारू किया है। क्षेत्र के एस.डी.एम, तहसीलदार, लोकनिर्माण विभाग (पी.डब्ल्यु.डी.) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों से मुआबाजा वसूल किया जा रहा है।

(1) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) के साथ साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

(2) सभी स्थानीय निकायों और डी.डी.ए. को भी कहा गया है कि वे धूल नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए आम जनता और खास तौर पर ऐसे मालिकों तथा बिल्डरों को कहें, जिन्होंने अपनी भवन निर्माण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

(3) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने ऐसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

* सभी संबद्ध पक्षों/एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा–कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

* दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, एवं उत्तरी

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिय भी विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए, इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अर्न्तगत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हों पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लंघन को सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

* फॉगिंग/पानी छिड़काव के माध्यम से धूल नियंत्रण के प्रस्ताव विचारार्थ हैं।

* माननीय उपराज्पाल के निर्देशअनुसार सभी विभागों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित High Level Task Force (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

* एनजीटी के आदेश/निर्णय : ओ.ए. सं. 21/2014 में वायु प्रदूषण संबंधी एनजीटी के आदेशों/निर्णयों का दिल्ली के मुख्य सचिव के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) के जरिए संबद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है और इस सबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के अंतर्गत (सी.एम.सी.) को समय समय पर अवगत कराया जा रही है।

* **बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा** : प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

* माननीय उप–राज्यपाल रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि व दीर्घावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

* **पटाखे चलाने पर रोक** : धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौको पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम 20–क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किये गये।

* **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क (ई.सी.सी.) की वसूली** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है।

* **शहर को हरा—भरा बनाने के प्रयास** : भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली का हरित आवरण जो 1997 में 26 वर्ग किलोमीटर था बढ़कर अब 305.41 किलोमीटर हो चुका है। यह बढ़ा हुआ हरित क्षेत्र कार्बन को एकत्र करने वाले स्थान की तरह कार्य करता है। 2017—18 में सभी संबद्ध एजेंसियों के लिए 21.6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

* **सड़को कि सफाई**:

  सड़को कि सफाई MCDs, NDMC & PWD के द्वारा लगाये गए 31 Mechanical Road Sweepers कि मदद से कि जा रही है।

  सड़को पर पानी का छिड़काव PWC और DFS द्वारा किया जा रहा है

* **जन जागरूकता** :

  उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए ''किसी

भी प्रकार की सामग्री को खुले में जलाने पर रोक–बड़ा नतीजा हासिल करने के लिए छोटा सा कदम'' विशय पर आधे दिन की कार्यशालाओं का आयोजन 14.06.2017, 14.09.2017 और 1. 02.2018 को दिल्ली सचिवालय में किया गया। ये कार्यशालाएं जन जागरूकता बढ़ाने और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श के उद्देश्य से आयोजित की गयीं। इनमें उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों, यानी एस. आइ/एए.स.आई और उद्यान शाखा कर्मियों के साथ–साथ दोनों नगर निगमों के आर.डब्ल्यू.एज, स्कूलों/कालेजों ने भी हिस्सा लिया।

* हर साल स्कूलों/कालेजों के इको क्लबों के सहयोग से पटाखा विरोध अभियान चलाया जा रहा है।

* पत्तियों, कूड़े–कर्कट, अपशिष्ट आदि को खुले में जलाने पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गयी।

* केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (निवारण एंव प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और दिल्ली की परिवेश वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 42 निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशो के किर्यान्वयन के लिए समयबद्व कार्रवाई और संबंधित विभाग परिभाषित किए गए है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संबंधित विभागों का निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

* राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए ओ.ए. 21/2014 (Vardhman kaushik vs UoI & Ors.) के संदर्भ में वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रय निगरानी समिति और मुख्य सचिव, राज्य स्तर समिति गठित की है, जिनकी संबधित विभागों के साथ बैठकों हो चुकी हैं।

* वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए Comprehensive Action Plan for Air Pollution Control जो कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Control Authority) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में पेश किया गया है तथा Graded Response Action Plan for Delhi & NCR जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, लागू किया जा रहा है।

* इन योजनाओं का कार्यान्वयन, संबन्धित विभागों के साथ मिल कर किया जा रहा है।

97. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 मास में सरकार ने वातावरण सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) इनका पीएम–2 स्तर तथा एयर क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वायु जल तथा ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी भी उल्लंघनकर्ता को दंडित करने या उसे बदं करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल के आदेशों पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी में स्टाफ की कमी के कारण यह अपने कार्य निर्वहन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) सरकार द्वारा रिक्त स्थानों को भरने तथा प्रभावकारी कदम उठाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

पर्यावरण मंत्री : (क) 1. दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गत 6 माह में उठाए गए प्रभावी कदम इस प्रकार से हैंः–

* पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने 17.10.2017 की बैठक में निर्णय लिया था कि बहुत खतरनाक और अत्याधिक खतरनाक श्रेणी के ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के प्रावधान 17 अक्तूबर 2017 से 15 मार्च 2018 तक लागू किए जायेंगे चाहे दिल्ली में परिवेशीवायु गुणवत्ता कैसी भी हो।

* तदनुसार GRAP के बहुत खतरनाक श्रेणी के अन्तर्गत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार दिल्ली में डीजल/पैट्रोल/कैरोसीन से चलने वाले बिजली जेनरेटर सैटों का प्रचालन बन्द करने के

लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (क) के अधीन कुछ रियायतों के साथ निर्देश जारी किए गए थे।

* दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में 3.11.2017 को अल्पावधि तथा दीर्घावधि योजना के क्रियान्वरन की वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए बैठक हुई थी

* दिल्ली की गंभीर वायु प्रदूषण स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 8.11.2017 को सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों की तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी।

* माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 8.11.2017 की उच्च स्तरीय बैठक में आदेशानुसार पर्यावरण विभाग/डी.पी.सी.सी. ने सभी संबंधित विभागेां/एजेंसियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन गठित कार्य दलों, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रडिड रिस्पांस एक्शन प्लान के प्रावधानों तथा ई.पी.सी.ए. के मत के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात निर्देश जारी किए थे। सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों को पहले से लागू किए गए ग्रेडिड रिस्पांस प्लान के प्रावधानों के अलावा निम्नलिखित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। ये निर्देश निम्न प्रकार से थे :–

1. दिल्ली में अगले आदेशों तक ट्रक परिवहन का प्रवेश बन्द करना (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर)। यातायात पुलिस

परिवहन विभाग दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम इसका क्रियान्वयन करेंगें।

2. नगर में अगले आदेशों तक सिविल निर्माण कार्य बन्द करना जिसका क्रियान्वयन दिल्ली नगर निगम, डी.पी.सी.सी. तथा सभी निर्माण संबंधी एजेंसियां करेंगी।

3. शिक्षा विभाग बच्चों की घर से बाहर की गतिविधियों से बचने के लिए सभी अभिभावकों को अपील जारी करेंगे।

4. परिवहन विभाग ऑड–ईवन स्कीम की तैयारी शुरू करेंगे।

5. डी.टी.सी. और परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी करेंगे।

6. डी.एम.आर.सी. दिल्ली मेट्रों की सेवा में अधिकता लायेंगे।

7. दिल्ली नगर निगम तथा लोक निर्माण विभाग मशीनों से सड़कों सफाई तथा पानी के छिड़काव पर अधिक बल देंगे।

8. दिल्ली नगर निगम, डी.डी.ए तथा डी.एम.आर.सी. अगले आदेशों तक पार्किंगक फीस को तत्काल चार गुणा बढ़ायेंगे।

9. दिल्ली नगर निगम होटलों तथा भोजनालयों में लकड़ी तथा कोयले की आग का प्रयोग बन्द करेंगे।

10. दिल्ली नगर निगम, डी.पी.सी.सी. तथा उद्योग विभाग पैट कोक तथा फर्नेस ऑयल के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू करेंगे।

11. डी.पी.सी.सी. उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट, नगर निगमों तथा उद्योग विभाग बिजली के जनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागु करेंगे जिसमें आवश्यक सेवाओं के लिए डी.पी.सी.सी. द्वारा परिभाषित छूटों का ध्यान रखा जाएगा।

12. यातायात पुलिस सभी महत्वपूर्ण स्थलों में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देगी तथा यातायात में रूकावट तथा जाम को समाप्त करने के लिए यातायात पुलिस की तैनाती में बढ़ोतरी करेंगी।

13. नगर निगम, डी.डी.ए. तथा उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करेगी।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागों ने माननीय उच्च न्यायालय के.डब्ल्यू.पी. (सी.) 1346, 2015 और माननीय एन.जी.टी. के आदेश ओ.ए. 21/2014 का अनुपालन किया।

- डब्ल्यू.पी. (सी.) 1346, 2015, 9.11.2017 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में

आयोजित 10.11.2017 की बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राज्यस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नगर में गिरती हुई वायु की गुणवत्ता पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया और अनेक निर्णयों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी।

- आपातकालीन स्थिति के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए सचिव (पर्यावरण मंत्रालय) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

- दिल्ली शहर में खतरनाक वायु प्रदूषण स्थितियों के संबंध में वर्धमान कौशिन बनाम भारत संघ एवं अन्यों के मामले में 2014 के ओ.ए. 21 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 8.11.2017, 9.11.2017, 10.11. 2017 एवं 11.11.2017 के हाल ही के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 13.11.2017 को एक बैठक बुलाई गई थी।

- दिनांक 16.11.2017 के पत्र के अनुसार ई.पी.सी.ए. की संस्तुतियों पर माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से 18.11.2017 को जारी निदेशों के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए गएः

- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। इस विषय में परिवहन विभाग आवश्यक आदेश जारी करे।

- नगर निगम, डी.डी.ए. तथा दिल्ली मेट्रो को पिछले शुल्क से पार्किंग शुल्क बढ़ाकर चार गुणा करने के आदेश को वापिस ले।

- माननीय एन.जी.टी. के निर्देश एवं ई.पी.सी.ए. की सिफारिशों के अनुसार माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से दिनांक 17.11.2017 को निर्माण संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध को हटा लिया गया।

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 8.11.2017 को जारी अन्य निर्देशों के अन्तर्गत कूड़े कर्कट को जलाने पर पाबंदी, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के उपाय करना, सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, मेट्रों के फेरों में बढ़ोतरी तथा बिजली जनरेटर सैटों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदि अभी लागू रहेंगे और संबंधित विभाग इसे कठोरता से लागू से लागू करेंगे। माननीय एन. जी.टी. के दिनांक 14.11.2017 के आदेश ओए 21/2017 के हाल ही के आदेश के अनुसरण में जिसके अनुसार आई.टी.ओ. पर इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर प्रभाव के विश्लेषण हेतु आई.टी.ओ. पर

पानी का छिड़काव किया गया तथा अन्य कार्यवाही भी की गई।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी.पी.सी.सी. के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डी.पी.सी.सी. द्वारा संचालित केन्द्रों की कल संख्या 26 हो गयी है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए 08.11.2017 वाले सप्ताह के दौरान उठाये गये इन आकस्मिक कदमों के साथ ही निम्नलिखित कदम निरंतर उठाये गये हैं:

- **खुले में अपशिष्ट/कूड़ा–करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने खुले स्थानों पर पत्तियों/कूड़ा–कर्कट जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

    1. पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाने के बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने "मोबाइल नंबर 9717593574 और 9717593501 मोबाइल नंबरों पर अपना व्हाटस्प खाता"खोला है।

    2. राष्ट्रीय. राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) के साथ साथ तहसीलदारों

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

3. सूखी पत्तियों/कूड़ा–कर्कट/प्लास्टिक आदि पदार्थों को जलाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.)/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को कहा गया है कि अगर उल्लंघन का पता चलता है तो संबंधित एस.ओ. (बागवानी) और सफाई निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- **धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई** : सरकार ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा धूल उड़ने को रोककर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने का विशेष अभियान शुरू किया है। क्षेत्र के एस.डी.एम. तहसीलदार, लोकनिर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सहायक अभियंता और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) धूल नियंत्रण उपायों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले से मुआबजा वसूल किया जा रहा है।

(1) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) के साथ साथ तहसीलदारों (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।

(2) सभी स्थानीय निकायों और डी.डी.ए. को भी कहा गया है कि वे धूल नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए आम जनता और खास तौर पर ऐसे मालिकों तथा बिल्डरों को कहें, जिन्होंने अपनी भवन निर्माण योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

(3) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने एसी निर्माण परियोजनाओं (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक विनिर्मित क्षेत्र) पर जुर्माना लगाया है जिनके लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं ली गयी है।

- सभी संबद्ध पक्षों/एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठके आयोजित की गयी हैं ताकि पत्तियों, कूड़ा–कर्कट, प्लास्टिक, रबड़ आदि को खुले में जलाने से रोक लगे और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय किये जाएं।

- दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में होम गार्ड स्वयंसेवकों को पर्यावरण मार्शल के रूप में तैनात किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, एवं उत्तरी

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीनों नगर पालिका निगमों के वार्डों में 83 होम गार्ड तैनात किए गए है। इस योजना को सुचारु रूप से चालने हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया भी विकसित की गई है। अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए इन सभी होम गार्ड के लिए दिल्ली सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। पद धारकों को इस योजना के अर्न्तगत अपने कामकाज के बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। उन्हें पर्यावरण विभाग की आँखों के रूप में कार्य करने और सभी उल्लेघन को सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

- फॉगिंग/पानी छिड़काव के माध्यम से धूल नियंत्रण के प्रस्ताव विचारार्थ हैं।
- **माननीय उपराज्यपाल के निर्देशअनुसार सभी विभागों द्वारा वायु** प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित High Level Task Force (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।
- एनजीटी के आदेश/निर्णय : ओ.ए. सं. 21/2014 में वायु प्रदूषण संबंधी एन.जी.टी. के आदेशों/निणयों का दिल्ली के मुख्य सचिव के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) के जरिए संबंद्ध विभागों से अनुपालन कराया जा रहा है और इस सबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में भारत सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव के अंतर्गत (सी.एम.सी.) को समय पर अवगत कराया जा रही है।

- **बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा** : प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोशणा की है। हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

- माननीय उप–राज्यपाल रा.रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने और अल्पावधि कार्य योजनाओं पर अमल के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

- **पटाखे चलाने पर रोक** : धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम 20–क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देश जारी किये गये।

- **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क (ई.सी.सी) की वसूली** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10. 2015 और 16.12.2015 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है।

- **शहर को हरा–भरा बनाने के प्रयास** : भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली का हरित आवरण जो 1997 में 26 वर्ग किलोमीटर था बढ़ा हुआ हरित क्षेत्र कार्बन को एकत्र करने वाले स्थान की तरह कार्य करता है। 2017–18 में सभी संबद्ध एजेंसियों के लिए 21.6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

- **सड़को कि सफाई** :

  सड़को कि सफाई MCDs, NDMC & PWD के द्वारा लगाये गए 31 Mechanical Road Sweepers कि मदद से कि जा रही है।

  सड़को पर पानी का छिड़काव PWD और DFS द्वारा किया जा रहा है

- **जन जागरूकता** :

  उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए ''किसी भी प्रकार की सामग्री को खुले में जलाने पर रोक–बड़ा नतीजा

हासिल करने के लिए छोटा सा कमद'' विशय पर आधे दिन की कार्यशालाओं का

आयोजन 14.06.2017, 14.09.2017 और 1.02.2018 को दिल्ली सचिवालय में किया गया। ये कार्यशालाएं जन जागरूकता बढ़ाने और कार्यौन्वयन एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श के उद्देश्य से आयोजित की गयीं। इनमें उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के अधिकारियों, यानी एस.आई/ए.ए.आई. उद्यान शाखा कर्मियों के साथ–साथ दोनों नगर निगमों के आर.डब्ल्यू.एज, स्कूलों/कालेजों ने भी हिस्सा लिया।

- हर साल स्कूलों/कालेजों के इको क्लबों के सहयोग से पटाखा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है।

- पत्तियों, कूड़े–कर्कट, अपशिष्ट आदि को खुले में जलाने पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गयी।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहतय वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और दिल्ली की परिवेश वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 42 निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशो के क्रियान्वियन के लिए समयबद्व के लिए समयबद्व कार्रवाई और संबंधित विभाग परिभाषित किए गए है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए ओ.ए. 21/2014 (Vardhman Kaushik vs UoI & Ors.) के संदर्भ में वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्न्तगत केन्द्रीय निगरानी समिति और मुख्य सचिव, राज्य स्तर समिति गठित की है, जिनकी संबधित विभागों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।

- वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए Comprehensive Action Plan For Air Pollution Control जो कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Control Authority) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में पेश किया गया है तथा Graded Response Action Plan for Delhi & NCR जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, लागू किया जा रहा है।

- इन योजनाओं का कार्यान्वयन, संबन्धित विभागों के साथ मिल कर किया जा रहा है।

(ख) दिनांक 17.11.2017 को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दूसरी उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में माननीय मुख्य मंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्री (पर्यावरण एवं वन) श्री भूरे लाल, अध्यक्ष, पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण और दिल्ली के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इस बैठक में सुश्री सुनीता नारायण, सदस्य (इ.पी.सी.ए.) ने सूचित किया कि दिल्ली सरकार ने आपातकालीन कदम उठाए हैं जिनके परिणामस्वरूप एस.ए.एफ.ए.आर. के

आंकड़े/अध्ययन के अनुसार प्रदूषण में 15 से 20 प्रतिशत कमी दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता अत्याधिक खतरनाक श्रेणी से घट कर खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गई जोकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता के सुधार का एक अच्छा संकेत है। सी.पी.सी.बी. डाटा के अनुसार यह बताया गया कि पीएम 10 तथा पीएम 2.5 का स्तर क्रमशः लगभग 250 ug/m^3 से घटकर 150 ug/m^3 रह गया। गत 6 माह का (Sep. 2017 to Feb–2018) तक का PM2.5 का City Average Data संलग्न है।

- विशेषताः कूड़ा जलाने पर और निर्माण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले धूल प्रदूषण पर एन.जी.टी. द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

ध्वनि प्रदूषण :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और जैसा कि तिथि में संशोधन किया गया हैं (and as amended to date) इन नियमों में विभिन्न क्षेत्रो/जोनो के लिए ध्वनि मानकों का उल्लेख किया गया हैं। इन मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारीयों को नामित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति कों स्टाफ की कमी के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक स्टाफ को Out Sourcing Agencies के द्वारा अनुबंधित किया गया है।

(ङ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पदोन्नति वाले रिक्त स्थानों को भर दिया है एंव ग्रुप 'बी' और 'सी' के रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्रस्ताव DSSSB को भेज दिया है। ग्रुप 'ए' के पदों को भरने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

संलग्नक

Monthly Average of City PM2.5 (ug/m^2) of DPCC CAAQMS from Sept 2017-Feb 2018

Months	PM 2.5
September*	65
October*	183
November**	339
December***	276
January***	265
February****	158
*=4 Stations	**= 20 Stations
***=22 Stations	****= 24 Stations

98. श्री महेंद्र गोयल : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के विजय बिहार व अवंतिका के मध्य से जा रही सड़क के बीचों बीच कुछ सूखे हुए वृक्ष प्रतिदिन जाम का करण बनते है;

(ख) यदि हाँ, तो जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इन वृक्षों को लेकर सरकार की क्या योजना है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक पेड़ को काटने/हटाने हेतु उस क्षेत्र के वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षण से अनुमति लेना आवश्यक है। वन विभाग किसी पेड़ को गिराने या छंटाई का कार्य नहीं करता है केवल अनुमति प्रदान करता है जिसके लिए भू–स्वामित्व निकायों द्वारा ''फॉर्मै–बी'' आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाना चाहिए। इसके बाद वृक्ष अधिकारी/उप–वन संरक्षण निरिक्षण/जांच के बाद अनुमति प्रदान करता है।

ऐसी कोई application विजय विहार व अवंतिका से, भू–स्वामित्व निकायों (PWD, MCD etc) से उप–वन संरक्षण (पश्चिमी) के कार्यालय मे प्राप्त नहीं हुई है जिसमें अनुमति देना लंबित हो।

(ख) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा (8) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, अगर खतरनाक पेड़ को शीघ्र नहीं कटवाया/गिराया जाये और ऐसे पेड़ से जीवन या संपत्ति और यातायात के लिए गंभीर खतरा हो तो भू–स्वामित्व निकाये इस तरह के पेड़ को गिराने हेतु तत्काल कारवाही कर सकती है जिसमे 24 घंटे के भीतर इस तथ्य से सम्बंधित जानकारी उस क्षेत्र के सम्बंधित वन अधिकारी को दी जानी अनिवार्य है।

(ग) भू–स्वामित्व द्वारा ऐसे सूखे पेड़ जो जाम का कारण बनते है, को स्वमं कटवाया/हटाया जा सकता है और उसके लिए अनुमति की आवश्यकता है।

99. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा कितने और किस प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते है,

(ख) इन लाइसेन्सों का उनके आवेदनकर्ता को जिन पते पर तथा जिन शर्तो पर उन्हें जारी किया गया, सहित पूर्ण विवरण क्या है,

(ग) यदि उन लाइसेंसों के विरुद्व कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तों उसका विवरण क्या है,

(घ) यदि किसी निकटवर्ती कालोनी के निवासी वहां स्थ्ति शराब की दुकानों से छुटकारा पाना चाहते है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है,

(ङ) आई.आई.टी. दिल्ली के सामने स्थित एस.डी.ए. मार्केट में नो फिल्टर के नाम से चल रहे रेस्तरां को विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंस का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें;

(च) क्या इस लाइसेंस को कभी रद्द किया गया था।

(छ) यदि हां तो किस आधार पर तथा इसे पुनः बहाल करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कोर्ट के कागजात सहित पूर्ण विवरण दें;

(ज) शराब की दुकान चलाने हेतु जिन क्लीयरेन्सेज और लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, उनके वितरण सहित नियम व शर्तों की सूची क्या है; और

(झ) मालवीय नगर विधान सभा में स्थित शराब की दुकानों के संबंध में उपरोक्त नियमों व शर्तों का कहां तक पालन किया गया, इसकी वस्तुस्थिति का विवरण प्रदान करें?

पर्यावरण मंत्री : (क) इस विभाग द्वारा विधानसभावार लाईसेन्स जारी नहीं किये जाते हैं। वर्तमान में सिर्फ एल–15, 16, 17, 18, 28 एवं 29 लाईसेन्स जो कि होटल क्लब एवं रेस्टोन्ट से संबंधित हैं, जारी किये जा रहे हैं। मालवीय नगर के पते पर जारी लाईसेन्सों की संख्या की सम्भावित सूची संलग्न है। (संलग्नक क)*

(ख) लाईसेन्सों का पता–(संलग्न 'ख')* एंव शर्तों की सूची–(संलग्न 'ग')* पर संलग्न है।

(ग) सूची संलग्न हैं। (संलग्न 'घ')*

(घ) किसी भी स्थान से लाईसेन्सों का स्थानातरण, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 22(2) के अन्तर्गत आबकारी उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

(ङ) इस लाइसेन्स को दिनांक 02.06.2016 को रद्द कर दिया गया था।

(छ) यह लाइसेन्स अधिकृत सीटों से अधिक सीट पाए जाने पर, एक से अधिक बार काउन्टर पाए जाने पर और ऊँची आवाज में डी.जे. बनाने पर रद्द किया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.6.2016 के अनुसार नो फिल्टर कैफे की याचिका पर पुनः सुनवाई की

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

गई। इस मामले के समरूप अन्य मामलों में की गई दंडात्मक कार्रवाई के अनुरूप लाईसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा नो फिल्टर कैफे का लाईसेन्स दिनांक 10.02.2017 को पुनः बहाल कर दिया गया।

(ज) शराब की दुकान चलाने का लाईसेन्स दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 एवं लागू शर्तों के अधीन दिया जाता है। शर्तों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक ''ग'')***

(झ) इन लाइसेन्स का अस्तित्व उपरोक्त अधिनियम, नियम तथा शर्तों के अनुसार ही हैं।

100. श्री रधुविंद्र शैकीन : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पी.जी. एम.एस.) के द्वारा दिनॉक 27**.02.2018** तक आबकारी मनोरंजन और लग्जरी कर विभाग से संबंधित 1277 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 26 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 15 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है;

(ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 129 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया–गया है;

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवारण के लिए शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें, और;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें, और;

(ट) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ। इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 27.02.2018 तक कुल 1280 शिकायतें पी.जी.एम.एस. प्रणाली के अन्तर्गत दर्ज हुई थीं। इसमें 27.02.2018 तक 14 शिकायतें लंबित थीं।

(ख) पाँच शिकायतें निर्धारित निवारण समय से अधिक समय से लंबित थीं। जिनमें से चार का निवारण हो गया हैं।

(ग) एक लंबित शिकायत में आबकारी टीम द्वारा निरीक्षण कर लिया हैं तथा नियमानुसार उचित जवाब देने हेतु पत्रावली विचाराधीन हैं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) विभाग ने शिकायतों के निवारण का नियमानुसार प्रयास किया।

(च) जी हाँ कुछ शिकायतों पर निवारण हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(छ) विभाग ने नियमानुसार शिकायतों के निवारण करने का प्रयास किया हैं जहाँ आवश्यक समझा गया आबकारी टीम द्वारा निरीक्षण भी करवाया गया जो शिकायतें कानून व्यवस्था से संबंधित थी उन्हें संबंधित पुलिस अधिकारी को उचित कार्यवाई हेतु भेज दिया गया।

(ज) निवारण हेतु ये शिकायतें संबंधित सहायक आबकारी आयुक्तों के पास समय–समय पर भेजी गयी।

(झ) संबंधित अधिकारियों ने नियमानुसार कदम उठाये व निरीक्षण भी कराये हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाई भी की गई।

(ट) निवारण योग्य शिकायतों का निवारण नियमानुसार कर दिया जायेगा।

101. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों की कुल कितनी शराब की दुकानें हैं;

(ख) क्या दिल्ली में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सरकार दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानों की संख्या कम करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार दो शराब की दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए इनके बीच न्यूनतम दूरी तय करेगी;

(ङ) किसी भी शराब की दुकान का स्कूल एवं पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा चर्च से कितनी न्यूनतम दूरी पर होना आवश्यक है

(च) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है

(छ) यदि हाँ तो इसका विस्तृत विवरण दें;

(ज) क्या सरकार जनता को सार्वजनिक स्थलों पर शराब न पीने के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाती है और;

(झ) यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस दिशा में इस वर्ष क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में कुल 860 शराब की दुकानें हैं इन लाईसेन्स का र्निगमन विधानसभावार नहीं किया जाता है पते के आधार पर विभिन्न विधान सभा क्षेत्रवार लाईसेन्स की सम्भावित सूची संलग्न है। **(संलग्नक ''क'')**

(ख) शराब की दुकानों के लाईसेन्स दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा लागू शर्तों के अनुसार दिये जाते हैं।

(ग) –उपरोक्तानुसार–

(घ) –उपरोक्तानुसार–

(ङ) –उपरोक्तानुसार–

(च) जी हाँ इस विभाग की ई.आई.बी. शाखा द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ समय–समय पर कार्यवाही की जाती है।

(छ) दिनॉक 07 नवम्बर 2016 से अब तक समस्त दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः– कुल दर्ज कलन्देर–1725 कुल व्यकित गिरफ्तार–3178

(ज) जी हाँ।

(झ) महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग एवं् रेडियो के माध्यम से समय–समय पर जागरूकता फैलाई गई है।

S.No. of Constiu-ency	Name of the Consitu ency	L-6				L-7	1-8				L-9	L-10	L-12	1-22	Total Lice-nce
		DCC WS	DSC SC	DSI IDC	DTT DC		DCC WS	DSC SC	DSI IDC	DT TDC					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Narela	2	4	1	5	0	1	1	1	3	0	2	5	0	25
2	Burari	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
3	Timarpur	1	3	3	4	1	0	1	0	2	0	0	8	0	23
4	Adarsh Nagar	2	3	4	2	0	2	1	0	1	0	0	6	0	21
5	Badli	7	1	1	5	0	3	0	0	3	0	0	3	0	23
6	Rithala	1	3	1	3	0	0	0	1	1	0 o	5	3	0	18
7	Bawana	3	1	2	1	1	1	1	2	0	0	3	3	0	18
8	Mundka	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	Kirari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Sultan Pur Majra	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
11	Nangloi Jat	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	1	4	0	12
12	Mangol Puri	1	2	0	3	1	1	0	0	2	0	3	1	0	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Rohini	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	5	1	0	12
14	Shalimar Bagh	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	16	0	0	22
15	Shakur Basti	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	12
16	Tri Nagar	1	1	0	3	3	1	0	0	3	0	12	6	0	30
17	Wazirpur	0	1	3	2	0	0	0	0	1	0	7	0	0	14
18	Model Town	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	9
19	Sadar Bazar	1	2	2	1	3	0	2	0	0	0	2	2	0	15
20	Chandni Chowk	2	2	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12
21	Matia Mahal	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	Ballimaran	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
23	Karol Bagh	1	3	4	7	6	0	0	0	2	0	4	7	0	34
24	Patel Nagar	2	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	4	0	13
25	Moti Nagar	1	3	2	3	0	1	0	0	1	0	9	4	0	24
26	Madipur	1	0	2	2	4	1	0	0	0	0	5	3	0	18
27	Rajouri Garden	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	5	2	0	12
28	Hari Nagar	0	2	1	2	3	0	0	0	1	0	1	3	0	13
29	Tilak Nagar	1	0	1	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	10

30	Janakpuri	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	3	5	0	16
31	Vikaspuri	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	8
32	Uttam Nagar	1	1	2	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	12
33	Dwarka	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	8
34	Matiala	1	2	2	3	2	0	2	0	1	0	1	4	0	18
35	Najafgarh	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7
36	Bijwasan	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	5	0	1	11
37	Palam	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7
38	Delhi Cantonment	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
39	Rajinder Nagar	0	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	11
40	New Delhi	0	4	5	2	1	0	0	0	0	1	2	2	0	17
41	Jangpura	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5
42	Kasturba Nagar	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	3	3	0	17
43	Malviya Nagar	4	1	2	3	3	0	0	0	0	1	5	2	0	21
44	R K Puram	1	2	2	5	2	0	0	0	0	0	0	4	0	16
45	Mehrauli	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	11	4	0	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Chhatarpur	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4
47	Deoli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48	Ambedkar Nagar	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
49	Sangam Vihar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Greater Kailash	0	4	5		3	0	0	1	0	0	0	6	0	19
51	Kalkaji	0	1	2	5	2	0	0	0	2	0	1	3	0	16
52	Tughlakabad	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	10
53	Badarpur	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7
54	Okhla	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	7	1	0	14
55	Trilokpuri	2	2	1	4	2	0	0	1	1	0	15	1	0	29
56	Kondli	0	0	3	2	1	0	1	1	0	0	0	3	0	11
57	Patparganj	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	7
58	Laxmi Nagar	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	7
59	Vishwas Nagar	2	5	2	4	4	0	0	0	0	0	12	5	0	34

60	Krishna Nagar	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
61	Gandhi Nagar	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
62	Shahdara	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	9
63	Seemapuri	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	7
64	Rohtas Nagar	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	10
65	Seelampur	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	0	0	11
66	Ghonda	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
67	Babarpur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Gokalpur	2	1	1	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	11
69	Mustafabad	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70	Karawal Nagar	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	7
	Total	70	91	96	120	87	24	20	10	36	34	175	127	1	860

102. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद के 100 मीटर एरिया में शराब बेचने का लाईसेंस नहीं दिया जा सकता है;

(ख) यदि हॉ, क्या यह भी सत्य है कि पंडारा रोड मार्केट में स्कूल के नजदीक बार चलाए जा रहे है;

(ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि इस बारे में सरकार को स्थानीय विधायक और मेम्बर, एन.डी.एम.सी. से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हॉ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) बार का लाइसेंस देते समय किन–किन बातों का ध्यान रखा जाता है;

(च) शराब की दुकान का लाइसेंस देने की क्या–क्या शर्तें है;

(छ) दिल्ली में 2014 से 2017 तक कितने लाइसेंस बार, शराब व बीयर की दुकानों के लिए आबंटन किए गए तथा नई दिल्ली के एरिया में कितने लाइसेंस आबंटन किए गए, पते सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ज) सरकार द्वारा 2014 से 2017 तक शिकायतों पर कितने बार व दुकानों के लाइसेंस रद्द किए;

(झ) वर्ष 2014 से 2017 तक आबकारी विभाग ने वर्ष वार कितना राजस्व एकत्रित किया है;

(अ) सरकार ने 2010 से 2017 तक शराब की गुणवत्ता तथा दूसरे राज्यों की शराब को पकड़ने के लिए एन्फोर्समेंट ने कितनी रेड की, और

(ट) क्या यह सत्य हे कि अशोका होटल में रेड के दौरान कुछ कमियां पाई गई, और

(ठ) इस होटल में बेची जानी वाली शराब के मामले विभाग ने क्या कार्रवाई की है?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हॉ। दूरी का माप दिल्ली आबकारी नियम–2010, के नियम 51(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) ये बार नियम 51(1) के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ग) जी हॉ।

(घ) शिकायत प्राप्ति के पश्चात् विभाग द्वारा शिकायत की जॉच करवाई गई और जाूच में लाईसेन्स धारक को दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 51(1) के प्रावधानों की अनुरूप पाया गया। तत्पश्चात् माननीय विध ाायक को पत्र संख्या एफ 2 (96)/EX/R/2016-2017/401 दिनाँक 05.03.2018 द्वारा तद्नुरूप सूचित किया गया।

(ङ) लाईसेन्स देते समय दिल्ली आबकारी अधिनियम, नियम एवं लागू शर्तों का ध्यान रखा जाता है।

(च) लागू शर्तो की सूची संलग्न ''क'' * पर हैं।

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(छ) सूची **संलग्न ''ख''** पर हैं।

(ज) कुल 22 बार लाईसेन्सों को रद्द किया गया हैं।

(झ)

2014—15 3422.39 करोड़

2015—16 4238.32 करोड़

2016—17 4244.18 करोड़

(अ) ई.आई.बी. द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2017 तक दूसरे राज्यों से आने वाली पकड़ी गई अवैध शराब का विवरण निम्नवत हैः—

वर्ष / समय	कुल दर्ज मुकदमे	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़े गये वाहनों की की संख्या	कुल पकड़ी गई अवैध बोतलों की संख्या
1	2	3	4	5
01.01.2010 से 31.12.2010 तक	426	449	229	57882
01.01.2011 से 31.12.2011 तक	517	565	274	82871
01.01.2012 से 31.12.2012 तक	672	740	366	163028

1	2	3	4	5
01.01.2013 से 31.12.2013 तक	712	781	358	186813
01.01.2014 से 31.12.2014 तक	682	717	332	201309
01.01.2015 से 31.12.2015 तक	881	898	364	229207
01.01.2016 से 31.12.2016 तक	873	916	478	310078
01.01..2017 से 31.12.2017 तक	874	860	434	339625

(ट) जी हाँ।

(ठ) नियमानुसार कार्यवाही की गई और लाईसेन्स को भी रद्द कर दिया गया।

103. श्री जगदीप सिंह : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006–2007 से लेकर अब तक आबकारी विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के मामलों की वर्षवार संख्या और विवरण सहित इनकी सूची क्या है?

उपमुख्यमंत्री : (क) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विवरणात्मक सूची संलग्न है।

सूची

क्र. सं.	वर्ष	संख्या	विवरण	वर्तमान स्थिति
1.	2006–07	01	दो कर्मचारियों पर राजस्य की चोरी में सम्मिलित होने का आरोप लगा। विभागीय कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त अपराधिक मामला संख्या–28/2006, में इनको न्यायालय ने सजा सुनाई है।	दोनों के पेंशन रोकने हेतु राष्ट्रपति के आदेश का इन्तजाम है
2.	2007–08	शून्य		
3.	2008–08	शून्य		
4.	2009–08	शून्य		
5.	20010–08	शून्य		
6.	20011–08	शून्य		
7.	20012–08	शून्य		
8.	20013–08	शून्य		

क्र. सं.	वर्ष	संख्या	विवरण	वर्तमान स्थिति
9.	20014–08	01	इसमें चार कर्मचारियों पर राजस्व की चोरी में शामिल होने का आरोप है। आपराधिक मामला संख्या 02/2015, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में पंजीकृत है।	विभागीय कार्यवाही जारी है, तथा अपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
10.	2005–16	शून्य		
11.	20016–17	शून्य		
12.	20017–18	शून्य		

104. श्री सोमनाथ भारती : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उचित दर दुकानों का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर क्या है;

(ख) इन उचित दर दुकानों से जुड़े लाभान्वितों के नाम पते का विवरण क्या है;

(ग) इन उचित दर दुकानों के विरूद्ध विभाग को प्राप्त शिकायतों का विवरण और इन शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) किन मानदण्डों के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कोई उचित दर दुकान सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार चल रही है;

(ङ) किसी उचित दर दुकान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के निवारण की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण क्या है;

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रही उचित दर दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुसार चल रही है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की हैरारिकल क्रम में विवरण क्या है;

(छ) क्या विभाग द्वारा नये राशन कार्ड, बनवाने या नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त करने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ज) यदि हॉ, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है;

(झ) इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से युक्त उचित दुकानों का विवरण क्या है; ओर

(अ) इन सेल डिवाइसेज के प्रॉपर काम न करने वाली दुकानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली उचित दर दुकानों का नाम पता और संपर्क नंबर संलग्न है*।

(ख) इन उचित दर दुकानों से जुड़े लाभान्वितों के नाम पते का विवरण संलग्न सी.डी.* में उपलब्ध है

(ग) विभाग की हैल्प–लाइन 1967, पी.जी.एम.एस. पोर्टल एवं मंडल कार्यालय में दुकानों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(घ) निर्धारित मानदण्डों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ङ) उचित दर दुकान के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के निवारण की प्रक्रिया से संबंधित आदेश की कॉपी संलग्न है*।

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रही उचित दर दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुसार चल रही है अधिकारियों का कम निम्न प्रकार से है।

1. खाद्य एवं संभरण निरिक्षक
2. खाद्य एवं संभरण अधिकारी
3. सहायक आयुक्त
4. विशेष सहायक आयुक्त
5. सचिव/आयुक्त

(छ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाना एक सतत् प्रक्रिया है

(ज) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(झ) सभी उचित दर दुकानों पर ई–पोज लगाया गया है।

(अ) विभाग की हैल्प–लाइन 1967 एवं पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर दुकानों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

105. सुश्री भावना गौड़ : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पी.जी. एम.एस.) के द्वारा दिनॉक 27.02.2018 तक खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग से संबंधित 10754 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 74 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 03 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है;

(ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 1509 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है;

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें; और

(ट) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) दिनांक 27.02.2018 तक खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग से संबंधित 10841 शिकायतें दर्ज की गयी थी जिसमें से 95 शिकायते लंबित थी।

(ख) जी हॉ। लेकिन दिनांक 14.3.18 की PGMS पोर्टल की सूचनानुसार इन तीनों शिकायतों का समाधान हो चुका है।

(ग) सामान्यतः सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध है परन्तु कुछ समस्याओं की तकनीकी एवं वैधानिक प्रकृति के कारण समाधान विलंबित हो सकता है।

(घ) कुल 10841 शिकायतों में से 1523 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को आवेदकों ने संतोषजनक नहीं पाया।

(ङ) इन शिकायतों को कई बार फिर से खोला जाता है और इन शिकायतों के निवारण के लिए विभाग द्वारा टेलीफोन करके शिकायतकर्त्ता से संपर्क साधा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप किन कारणों से संतुष्ट नहीं हैं ताकि पुनः उनको संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

(च) हॉ यह सत्य है।

(छ) सभी संबंधित सहायक आयुक्त (AGRO) को समय समय पर निर्देश दिए गये है कि शिकायतों का समयबद्ध व संतोषजनक समाधान किया जाए।

(ज) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(झ) उपरोक्तानुसार।

(ट) सभी संबंधित सहायक आयुक्त (AGRO) को समय समय पर निर्देश दिये गये हैं कि शिकायतों का समयबद्ध व संतोषजनक समाधान किया जाए।

106. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड धारकों की आम शिकायत है कि उचित दर की दुकान पर उपलब्ध फिंगर प्रिंट मशीन में कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट मशीन में कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट न आने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस विषय में क्या कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूँ, चीनी इत्यादि का वितरण जारी रहेगा;

(घ) क्या सरकार दुकानदारों को दिए जाने वाले लाभ में वृद्धि का निर्णय ले रही है;

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के अनुसार कितने लाभार्थियों को खाद्य सामग्री वितरित की जाती है;

(च) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) इस समय उचित दर की कितनी दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) जी हॉ। कुछ राशनकार्ड धारकों को बायोमैट्रिक सत्यापन फेल होने से राशन लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है।

(ख) बायोमैट्रिक विफल होने पर लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

1. कार्डधारक की पहचान के लिए फिंगर प्रिन्ट, आँखों की छाप (IRIS) तथा ओ.टी.पी. (O.T.P.) का प्रावधान है।

2. जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर है वहॉ पर वेव ऐन्टीना उपलब्ध ा कराई गई है।

3. कार्डधारी का सत्यापन नहीं हो पाता तो हस्त वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारी को राशन दे दिया जाता है ऐसे मामलों की उचित दर दुकानदार बिक्री रजिस्ट्रर में आवश्यक प्रवृष्टि करता है।

(ग) राशन का वितरण उचित दर दुकानों के माध्यम से ही किया जाता है।

(घ) उचित दर दुकानदारों को दिये जाने वाले लाभ में वृद्धि का निर्णय लिया जा चुका है।

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72,77,995 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं।

(च) सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

1. जन शिकायत सुविधा दूरभाष नं 1967 तथा 1800110841 जारी किये गये हैं।

2. उपभोक्ता जन शिकायत निवारण पोर्टल (PGMS) पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

3. राशन का वितरण जनवरी 2018 से ई–पोज के माध्यम से शुरू का दिया गया है।

4. शिकायत प्राप्त होने पर कंट्रोल ऑर्डर 1981 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्यवाही की जाती है।

(छ) वर्तमान में 2216 उचित दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है।

107. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षों से नये राशन कार्ड जारी करने एवं पुराने कार्डों में संशोधन का काम रूका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो किराड़ी विधान सभा में यह कार्य नहीं किए जाने के क्या कारण है;

(घ) किराड़ी विधान सभा में किनते कार्ड धारक राशन ले रहे है; और

(ङ) वर्ष 2015—16, 2016—17, 2017—18 में विभाग द्वारा कुल कितने राशन कार्ड किराड़ी में जारी किए गए है ?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) जी नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वर्तमान राशन कार्डों में सुधार का काम सतत् रूप से चल रहा है।

(ख) 'क' के अनुसार लागु नहीं होता।

(ग) किराड़ी विधान सभा में पिछले 3 वर्षों में कुल 10,146 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

(घ) वर्तमान में किराड़ी विधानसभा में 55,623 कार्डधारक हैं।

(ङ) वर्ष 2015—16, 2016—17, 2017—18 किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में जारी किए गए कार्डों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या
2015—16	9,695
2016—17	279
2017—18	**372**

108. श्री अजय दत्त : क्या **खाद्य एवं सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 में अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए, नाम व पता सहित पूरा ब्यौरा दें;

(ख) राशन कार्ड जारी करने के कितने मामले अभी लम्बित है; और

(ग) इस क्षेत्र के लिए अभी कितने और नए कार्ड जारी किए जा सकते हैं ?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) वर्ष 2017–18 में अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 01/04/2017 से 10/03/018 तक कुल 331 राशन कार्ड बनाये गये है। नाम व पते सहित ब्यौरे की सीडी संलग्न* है।

(ख) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 664 आवेदन लंबित हैं।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लिए कुल 72,77,995 लाभार्थियों की संख्या निश्चित की गई है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जाचं के पश्चात् उचित पाए जाने पर सभी लंबित लाभार्थियों को राशन कार्ड दिया जा सकता है।

109. श्री सोमनाथ भारती : चुनाव मंत्री :

(क) प्रत्येक नागरिक का मतदाता बनना सुनिश्चित करने हेतु क्या विभाग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ग) दोहरी प्रविष्टि, म्त लोगों की प्रविष्टि अथवा निवास स्थान बदल चुके लोगों की मतदाता सूची में प्रविष्टि से संबंधित विसंगतियों को दूर करने हेतु विभाग की क्या योजना है;

(घ) क्या अवैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु विभाग की मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने की कोई योजना है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि हौज खास गांव में अनेक फर्जी मतदाता होने के तथ्य को स्थानीय विधायक द्वारा विभाग के नोटिस में लाया गया है;

(च) यदि हां, तो इस शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या यह सत्य है कि कई वर्ष पहले ख्यिड़की गाँव का मतदाता केंद्र एमसीडी स्कूल में हुआ करता था जिसे पुर्ननिर्माण हेतु गिरा दिया गया था;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्कूल का निर्माण दुबारा कभी नहीं किया गया जिसके कारण खिड़की गाँव का मतदाता केंद्र मालवीय नगर में किसी दूर स्थान पर स्थित स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया जिसके कारण बहुत कम संख्या में मतदान होता है;

(झ) क्या यह भी सत्य है कि एससआई के संशोधित नियमों के मुताबिक नियमों सरकारी भवनों का निर्माण स्मारकों से प्रतिबंधित दुरी के भीतर भी किया जा सकता है;

(ञ) क्या सरकार की खिड़की गांव के मतदान केंद्र को पुनः वहां वापस लेने हेतू उक्त स्कूल के पूननिर्माण की कोई योजना है

(ट) यदि हॉ जो कब तक;

(ठ) यदि नही तो क्या इस मतदान केंद्र को पास में स्थित महिला पोलिटेक्निक अथवा पास के अन्य किसी स्कूल में शिफ्ट किया जा सकता है;;

(ड) मालवीय नगर की विधान सभा की जनसंख्या के अनुपात में वहां के मतदाताओं की संख्या क्या है; और

(ढ) इस अंतर को कम करने हेतू सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) उन सभी योग्य नागरिक जो कि मतदाता सूची मे पंजीकृत होने की अर्हता रखते हैं को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रति वर्ष की प्रथम तीन तिमाही (first three quarters of the year) में मतदाता सूची का सतृत अद्यतन (continous updation) होता हैं इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु w.w.w nvsp.in पर आनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष की सामान्यतः अन्तिम तिमाही (last quarter of the year) में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision of Electroal Roll) होता है। जिसमें निर्धारित अर्हता तिथि को योग्य हो रहे नये मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है।

(ख) मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision of Electoral Roll) गत वर्ष 2017 में भी हुआ था जोंकि 10.01.2018 को मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन (Final pulication) के साथ सम्पन्न हुआ है। 11.1.2018 से मतदाता सूची का सतत् अदयतन (Continuous updation) जारी है।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समय–समय पर विशेष अभियान चला कर ऐसी प्रविष्टियों से संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(घ) वर्तमान में ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(ङ) इसी प्रकार की शिकायत स्थानिय विधायक द्वारा 2015 में प्राप्त हुई थी और जिसका उत्तर पत्र संख्या F/AERO/AD-43/NDD/A-Election-2015/comp/327 दिनांक 27/01/2015 को दे दिया गया था, परन्तु इस तरह का कोई भी नोटिस हमारी विधानसभा–43 (नालवीय नगर) कार्यालय हुमायुँपर गाँव में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। समय समय पर जो मतदाता शिफ्ट/डुप्लीकेट/मृत्यु हो जाते हैं उनका नाम हटाने की प्रक्रिया के द्वारा करता रहता है।

(च) उपरोक्त (ड.) के अनुसार।

(छ) सत्य है

(ज) यह सत्य है कि इसका निर्माण अभी तक दुबारा नहीं किया गया है; परन्तु इसके कारण खिड़की गाँव के मतदाताओं को किसी दूर स्थान के स्कूल में शिफ्ट नहीं किया गया है। इन सभी मतदाताओं का मतदाता

केंद्र राजकीय सर्वोदय विधालय, मालवीय नगर कर दिया गया था जो कि सभी मतदाताओं के घरों से 1 से 1.25 कि.मी. की दूरी पर है।

(झ) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ञ) इस विभाग सं संबंधित नहीं है

(ट) उपरोक्त के अनुसार।

(ठ) इस मतदाता केंद्र को महिला पोलिटेक्निक में शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि महिला पोलिटेक्निक विधानसभा–43 मालवीय नगर क्षेत्र में नहीं आता है।

(ड) 81.74%

(ढ) उपरोक्त ''क'' के अनुसार

110. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के 21 विधायकों पर लाभ के पद के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित विधायकों को लाभ के पद के चलते किन–किन चीजों में लाभान्वित किया गया, विस्तृत विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि संबंधित विधायकों को सरकार द्वारा सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित विधायकों द्वारा सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया था; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित विधायकों द्वारा सरकारी कार्यालय व कार्यालय के लिए कर्मचारी इत्यादि उपलब्ध कराया गया; और

(च) यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

चुनाव मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

111. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जी.एस.टी. सुचारू पूर्वक क्रियान्वित हो गया है;

(ख) क्या यह सत्य है कि व्यापारियों को इसमें अभी भी कुछ कठिनाईयां आ रही है;

(ग) यदि हॉ, तो दिल्ली सरकार इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(घ) क्या जी.एस.टी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ङ) सरकार का जी.एस.टी को लेकर पड़ने वाले प्रभाव का क्या आकलन है; और

(च) क्या इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हॉ।

(ख) जी हॉ।

(ग)

1. जी.एस.टी में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए व्यापार एवं कर विभाग में फेसिलिटेशन सेंटर तथा हेल्प–डेस्क खोला गया है। फेसिलिटेशन सेंटर व्यापारियों की जी.एस.टी एक्ट तथा रूल को समझने में आने वाली कठिनाईयों का निवारण करता है तथा हेल्प–डेस्क में व्यापारियों को आने वाली तकनीकी कठिनाईयों जैसे पासवर्ड आई.डी मिसमेच, रिटर्न फाइल न हो पाना इत्यादि का निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है।

2. प्रशासनिक समस्याओं का विभाग में यथासंभव समाधान किया जाता है तथा तकनीकी कठिनाईयों की जी.एस.टी.एन में भेजकर उनका निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है।

3. विभाग द्वारा मार्किट स्तर पर जी.एस.टी सपोर्ट कमेटियॉ बनाई गयीं हैं जिनके द्वारा भी व्यापारियों की समस्याओं को समझने एवं समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

4. दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री विभिन्न जी. एस.टी काउन्सिल की बैठकों में व्यापारियों की समस्याओं को

रखते हैं एवं कॉउन्सिल द्वारा उनके समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया जाता है।

(घ) इसकी अधिकारिक एवं तथ्यात्मक संकलित जानकारी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है।

(ङ) जी.एस.टी एक एकीकृत कर संरचना है। इसके प्रभाव का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है।

(च) अभी इसका आकलन लगाना मुश्किल है।

112. श्री अजय दत्त : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक व्यापार एवं कर विभाग से सम्बंधित 1689 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 42 शिकायतें अभी भी लंबित हैं.

(ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है की इनमें से 26 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी

अधिक समय से लंबित हैं.

(ग) यदि हाँ तो इसका क्या कारण है?;

(घ) क्या यह भी सत्य है की 637 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है?;

(ङ) यदि हाँ तो इन शिकायत पर विभाग ने क्या कार्यवाई की है

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें.

(झ) सम्बंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

(ञ) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जायेगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) जन शिकायत निगरानी प्रणाली के द्वारा दिनांक 10.01.2014 से 27.02.2018 तक व्यापार एवं कर विभाग से सम्बंधित 1691 शिकायतें दर्ज की गई जिसमे से 15 शिकायतें अभी लंबित हैं।

(ख) हाँ, यह सत्य है कि 27.02.2018 तक 26 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित थीं परन्तु दिनांक 15.03.2018 तक इन सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया हैं। जिस कारण आज की तिथि में इनकी संख्या शून्य (0) हो गई है।

(ग) सभी प्राप्त शिकायतें संबंधित जोन/शाखा प्रमुखों को उचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं. जिसकी आगे की कार्यवाही/छानबीन वार्ड

प्रमुख द्वारा संबंधित डीलर के पास की जाती है, जिसमें कुछ डीलर से संपर्क ना होने की वजह से कुछ शिकायतें लंबित रह जाती है। जिसके लिए समय–समय पर शाखा/जोन प्रमुखों को विदित करवाया जाता है एवं दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

(घ) जी हाँ, यह सत्य है।

(ङ) यदि कोइ शिकायत पुनः प्राप्त होती है तो उस पर पुनः कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं।

(च) जी हाँ, यह सत्य है।

(छ) इस सन्दर्भ में विभाग में वरिष्ठ अधिकारीयों एवं जोन/शाखा प्रमुखों की समय–समय पर मीटिंग आयोजित की जाती है एवं सभी लंबित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं।

(ज) विवरण संलग्र है।

(झ) सम्बंधित अधिकारियों द्वारा निवारण के लिए उठाये गए कदमो का विवरण जन शिकायत निगरानी प्रणाली की वेबसाइट पर प्रत्येक शिकायत के साथ उसके आई.डी पर अपलोड कर दिया जाता है। इन्ही कदमो के तहत विभाग के प्रयासो से समय से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या को 15–03–2018 तक शून्य कर दिया गया है।

(ञ) दिनांक 15.03.2018 तक इन सभी लंबित शिकायतों का निवारण विभाग द्वारा कर दिया गया हैं।

Sl. No.	Department	Total Recevied	Total Pending	Total Overdue	Total Disoused	Disposed %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zonal Incharge Zone VII New	286	6	6	8	98%
2.	GRO		196	1	0	195
3.	Zonal Incharge Zone VI New	173	3	3	170	98%
4.	Zonal Incharge Zone IV New	122	4	4	118	97%
5.	Zonal Incharge Zone III New	94	2	0	92	98%
6.	Zonal Incharge IX	93	4	4	89	100%
7.	Zonal Inchargel Policy	91	0	0	91	100%
8.	Zonal Incharge VIII New	82	1	1	81	99%
9.	Zonal Incharge V New	67	1	1	66	99%
10.	Zonal Incharg Enf Ii	66	1	1	65	98%
11.	Zonal Incharge Zone 1 New	63	3	3	60	95%
12.	Zonal Incharge Zone 1I New	62	3	3	59	95%
13.	Zonal Incharge Zone	61	0	0	61	100%
14.	Zonal Incharge HR	43	0	0	43	100%
15.	Zonal Incharge Vig	40	1	1	39	98%
16.	Zonal Incharge Eng	38	1	1	37	97%
17.	Zonal Incharge Enf I	28	0	0	28	100%
18.	Zonal Incharge System	19	1	1	18	95%

1	2	3	4	5	6	7
19.	Zonal Incharge SZ	18	0	0	18	100%
20.	Zonal Incharge Onew KCS	16	0	0	16	100%
21.	Zonal Incharge Accounts	14	0	0	14	100%
22.	Zonal Incharge FM	8	0	8		100%
23.	EDP	5	0	0	5	100%
24.	Zonal Incharge ecommers	4	0	0	4	100%
25.	Zonal Incharge GST Facilitation	2	0	0	2	100%
	Total	1691	32	29	1659	98%

113. चौ. फतेह सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पी.जी. एम.एस.) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक वित्त विभाग से संबंधित 162 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 14 शिकायतें अभी भी लंबित हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 10 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं,

(ग) यदि हां तो इसका कारण क्या हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 75 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया हैं,

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की हैं,

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए.

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें, और;

(ञ) इन शिकायतों का निवारण का निवारण कितने समय में हो जाएगा?;

शहरी विकास मंत्री : (क) हाँ यह सत्य है कि पी.जी.एम.एस. के द्धारा दिनांक 27.02.2018 तक 162 शिकायतें वित्त विभाग को भेजी गयी थी परंतु आज की तिथि में 4 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से बहुत सारी शिकायतें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के दूसरे विभाग से संबंधित है।

(ख) जी, हां।

(ग) इनमें से 9 शिकायतें दिल्ली सरकार की पी.जी.एम.एस. की श्रेणी में नहीं आता है तथा एक शिकायत में शिकायतकर्ता ने तथ्यों की विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।

(घ) ज्यादातर मामले भारत सरकार के वित्त विभाग से संबंधित है या इस विभाग से संबंधित नहीं है या सुझाव मात्र है या पी.जी.एम.एस. की श्रेणी में नहीं है।

(ङ) इसका संदर्भ भी उत्तर 'घ' में ही निहित है।

(च) जी हाँ।

(छ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण एक सतत प्रक्रिया है।

(ज) वित्त विभाग की शिकायतें वित्त विभाग के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है तथा दूसरे विभाग से संबंधित शिकायतों को संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका संपूर्ण विवरण पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्धता रहता है।

(ञ) संबंधित अधिकारियों द्वारा निवारण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी पी.जी.एम.एस. पोर्टल और संबंधित शिकायत की आई.डी. में दर्ज होती है; और

(ट) लंबित शिकायतों का भी शीघ्र ही निवारण हो जाएगा।

114. श्री मनजिन्दर सिंह : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में यह वायदा किया गया था कि सरकार अधिनियम लेकर आएगी, जिसके माध्यम से शक्ति सीधे नागरिकों के पास होगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने राजस्व के माध्यम से महिला सभाएं गठित की थी और उसके बजट भी आवंटित किया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016–2017 के दौरान 70 विधानसभा क्षेत्रों को 5–5 करोड़ रुपये आवंटित किये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि का क्या हुआ; और

(ङ) स्वराज फंड तथा मोहल्ला सभा फंड की वर्तमान स्थिति क्या है।

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है;

(ख) जी हां। वर्ष 2015–2016 में सभी 11 राजस्व जिलों को मिलाकर स्वराज फंड के अंतर्गत 249.50 करोड़ (केपिटल हैड) तथा 3.30 करोड़ (जनरल हैड) में आवंटित किए गए थे;

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त प्रश्न के आधार पर लागू नहीं; और

(ङ) उपरोक्त (ख) में दर्शाए गए आवंटित फंड 249.50 करोड़ में से 7005.67 लाख 31.03.2017 तक खर्च किया जा चुका है तथा 17944.33 लाख अधिशेष है। जिसमें से 7236.87 लाख की प्रतिबद्ध देनदारी है।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदय : भई अब सोमनाथ जी, अब ये मैंने बंद कर दिया। मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर 3.40। नहीं, मैं कोई क्वैश्चन नहीं अलाउ कर रहा हूँ। बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। 280 आरम्भ हो रहा है अब।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं कोई क्वैश्चन नहीं अब। प्लीज, बैठिए। अब 280 अखिलेशपति त्रिपाठी जी। अखिलेशपति त्रिपाठी जी 280।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं सोमनाथ जी, बिल्कुल नहीं आप, अगर। आप जैसे...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई झा साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी बैठ जाइए समय आप खराब कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण समय है उसको खराब कर रहे हैं। 280 अखिलेश जी, आप शुरू करिए पढ़ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी ऐसे नहीं सर। नहीं ऐसे सदन चलाना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई उसका, मंत्री जी आ तो जाएं। माननीय मंत्री जी आएंगे तभी तो बात बनेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी बैठ जाइए। नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज। अखिलेशपति जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : आपने 280 में एक बहुत ही गूढ़ विषय उठाने का मुझे मौका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, बैठ जाइए आप। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैठ जाइए। नहीं, ये हाउस इतना शांतिपूर्वक चल रहा है हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, अब नहीं हो सकता। ये 280 छोड़ दें क्या? चलिए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : हमारी सरकार ने पर्यावरण के दृश्य, पर्यावरण मित्र वाहन, ई–रिक्शा चलाने खरीदने पर 30 हजार रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया था जिसमें से बहुत सारे लोगों को मिला। लेकिन अभी भी तकरीबन 30 से 40 परसेंट ऐसे ई–रिक्शा चालक हैं जिनको अभी तक सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। दफ्तरों में उन्होंने आवेदन दे रखा है। मैं अपने विधान सभा से लगभग 400 फार्मों का एन्ट्री और विवरण के साथ सारा कागजात के साथ डिपार्टमेंट को सौंपा था जिनमें से अभी तक तकरीबन 40 परसेंट लोगों का ही जो है, सब्सिडी नहीं आ पाया है। तो मैं इस बहुत बड़े मुद्दे की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे इसमें हजारों लोग हैं जिनका अभी तक सब्सिडी नहीं आ पाया है।

तो विभाग से पता करें किन किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या किस कमी से उनका सब्सिडी नहीं आ पा रहा है और जो हमारे और एक चीज और तंत्र चल रहा है इसमें कुछ टाउट्स वहॉ बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी, हमें दे दो और हम इसका जो है, सब्सिडी तुम्हें दिलाकर ले आएंगे और उसके एवज में जो है, पैसे ले रहे हैं। जो तो पैसे देकर के जा रहे हैं, फार्म जमा कर रहे हैं, उन्हें सब्सिडी पहले मिल जा रहा है और जो सही तरीके से लाइन में लगके दफ्तरों में फार्म जमा करा रहे हैं, अपने सारे डाक्युमेंट जमा करा रहे हैं, उनको अभी तक सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है और कहीं न कहीं वो दलालों के शिकंजे में फंसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूॅ कि इस पर ध्यान दें और मैं अपनी विधान सभा का जितना भी मामला पेंडिंग है, वो अध्यक्ष जी, आपके पटल पर इसके बाद लंच में रख दूंगा। जिससे उनका समाधान हो पाए। बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे मुद्दे को उठाने का मौका दिया और कल जो वो लिस्ट मैंने आपने मांगा था, आपके ऑफिस में दे दिया, वो आपको मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : चलिए धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अभी इस विषय पर कुछ प्रश्न भी आए थे और जिसका जवाब माननीय खाद्य मंत्री जी ने दिया।

दिल्ली के अन्दर लगभग 73 लाख लोग जो गरीबी रेखा के नीचे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएस के अन्तर्गत जिनको रजिस्टर्ड किया गया है और लगभग साढ़े 19 लाख राशन कार्ड, दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं। अभी जब ई–पोज लागू किया गया तो बहुत हैरानी

की बात है कि लगभग 15 लाख लोग, 73 लाख में से 15 लाख लोग न जनवरी में, न फरवरी में और मुझे उम्मीद है न मार्च में, वो राशन लेने के लिए आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : 15 लाख में?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चार लाख राशन कार्ड! राशन कार्ड चार लाख हैं। साढ़े 19 लाख में से लगभग चार लाख और 73 लाख से अगर हम उसको राशन कार्ड धारक और राशन लेने वाले तो अगर हम चार लाख राशन कार्ड धारक, राशन कार्ड की बात करते हैं, परिवारों की, तो लगभग 15 लाख लोग, अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा विषय है। ये क्योंकि ये लोग जबसे आधार कार्ड लिंक का मामला चला और मैं विभाग को और मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा। चले गए मंत्री जी? मंत्री जी बैठे हैं कि इन्होंने बहुत तेजी से आधार कार्ड लिंक जो है 17 परसेंट जनवरी में और लगभग इतने ही प्रतिशत लोगों ने अपने कार्ड को लिंक करवाया है। तो ये आधार कार्ड के साथ लिंक होने का जो काम है, वो तेजी से चल रहा है और जो आउटपुट आ रही है, जो रिस्पोंस आ रहा है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अभी जो पूंजीपतियों के हाथ में गरीबों का राशन सौंपने की जो ये 'डोर स्टेप योजना' के नाम पे चीजें लाई जा रही हैं, ये अगर एक हजार करोड़ रुपये का गेहूँ, चावल, चीनी जो गरीबों का है और जो एफसीआई से आता है और भारत सरकार देती है और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा और उसको आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो फिर वो गरीब तक राशन कितना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ये सब एक यक्ष प्रश्न बनकर रह जाएगा।

इसलिए ये जो सारी व्यवस्था इस समय खड़ी की जाने की बात की जा रही है। ये प्रपोजल आधा अधूरा है। ये प्रपोजल किसी प्रकार से, क्योंकि अभी आपने जो 70 रुपये पर क्विंटल आपने जो पहले दिया करते थे डिस्ट्रिब्यूसन के लिए फेयर प्राईस शॉप को वो अब दो सौ रुपये किया है। उधर आपने ईपॉज लागू किया अब उधर तो आपने सारा सिस्टम क्रिएट किया है कि मशीनें दुकानों पे लगी हैं, मशीनों से लोग वो ले रहे हैं और अभी आपने, मंत्री जी खुद कहा कि मैंने धूम के देखा कि अगर भई जहां पर बॉयोमेट्रिक से दिक्कत आ रही है, तो वहॉ वैसे भी दे दो। तो वो भी प्रतीक व्यवस्था कर दी गयी है तो ऐसे में ये जो चार लाख लोग कौन थे, अगर इसमें से कुछ लोग इंनोसेंट भी थे तो अधिकांश लोग वो थे, जो राशन के लिए इन्टाइटल नहीं थे या फिर दिल्ली में रहते ही नहीं थे। दिल्ली के बाहर के थे, उन तमाम लोगों ने वर्षों तक गरीबों का राशन लिया है, ये बहुत खेद का विषय है और मैं यही कहूॅगा, आज अपने इस मेंशन के माध्यम से कि इस पूरी योजना पर पुनर्विचार किया जाय। क्योंकि कहीं न कहीं अगर प्राइवेट हाथों में गरीबों का राशन गया तो ये ईस्ट इंडिया कम्पनी फिर से आप दिल्ली में लाने जा रहे हैं, जो गरीबों के राशन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कर सकती है।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, एक प्रार्थना करूॅगा। इसमें अगर ये जोड़ दें आप कि ये चार लाख जो राशन कार्ड पकड़े जा रहे हैं या कुछ कम होंगे, ज्यादा होंगे, ये किस षडयंत्र के तहत बन गये, उसकी भी जांच हो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि जॉच के दायरे में तो सब कुछ आ जायेगा, लेकिन ये कैंसिल होने से जो एक लाभ होगा, वो ये होगा, जो लगभग डेढ़ से दो लाख गरीब परिवार लाइन में लगे हुए

हैं क्योंकि जभी आपने खुद ही प्रश्न चेयर से पूछा। चेयर ने खुद पूछा था प्रश्न कि कितने लोगों को, चूंकि ये जो क्राईटेरिया है, ये प्रतिशत पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है...

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उससे लिंक है और जितनी पोपुलेशन हमारे स्टेट की, हमारे प्रदेश की रजिस्टर्ड है या उसमें उसका पार्ट है, उसका प्रतिशत है। जब ये 15 लाख लोग निकलेंगे, तो जो गरीब, असली गरीब है, यानी असली गरीब तो बिना राशन के बाहर बैठा है और वो लोग राशन ले रहे हैं जो इन्टाइटल नहीं हैं। तो ये आपका, ये बहुत बड़ा, पूरा का पूरा गरीबों का जो एक बचा हुआ पोर्शन है लगभग डेढ़–दो लाख परिवारों का, वो इन होगा और जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो आउट होंगे। तो इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू किया जाये। तीन महीने के नियम के अनुसार, आपने कहा था तीन महीने, खुद सरकार ने, कैबिनेट ने पारित किया कि तीन महीने तक जो लगातार राशन लेने नहीं आयेगा, उसको हम, उसको डिलिट करेंगे, तो मोर और लेस उनको डिलिट किया जाये और कम से कम उतने लोगों को तो तुरंत डिलिट किया जाये, जिससे कि जो अगले गरीब हैं, वो उसमें आ सके।

अध्यक्ष महोदयः अरे भई! भई आप?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप केन्द्र रहने दो। केन्द्र का इसमें कुछ नहीं है। केन्द्र तो बस पैसा दे रहा है।

अध्यक्ष महोदयः बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः केन्द्र तो आपको गेहूँ–चावल दे रहा है। केन्द्र से आप एक हजार करोड़ रुपये का गेहूँ–चावल ले रहे हो, गरीबों तक पहुंचा दो। इतना ही कर दो, ठीक तरह से।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इतना ही कर दो। केन्द्र के अंदर करना छोड़ो। केन्द्र आपको लगातार, एफसीआई सामान दे रहा है आप गरीबों तक पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदयः बैठिये। चलिये, करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवर जीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान छतरपुर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले ऐसेसन मार्ग और 100 फुटा रोड पर हमेशा लगे रहने वाले ट्रैफिक जाम की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, ये छतरपुर विधान सभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे जो धार्मिक प्रतिष्ठान आते हैं। जैसे कि छतरपुर मंदिर, राधा स्वामी सत्संग व्यास, श्री हंस लोक आश्रम, श्री संतयोग आश्रम, शनिधाम मंदिर और गुरूजी का आश्रम। इसके अलावा इतने धार्मिक प्रतिष्ठानों के अलावा करीब 25 बड़े होटल और वैंक्वेट हॉल भी इस रोड पर आते हैं।

अध्यक्ष जी, जब भी यहां पर कार्यक्रम चलते हैं इन प्रतिष्ठानों में और जब भी शादी–ब्याह का सीजन होता है, तो आपमें से मेरे ख्याल से ज्यादातर

सभी इस रोड से कभी न कभी निकले हैं क्योंकि किसी प्रतिष्ठान पर आ गये होंगे या शादी ब्याह में जब भी गये होंगे, तो यहां पर हमेशा कई कई घंटे का जाम लग जाता है।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आपके माध्यम से कि जो वहॉ पे रहने वाले लोग हैं, उस क्षेत्र के जितने गॉव आते हैं, जितने कॉलोनी वहॉ पे हैं, उन सबको आज के समय में बड़ी परेशानी पैदा हो गयी है और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूॅ कि पीडब्ल्युडी को आदेश देकर जल्द से जल्द, एक तो वहॉ पर जो अतिक्रमण है, उसको हटाया जाये जिससे कि कुछ राहत मिले और इस रोड पे इसके प्रॉपर प्लानिंग हों या तो यहॉ पर कुछ एलिवेटेड पोर्सन्स बनाये जाएं, जहां जहां पे ट्रैफिक हैं, जहां पर ज्यादा जाम होता है। जैसे कि 100 फुटा रोड जहॉ पर तिवोली गार्डन से पहले और ऐसेसन मार्ग, यहां पर एलिवेटेड पोर्सन बने या तुरंत उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाये। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वहॉ पर जो है कि लोगों का जीना अब दूभर हो चुका है। जल्द से जल्द इसके लिए कोई प्लानिंग करके रोड को चौड़ा करें या एलिवेटेड बनाया जाये, धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। 280 के तहत मेरी विधान सभा के एक महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका दिया आपने।

मेरी विधान सभा वार्ड राजा गार्डन के अंदर एक तेतारपुर ड्रेन है। तेतारपुर ड्रेन संत वैरवा मार्ग पर है ये तेतारपुर ड्रेन। इसमें बहुत बड़ा नाला है। इसको कभी कोई आठ दस वर्ष पहले एमसीडी प्रोजेक्ट के पास था

ये नाला और उसको कवर्ड करने का काम एमसीडी प्रोजेक्ट के पास था। लेकिन वहॉ कुछ झुग्गियां थी, उसको देखते हुए या क्या हुआ, वो नाला दो सौ करीब मीटर, सौ, डेढ़ सौ मीटर करीब, वो नहीं ढका गया। वो आज तक इतने बड़े शहर के अंदर वो इतना चौड़ा नाला खुल्ला है। अब उस नाले का जब हम एमसीडी से पूछते हैं कि आपके पास था इसका प्रोजेक्ट तो एमसीडी जवाब देता है कि हमने तो इसे पीडब्ल्युडी को हैंड ओवर कर दिया नाले को। मैंने हर लेबल पे, मंत्री लेबल पे भी इसको लिखकर पूछा है और ये सवाल शायद अगर विधान सभा के रिकॉर्ड में देखा जाये तो दोबारा उठाने पर फिर मजबूर हो रहा हूॅ क्योंकि अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है कि इस नाले को कौन बनायेगा। क्या एमसीडी ने वो प्रोजेक्ट अधूरा थोड़ा था, एमसीडी प्रोजेक्ट बनायेगा या अगर हैंड ओवर पीडब्ल्युडी को हो गये? क्या पीडब्ल्युडी इस नाले को बनायेगा? क्योंकि वहॉ बिल्कुल जैसे कहते हैं; दस, पॉच मीटर के बाद ही उनके फ्लैट्स बने हुए हैं लोगों के, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को वहॉ समझ लो गंदगी, बीमारी, क्योंकि वो नाला बहुत बड़ा नाला है और उसको ढकने का अभी तक मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है, जिससे कि विभाग इसका बिल्कुल जवाब दे और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूॅगा कि पीडब्ल्यूडी ने इसपे क्या कार्रवाई की है और एमसीडी के पास जो है, अगर वो नाला था तो एमसीडी ने इसपे क्या पूरा का पूरा उसको हैंड ओवर कर दिया है ये और ये कब तक ये कार्य पूरा होगा? या इसके विषय में कोई विभाग ने कार्रवाई की है या इसके लिए कोई प्लान प्रोजेक्ट है या कुछ है, तो वो भी सामने लाया जाये जिससे कि उस नाले को ढका जा सके और विधान सभा के अंदर जो मतलब गंदगी से लोगों को निजात मिल सके, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से जल मंत्री, मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं वैसे, फिर भी यदि कोई अधिकारी हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात पर ध्यान दें।

मेरी विधान सभा के अंदर करीब करीब सभी कॉलोनी में पाइप लाईन बिछा दी गयी है। 12 कॉलोनी ऐसी हैं, जिनमें लाइन बिछने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, पानी कितनी कॉलोनियों में आ गया?

श्री जगदीश प्रधानः पानी आ गया, मेरे यहां 32 कॉलोनियों में।

अध्यक्ष महोदयः 32 कॉलोनियों में आ गया न तीन साल में?

श्री जगदीश प्रधानः ये बहुत पहले से आया हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः चलिये।

श्री जगदीश प्रधानः चार साल पहले का आया हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक।

श्री जगदीश प्रधानः अभी तीन साल के अंदर 12 कॉलोनियों में लाइन डली और उन बारह कॉलोनियों में एक भी कॉलोनी के अंदर एक बूंद पानी का नहीं है और कई एक दो कॉलोनी ऐसी भी हैं कि जिनमें पॉच साल पहले लाइन डली थी, वहॉ भी पानी आज तक नहीं छोड़ा गया है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मैने कल भी यहॉ जिक्र किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नई लाइनों के लिए 'अमृत योजना' के अन्तर्गत पैसा

दे रही है पूरे भारत वर्ष को, खाली दिल्ली को नहीं। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस योजना के अंतर्गत मेरे यहाँ, एक तरफ सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, दूसरी तरफ वहीं भगीरथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सब के होने वाबजूद भी, वहाँ नजदीक, आज तक हमको पानी नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ तक कहूँ कि ऑड ईवन में यानी तीसरे दिन या चौथे दिन जहां बत्तीस कॉलोनियों में पानी आता भी है, तो वहाँ तीसरे चौथे दिन पानी आता है, रेगूलर पानी वहाँ कभी नहीं आ रहा। पूर्व जल मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी विधान सभा का भी यही हाल है और मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब सर्दियों में पानी हमको तीसरे–तीसरे, चौथे–चौथे दिन मिलता है, तो गर्मी आने पर उसका क्या हश्र होगा, यह आपको अच्छी तरह अवगत भी है और मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पानी की लाइन नहीं डल पायी हैं, वहाँ पानी की लाइन डाली जायें और एक रिक्वेस्ट मैंने कल भी की थी और आज मैं फिर कर रहा हूँ कि दिल्ली में यदि लोगों की प्यास बुझानी है... आज वजीराबाद से जो हमको पानी मिलता था पीने के लिए, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से, आज वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ कोई पानी नहीं है वहाँ। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली सरकार इस पर कोई निर्णय ले और पानी का वजीराबाद रोड के नार्थ के एरिया में कोई रिजर्वायर बनाये ताकि वहाँ बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा किया जा सके और दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ सके, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश जारवाल।

श्री प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

मैं इस सदन के माध्यम से देवली विधान सभा में, मेरी विधान सभा में संगम विहार बांग रोड आता है और संगम विहार में लगभग 38 अनआथोराइज्ड कालोनी हैं जिसमें लगभग पॉच लाख लोग रहते हैं। अध्यक्ष जी, वो एकमात्र रोड है जिससे लोग अपने घर से निकलके रोजगार की तरफ जाते हैं। बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं और उस पर लगातार दो–दो घंटे का जाम बना रहता है। वो सौ फुटा रोड है। उसे संगम विहार विधान सभा जो दूसरी विधान सभा के लोग भी उसे यूज करते हैं। एक डीडीए में मास्टर प्लान में ये तय किया था कि भाई, इस रोड को चौड़ा करके सीधा मेहरौली निकाला जायेगा। मगर अध्यक्ष जी, बड़े दुःख की बात है, कई बार मैं अधिकारियों से भी मिला, मंत्री जी से भी मिला और वो रोड आज ऐसे का ऐसे ही है। ना उस पर निकासी का कोई रास्ता है। लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सैनिक फार्म उधर से निकलता हुआ एक रास्ता है। सैनिक फार्म के लोग भी कई बार क्या करते हैं कि वहॉ पर अपना प्राईवेट बैरियर लगा देते हैं और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं देते। तो समस्या अध्यक्ष जी, बहुत बनी पड़ी है। अगर इस पर जो इनक्रोचमेन्ट है, जब तक वो रोड नहीं निकलती, वो हटा दिया जाये तो भी कुछ थोड़ा बहुत समाधान हो जाये।

मैं आपको बताना चाहता हूॅ कि इस रोड पर इतना भीड़ हो चुकी है, लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये रोड सैनिक फार्म से निकलता हुआ सीधा मेहरौली पर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक समस्या संगम विहार की बनी रहेगी और इससे अध्यक्ष जी, पूरे संगम विहार विधान सभा के लगभग पॉच लाख लोग वहॉ के और तीन लाख लोग मेरी विधान सभा के इस एक मात्र रास्ते को यूज करते हैं। तो अध्यक्ष जी इस

रास्ते को जल्द से जल्द निकासी के लिए निकाला जाये। इस सदन के माध्यम से अधिकारियों को और मंत्री जी, माननीय मंत्री जी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि साहब एलजी साहब मुझे लिखित में परमीशन दे दें, पीडब्लूडी बना देगा। अब मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर पैसे का, बजट की दिक्कत है तो मैं दे देता हूॅं तो बार–बार यही समस्या अध्यक्ष जी आ रही है कि वो अधिकारियों पर टालते हैं। अधिकारी एलजी पर टालते हैं। तो अध्यक्ष जी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाये। बस इतना ही कहना है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, पिछले महीने मैंने विधायक निधि कोष से एमसीडी के कुछ पार्को के अन्दर जिम लगवायी थी। ये मामला पहले भी सदन के अन्दर उठ चुका है कि जहॉं पर विधायक निधि कोष से कोई जिम लगती है तो उसको उखाड़ दिया जाता है या विधायक निधि कोष से कोई काम करने होते हैं तो एमसीडी वाले वो काम नहीं करते। उनके फण्ड को रोक के बैठ जाते हैं। डेढ़ साल के बाद वो जिमें लगवाने का काम किया तो वहॉं पर विधायक के नाम का एक पटशिला भी लिखा गया था और एक इन्डीपेन्डेन्ट काउन्सलर होते थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पाक्र के अन्दर ये जिमें लगवा दो। तो वो मैंने फण्ड दे दिया। अब डेढ़ साल के बाद यदि वो जिम लगी है तो उसके ऊपर पटशिला पर विधायक के रूप में, मेरा नाम लिखा गया और पूर्व काउन्सलर जिन्होंने वो रिक्वेस्ट की थी, जिनका लेटर मेरे पास आया था, तो उनका भी साथ

में वो नाम लिखवा दिया। लेकिन जो मौजूदा काउन्सलर हैं, उनको और अधिकारियों को ये मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि जो नाम लिखा था, उसके ऊपर कालिख पोत दी जो कि बहुत गम्भीर मामला है। जबकि दिल्ली के अन्दर ऐसे बहुत से पटशिला हैं जिसके उपर चाहे कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, जिन्होंने अपने पत्थर लिखवाये हैं और उनके ऊपर आपने रिठाला विधान सभाओं के अध्यक्षों के नाम लिखे गये हैं। मैं पढ़के सुना देता हूॅ जो कांग्रेस की तरफ से है। सम्राट पष्थ्वीराज चौहान रोड, उसका उद्घाटनकर्ता–शेर सिंह राणा जी। जो कि कोई चुना हुआ नुमाईन्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक आम नागरिक है, उनका नाम लिखा गया है। मुख्य अतिथि–श्रीमती शशि गोपाल, जो कि निगम पार्षद है। सतबीर चौहान–मण्डल अध्यक्ष, रिठाला, राजेश कुमार–अध्यक्ष, जगसिंह राणा, दिनेश कुमार, जो कि कोई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। सिर्फ एक आम नागरिक हैं। उसके तहत ये नाम लिखे गये हैं। वो पत्थर तो लगे हुए हैं और जो हमने अपने पैसे से यहॉ पर काम करवाये, वो नहीं लगे हुए हैं। और एक पत्थर हमारे नेता विपक्ष का भी लगा हुआ है। मास्टर कोमल खत्री मार्ग, जिसके अन्दर उद्घाटनकर्ता श्री आजाद सिंह महापौर, मुख्य अतिथि–श्री विजेन्द्र गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पाटी, दिल्ली प्रदेश। ये कौन सा चुना हुआ प्रतिनिधि है? ये भी मैं पूछना चाहूॅगा। विधायक–जयभगवान अग्रवाल, शोभा विजेन्द्र–निगम पार्षद। ये है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए, महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : कन्क्लूड ही कर रहा हूॅ जी। कन्क्लूड तो 2019 में कर देगें। आपको पहले ही बता रखा है। मैंने विश्वास दिया हुआ है।

महाराजा अग्रसेन पाक्र, जिसके अन्दर विजेन्द्र गुप्ता जी का भी नाम लिखा हुआ और प्रवेश वार्हीं–अध्यक्ष, सुरेश कुमार भण्डारी और जिला अध्यक्ष–वेदपाल मान और पूर्व विधायक–कुलवन्त राणा। जब इस तरह के ये नाम लिखे गये है तो हमारे उस खास पत्थर के अन्दर ऐसी कौन सी बात आ गयी थी कि उसके ऊपर इन्होंने कालिख पोत दी! मेरा आपसे अनुरोध है। इसी प्रकार से काफी है। चाहे चॉदी राम चावला जी या किसी का भी है, ये इसी प्रकार के हैं। मैं आपको...

श्रीमती बन्दना कुमारी : रेखा गुप्ता का भी अभी लग रहा है।

श्री महेन्द्र गोयल : अभी लग रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है। मैं आपके पटल पर भेज रहा हूॅ। सम्बन्धित समिति जो भी है विधान सभा की, इसके ऊपर ये कार्रवाई की जाए और साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरा कि जो अनस्टार्ड के अन्दर ये भी आप ही के पास भेज रहा हूॅ। मैंने एक क्वेश्चन किया था।

अध्यक्ष महोदय : भाई महेन्द्र जी, ये अब इसमें। ये मुझे दे दीजिएगा। मुझे अगर ठीक लगेगा। नहीं, उत्तर ठीक है, मैं भेज दूॅगा।

श्री महेन्द्र गोयल : आपको अच्छा ही लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्र गोयल : पूरे सदन को, अच्छा ही लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं, महेन्द्र जी, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल : सर, क्या ये सत्य है कि दिल्ली के 21 विधायकों पर लाभ के पद के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया है;

अध्यक्ष महोदय : भई महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : एक सेकेण्ड जी, यदि हॉ तो सम्बन्धित विधायकों के लाभ के चलते किन–किन चीजों में लाभान्वित किया गया है। क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित विधायकों को सरकार द्वारा कोई सरकारी वाहन...

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, मैं इसको एलाउ नहीं कर रहा हूॅ। महेन्द्र गोयल जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूॅ, प्लीज। सदन को किसी नियम से तो चलने दो। हॉ, ये मेरे पास भेजिए। मुझे क्वैश्चन रेफ्रेन्स कमेटी को, ठीक लगा, मैं भेजूंगा। श्री बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम–280 में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे आफिस मे देना।

श्री एस.के. बग्गा : बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूॅ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कष्णा नगर विधान सभा में बीएसईएस की तरफ दिलाना चाहता हूॅ। मेरी विधान सभा में बिजली के तारें खम्भों से नीचे लटक रहीं है। इन तारों की वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। कई बार कहने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी विधान सभा में 50 नये खम्भे लगे हुए हैं। दो साल के करीब हो गये हैं। एलईडी लाईट की पेमेन्ट किये डेढ़ साल से ज्यादा हो चुका है। न खम्भों पर तार लगी है, न एलईडी लाईट लगी है। जनता बहुत परेशान है। पैसे देने के बाद भी

यही हाल है। बार–बार कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बीएसईएस से तारें हटवायें और खम्भे पर एलईडी लाईट लगवाने का कष्ट करें जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिले। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बग्गा जी, मैंने पढ़ा है। मुझे सिर्फ इतना जानकारी दे दीजिए। ये पैसा एमएलए लैड से दिया?

श्री एस. के. बग्गा : यस, एमएलए लैड से दिया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिए। अभी दो मिनट। अजय दत्त जी।

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत) : अखिलेश जी ने कुछ ई–रिक्शाज के बारे में सवाल किया था तो मैं बस यह इन्फॉर्मेशन सदन के पटल पर देना चाहता हूँ। टोटल ई–रिक्शाज जो रजिस्टर्ड हैं, वो 45,176 इसमें से 32,682 की सब्सिडी ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं और जो 12,494 केसेस, जिनकी सब्सिडी रिलीज नहीं हो रही है, जिसमें मुझे यह लगता है काफी, आपकी विधान सभा से भी होंगे, ये सारे डाक्युमेंट्स जो सबिमट नहीं किए गए हैं, उसके कारण पेंडिंग है। मैं सभी जितने भी

विधायक भाई यहाँ बैठे हैं, यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सदन के माध्यम से, बहन भी हैं बिल्कुल, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस सदन के माध्यम से कि जितने भी केसेल पेंडिंग है, वो सारे डाक्युमेंट्स सबिमट न करने के कारण हैं। तो जितने भी ई–रिक्शाज आपके संपर्क में है...

...(व्यवधान)

श्री विशेष रवि : विधान वाइज भिजवा दें। जो पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर भिजवा दें, तो हम उनको घर से बुला कर, वो पूरा करवा देंगे।

परिवहन मंत्री : इनकी जो कम्बाइंड लिस्ट है, वो हम बेवसाइट पर डलवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसको विधान सभा अनुसार... ऐसा करिये मंत्री जी, रवि जी, बैठिये, उनका यह कहना, सुझाव अच्छा है। इसको स्क्रूटनी करके विधान सभानुसार भेज दीजिए। विधायक उनसे मिलकर के उनके कागज पूरा करवा देंगे। अगर सम्भव है तो करिये इसको, प्लीज।

परिवहन मंत्री : सर, अगर विधान सभा के एकॉर्डिंग ये सेग्रिगेट डेटा हो जाएगा तो बिल्कुल कराएंगे और भिजवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, धन्यवाद। अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा में करीबन डेढ़ साल पहले मैंने कुछ कार्य अपने लैड फंड से एमसीडी को करने के लिए दिए थे और उस फंड को

देने के बाद अभी तक मैंने करीबन तीन बार बल्कि पॉच बार मैं कहूॅंगा, मैं डीसी से मिल चुका हूॅं, मीटिंगें हुईं और दो बार कमिश्नर से भी मिला लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। एक फंड जो मैंने दिया, हमारे मदनगीर क्षेत्र में एक नाला है। करीबन 20–22 साल से वो साफ ही नहीं हुआ, खंडहर बना हुआ है। उसको बनवाने के लिए मैंने 60 लाख रुपये का फंड लैड फंड से दिया क्योंकि उसके दोनों तरफ बहुत आबादी में लोग रहते हैं और कुछ दुर्घटनाएं भी वहॉ हो चुकी हैं और एक तरफ हमारे दिल्ली सरकार के दो स्कूल हैं, जहॉ से कई बच्चे आते–जाते रहते हैं और छोटी–मोटी दुर्घटनाएं हुई हैं और बड़ा बदबूदार माहौल है। तो यह फंड मैंने डेढ़ साल पहले दिया। उसकी फाइल चली, कमिश्नर से मिला, डीसी से मिला, लेकिन अभी तक वो नाले का फंड, उसमें से 60 लाख रुपये में से तीस लाख रुपये एमसीडी ने एडवांस में ले लिए और आज तक वो नाला नहीं बनाया गया। आज से 15 दिन पहले भी मैं डिप्टी कमिश्नर से मिला, मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ।

इसी तरीके से मैंने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए और पचास पोल लगाने के लिए भी अपना फंड दिया।

इसी तरीके से मैंने 44 लाख रुपये का फंड पाक्र लगाने के लिए, आज से एक साल पहले प्रस्ताव दिया।

इसी तरीके से मैंने दक्षिणपुरी जे, के, एल ब्लॉक की सड़क बनवाने के लिए फंड दिया। वो फंड ले चुके हैं और आज तक वो सड़क नहीं बनी।

अध्यक्ष जी, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एमसीडी जो कि दिल्ली सरकार से पैसा लेती है, बार–बार बीजेपी के नेता कहते हैं, ''भइया, एमसीडी को पैसा तो दिया, काम करने दें।'' लेकिन जब हम उनसे काम करवाना चाहते हैं और जनता का काम कराना चाहते हैं, उनको लैड फंड से पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे, तो इसमें मंशा दो लोगों की जो निकल कर आती है, वो यह है; एक तो जेई, एई, एक्सईएन, ये तीनों लोग उस कार्य को देख रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि उनकी जवाबदेही तय हो। मेरा यह मानना है, ''जो जनता अपने टैक्स का पैसा एमसीडी को दे रही है, उनकी जवाबदेही तय हो कि ये पैसा लेकर क्यों बैठे हैं।'' इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरा यह भी मानना है कि आप कमिश्नर एसडीएमसी को बुलाकर यह जवाबदेही तय करें कि जो यह पैसा दिया गया है, उसके बावजूद भी, एक तरफ तो आप रोते रहते हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं हो रहा। जब हम अपने लैड फंड से पैसा दे रहे हैं तो काम में रुकावट क्यों है? क्या यह कोई बीजेपी शासित एमसीडी की सोची–समझी साजिश है; क्या बीजेपी के लोग चाहते हैं कि दिल्ली में डेवलपमेंट न हो; क्या बीजेपी के काउंसलर चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र की जनता इसी तरीके से परेशान रहे? क्योंकि कोई भी अधिकारी मुझे यह लग रहा है आज की डेट में, जो एमसीडी में बैठा है, वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कहने पर चल रहा है। मैं कई बार मिला।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग अपने काम–धंधे छोड़कर जब यहॉ आए तो हम काम के लिए आए। जनता के हित के काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, एक काम करिये।

श्री अजय दत्त : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँकृ

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, मेरी बात तो सुनिये। आप इस सारे मैटर को अगर छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, कमेटी ऑन एमसीडी को लिखकर दीजिए।

श्री अजय दत्त : मैं लिखकर देता हूँ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और विद प्रूफ दीजिए। आपके एमएलए लैड फंड का पैसा है।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, विनम्र विनती। देखिये, हम उनके पास दस बार गए, रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया। क्या ये लोग काम नहीं कर रहे तो उनको दंडित कैसे किया जाए, मामला यह है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाए, मामला यह है....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, करते हैं इस पर।

श्री अजय दत्त : या डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को दंडित कैसे किया जाए, मामला यह है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्त : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उनको बुलाया भी जाए। उनसे सवाल भी किया जाए। अगर इसमें काम हुआ ही नहीं है, तो उनको दंडित भी किया जाए। ये अधिकारी अगर लोगों के काम नहीं करते, मैंने जो 38 में क्वैश्चन लगाया था, एक मिनट सर, बस लास्ट है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात हो गई।

श्री अजय दत्त : सर, एक मिनट, बस एक मिनट मैंने जो 38 में क्वैश्चन पूछा था, वो राशन के ऊपर था...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस पर नहीं, मैंने महेन्द्र गोयल जी को अलाउ नहीं किया। मैं उस पर कुछ नहीं सुनूंगा। आपको लगता है गलत है...

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्त : उसमें गलतियॉ अधिकारियों की हैं, सफर जनता कर रही है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजय दत्त जी, थोड़ा सुन लीजिए। आपको लगता है आन्सर गलत आया है, तो मुझे दे दीजिए। मैं रेफरेंस कमेटी को भेज दूँगा।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन अधिकारियों को बुलाकर इनसे पूछा जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए और अगर इन्होंने काम नहीं किया है तो इनको दंडित करने का भी प्रावध ाान इस विधान सभा के मैं सभी सदस्यों और आपकी जो माननीय सीट है, उससे चाहूँगा कि उनको भी इस कार्यवाही में लिया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अंतिम श्री सोमनाथ भारती जी।

सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 280 के अंतर्गत अपना विषय उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर सीलिंग एक ट्रेजडी बन चुकी है। कई साथियों ने इस सदन के अंदर कहा है और करीब–करीब मॉनिटरिंग कमेटी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम कर रही है। डिमोलिशन और सीलिंग वो करीब–करीब अपने ह्विम्स एंड फेंसीज पर कर रहे हैं। कहीं चले जाते हैं और न तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वो पालन कर रहे हैं, न कोई ले–डाउन रूल्स का पालन कर रहे हैं। सम्भवतः कारण यह रहा कि एमसीडी और जो भी विभाग हैं उन्होंने पीछे काम नहीं किए लेकिन पिछले दिनों जैसे हमारे साथी करतार सिंह जी ने कहा कि छतरपुर के अंदर एक ऐसी सीलिंग की कार्रवाई की गई, एक ऐसी कार्रवाई मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा करवाया गया, इसमें रूल्स और रेग्युलेशन्स की बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाई गईं।

अध्यक्ष महोदय, न तो एरिया डिमार्केटेड है, बगैर डिमार्केशन के, बगैर नोटिस के प्रोपर्टीज को डिमोलिश करा गया और एक ऐसा व्यवहार जिसमें कि मानवीयता को बिल्कुल ही एक तरह से तार–तार कर दिया गया। मैं वहॉ पर खुद गया था देखने के लिए। प्रोपर्टीज के जो ओनर्स हैं, उनके पास प्रोपर्टीज के पेपर्स बिल्कुल पूरे हैं। उनका जो खसरा नंबर 1522 है, नोटिस इशु किया गया 1500 के अगेंस्ट में। यह कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। पूरे क्षेत्र को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो वो कहते हैं कि जहॉ जाना है, आप चले जाइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये ये बात चूंकि यहॉ पर चीफ सेक्रेट्री बैठे हुए हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूॅ कि जिस तरह का व्यवहार मॉनिटरिंग कमेटी कर रही है, उससे दिल्ली के अंदर रायट्स छिड़ने के आसार हैं और पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी अधिकारी किसी और का भी कहना मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं मॉनिटरिंग कमेटी का कहना मानूॅगा। मॉनिटरिंग कमेटी ने कह दिया तो किसी का कहना मानने को तैयार नहीं है और इस एवज में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूॅ कि दिल्ली के अंदर बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। आप आदेश दें अधिकारियों को, माननीय उप मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, उनको भी कहें कि इस चीज का संज्ञान लें और इस पर कोई न कोई समाधान लेकर आएं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कल गुलाब सिंह जी के प्रश्न पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर देने का आश्वासन दिया था। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूॅ, जवाब दें।

उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य

उप–मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19/03/2018 को माननीय विधायक श्री गुलाब सिंह जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में मुझे कहना है कि मैंने कल उसका उत्तर दिया था कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में कोई ऐसी घटना की जानकारी नहीं मिली है जहां किसी बच्चे को डॉट देने की घटना पर 50 लोग प्रिंसिपल और टीचर्स को पीटने के लिए स्कूल में घुस आए हों और अराजकता फैला दी हो। इस बारे में माननीय सदस्य ने उसके बाद पूरक प्रश्न पूछा था कि अगर बच्चे को डॉटने की प्रतिक्रिया में टीचर्स के साथ मारपीट की घटना नहीं घटी तो फिर 5 मार्च के समाचार पत्र में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती मनीषा सक्सेना ने यह बयान किस आधार पर दिया इस बारे में मैंने कल कहा था कि इसका जवाब तो स्वयं संबद्ध अधिकारी से पूछकर ही दिया जा सकता है। तब आपने आज यानि 20/03/2018 के लिए इसका जवाब का समय दिया था। मैंने कल ही दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में लिख दिया था। आज दोपहर मुझे इनका जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें एक सबज्यूडियस मैटर का हवाला देते हुए श्रीमती मनीषा सक्सेना ने कहा है कि यह बयान उन्होंने चीफ सेक्रेटरी श्री अंशु प्रकाश जी पर हुए तथाकथित हमले के संदर्भ में दिया था। उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 21 फरवरी, 2018 को दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में एक टीचर के साथ हुई घटना का भी उन्होंने संदर्भ लिया है। इस घटना की रिपोर्टिंग अखबारों में हुई थी और मैंने स्वयं इस बारे में टीचर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माननीय एलजी साहब को लिखा था लेकिन मैं विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस घटना का जो 21 फरवरी,

2018 की घटना है और इस घटना का जिसका जिक्र श्रीमती मनीषा सक्सेना जी के इंटरव्यू में किया गया है, दोनों के विवरण में बहुत स्पष्ट अंतर है। 21 फरवरी की घटना एक छात्रा के गायब होने की स्थिति में स्कूल में झगड़े के रूप में हुई थी। उसमें कहीं भी किसी टीचर द्वारा बच्चे को डॉट देने पर प्रतिक्रिया स्वरूप पेरेंट्स द्वारा टीचर्स के साथ हुई मारपीट का न तो मेरे पत्र में कहीं जिक्र किया गया है और न ही मीडिया रिपोर्ट्स में इसका कहीं जिक्र है। मैं ये भी बताना चाहता हूॅ कि श्रीमती मनीषा सक्सेना ने अपने जवाब में एमएलए श्री नरेश बालियान के तथाकथित उस बयान का भी उल्लेख किया है जिसमें श्री नरेश बालियान तथाकथित रूप से ये कह रहे थे कि अगर अधिकारी जानबूझकर जनता का काम न करें या जनता का काम रोक कर बैठें तो उन्हें पीटना चाहिए। इस संदर्भ का स्कूल की उस प्रश्नगत घटना से कोई लेना–देना नहीं है। मेरी अपनी राय में, श्रीमती मनीषा सक्सेना ने अपने इंटरव्यू में एक काल्पनिक स्टोरी का सहारा लिया। ऐसी कोई घटना दिल्ली के किसी स्कूल में नहीं घटी। यह जवाब मैं कल ही दे चुका हूॅ। उनकी इस काल्पनिक स्टोरी ने दिल्ली के शिक्षकों को अभिभावकों के खिलाफ भड़काने का काम किया है। पूरक प्रश्न के जवाब में संबंधित अधिकारी का प्राप्त जवाब और उस पर अपनी टिप्पणी भी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूॅ।

अध्यक्ष महोदयः हां गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये विषय बड़ा गंभीर है और मैं ये मानता हूॅ ये एक काल्पनिक घटना है और 21 तारीख का इसमें जिक्र किया गया है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है जो माननीय उप–मुख्यमंत्री साहब

जो चिट्ठी एलजी साहब को गई थी, वो एक बच्ची के गुम होने का मामला था। नरेला विधानसभा का वो मामला था लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं था कि पेरेंट्स किसी टीचर को पीटने गए हों या मतलब इस तरह की कोई घटना थी ही नहीं। मेरा खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और इस घटना के बाद मुझे एसएमसी के मेंबरों से, कुछ टीचर्स से पता चला कि स्कूलों के अंदर हड़ताल के बारे में सोचा जा रहा है और जब मैं उनसे मिला जाकर अध्यापकों से तो मैंने उनसे कहा, ''जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी का इंटरव्यू अखबार में छपा है। हम क्यों न मानें कि दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है और आप जानते हैं, एग्जाम का समय चल रहा है। एग्जाम का समय चल रहा है। ये सारा का सारा मामला दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ठप्प करने की एक साजिश रची गई है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि इस पूरे मामले को प्रश्न एवं संदर्भ कमेटी को इस मामले को दिया जाए रेफर किया जाए और इसकी पूरी जॉच हो। क्योंकि इस तरह से अगर अधिकारी दिल्ली सरकार को लेकर कुछ भी अगर मीडिया में रिपोर्टिंग कर देंगे तो इसके ऊपर एक जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके ऊपर और इसमें किससे पूछकर ये दिया गया इंटरव्यू, सबसे बड़ी बात और मुख्य सचिव साहब का मामला तो अभी आपने देखा होगा। वो हाईकोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है लेकिन उसके बाद ये दिया जा रहा है सब कुछ। ऐसा कैसे चलेगा! तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है, ''इसको प्रश्न एवं संदर्भ कमेटी को इसको रेफर किया जाए, अब यही मेरा निवेदन है आपसे।''

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मेरे दो सवाल हैं और मैं चाहता हूँ मंत्री जी इन सवालों का जवाब दें।

मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अधिकारियों के रूल्स, कंडक्ट रूल्स इस चीज की इजाजत देते हैं कि वे चुनी हुई सरकार के खिलाफ अखबारों में इंटरव्यू दें नंबर एक। नंबर दो अगर इस तरीके की इजाजत दी भी जाती है तो इस अधिकारी को, श्रीमती मनीषा सक्सेना को इस इंटरव्यू देने की इजाजत किस अधिकारी, मंत्री या मुख्यमंत्री ने दी है?

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, इसका क्योंकि ये पूरक प्रश्न के रूप में सामने आया है और मुझे लगता है कि कंडक्ट रूल्स के हिसाब से सरकारी अधिकारी किसी सरकार के खिलाफ इस तरह से इंटरव्यू नहीं दे सकते लेकिन अगर उसमें कोई... क्योंकि मैं अभी रूल्स का अध्ययन करने के बाद ही इसका पूरा जवाब दे सकता हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है। इस इंटरव्यू के अंदर ये कहा गया है कि पीओएस जो राशन के अंदर जो उंगलियों के निशान लगाने की जो व्यवस्था थी। पीओएस मशीन से राशन देने की व्यवस्था थी, उसके अंदर कोई समस्या नहीं आ रही है और इन्होंने कहा है कि इस तरीके का, जो सरकार कह रही है कि समस्या आ रही है ऐसी कोई सरकार, यदि यह कहा जा रहा है जैसा कि सरकार ने कहा है, वैसा अधिकारियों ने नहीं किया, ये गलत है। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्य

में फाइलों की स्वीकृति दी जाती है। अधिकारी वही करते हैं और उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि इसके अंदर कोई समस्या नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले दो प्रश्न राशन व्यवस्था के बारे में इस हाउस में लगे थे जिसके अंदर ये आया कि मुख्यमंत्री जो पीजीएमएस चलाते हैं, उसके अंदर 353 शिकायतें आईं। उसके अंदर दूसरा सवाल यह था कि इसके लिए।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, वो तो मैंने क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी को दे दिये, तीनों क्वेश्चन।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी एक चीज और कहना चाहता हूँ। इसके अंदर, इस इंटरव्यू में ये कहा गया है कि इस तरीके की मीटिंग्स को लाइव किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जनता भी देखे कि इनके जनप्रतिनिधि किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये मुझे लगता है ये प्रिविलेज का भी मामला है। सीधे सीधे इन्होंने हर जन प्रतिनिधि को इसके अंदर, उसके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा दिया। उसकी प्रतिष्ठा के साथ इन्होंने उसको यहॉ पर किया। पूरे अखबार के अंदर एक तरीके से नीलाम किया है। ये एक प्रिविलेज का भी मामला बनता है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः ये विषय मैं जैसा गुलाब सिंह जी ने मांग की, मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं क्वैश्चन एण्ड रेफरेंस कमेटी को सौंपता हूँ और प्रिविलेज कमेटी को भी सौंपता हूँ। अब आधा घंटे के लिए चाय ब्रेक। हम ठीक पौने पॉच बजे यहॉ मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए चायकाल हेतु स्थगित की गई)

सदन अपराहन् 4.57 पर पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

ध्यानाकर्शण (नियम – 54)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण (नियम 54) श्री राजू धिंगान जी। नोएडा प्राधिकरण द्वारा गाजीपुर की ढलाव जमीन पे कूड़ा–करकट डालने के संबंध में अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे।

श्री राजू धिंगानः जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे नियम 54 के अन्तर्गत इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान इस मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। गाजीपुर लैंडफिल जिसपे पूर्वी दिल्ली का पूरा का पूरा कचरा डंप किया जाता है, लगभग तीन हजार क्विंटल प्रतिदिन। इस लैंडफिल में पिछले साल सितम्बर में एक भयानक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गयी। असल में ये मौत गाजी लैंडफिल में जो हादसा हुआ, इसकी असल वजह है एमसीडी की लापरवाही। ईडीएमसी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। क्योंकि सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नई लैंडफिल तलाशी जाए जिससे कि कूड़ा वहॉं डंप किया जा सके, दिल्ली की जरूरत के हिसाब से। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा इस मामले में कि लैंडफिल, ईडीएमसी एक नई लैंडफिल तलाशे जहॉं पर ये कूड़ा डाला जा सके।

अगर सही मायने में ईडीएमसी अगर कोई नई जगह को तलाश के अगर देती तो ये हादसा मैं समझता हूँ, नहीं होता। इस हादसे के बाद पूर्वी दिल्ली का पूरा का पूरा जो कूड़ा वहॉं डाला जाता था, उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अभी पिछले शुक्रवार को वहॉं उस लैंडफिल पर पॉंच

नोएडा के ट्रक पकड़े गए हैं, कूड़ा डालते हुए। इस बात की जानकारी हमारी एक निगम पार्षद हैं, रेखा त्यागी जी, सदन की स्थाई समिति की बैठक में जब उन्होंने यह सवाल कमिश्नर, ईडीएमसी से किया तो उन्होंने पूरी तरीके से अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। असल में एनजीटी ने भी इनको कहा था कि लैंडफिल जो है, इसकी हाईट बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत खतरनाक लेवल पे है। इसकी हाईट तकरीबन 50 मीटर की है। यानी 15 मंजिली इमारत जितनी, तो उसकी हाईट को कम किया जाए। उस हाईट को कम करने के नाम पे ईडीएमसी ने एक प्राईवेट कंपनी से करार किया। अरबों की जमीन उसको दे दी और उसका ये काम था कि कचरे से वो बिजली बनायेंगे और इसकी हाईट जब वो कचरे से बिजली बनायेंगे तो उसकी हाईट अपने आप ही स्वतः ही कम हो जायेगी। लेकिन वो हाईट कभी कम नहीं हुई। कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि पीछे से अंदर खाते नोएडा अथॉरिटी से गलत ढंग से ईडीएमसी की सांठगांठ हुई। जिसकी वजह से वो नोएडा अथॉरिटी को, जो दूसरे राज्य की अथॉरिटी है जिसका दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, जब पूर्वी दिल्ली का कूड़ा वहॉ नहीं डाला जा रहा तो किस आधार पर उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को ये अधिकार दिया कि वो कूड़ा वहॉ डंप करे? इस मामले की मैं समझता हूँ सर, इस मामले की जांच होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये क्या घालमेल है, क्या षडयंत्र हैं कि दिल्ली का कूड़ा न डाल के वो वहॉ का कूड़ा डाल रहे हैं? इसके बाद इसमें जब ये मामला खुला तो इसके बाद कमिश्नर, ईडीएमसी ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने आनन–फानन में एक कमेटी गठित की, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, बाद में पता करने पर। आनन–फानन में एक कमेटी बिठाई कि वो इसकी जांच करेगी और 24 घंटे के अंदर उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी कि ये ट्रक

4–5 दिन से आ रहे हैं। असल में ये बहुत पुराना खेल चल रहा है कि ईडीएमसी के अधिकारी इसमें एन्वाल्व हैं, कमिश्नर ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि मुझे पता नहीं है कि नोएडा अथॉरिटी का भी कूड़ा यहॉ डलता है। जबकि ईडीएमसी का चीफ इंजीनियर उस ढलाव की देखरेख के लिए लगाया हुआ है। तो इनकी जानकारी में अगर ये बात नहीं है तो ये बड़ा दु:ख का विषय है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। इस पर संज्ञान ले कर इस मामले में निगम के अधिकारी, तथाकथित वो कंपनी प्राईवेट कंपनी जो बिजली बनाने का काम कर रही है, कूड़े से उसे और साथ में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को यहॉ बुलाया जाना चाहिए सदन में। उनसे पूछताछ की जानी चाहिए या इस मामले को संबंधित जॉच कमेटी में देना चाहिए और इस विषय पर यहां चर्चा हो, ऐसा मेरा आग्रह है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। हॉ, फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये विषय यही सीमित नहीं रहता। इससे आने वाले समय में जितने भी पीडब्ल्यूडी के हमारे नाले हैं, उनकी सफाई की समस्या का भी बहुत बड़ा कारण है क्यूंकि जब तक लैंडफिल की जगह हमें नहीं मिलेगी, जब तक एमसीडी उस जगह को नहीं खोजेगी, जब तक हमारी पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई भी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई होनी है और उससे जो गार्बेज निकलेगा, जो ठेकेदार उस काम को लेगा, उसके बाद उसकी सफाई करेगा उसका काम जब शुरू होता है ठेकेदार का जब एमसीडी उसको वहॉ लैंडफिल पर अपना कूड़ा करकट, गार्बेज डालने की स्वीकृति प्रदान करेगी और उसको जो पर्ची मिलेगी, उस पर्ची से उस ठेकेदार का पेमेंट होने वाला है। ये

समस्या इतनी विकराल है, सारी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नाले ओवलफ्लो होकर के सड़कों पर उनका सारा पानी जमा है और अभी इसी वजह से दिल्ली के सभी नाले पीडब्ल्यूडी के नाले, एमसीडी के नाले, उनकी सफाई नहीं हो सकी है और यही समस्या फ्लड के सामने भी है। फ्लड के जितने भी बड़े नाले हैं, उनकी भी सफाई इसी वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि उनको इस गार्बेज को डालने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा है और न ही उन ठेकेदारों की पेमेंट हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि इस संबंध में सरकार संज्ञान ले और एमसीडी का काम ये है जमीन को तलाशने का, उसको निर्देश जारी किये जायें कि वो तुरंत इस जमीन को तलाशे जिससे कि लैंडफिल हो सके, थैंक यू।

श्री विशेष रवि : हमें समय रहते जो है, काम करना चाहिए। अन्यथा जो ये मौसम आ ही गया है सफाई का, बारिशों का।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, ठीक है।

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष महोदय कुछ बात रखना चाहता हूँ, बहुत अहम इश्यू है। कल आपने अंशु प्रकाश जी को यहॉ विधान सभा में आने के लिए बोला था। आज वो विधानसभा में आए भी लेकिन उनके साथ में दिल्ली के जितने भी आईएएस अफसर हैं, वो सारे आए। जबकि जिनकी जरूरत थी, उनको आना चाहिए था सिर्फ। बाकी जो सारे लोग, जिनकी जरूरत नहीं थी या जिनके ताल्लुक से कोई न सवाल पूछा गया था, न उनकी जरूरत थी सारे डीएम, सारे आईएएस अफसर, विधान सभा की गैलरी

में पूरी तरह से खड़े हुए थे और वो एक प्रेशर बनाने की सरकार के ऊपर कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। वो इस पर कहीं न कहीं जरूर लगाम विधानसभा की तरफ से लगना चाहिए अगर सरकारी अफसरों का अगर ये रवैया रहेगा तो कहॉ हम इनसे काम करा पायेंगे! कहां इनसे सवाल करा पायेंगे! इनके एक झूठ की वजह से हमारी पूरी सरकार बदनाम हुई, हमारे सारे विधायक बदनाम हुए, मैं और प्रकाश जारवाल 20 दिन एक झूठे मुकदमे में जेल रह कर आए, हमारे एक मंत्री के साथ में जो सचिवालय के अंदर मारपीट हुई, उसका वीडियो मौजूद होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बावजूद भी इनका जो ये रवैया है, ये बड़ा गलत है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। ये हम पर प्रेशर बनाना चाहते हैं जो कत्तई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई अखिलेश जी, आप बीच में बोलते हो ना, बोल रहे हैं सीरियस मैटर बोल रहे हैं। आप टोका टाकी बीच में बहुत कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। इसको कंट्रोल करिये आप।

अध्यक्ष महोदय : वो इतना सीरियस मुददा उठा रहे हैं, आप लोग उसको हंसी मजाक में ले आते हैं

श्री अमानतुल्लाह खान : जिस तरह से ये अधिकारी चुने हुए विधायकों पर चुनी हुई सरकार पर जिस तरह से, जो रवैया इनका बना हुआ है, काम ना करने का और मनमर्जी का, तो ये कत्तई तौर पर बर्दाश्त नहीं कियाा जा सकता और अगर इनका यही रवैया रहा, तो हम इससे

ज्यादा इनके साथ इससे और हम मुस्तैद होकर के इकटठे होकर के हम भी ये काम करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा की तरफ से इनको ये मैसेज जाना चाहिये कि विधानसभा जो है, चुनी हुई सरकार है, चुने हुए लोग इसके अंदर आये हैं और अगर आप इस तरह का रवैया इख्तेयार करेंगे तो ये दिल्ली के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए भी अच्छा नहीं है, शुक्रिया अध्यक्ष साहब।

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, मैं इस पर समय निकाल कर दूँगा, चर्चा करने के लिए। रवि जी, अभी इस पर और चर्चा नहीं। विशेष जी, मैं दो मिनट इस पर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, ने जो अपनी इच्छा को जाहिर किया, सदन के बीच में, मैं देख रहा था कि सभी सामूहिक रूप से आये थे लेकिन उनकी चिंता जायज है। पर सदन ने, हमने, मैंने उन सबको जो यहॉ सुनने आये थे, उन सब को कुछ न कुछ आज यहॉ से सबक लेकर गये होंगे। अगर वो नहीं होते, शायद ये मामला केवल क्वैश्चन एवं रेफरेंस कमेटी को जाता। उनकी उपस्थिति ने इसको पेटिशन कमेटी को भेजा। उनकी उपस्थिति के कारण ये मैंनें जानबूझकर के ये किया। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। सौरभ जी ने मांग की थी और उनकी उपस्थिति के कारण ये गया है और हम भी इसमें ढीला नहीं पड़ेंगे, आप चिन्ता मत करिये और इस सारे विषय पर अभी चर्चा में थोड़ा समय लेंगे। नहीं राखी जी, अब प्लीज अजय दत्त जी फिर मैं ये .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंनें कहा ना, इस पर समय लेंगे, चर्चा लेंगे, इस पर चर्चा का समय लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस चर्चा करेंगे, मैंने कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं भई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। प्लीज पुष्कर जी, बैठिए। ये सारे विषय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूॅ जो राजू धिंगान जी ने विषय उठाया...

श्रीमती बंदना कुमारीः हम अपनी छोटी छोटी बात जिस पर...

...(व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः और मंत्री जी जिनके फुटेज हैं, सारा मीडिया के पास फुटेज है और...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा ना, इस विषय पर मैं बातचीत करके समय रखूॅगा। इस पर चर्चा करेंगे, सदन चर्चा करेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी की बात समझ में आ रही है, कौन क्या बोल रहा है? किसी की बात समझ में आ रही है?

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्तः माननीय मंत्री जी जिनको मारा पीटा गया, जिन लोगों की पिक्चर आई है, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की है और हमारे दो माननीय विधायक जिनको शक की बिना पर... कौन सा कानून चल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आपको इतनी पीड़ा है। अगर हो रही है तो अभी तक क्यों नहीं कोई क्वैश्चन लगाते? क्यों नहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते? नहीं, मैं अजय जी, आपसे पूछ रहा हूॅं, क्यों नहीं ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव देते इस विषय पर? दीजिये। नहीं, क्यों नहीं प्रस्ताव देते ध्यानाकषर्ण का? इस पर चर्चा के लिए दीजिये, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज।

श्री अजय दत्त : अभी हम प्रस्ताव करते हैं, इसको ध्यानाकर्षण में लाने का।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिये इसका नोटिस। राजू धिंगान जी ने जो विषय नियम–54 में उठाया है, वह अत्यंत गंभीर है। उसमें पीछे बड़ी दुर्घटना भी हुई थी गाजीपुर ढलाव पर। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूॅंगा, इसमें संक्षिप्त... शहरी विकास मंत्री इसका उत्तर दें।

शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजू धिंगान जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बार में ईस्ट दिल्ली एमसीडी से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जो नौयडा एथोरिटी से ट्रक्स कूड़ा लेकर आये थे, वो लैंड फिल साईट पर नहीं ले जाये गये। उन्होंने

जो जानकारी दी है; वहॉ पर जो वेस्ट टु एनर्जी प्लांट है, उसमें उन्होंने आरडीएफ क्या होता है, जो कूड़ा है, कूड़े से ब्लॉकस बनाये जाते हैं कि आरडीएफ को चैक करने के लिए जो उन्होंने जानकारी दी है, उसके हिसाब से कि उन्होंने चैक करने के लिए वहॉ पर चार दिन ट्रक भेजे थे जिसमें कि 26 से 28 तारीख के बीच में 10 ट्रक, फरवरी पॉच, मार्च को 15 ट्रक और पॉच और छह मार्च को 14 ट्रक और नौ मार्च को सात ट्रक। तो ये जो आरडीएफ भेजा गया था, ये वेस्ट टु एनर्जी प्लॉट वहॉ पर जो साथ में लगा हुआ है, उस प्लॉट के अंदर, उसको चैक करने के लिए। उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि कोई कमर्शियल उनका आपस में टाईअप नहीं था। ऑथोरिटी की और से आईएलएफएस जो कंपनी को दिया गया है, उनको चैक करने के लिए कि भई, उसमें कितनी कैलोरिफिक वेल्यू है और उसको चैक करने के लिये उनको कहा गया था। यही जानकारी मेरे पास उपलब्ध है और इस जानकारी के अनुसार लैंड फिल साईट पर नौयडा ऑथोरिटी का कूड़ा न तो कभी डाला गया और न ही डाले जाने की कोई आगे संभावना है।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्योंकि अगर हमने ये लैंड नहीं ढूंढी तो दिल्ली के नालों की जो सफाई है, उस सफाई का क्या होगा और उस गार्बेज को डालने के लिये उचित स्थान जब तक नहीं मिलेगा, नालों की सफाई बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ठेकेदार की पेमैंट इस शर्त पर होती है कि जब तक वो पर्ची नहीं देगा, वो सफाई भी नहीं होगी। इस पर मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें।

शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये लैडफिल साईट जो है, उसके ऊपर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को, जो सिल्ट है, उसको निकालना,

डालना बंद कर दिया है। इसके बारे में मैंने उपराज्यपाल महोदय से भी बात की थी कि जगह की दिक्कत है। ईस्ट दिल्ली के अंदर जगह नहीं थी तो लक्किली एक जगह मिल गई है डीडीए की और से ईस्ट दिल्ली को दी जा रही है, इसी काम के लिए। सिर्फ, जो आपके नालों से जो मलबा सिल्ट को डालने के लिए जगह मिल चुकी है और जल्दी वो स्टॉर्ट कर दी जायेगी।

सुश्री राखी बिड़ला: सर, इसमें मेरा एक सवाल है। क्या नॉर्थ दिल्ली में भी ऐसी कोई जगह नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : भई, इस क्वैश्चन में ये नहीं निकलते हैं।

श्री अजेश यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक है कि जैसे ओखला गाजीपुर है, इस वक्त सबसे भयंकर स्थिति अगर कहीं है, तो भलस्वा लैंड फिल की है और इसकी हाईट इतनी हो गई है, कोई सपने में नहीं सोच सकता और उसके तो सिर्फ तीस फीट दूर पर इतनी बड़ी बस्ती है किसी दिन छोटा सा भी अगर हादसा हो गया, सिर्फ तीस फिट और मैंने पहले भी यहॉ सदन में बताया था कि उसके अंदर पाईप लाईन डाल के घरों के गैस के चूल्हे जल रहे हैं, इतनी गैस उसके अंदर है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इसकी जिम्मेवारी तय की जाये कि अगर कल को कोई हादसा हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने खूब लिख के देख लिया लेकिन उस पर आज भी ऐज ईट ईज, इसी तरीके से कूड़ा डल रहा है और बार बार कहा गया कि कल से बंद कर दिया गया है। अगले दिन मैं गया, फिर लाईन लगी पड़ी है। फिर कह दिया कि इस हफते बंद हो जायेगा, फिर लाईन लगी पड़ी है। तो इसमें निगम की जिम्मेवारी

आप तय करें। क्योंकि ये दिल्ली नगर निगम के अधीन है और सदन से अनुरोध है कि आज ही इसके बारे में लिखा जाये कि वहॉ अगर कोई हादसा होगा तो दिल्ली नगर निगम उसकी जिम्मेवार होगी। क्योंकि हम जो कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे, हमने वहॉ धरना भी दे दिया, पुलिस वहॉ से सैंकड़ों लोगों को उठा के ले गई। वहॉ पर बीजेपी के लोग भी राजनीति करने पहुॅचे, डिप्टी मेयर भी पहुॅचा, मेयर भी पहुॅची, एमपी भी पहुॅचा। जब कि वहॉ पूरा प्रदर्शन हमने किया, सब कुछ किया। फिर पुलिस की धमकी देते हैं। साथ के साथ पुलिस को भेज देते हैं। कम से कम हजारों लोग वहॉ इकटठे हुए थे। वहॉ आश्वासन दे दिया कि इस हफते से बंद हो जायेगा लेकिन वहॉ कभी भी हादसा हो सकता है। आज ही आप अगर आप किसी को वहॉ भेजें तो ऐसे लगेगा रात के टाइम कि दिवाली मन रही है। कम से कम 100 जगह पर आग लगी होती है एक टाइम पर, 100 जगह पर, एक टाइम पर आग होती है और ये हर रोज की घटना है...

अध्यक्ष महोदय : अजेश जी, बैठिए प्लीज, हो गया। अब नहीं, अब इस पे नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, नहीं, अब मैं किसी को एलाउ नहीं कर रहा। जगदीश जी प्लीज, नहीं अब ये, समय ही नहीं रहेगा। अब दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ अभी, दो मिनट बैठिए। श्री सोमनाथ भारती जी। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है समय की सीमा को ध्यान रखते हुए... चर्चा कल हो चुकी, जो सदस्य बाकी रह गए, उनमें से ही मैं कुछ नाम लूंगा, मंत्री जी भी चर्चा का उत्तर देंगे। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करें।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम उप–राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च को जब माननीय उप–राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण रखा, उसके जस्ट पहले कुछ घटना घटी, इन्फेक्ट उसके रिलेटेड कुछ बातें रखना चाहता हूँ मैं। क्योंकि उस दिन भी ये बात रखी गई थी सदन के अंदर कि जो परम्परा है, जो सदन की परम्परा है, जो इस पूरे प्रोसेस की परम्परा है, उसका पालन उस दिन नहीं किया गया था। एक परम्परागत चाय होती है, उस चाय के बगैर माननीय उप–राज्यपाल महोदय यहॉ से चले गए। पूरे सदन को जानकर बहुत तकलीफ हुई। परम्परा और सदन की मर्यादा का पालन करना हम सबका कर्त्तव्य है। ये अलग बात है कि वो भाजपा से रिलेटेड हैं, माननीय उप–राज्यपाल महोदय। इसका मतलब ये नहीं है या हम आम आदमी पार्टी से रिलेटिड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सदन की परम्परा है, जो सदन की मर्यादा है, उसका हम पालन न करें। मैं आपके जरिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो हर परम्पराएं, वो हर मर्यादा जिसके कारण सदन चलता है, हम सबका कर्त्तव्य है, हम किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, उसका मतलब

ये नहीं कि हम परम्पराओं को और मार्यादाओं को ताक पे रख दें। हो सकता है कि जिन लोगों ने उनका अपॉइंटमेंट किया, उनको खुश करने के लिए उन्होंने किया हो लेकिन जिन लोगों ने हमारा अपॉइंटमेंट किया, जनता ने अपॉइंटमेंट हमारा किया है, हमारा ये पर्पज है कि वो संविधान, वो रूल्स, वो कानून जिसके अंतर्गत ये सदन की सारी कार्यवाही चलती है, उसका हम हर तरह से पालन करें।

अध्यक्ष महोदय, कम से कम साल में एक बार इस अभिभाषण के दौरान माननीय उपराज्यपाल महोदय ये कहने को, उनको एक तरह से मजबूर हो जाना पड़ता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैंने कई बार इसको नोटिस किया कि जिस तरह से वो अपनी बातें, अपना अभिभाषण सदन के अंदर पढ़ रहे थे, उसमें उनके अन्तरतम में तो लग रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि सरकार वाकई में ही अच्छा काम कर रही है लेकिन ऊपर से एक ऐसा माहौल सदन के अंदर पैदा किया जाता है, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे ये लगता है कि नहीं... बाहर भी कहा जाता है कि भई, ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था ये बात कि जिस तरह से माननीय सिसोदिया जी ने शिक्षा मंत्री के नाते देश के अंदर एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, दिल्ली की शिक्षा के माध्यम से जिसका कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य के अदंर एक अभूतपूर्व काम करके दिल्ली के अंदर एक वो मिसाल पेश की गई कि अगर कोई डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक वेल्यूज को रखने वाली सरकार अभी तक आई है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जिस तरह से ग्रॉस स्टेट डॉमैस्टिक प्रोडक्ट, सके अंदर 2–2 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर पर–कैपिटा इन्कम में बढ़ोतरी हुई, जिस तरह से जीएसटी के अंदर हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व काम करके दिखाया है, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति, अपने उद्देश्यों को लेकर के पूरी तरह कर्त्तव्य–निष्ठा के साथ काम कर रही है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, 'डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसिज', जिसके जरिए 'सरकार जनता के द्वार' अपने ऐतिहासिक काम के जरिए एक नया आयाम देने का प्रयास कर रही है जिसमें कि करप्शन और वो सारी तकलीफें जो कि एक आम आदमी को सरकारी सर्विसिज को उठाने में झेलनी पड़ती हैं, उसका निवारण हो सकता है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के अंदर, 54 स्कूल्स पॉयलेट बेसिस के ऊपर जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड किया जा रहा है, एडिशनल क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कि एक एक्सीलेंस की बात की जा रही है, ये एक अभूतपूर्व काम है। 6400 एडिशनल क्लासरूम्स बनाकर के एक एजुकेशन प्रणाली को इतना स्ट्रॉग बनाया जा रहा है जिसके जरिए चूंकि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राज्य उतना ही सक्षम हो सकता है जितना कि उस देश, उस समाज, उस राज्य की शिक्षा प्रणाली सक्षम हो, अध्यक्ष महोदय। इस देश का अधिकतम पापुलेशन majority of the population go to government schools. अगर गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा प्रणाली बेहतर हो गई और गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा प्रणाली प्राइवेट से भी बेहतर हो गई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये देश की जिस, इस विकास

की बात भाजपा एक जुमले की तरह करता है, वो विकास वास्तिविक में दिल्ली सरकार एक करके दिखा दे अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्कूल्स के अंदर क्वालिटी की मॉनिटरिंग हो रही है। 'चुनौती 2018' के जरिए एक ऐसा प्रयास किया गया जिसमें कि वो बच्चे जो क्लास 9th में अधिकतर फेल हो जाया करते थे, उनकी चिंता की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, ईडब्लूएस और डिसएडवान्टेज ग्रुप के बच्चे जो 25,000 हैं करीब–करीब पहली बार एक ऐसा माहौल बना जिसमें कि बगैर देखा–देखी, पूरे एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, कम्पयूटर के जरिए, लॉटरी करा करके, ऐसे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिया गया जो कि सपना भी नहीं देख सकते थे कि कभी वो स्कूल में, स्कूल के आसपास भी फटक सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, हैल्थ केयर सर्विसिज के अंदर जो tertiary level प्रोग्राम है, उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स, पॉली क्लिनिक्स और होस्पीटल्स का एक अद्भुत मॉडल दिल्ली के अंदर प्रस्तुत किया गया जिसमें कि देश ही नहीं, विदेश के अंदर, Washingtonpost के अंदर और बड़े–बड़े मैगजीन्स के अंदर इसकी बात की गई कि दिल्ली का जो हैल्थ केयर का मॉडल है, ये अपने आप में एक अद्वितीय है, अद्भुत है और इससे अमेरिका जैसे देशों को भी सीखना चाहिए, इसकी बात भी की गई, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार किसी भी सरकार के अंदर शिक्षा प्रणाली के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसमें कि अक्सर ही इस देश

के अंदर जाया करते है आईएएस अधिकारी और मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट्स के ऊपर लेकिन पहली बार गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को फॉरेन भेजकर के ये बताने का प्रयास किया गया कि भई, आप ये देखकर के आएं कि ऐसी कौन सी सुविधाएं पूरे विदेशों के अंदर हैं, शिक्षा प्रणाली के अंदर जिसको अपने देश के अंदर हम ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान रहा, अध्यक्ष महोदय। मैं चूंकि कई बार पहले भी कह चुका हूँ इस सदन के अंदर कि समाज के अंदर दो ही वर्ग होते हैं; शोषक और शोषित। शोषितों को मजबूत करने की जो प्रक्रिया आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि भाजपा को अपनी राजनीतिक जिंदगी, अपना राजनैतिक कैरियर दिल्ली के अंदर कम से कम दॉव पे दिख रहा है और उस कारण से वो हर तरह काम कर रहे हैं। चूंकि वो कल घटना घटी और जिसका आज भी आपके जरिए मालूम पड़ा कि विजिलेंस के अंदर जो भी हम प्रयास करने का, जो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसे यह कहकर टाला जा रहा है कि ये आपका रिजर्व सब्जैक्टस है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी विभाग के अंदर कोई करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को जानने की जानकारी, उस करप्शन को ठीक करने की ताकतें इस सदन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये कहकर के चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट कोई, आपका जो रिजर्व सब्जैक्टस है, उसको कह कर के अगर टालने का प्रयास करेंगे, तो उससे ये जानकारी लग रही है कि शायद गवर्नेंस को और गवर्नमेंट को एक तरह से यहां पे पंगु बनाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, सोमनाथ जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: मुझे अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की मंशा को जो इस अभिभाषण के जरिए बताने का प्रयास किया गया, उसमें मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि इस प्रयास के जरिए, जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की पूरी मंशा को, भाजपा एक तरह से विरोध करके, इसको रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत भरोसा है और इस पे गर्व भी है कि सरकार एजूकेशन व हैल्थ के अंदर ऐसा आयाम पेश कर रही है, दिल्ली के अंदर जो कि आने वाले समय में देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी पूरे दुनिया के अंदर, दिल्ली का नाम रोशन करेगी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: बहुत–बहुत धन्यवाद। जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इस सदन के माध्यम से लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। चलो, साल में एक बार आते हैं लेकिन आके वो ये तो कहते हैं कि मेरी सरकार ने अच्छे काम किए है, हमारे लिए वही एक गोल्ड मैडल लग जाता है जी। मुझे आज भी याद है जी आंदोलन में बैठे हुए थे और बड़े–बड़े पार्टियों के, बड़े–बड़े मंत्री टीवी पे इतने–इतने माइक अड़ा के, वहॉ पर मनीष जी, अरविंद जी के लिए बातें करते थे कि सड़कों पे बैठ के कानून नहीं बनते, सड़कों पे बैठ के सरकारें नहीं चलती, अंदर आके देखो कितनी मुश्किलें होती हैं। ठीक है जी, विजेन्द्र गुप्ता जी भी आते थे कभी–कभी। तो ये लोग टीवी में बोलते थे कि तुम आम आदमी क्या जानो, जब आप पता चलेगा सदन में जाके कि किस तरीके से सरकारें चलाई जाती हैं, तब तुम्हें पता चलेगा। आज तीन साल बाद

आज इस सरकार का, ना ही दिल्ली, ना ही पूरे हिन्दुस्तान, हालांकि पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है कि इस सरकार ने जो कर दिखाया, वो कोई नहीं कर दिखा पा रही। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो हमारे एलजी साहब बड़े अच्छे तरीके से तारीफ करके गए। मन ही मन मुस्करा रहे थे लेकिन वो पॉच, वो चार लोग थे, वो उनको यहॉ से थोड़ा सा डरा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि केन्द्र सरकार के इतने तसिए देने के बावजूद, जो मैं इनको तसीए कहूँगा कि चाहे वो नोटबंदी हुई तो गरीबों के इंटों के भट्टे बंद हो गए, लोगों के छोटे–छोटे रोजगार बंद हो गए, जीएसटी का नैटवक्र पूरा तैयार नहीं हुआ हुआ था लेकिन उसको लागू कर दिया गया। जिसकी वजह से इकनोमिक टाइम्स में लिखा हुआ आया कि हिन्दुस्तान को पिछले साल 14.88 अरब डॉलर का घाटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली ने, हम लोगों ने सहूलतें बनाई रखी, लोगों को पूरा फैसिलेटेशन देते रहे, जहॉ पर 70 हजार 700 करोड़ रुपए का हमने बिजनेस में इन्क्रीमैंट दिखाया, ये एक अचीवमेंट है, हमारी सरकार के लिए। और नायक पिक्चर का वो सीन याद आ जाता है जहॉ पर, एक दिन का सीएम बनके सीएम कहता है कि अगर आप ईमानदारी से अपना टैक्स भरेंगे तो हम आपको पूरी सुविधा देंगे। आप लोगों के वैट रिफंड प्रॉपरली दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे है और कहीं न कहीं, 2 लाख 75 हजार नये लोगों ने रजिस्ट्रेशन की और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टैक्स भरा जहां पर इस साल अगर हम देखें तो हमारे पास टैक्स में भी जो है, काफी बड़ा एक इजाफा आया है और 12.04 परसेंट हम लोगों ने इसमें इंक्रीज दिखाया है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारी सरकार कर रही है और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने एक जो रेवल्यूशनरी

चेंज लाके दिखाया है एजूकेशन में, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है एजूकेशन सिस्टम में।

अभी मैं चीफ व्हिप कॉफ्रैंस में मैं गया था राजस्थान, वहॉ पर पूरे हिन्दुस्तान के चीफ व्हिप कह रहे थे कि जी, जो आपके उप मुख्यमंत्री ने कर दिखाया है, शायद ही कोई सरकार करके दिखा सकती थी और उनमें से काफी लोग भाजपा के थे, विजेन्द्र जी! तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो आपकी सरकार हमारी किसी बात पे तो तारीफ करती है। आज पहली बारी ये हुआ है कि हम लोग दूसरे देशों की तारीफें करते रहते थे, देखते रहते कि वहॉ पर इस तरीके से स्कूल चलाए जा रहे हैं, सिर्फ सुनने में आता था। लेकिन हमारी सरकार, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने 150 से ज्यादा प्रिंसिपलस को अलग–अलग से देशों में भेज के, उनको वहॉ पर स्टडी करने के लिए भेजा कि किस तरीके से वहॉ पर स्कूलों को अच्छे तरीके से चलाया जाता है और आज उसी तरीके से कुछ नए मॉडल्स को हम लोग अपने यहॉ पर डेवलप कर रहे हैं और मुझे ये भी याद है कि यहॉ पर आने से पहले जब मैं रिस्क मैनेजमैंट में होता था, एक कंपनी में, एक हमारे मियां जी होते थे। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे अपने बेटे को कि बेटा अगर तू कोई टैलेंट सीख लेगा, कोई स्किल सीख लेगा, कोई हुनर हाथ में सीख लेगा तो जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं मर सकता, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट गारण्टी स्कीम स्टार्ट की है, स्कूलों के अंदर, ये जो स्किल डेवलमैंट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये बहुत सराहनीय है और इसका बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है। इन सब चीजों को देखते हुए भी सोफटवेयर इंडस्ट्री में पहली बार एक इतनी बड़ी ग्राण्ट दी, इन्फोसिस फाउंडेशन ने, 24 करोड़

रुपया हमारे यहॉ दिए हैं रिसर्च के लिए। ये एक अपने आप में तारीफे काबिल है। जहॉ लोगों को डर लगा रहता था कि कल को हमें कुछ हो जाएगा तो हम अपना इलाज कैसे कराएंगे! क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। एक एमआईआर कराना पड़ता था, सीटी स्कैन कराना पड़ता था लोगों के 5—5, 10—10 हजार रुपए लग जाते थे, उनके पूरे महीने की सैलरी चली जाती थी। उनकी जेब खाली हो जाती थी। हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ये जो फ्री टैस्ट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत शायद ही कोई दिल्ली का वासी रह गया हो, जिसने इस बात की तारीफ न की हो कि जो 52 सर्जरीज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रियल्ली काबिले तारीफ है। मोहल्ला क्लीनिक के रूप में जो एक डायग्नोस्टिक सैंटर और एक फ्री कन्सलटैंसी डॉक्टर्स बैठा दिए गए हैं, लोग बड़े—बड़े क्लीनिक्स में एक आम आदमी जाके नहीं दिखा पाता था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, लोग झोलाछाप डॉक्टर्स के पास जाके बीस—बीस रुपए पे दिखाते थे। लेकिन वो बढ़िया मोहल्ला क्लीनिक खोलके आज उनके लिए भी एक आराम गृह खोल दिया है कि आज उनको स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और सबसे बड़ा जो सराहनीय चीज हुई है, मैंने इस विधान सभा में एक सवाल उठाया था कि कोई विधवा बहन 60 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको सीनियर सिटिजन में लिया जाता था और उसको पूरा साल वेट करना पड़ता था, तब जाके उसकी पेन्शन लगती थी। लेकिन हमारी सरकार ने ये जो कदम उठाया है कि विडो को इमीडेटली पेंशन दे दी जाएगी, जब भी वो पेन्शन के लिए अप्लाई करेंगी; चाहे वो

किसी भी उम्र की हो, उनको वो पेन्शन प्रोवाइड की जाएगी और पेन्शन में जो इजाफा करके उसके घर की, हमने जो रोजी–रोटी का ध्यान रखा है, ये वाकई तारीफ है और दूसरी बात जो उसकी बेटी के लिए हम लोग 20 हजार रुपए देते थे, इन्फलेशन में लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं लेकिन इस तरीके का ये खर्चा नहीं बढ़ता। ये बीस हजार से 30 हजार रुपया करके ये भी सरकार ने बहुत बड़ा एक अहम कदम उठाया है। इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार ने इस तरीके के अनगिनत कार्यक्रम दिखाए हैं, ये किताब मेरे ख्याल से पतली छापी गई है। पूरे जो अगर कैबिनेट नोटस छापे जाते तो शायद इतनी मोटी किताब छपती, इसमें मुख्य–मुख्य चीजें सिर्फ जो रखी गई हैं।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए जगदीप जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री जगदीप सिंह : बस, मैं एक बात कहके बात रखूंगा कि शायद हम बहुत सारी खुशियॉ न बॉट पाएं लेकिन ये आम आदमी सरकार का वादा है कि आपके रास्ते से कॉटों को जरूर खत्म कर देंगे, यही कहके मैं अपनी बात को विराम देता हूॅं, जयहिन्द, जय भारत, जय हिन्दुस्तान।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र गोयल जी। भई है, नंबर है।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूॅंगा लेफि्टनेंट गर्वनर साहब का कि आकर उन्होंने सरकार के बारे में बताया कि सरकार ने ये–ये काम किए और ये करने वाले हैं। अपनी

सरकार जब वो कहते थे, बड़ा अच्छा लगता था और है भी उन्हीं की सरकार, इस बात में भी कोई दो राय नहीं।

मैं दिल्ली की जो आम लोगों की आमदनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो 11.22 प्रतिशत दिल्ली के लोगों की आमदनी बढ़ी है, उसका एक ही मुख्य कारण है। क्योंकि यहां पर लोग स्वस्थ रहे हैं और स्वस्थ रहे हैं तो उन्होंने काम किया है। इसलिए दिल्ली की आमदनी बढ़ी है। उन लोगों की आर्थिक दषा ठीक हुई है। तो दिल्ली सरकार का मैं और स्वास्थ्य मंत्री साहब का भी इस मामले में धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे मुख्य अरविन्द केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी सोच ऐसी है और अपने मंत्रियों से ऐसे अच्छे–अच्छे कार्य वो करवाते हैं, अभी पिछले साल के सर्वेक्षण के अंदर था जो आर्थिक राजधानी होती थी, वो मुम्बई हुआ करती थी लेकिन आर्थिक राजधानी का यदि ताज आया है तो वो दिल्ली के सिर के ऊपर आया है। तो वो किसके कारण आया है? यहॉ के लोगों की आमदनी बढ़ी है, वो इसी कारण आया है। तो इसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं दिल्ली सरकार के मुख्य की सोच को सलाम करता हूँ कि हर घर तक सुविधाएं देने का डोर स्टेप डिलीवरी जिसके अंदर 40 सेवाएं है। जब ये दिल्ली के अंदर लागू हो जायेंगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो 11.22 प्रतिशत की अब की बार वृद्धि हुई है, ये 40 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि लोगों को किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। क्योंकि घर पर बैठे उनके राशन कार्ड बन जाएंगे, घर के ऊपर बैठे ही उनको उनका राशन मिल जाएगा, घर के ऊपर बैठे ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएंगे या घर के ऊपर बैठे ही उनको पासपोर्ट के आफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि ये स्कीम लागू हो जाती है

तो मैं इस सदन के माध्यम से लेफ्टिनेंट गर्वनर साहब का ध्यान भी करना चाहूॅंगा कि इस फाइल को जो उन्होंने साइन किया, तो आपने हमारे आफिसरों से उसको साइन करवाकर दिल्ली की जनता के हक के अंदर ये जल्द से जल्द से कार्य होने दें। ये हमारी डिमांड है। हमारे अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है और मैं सरकार के बारे में कहना चाहूॅंगा अरविन्द केजरीवाल जी के बारे में कहना चाहूॅंगा, मनीश सिसोदिया जी के बारे में कहना चाहूॅंगा कि जिस हिसाब से षिक्षा के ऊपर काम चल रहा है।

''कुछ चलते हैं पग चिन्हों पर, कुछ पग चिन्ह बनाते हैं,
पग चिन्ह बनाने वाले ही वन्दनीय हो जाते हैं।''

इसी प्रकार से आप षिक्षा के उपर कार्य करते रहे, जिसका आज विश्व के अंदर डंका बज रहा है और मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष से भी अपील करना चाहूॅंगा आपके माध्यम से कि एमसीडी के स्कूलों को भी शिक्षा का, जो दिल्ली के स्कूल कर रहे हैं, उनको भी आप सिखा दें ताकि वो बच्चे भी सीखकर यदि इन स्कूलों के अंदर आएं तो अच्छे से पढ़–लिखकर कामयाब हो जाएं। ये मैं अनुरोध कर रहा हूॅं।

मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब का भी धन्यवाद इस मामले में और ज्यादा से करना चाहूॅंगा कि हॉस्पिटलों के अंदर दवाओं को फ्री देने का उन्होंने काम किया है जिसके अंदर मैंने कल ही एक रिपोर्ट मांगी थी, तो 98 परसेंट तक दवाएं हैं। दिल्ली के पूरे हॉस्पिटलों के अंदर, वो फ्री के अंदर बांटी जा रही हैं और चाहे महंगे से महंगा टेस्ट, कितने का भी क्यों ना हो, चाहे वो 10 हजार रूपये का टेस्ट हो, 12 हजार रूपये का हो, 8 हजार रूपये का हो, क्योंकि लोग स्वस्थ रहे तो उसके लिए वो टेस्ट भी फ्री के अंदर

देने का कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ सोच का फर्क है! ये काम तो केन्द्र सरकार भी कर सकती है लेकिन नहीं कर रही। दूसरी सरकारें भी कर सकती हैं जितनी भी हमारे बराबर की सरकारें हैं, नहीं कर रही। लेकिन उनके विधायक आज आवाज उठा रहे हैं कि दिल्ली से सीखो, यदि काम करना है तो। क्योंकि हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी भी सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं तो बीजेपी के या कॉग्रेस के या दूसरी पार्टियों के नेता मिल जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपकी सरकार कैसे काम कर रही है और मैं गर्व के साथ कहता हूॅ कि हमारी सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। क्योंकि यदि ईमानदारी से काम होगा तो पैसा अपने आप बचकर आ जाएगा और जनता के हित के कार्य होंगे।

जैसे जगदीप भाई ने अभी कहा था कि ये लोग कहते थे, 'चुनके आ जाओ, चुनके आ जाओ,' जब हम एक ही डिमांड करते थे उस समय में, जनलोकपाल की और ये कहते थे कि जनलोकपाल सड़कों पर नहीं बनता और मैं इनको कहा करता था:

'पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की
वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की
रखते हैं हौसला जो दिल में आसमॉ को छूने का
उन्हें परवाह नहीं होती बेईमान जमाने वालों की।

आज हम चुनकर भी आ गए और काम करके भी दिखा रहे हैं और पहले से ज्यादा खर्चा लोगों के हितों के कार्य के ऊपर करके दिखा दिया।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए महेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः कन्क्लूड तो 2019 में हो जाएगा, अध्यक्ष जी। और सड़क दुर्घटना जो सड़क दुर्घटना के बारे में कल भी आपने मुझे इजाजत दी थी उसी क्वेश्चन को मैं फिर से रख रहा हूँ कि जब...

अध्यक्ष महोदयः वो हो गया।

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं इसी के अन्दर है सर कि जब दिल्ली के सभी लोगों का सड़क दुर्घटना के अंदर या बाहर से आने वाले लोगों का दिल्ली के अंदर हम फ्री में इलाज करवा सकते हैं तो ये एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएं कि यदि दिल्ली के किसी भी आदमी की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका बिल भी दिल्ली सरकार देने का काम करे। क्योंकि एफआईआर के भरोसे पर नहीं होना चाहिए, उसकी आईडी होनी चाहिए, दिल्ली की आईडी होनी चाहिए, दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। तो उस बलबूते के ऊपर उस आदमी को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। दिल्ली के अंदर पानी का जो कार्य हुआ है, देखते ही बनता है।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः बरसों से जिन कालोनियों के अंदर पानी नही आया था, तीन साल की सरकार के अंदर घर–घर पानी पहुंचाने का ये काम किया है और जितनी कालोनियॉं और बच रही हैं मैं उम्मीद करता हूँ इसी साल के अंदर उस कार्य को भी हम लोग पूरा कर लेंगे, बड़ी जल्दी के साथ पूरा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद–धन्यवाद।

श्री महेन्द्र गोयलः और बहुत कार्य हुए हमारे यहां पर। 60 साल के अंदर एक मेडिकल कालेज बना है, मेरी विधानसभा के अंदर, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का, मनीष सिसोदिया जी का और सत्येन्द्र जैन जी का भी धन्यवाद करना चाहूॅंगा कि 60 साल के अंदर एक मेडिकल कालेज मेरी विधानसभा के अंदर दिया और एक षहीद सुखदेव सिंह कालेज बिजनेस स्टडीज का मेरी विधानसभा के अंदर दिया और 6 नए स्कूल बनाने का कार्य मेरे यहॉ पर हुआ तो उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूॅ और कुछ बात रखना चाहूॅंगा प्रशासनिक कार्यों पर। प्रशासन के...

अध्यक्ष महोदयः भई महेन्द्र जी ये लंबा हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा।

श्री महेन्द्र गोयलः सिर्फ दो मिनट के अंदर पूरा कर दूंगा ये। अभी पिछले दिनों मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा था कि बहुत सी बातें चल रही थी। सबसे पहले तो मैं अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूॅंगा कि पहले एक साल में, डेढ़ साल में बहुत कार्य हुए हमारी सरकार के। लेकिन कुछ फाइलें धीरे–धीरे वो दबती चली गई, कुछ काम नहीं हुए। उस पर दुःख होता है और अभी पिछले दिनों जो काण्ड हुआ, कहीं पर अफवाह फैलाई गई कि अधिकारियों को मारा गया, पिटा गया। इस पर दुःख होता है। हम कायर नहीं है और ना कायरता करते हैं। हम बातचीत करते हैं और बातचीत को रखना जानते हैं और समस्या को बातचीत के जरिए ही इसको सॉल्व करना चाहते हैं। यदि, एक जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, जिसकी कोई बातचीत नहीं है। जब एक स्ट्राइक हो सकती है। एक आईएएस अधिकारी जो डीएम था, डेढ़ साल पहले पिटा था नॉर्थ–वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के

अन्दर, वो भी एक आईएएस ऑफिसर था, वो भी किसी मॉ का बेटा था। लेकिन उसको पीटा था तो वो मैम्बर और पार्लियामेंट के व्यक्ति ने पीटा था। उस समय तो किसी ने स्ट्राइक नहीं की थी। मैं पूछना चाहूॅगा इस सदन के माध्यम से, अरे! वो भी किसी मॉ का बेटा था, किसी बाप का बेटा था। क्या वो आम आदमी पार्टी का आदमी पीटता है तो, या बातचीत भी कहता तो, या धमका भी देता, तो उसको तो अन्दर कर देते हैं। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, रूलिंग गवर्नमेंट का था। बीजेपी का एमपी होते हुए, उन व्यक्तियों ने ये कायराना हरकत की जिसकी विडियो सामने हैं सारी बातचीत सामने है और दिल्ली सरकार का एक मंत्री सरे आम पीटा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं!

मैं प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही बात कहना चाहूॅगा, अपील करना चाहूॅगा सौहार्द का तरीका अपनाएं, बातचीत को बातचीत के तरीके से हल करके देखें और मैं इस संदर्भ में कहना चाहूॅगाः

'जालिमों के जुल्म से, शरीफों की शराफत कम नहीं होती।
लाख टुकड़े हो जाएं सोने के, पर उसकी कीमत कम नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : बढ़िया! अब कन्क्लूड हो गया।

श्री महेन्द्र गोयलः लाख ठोकते रहिए इस सियासतदान, अरविंद केजरीवाल की चमक कम नहीं होती।।

जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी ने आग्रह किया है कि उनको जाना है कहीं। अच्छा तो रहता आप के वक्तव्य के बाद मंत्री जी का उत्तर आता तो पूरी। चलिए, अब बोलिए, बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आज उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर छठी विधान सभा के सातवें सत्र में 2018, क्योंकि ये सातवां सत्र, वास्तविकता तो ये है कि वर्ष के प्रारंभ पर ही अभिभाषण होना चाहिए था। लेकिन देखा जा रहा है कि बजट सत्र में उपराज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा है तो ये जो विचित्र परिस्थितियां हैं, उनका संज्ञान लेते हुए, जो अभिभाषण हुआ, उसकी कोई चर्चा दिल्ली में नहीं हुई। न ही अखबारों पे कोई आलेख आए, न ही जनता में, इनमें कोई उत्साह दिखा और आज भी दो दिन से ये चर्चा चल रही है। उपराज्यपाल जी उत्साह पैदा करके नहीं जा पाए। बल्कि एक निराशा का सा माहौल है, विरोधाभासों का माहौल है, आपसी मतभेदों का माहौल है। सामंजस्य की कमी सरकार के काम करने के तरीके में साफ रूप से दिखाई दे रही है। आज भी जो सदन में हुआ। आज भी जो उप–मुख्यमंत्री जी का बयान हुआ, आज भी 21 फरवरी की घटना पर उप–मुख्यमंत्री जी का जो बयान हुआ, वो बहुत ही निराशाजनक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सर्वेसर्वा हैं, आप मालिक हैं। केजरीवाल जी ने कहा हम मालिक हैं। हॉ, हम कहते हैं, आप मालिक हैं। आपकी छत्रछाया में दिल्ली के दो करोड़ लोगों का भविष्य है। जिस उम्मीद, जिस आशा, जिस विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना था, मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि उस विश्वास को उस आशा को, उस उम्मीद को मत मरने दीजिए। जो पेड़ जितना घना होता है, जितना फलदार होता है, वो झुकता है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि प्रचंड बहुमत

पाने वाली पार्टी कहीं न कहीं विराधाभासों से, विवादों से और बिना जनता की चिंता किए नाक की लड़ाई में पूरी तरह से एक तरफा चल रही है। हालांकि इस भाषण में एक बात खास है कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार के बारे में इस सदन में अक्सर कोई नई बात नहीं है। आए दिन यहॉ पर प्रतिक्रिया के साथ साथ टिप्पणियॉ भी होती हैं और बहुत क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन इस बार उपराज्यपाल सदन में आए और केन्द्र सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ कर गए। पहले ही पेज पर जीडीपी, पर कैपिटा, जीएसटी, सबके सफल क्रियान्वन पर और दिल्ली की जीडीपी को और दिल्ली की पर कैपिटा इन्कम को दिल्ली सरकार की उपलब्धि बता कर चले गए। सवाल ये है कि अगर आप एक तरफ...

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पता है, किसकी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सब जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजेश जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली का आर्थिक विकास, दिल्ली में परकैपिटा इन्कम। दिल्ली की जीडीपी, क्योंकि सरकार जो है दिल्ली की, उसके कार्य से तो ये लगता है कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, दिल्ली की रफ्तार को रोकने की और इसलिए जो विकास है दिल्ली का, वो साफ रूप से एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करता है। एक तरफ केन्द्र द्वारा दिल्ली में उठाए जा रहे कदम जो तेजी से दिल्ली को विकास की ओर ले जा रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, मेरठ तक दिल्ली को कनेक्ट

किया जा रहा है और एक तरफ सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली की सरकार को बनाना था, वो एक ठूंठ की तरह पिछले तीन साल से दिल्ली के रूके हुए विकास की तस्वीर बयान करता है। अगर सरकार सकारात्मक होती, विकास उन्मुख होती। विकास के रस्ते पर चल रही होती तो आज दिल्ली की जमुना पार की आबादी, ईस्ट दिल्ली की आबादी जो जूझ रही है जाम से, अव्यवस्था से, कुव्यवस्था से, वो शायद रोजाना सिग्नेचर ब्रिज का दर्शन करके निराश होकर के घर न लोटती। आज भी सरकार विकास के हर कार्य पर प्रश्नचिन्ह बनकर खड़ी होना चाहती है। फेज–3, मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार इस पर बताए, स्पष्टीकरण दे कि तीसरे फेज के मेट्रो के कार्य में जो देरी हुई है, उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई जाए। अगर सरकार ये कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि 50 प्रतिशत के आप हकदार हैं। बताएं, एक इंडिपेंडेंट रिटायर्ड चीफ जस्टिस के पैनल के साथ आप काम दें कि दिल्ली का तीसरा फेज डिले क्यों हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौथे फेज की फाइल को एक साल से सरकार रोक के बैठी है और आज गरीबों, चूंकि चौथा फेज गरीबों के क्षेत्र में जाना है। अगर तुगलकाबाद जाना है, नजफगढ़ जाना है, नरेला, बवाना जाना है, खजूरी खास से आगे जाना है तो ये बस्तियां किन की हैं, मेहनतकश मजदूरों की हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम रूट काटना चाहते हैं। आज उप–मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने गरीबों के रूट काटने की बात की तो दिल्ली के गरीब आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आपको उस गरीबों की हाय किसी भी तरह... अभी पूरे अभिभाषण में, पूरे अभिभाषण में सरकार ने

अधिकांश विभागों पर प्रकाश तक नहीं डाला। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात! लेकिन जब मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान से पढ़ा और समझा तो मुझे लगा कि वास्तविकता में सरकार के पास शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बताने के लिए...

अध्यक्ष महोदयः कुछ नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कुछ विशेष नहीं हैं। पिछले तीन वर्ष से लगातार जो मूल प्रश्न हैं, उनको आज भी, आज भी इस अभिभाषण में कहीं, कहीं इस पर प्रकाश नहीं डाला गया।

अब मैं मूल प्रश्न बताना चाहता हूँ। पहला मूल प्रश्न, जब प्री–बोर्ड एग्जाम के परिणाम आये तो मैंने उप–मुख्यमंत्री जी का पत्र पढ़ा। उसमें उन्होंने लिखा था; चूंकि बहुत सारे विद्यालयों के परिणाम 10 प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं की जो प्रतिशत थी, वो 10 प्रतिशत से भी कम है। कुल 31 प्रतिशत है। अब उसमें सफाई देंगे, ये प्रीबोर्ड है, बोर्ड इन्ट्रोड्यूज हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है, कि 10वीं के बच्चों की स्थिति क्या है। 9वीं कक्षा में एक लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। चुनौती का कार्य! 'चुनौती कार्यक्रम' टॉय टॉय फिस हो जाता है आपका।

अट्ठाइस हजार वैकेंसीज हैं। सरकार खुद टीचर्स की वैकेंसी भरने में रोक लगा रही है। सवाल ये है कि 500 नये स्कूल खोलने की बात की थी, बल्कि दो दर्जन विद्यालय बंद कर दिये या बंद किये जा रहे हैं। अब कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय की संख्या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। तीन साल में दिल्ली में विद्यालयों की संख्या कम ही हुई है, कम होगी, बढ़ नहीं रही है। प्रश्न ये है कि जिन... मैंने

खुद मुख्यमंत्री जी, उप–मुख्यमंत्री से जिक्र किया। मेरे क्षेत्र में दो एकड़ का प्लॉट है, जहॉ स्कूल बनना, जहॉ आस पास कोई स्कूल नहीं है और ऐसे दिल्ली में दर्जनों स्थान हैं, जहां स्कूलों की आवश्यकता है, लेकिन स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, उन प्लॉटों पर तीस प्लॉट, अट्ठाइस प्लॉट, जो इसमें भी लिखा है।

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्य।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अट्ठाइस प्लॉट सरकार के पास ऐसे हैं, जो सरकार लेकर बैठी है, लेकिन उनको...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी, बैठिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः गरीब इसमें... अरे! शांति रखो, सच भी सुनो, वाहवाही तो सारे करोगे आप। एक आधा ही है जो बोलेगा, उसको तो सुनो। अरे! एक ही निंदक, एक निंदक को भी सुन लो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। वो होने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब मैं बात कर रहा हूॅं। वो दे उत्तर दें। वो उत्तर दें मैं तो संक्षिप्त में ही बात कह रहा हूॅं। मैं तो इस विस्तार के लिए कह नहीं रहा हूॅं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं तो खुद जल्दी में हूॅ।

अध्यक्ष महोदयः करिए, आप कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कोई दुरगामी, कोई दूरदृष्टि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को कोई सुचारू, सुदृढ़ तो इंफैक्ट तक कैसे जोड़ने का काम किया हो, मुझे खेद है कि सरकार उसमें पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है। न स्वास्थ्य के क्षेत्र न शिक्षा के क्षेत्र, सरकार कोई आमूल–चूल परिर्वतन करने में सफल हुई है और दिल्ली के अंदर जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी को झेलना पड़ा, चाहे शिक्षा का व्यवसायीकरण का मामला हो, चाहे स्कूलों की मालिया हालत, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः अब कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कितने स्कूल तो ऐसे हैं, जहां वाइस–प्रिंसिपल भी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः टीजीटी या टीचर्स को विचार दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए। प्लीज, कन्क्लूड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने में, इसके साथ साथ यहॉ पर गरीबों की बस्तियों के मामले में डूसिब की बहुत सारी बात की गयी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूॅ अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि क्या दिल्ली में एक भी झुग्गी में रहने वाले गरीब को आपने मकान दिया? 'जहां

पे झुग्गी वहीं मकान' का जो सपना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने रखा है, आज एक भी जानबूझ कर गरीबों को मकान न मिले, उसको ले करके सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ दिल्ली के गरीबों के साथ सरकार धोखा कर रही है, उनको मकान नहीं दे रही है। इन गरीब बस्तियों में पीने की पानी की भारी किल्लत है, दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। पानी को ले करके हत्याएं हो रही है, लेकिन पानी को ले करके, सीवर व्यवस्था को ले करके, यमुना को ले करके आप... यमुना दिल्ली की स्थिति को बयान करती है। जब लोग देखते हैं कि यमुना कहॉ हैं और वो मात्र एक नाला, गंदा नाला बन करके सामने खड़ा है। 15 साल कॉग्रेस का शासन और तीन साल आपका शासन कोई काम इस क्षेत्र में हुआ नहीं। सरकार पिछले वर्ष, इसी वर्ष में डूडा को बंद किया गया। लेकिन मुझे याद है जब मनीष सिसोदिया जी ने पूरा सॉफ्टवेयर का जिक्र किया था और डूडा की कार्यवाही बताई थी, हम लोगों को, हम सब जो विधायक हैं, उनकी यहॉ पर एक प्रशिक्षण हुआ था, लेकिन क्या हुआ? अब यहॉ बोलें न बोलें विधायक, लेकिन डूडा के कारण विकास की गति पर जबर्दस्त चोट लगी और आज भी डूडा एक मरे हुए सॉप की तरह हमारे गले में पड़ा हुआ है। आज भी डूडा के कारण क्षेत्रों का, विधायक कोष का खर्च न होने के कारण लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है।

अध्यक्ष जी, मैं यही कहूॅगा कि जो घटना यहां पे, मेरे भी साथी महेन्द्र गोयल जी ने जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी के घर पे हुई, वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना के बाद जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर बना हुआ है, वो लोगों के लिए चिंता का विषय है। न्यूनतम मजदूरी की बात यहॉ पर की गयी है कि हमने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया है, लेकिन

वास्तविकता ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ कागजों में बढ़ाने से क्या गरीबों को, मजदूरों को वो पैसे मिल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी आपने कागजों में कितनी भी न्यूनतम मजदूरी कर दी हो, लेकिन गरीब तक वो पैसा नहीं पहुँच रहा है। क्या आपने कभी किसी पर कार्यवाही की है? क्या आपने इस मामलें में कोई किसी प्रकार का कोई रोड मैप बनाया है? लेकिन सरकार में अगर हैं, तो घपले ही घपले हैं, भ्रष्टाचारी–भ्रष्टाचार है। भवन निर्माण मजदूरों के मामले मेंकृ

अध्यक्ष महोदयः अब आप कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर के मामलें में 2300 करोड़...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और सरकार के डीटीसी के बेड़े में बसों की संख्या कम हो रही है और 2300 करोड़ रुपये का इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला जो मजदूरों का पैसा लोग लूट करके ले जा रहे हैं और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये तमाम बातें ऐसी हैं, जिन पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, लोगों के काम करे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सरकार को चेतावनी दूँगा कि अगर सरकार ने अपने जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक तरह नहीं किया तो आने वाले समय में दिल्ली के लोग उसका जवाब देंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अजय दत्त जी। अजय दत्त जी बहुत संक्षेप में रखिए।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्यः विपक्ष के नेता सारा जवाब सुन के जायेंगे। जवाब सुन कर जायेंगे जी।

अध्यक्ष महोदयः अब वो उनमें हिम्मत नहीं है वो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई झा साहब, ये समय सदन का समय है। एक सेकेंड भाई। भई झा साहब, प्लीज आप बैठ जाइए, झा साहब। झा साहब, बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः झा साहब, बैठिए आप। ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, मैं कुछ कह रहा हूँ, बैठिए। ये उचित नहीं है। बैठिए प्लीज। सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एलजी साहब के... हमारी सरकार के जितने भी कार्य हैं, उनकी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट को...

अध्यक्ष महोदयः हॉं, आज सुबह हमने उसको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखो, अभी अभी सिरसा जी, प्लीज। हॉ, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः जी अध्यक्ष जी, तो मैं एलजी का साहब धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः इसको संक्षेप में रखिये प्लीज।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष जी, मैं आज यहॉ पर हमारी सरकार के जो कार्य हैं, वो तो सभी ने गिनाये। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली की दशा और दिशा बदल दी। उपमुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली में एक ऐसा मॉडल शिक्षा का स्थापित किया, जिसकी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा है और बहुत बड़ी–बड़ी यूनिवर्सिटियॉ ये देख रहीं है कि उपमुख्यमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो नये–नये अविष्कार किये हैं। जो एक बहुत इम्पार्टेन्ट कार्य शिक्षा में हुआ जिसमें एक 'चुनौती' नामक एक मॉडल के रूप में एक कार्य किया गया जिसमें छठीं से आठवीं तक के बच्चे जो कि एमसीडी के स्कूलों से आते थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था और इस वजह से वो नौवीं और दसवीं में आकर के फेल हो जाते थे। तो उन बच्चों को तीन महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दे के, उन्हें पढ़ना सिखाया और आज वो बच्चे अच्छे से पढ़–लिख रहे हैं और नौंवी–दसवीं के लिए आगे का कैरियर तय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये ऐसा नया अविष्कार रूपी कार्य हमारे शिक्षा मंत्री ने किया। उसके लिए मैं बहुत–बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज हमारे सरकारी स्कूल में 6400 कमरे बन गये हैं या पांच नये स्कूल बनाये गये हैं या स्कूलों में सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं या 1100 कम्प्यूटर जो लैब के रूप में सुचारू रूप से चल रहे

हैं और मैं उन अध्यापकों के बारे में भी कोई बात नही कहूँगा जो देश–विदेश में, सिंगापुर और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में जाकर इंग्लैण्ड में ट्रेनिंग लेके आये। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो टीचर्स स्वतः जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने उन्हें कितना मोटिवेशन दिया है। मैं ये भी नहीं यहॉ पर चर्चा करने के लिए यहॉ पर आया हूॅ कि कितनी इन्क्यूवेशन सेन्टर बनाए गए हैं जो कि स्टार्ट अप कम्पनी के लिए, जो नये रोजगार के लिए लोग आते हैं, उनको कितना बड़ा योगदान सरकार ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नई चीजें बताने आया हूॅ और उन नई चीजों में एक बहुत इम्पार्टेन्ट जो विश्व स्तर की हमारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आईआईटी बहुत ही बड़ी और पूरे वर्ल्ड में जानी हुई यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ इन्फोसिस का टॉई–अप कराकर और वहॉ आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स के कोर्सेज खोले गये, बहुत बड़ी उपलब्धि है! इसके अलावा हमारी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने करीबन 36 नये मल्टी–स्पेशियल्टी हॉस्पिटल और 6 सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जिसमें 1100 बेड नये जोड़े गये और इस तरीके के बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किये।

न्यूनतम मजदूरी पर मैं गुप्ता जी को बता देना चाहता था, वो चले गये कि जो 13584 रुपये, आप सरकार के किसी विभाग में जा के देखिए उन सबको मिल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इन्हें इन्फार्मेशन नहीं है। हॉ, अभी इसमें काम करना और बाकी है। इसके अलावा 14958 रुपये 16468 रुपये प्रतिमाह के दर से स्किल्ड, अन–स्किल्ड वक्रर को दिये जा रहे हैं। एक बहुत इम्पार्टेन्ट चीज मैं यहॉ पर आपको कहना चाहूॅगा कि मोदी सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और हमारी सरकार ने करके दिखाया।

तीन जॉब फेयर लगाये जिनमें करीबन 25000 के आसपास लोगों को जॉब की नई अपार्च्युनिटीज मिली। ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। ये ऐसे कार्य हैं, जो आज तक कभी किसी ने किये नहीं हैं। इन्हें नये इनोवेशन के नाम पर, नई योजनाओं के नाम पर जाना जा सकता है।

पानी के विषय में, सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली में 1284 नई कालोनियों को जोड़ा गया और गुप्ता जी बता रहे थे कि भाई ट्रैफिक में पूरा दिल्ली में जाम लगा है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि विकासपुरी से वजीराबाद तक एक सिग्नल फ्री, बहुत बड़ा स्ट्रैच दिल्ली को, दिल्ली सरकार ने दिया जिसकी जानकारी मुझे लगता है, गुप्ता जी को नहीं है।

अब मैं थोड़ा सा एक बहुत महत्वूपर्ण विषय आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली में अगर आप देखें तो टॉयलेट पर, ओपन डेफेकेशन, शौचालय पर बहुत सारी बात केन्द्र सरकार करती है। अगर आप जाकर के देखें तो उनके बनाए हुए जितने भी शौचालय हैं, आज उनमें, उनकी दशा जर्जर है और दिल्ली सरकार ने जो एक बहुत ही बड़ा कार्य ये शौचालय बनाकर और पूरी दिल्ली की जितनी भी जनता है, उनको फ्री दे दिया है। उस पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता और मैं अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो पुराने जो भी शौचालय जो भी चलते थे, उस पर दो रुपये, पॉच रुपये, दस रुपये तक लिये जाते थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार की है।

अब मैं एक बहुत इम्पार्टेन्ट विषय पर आना चाह रहा हूँ। आज का ही ये अखबार है अध्यक्ष जी। इस अखबार में लिखा है, केन्द्र सरकार और

दिल्ली सरकार... या मैं कहूँ और बीजेपी की जितनी सरकार हैं, उनका ब्यौरा और हमारे ब्यौरे में थोड़ा सा कम्पैरिजन है। मैं देना चाहता हूँ। ये यूपी के एक बहुत बड़े धुरंधर, जिन्हें योगी–मोदी मॉडल कहा जाता है, उनके बारे में है। उनके ही एक मंत्री रहे, उनकी कैबिनेट के एक मंत्री हैं ओमप्रकाश। शर्मा जी नहीं हैं, वो तो यहॉ से चले गये लेकिन ओमप्रकाश जिन्होंने अपनी ही सरकार पर बीजेपी की सरकार का बखान किया है कि ये सरकार पूरी फेल सरकार है। इस सरकार ने एक साल में किसी गॉव में पूरे राशन कार्ड नहीं बनाये। इसमें बड़े–बड़े तौर पर लिखा हुआ कि इस सरकार ने शौचालय बनाकर किसी को शौचालय के लिए लोन चाहिए, बनाने पर उस पर दो हजार की रिश्वत मांगी जाती है। इसमें ये लिखा है कि अगर किसी को आवास चाहिए तो उस पर बीस हजार रुपये की रिश्वत मांगी जाती है और तो और, उन्होंने ये खुलासा किया है कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा हो तो उससे एफआईआर कराने के लिए पॉच हजार रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। ये मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, योगी सरकार का यूपी का मॉडल है। तो ये एक साल में उनके ही मंत्री के द्वारा इस तरीके की बातें बताई जा रही है और उसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने सरकार के दावे को खोखला बताया और कहा कि मेरे गांव में अब तक किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है। सरकार, प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कहती है लेकिन मेरी विधान सभा में गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो उन्होंने इस सरकार को गड्ढा सरकार बताया है। अब ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है अध्यक्ष जी। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे एलजी साहब देके गये। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने क्या किया। तो एक तरफ बीजेपी

की सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। एक कार्य ये बता दें। इन्होंने विकास के नाम पर पहले नोटबन्दी की। उसके बाद जीएसटी को किया। अब दिल्ली के अन्दर पूरी दिल्ली में इन्होंने सीलिंग से हाहाकार मचा दिया। वो व्यापारी जो रोज कुंआ खोदता है, पानी पीता है, उसके हाथ में कटोरा ला दिया, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : भाई अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अजय दत्त : मैं कन्क्लूजन पर आता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट हो गये पूरे।

श्री अजय दत्त : मुझे ये कहना है कि अगर हमकृ सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब वो चुनिन्दा व्यक्ति जो लोगों की भलाई के लिए काम करे और ये जो मोदी, यूपी की सरकार है, बीजेपी यूपी की सरकार है, वो लोगों से एफआईआर के नाम पर पॉच हजार रुपये मॉगती है और यूपी में दलितों पर, अल्पसंख्यक वर्ग पर, उनको खाने के नाम पर, गाय के नाम पर उनको दबाया, कुचला जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अजय जी, कन्क्लूड करिए। भाषण नहीं है। ये भाषण हो रहा है। प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्त : अच्छा मैं कन्क्लूड ये कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि अगर मॉडल देखना है तो दिल्ली सरकार का देखो। काम देखना है तो दिल्ली सरकार का देखो। अगर यूपी सरकार, बीजेपी की सरकार के मॉडल देखने हैं जो आज 15 दिन पहले जनता बीजेपी से त्रस्त थी, उन्होंने तीन सीटें हराके बता दिया। तो हमारे एलजी साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करता

हूँ। वैसे तो उनसे फाइलें साईन कराने में हमें उनके घर जाके बैठना पड़ता है। उनसे बहुत विनती करनी पड़ती है। दस–दस बार फाइलें भेजनीं पड़ती हैं लेकिन आखिरकार कल उन्होंने आ के हमारी सरकार, अपनी सरकार का बखान किया, उनके लिए धन्यवाद। अरविन्द केजरीवाल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली के लिए, उनका धन्यवाद। हम सब उनके साथ काम करने के लिए एक साथ खड़े हैं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काफी तैयारी करके आया हूँ। बहुत विषय उठाना चाहता था लेकिन मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखूंगा और उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संयोग की बात है कि नेता विपक्ष पहले बोल गये हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री पंकज पुष्कर : होता नहीं है। माननीय महोदय, मैं इस सदन के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बना, इसलिए मैं कुछ बातें विशेष जिम्मेदारी के साथ यहॉ रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें बहुत साथियों ने कह दिया है।

महोदय, जब मुझे संकेत मिला, जिम्मेदारी मिली कि उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलना है तो मैंने 100 वर्ष के राजनीतिक इतिहास को खंगाला कि यह राज्यपाल, उपराज्यपाल और

राष्ट्रपति, हैड ऑफ द स्टेट, यह जो संसदीय लोकतंत्र की पूरी परंपरा है, यह शुरू कहॉ से होती है, इसके पीछे मंतव्य क्या है। अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में, दिल्ली एक बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंची हुई है। मैं इस पूरे संदर्भ को इसका संज्ञान लेते हुए बहुत जिम्मेदारी से अपने क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता की ओर से इस अभिभाषण पर अपना मत रखना चाह रहा हूॅ। यह बात दर्ज हो कि एक संवैधानिक परंपरा है, हम लोग एक आंदोलन से निकली हुई यह आम आदमी पार्टी, संविधान का दिल की सबसे गहराई से सम्मान करने वाला समूह है। हम सम्मान करना जानते हैं, संविध् ाान की इज्जत करना जानते हैं, लोकतंत्र की इज्जत करना जानते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत दुःख की बात यह है कि वो लोग जो कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वो हमें संविधान की बार–बार दुहाई देते हैं, जिन्होंने अपने दफ्तरों पर कभी तिरंगा नहीं फहराया, वो उसका जिक्र करते हैं। तो मैं यह जो संवैधानिक परंपरा है, माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की, उसकी पूरी गरिमा के साथ यह ध्यान दिलाना चाहता हूॅ कि लोकतंत्र के विकास के साथ जो राज्यपाल और उपराज्यपाल की भूमिका होती है और उसकी चुनी हुई विधायिका के साथ उसका जो संबंध होता है, चुनी हुई विधायिका की जो कार्यपालिका होती है उसके साथ जो संबंध होता है, वो समय के साथ बदला है, बदलता रहता है यही लोकतंत्र का प्राण है। जब माननीय उपराज्यपाल महोदय कहते हैं कि मेरी सरकार, किस तरीके से 11 प्रतिशत जीडीपी में बढ़ोत्तरी करती है। किस तरह से मासिक आय एक औसत व्यक्ति की बढ़ती है तो वो पूरी तरीके से विध् ाान सभा के स्वर को, विधान सभा की आत्मा आवाज दे रहे होते हैं लेकिन यहॉ यह भी कहना जरूरी है कि मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के

अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा जवाबदेही की बात करती है, पारदर्शिता की मांग करती है और उन्हें गौरव होना चाहिए। माननीय उपराज्यपाल महोदय को हमारा धन्यवाद है कि वो एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक ऐसी राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने यह सम्भव बनाया है कि दिल्ली पूरे देश में एक अनूठे किस्म की राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक बने, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दिल्ली संक्रमण के दौर से गुजर रहा है।

मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, जिसमें देश के हर हिस्से का निवासी रहता है, हर प्रदेश का रहता है, उसकी बात आनी आवश्यक है। वो उम्मीद करता है, दिल्ली कोई एक छोटा शहर नहीं है। यूरोप के बहुत सारे देशों से बड़े आकार का दिल्ली है। इस दिल्ली की आत्मा को कैद नहीं रखा जा सकता, इसकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को कुचला नहीं जा सकता। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय, अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए जनता के इस स्वर को, लोकतंत्र की इस आत्मा को इस सदन में रखना चाहता हूँ कि यह दिल्ली की जनता का, दिल्ली के एक–एक कोने में, एक–एक कालोनी में रहने वाले हर नौजवान, बुजुर्ग और महिला की आत्मा यह है कि दिल्ली विधान सभा उसकी आवाज को बुलंद करने वाली जगह बने। उसके मुख्यमंत्री उसके नुमाइंदे बनें, उसके उपराज्यपाल संविधान की रोशनी में उसके अभिभावक बने। इस दिशा में उपराज्यपाल महोदय का जब स्वर आता है कि मेरी सरकार ने यह काम किया, यह एक नया कीर्तिमान स्थापित किया तो मन में बहुत शांति मिलती है लेकिन इस पूरी मेरी अपनी सरकार, मेरे अपने माननीय उपराज्यपाल महोदय को

इसी अवसर पर यह भी ध्यान दिलाना आवश्यक है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उपराज्यपाल महोदय भी और अपने प्यारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदय को भी याद यह आता है कि कुछ ऐसा मामला है कि पीछे हाथ बांध दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि मिल्खा दौड़, भाग मिल्खा, भाग।

पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है सफर,
किससे कहूँ कि पाँव के काँटे निकाल दो!

यह स्थिति है, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की, दिल्ली की विधान सभा की! दिल्ली की विधान सभा लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। दिल्ली की जनता और हमारे अभिभावक उपराज्यपाल महोदय हैं। वो एक संविधान हैं, संविधान का सम्मान करते हैं लेकिन हम उससे भी ज्यादा सम्मान उस राष्ट्रीय आंदोलन का करते हैं जिसने कि संविधान को जन्म दिया है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर, वो राष्ट्रपिता, वो सावित्री बाई फुले और वो अरविंदो घोष, आज मैं उनका नाम लेना चाहता हूॅ और मैं इस सदन के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूॅ कि उन्होंने लाल किले से उस अरविंदो घोष का नाम लिया। मैं ध्यान चाहूँगा, केवल दो मिनट में बात पूरी कर दूंगा। बहुत बातें, जब मुझे मौका मिलेगा, तब कहूॅगा लेकिन मैं आपको याद दिलाऊँ कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक टाइम पर हमारे बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता थे जो कि अंग्रेजों के पास चिट्ठी लेकर जाते थे। लॉर्ड साहब के गीत गाते थे, उसी समय पर लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल ऐसे लोग हुए, अरविंदो घोष हुए जिन्होंने कहा कि 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' और मैं लेकर रहूॅगा। वो अरविंद

घोष जिनका कि जिक्र प्रधानमंत्री महोदय लाल किले से कहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी किताबें भी पढ़ें और उनके विचारों को अमल में भी लायें, जिस अरविंद घोष ने कहा कि भारत इंग्लैंड का गुलाम नहीं बनेगा, इंग्लैंड की कार्बन कॉपी नहीं बनेगा। भारत का संसदीय लोकतंत्र, अपनी भारत की आत्मा, भारत की मिट्टी, भारत के करोड़ों लोगों से मिलकर बनेगा, उनकी आवाज को प्रतिनिधित्व करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह अर्जी देने का, नहीं तो यही कॉंग्रेस अंग्रेजों से यह मांग रही थी कि हमको बस, राजा बने रहो हमारे, लेकिन हमको केवल थोड़ा सा स्वशासन का अधिकार दे दो। अरविंदो घोष ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको जनता की आवाज इसी सदन में, यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली का हॉल हुआ करता था, जहॉ आज मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, तो यह गवाह है उस इतिहास का।

माननीय महोदय, मैं उपराज्यपाल महोदय तक अपनी, अपने क्षेत्रवासियों और दिल्लीवासियों की पीड़ा और आकांक्षा आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि दिल्ली का यौवन, दिल्ली की तरुणाई मसक रही है, कसक रही है, वो चाहती है कि दिल्ली विधान सभा उसके सपनों का साझीदार बने, उसके सपनों को हकीकत में बदलने वाली जगह बने और लोकतंत्र का इतिहास यह है कि जनता की आकांक्षा के रास्ते में जो भी आया है, उसको सबक सीखना पड़ा है। यहॉ तो सिकंदर के नाम नहीं रहे, उन अंग्रेजों के नाम नहीं रहे, जो कहा जाता था कि उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता। यहॉ पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान को, जनता के मत को स्वीकारना सीखना पड़ेगा। इसके आलोक में मैं केवल दो–तीन बातें कह

दूँ। मैं केवल एक चीज का जिक्र कर दूँ। आप देखियेगा, सारी बातें मेरे सारे साथियों ने कह दी है। बहुत संक्षेप में, दो मिनट कहकर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को बात कहनी है। केवल एक चीज कि 'सरकार आपके द्वार', 'गवर्नमेंट एट योर डोर', ये काम छोटा सा दिखने वाला काम...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय महोदय, मैं एक उदाहरण देकर बैठ जाता हूँ। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है, अपने आंदोलनों के दिनों में। एक सॉप के काटने से एक आदिवासी की मौत हो गई, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। साइकिल पर लेकर तीस–तीस किलोमीटर दूर तक गया है। यह इसी कॉग्रेस और इसी भाजपा ने, वो यहॉ पर संस्कृति पैदा की है। उस अंधेरे के बीच जहॉ कि जनता को गुलाम बना दिया गया। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून बने रहे, अंग्रेजी रिवायतें बनी रहीं। नेताओं की अंग्रेजी अकड़ बनी रही, उसको बिल्कुल एक झटके में तार–तार करने का काम, हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा, उनकी सरकार ने, उनके प्यारे मुख्यमंत्री ने किया है। यह छोटा–मोटा काम नहीं है। यह एक बहुत बड़ी क्रांति का एक संकेत है। कहने के लिए बहुत कुछ है। आगे अवसर मिलेगा, मैं यह जिक्र किए बिना नहीं बैठ पाऊँगा कि 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना', एक बिल्कुल अनोखी चीज है। अनोखी चीज इसलिए नहीं है, ऐसे नाम की चीजें पहले भी होती रही हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम पहले भी होते रहे हैं लेकिन जिस लगन के साथ हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे समाज कल्याण मंत्री जिस लगन के साथ

काम करते हैं, वो अभूतपूर्व है। इस बात को कहते हुए मैं उपराज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ, उनके अभिभाषण, जो कि इस विधान सभा की आत्मा, इस सरकार के अच्छे कामों को मेरी सरकार कहता है, उस संवैधानिक परंपरा का स्वागत करते हुए, उसको सलाम करते हुए यह याद दिलाते हुए कि लोकतंत्र के विकास की यात्रा अभी रुकी नहीं है। यह अभी चालू है, माननीय उपराज्यपाल महोदय को संविधान की रोशनी में और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को ध्यान में रखते हुए जिन शहीदों की तस्वीर माननीय अध्यक्ष महोदय आपने लगाई है, उसको याद करते हुए, उनकी स्मृति को याद करते हुए उस यात्रा को, उस कारवॉ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। असली धन्यवाद, असली सलाम मेरा उन शहीदों के सपनों को पूरा करने की गवाही यह विधान सभा बने, तब होगी। उपराज्यपाल महोदय को बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सुंदर। राखी जी। अब देखेंगे राखी जी कितना संक्षेप में बोलती हैं।

श्रीमती राखी बिडला: मैं बहुत सर, आपको पता है कि मैं कितना कम बोलती हूँ। अध्यक्ष जी, एलजी साहब के अभिभाषण पर अपनी बात रखने से पहले उप–मुख्यमंत्री साहब से, क्योंकि पीडब्लूडी मिनिस्टर साहब हैं नहीं। आपसे सर, एक अर्ज है पीडब्लूडी की तरफ से वजीराबाद का जो पुल है, उसकी रिपेयर के लिए उसे तीन महीने के लिए बंद करने का जो है, उधर से, उन लोगों ने घोषणा करी है। इससे पूरी नार्थ ईस्ट दिल्ली का कामकाज ठप्प हो जाएगा। मेरी ऐसी विनती है और विनम्र निवेदन है आपसे कि वजीराबाद के पुल के रिपेयर का काम आप जब शुरू करें

जब सिग्नेचर ब्रिज का काम समाप्त हो जाए और वो ओपन हो जाए जनता के लिए, तो इसकी रिपेयरिंग का काम हो। बस, इतनी सी रिक्वेस्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर माननीय उप–मुख्यमंत्री ध्यान देंगे और इसको उसी तरह से किया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

एलजी साहब के अभिभाषण पर अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कल से इस पर चर्चा लगातार जारी है और आज की मैं आखिरी वक्ता हूँ एलजी साहब के अभिभाषण पर, तो अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि हमें एलजी साहब को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमें धन्यवाद देने की जरूरत है दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब को जो लगातार लाख बाधाओं के बाद, लाख परेशानियों के बावजूद दिल्ली के जो विकास की रफ्तार है, उसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के छात्रों का भविष्य और दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। मुझसे पूर्व कल से लगातार तमाम वक्ता दिल्ली सरकार ने जो कार्य किये हैं, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं लेकिन अध्यक्ष जी, मैं जो पूरे कन्क्लूजन पर पहुंची आज तीसरा अभिभाषण सदस्य के रूप में मैंने एलजी साहब का यहॉ सुना। पिछली बार दूसरे एलजी साहब थे, इस बार दूसरे। सिर्फ व्यक्ति बदले लेकिन कार्यशैली, चाल–ढ़ाल व्यवहार वही है। तो मुझे लगता है कि सरकार के कामों से तो न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ देश बल्कि विदेश के लोग भी अच्छी तरह वाकिफ हैं दिल्ली सरकार की नीयत और उनकी कार्यशैली से।

अध्यक्ष जी, एलजी साहब दिल्ली में एक ऐसी सास का काम कर रहे हैं जो कभी भी अपनी बहू के कामकाज से खुश नहीं होती। उसे हमेशा

अपनी बहू के किसी काम में किसी न किसी नुक्स निकालने की, रोकने–टोकने की आदत सी होती है लेकिन उसी बहू की तारीफ जब समाज करता है, जब रिश्तेदार करता है तो वही सास जो लगातार अपनी बहू के काम में टीका–टिप्पणी करती है, सीना चौड़ा करके बोलती है, ''आखिर बहू तो मेरी है।'' ठीक उसी प्रकार एलजी साहब तीन साल के 364 दिन हमारी दिल्ली सरकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली के शिक्षामंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बाल विकास मंत्री, एससीएसटी मंत्री सबके कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और उसमें खडूस ननद और भाभियों का रोल अदा करते हैं; हमारे आईएएस और दानिक्स अधिकारी। उसका उदाहरण देती हूँ:

हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन मोहल्ला क्लीनिक की फाइल रोकी। जब सारे के सारे विधायकों ने एलजी साहब के घर पर धरना दिया, तब जाकर कहीं फाइल पास होती है।

उसी प्रकार से जब दिल्ली की सरकार हमारे मजदूरों के आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने का काम कर रही थी और मिनिमम वेजेज का उन्होंने प्रपोजल एलजी साहब के सामने रखा, एक बार नहीं, दो–दो बार एलजी साहब ने न–नुकुर करते हुए, आब्जेक्शन लगाते हुए फाइल को दो बार सरकार के पास भेजा।

सिर्फ इतना ही नहीं जब हमने गेस्ट टीचर्स को रेग्युलर करने की बात करी, इस सदन में हमने प्रस्ताव पारित करा, तब भी एलजी साहब ने उस पर टीका–टिप्पणी करी और फाइल को कितने दिनों तक लगातार दबाकर रखा।

इसी प्रकार से डोरस्टेप फेसिलिटी देश के इतिहास में पहली बार सारी पाबंदियों को तोड़कर, सारी बेड़ियों को तोड़कर जब दिल्ली के आम आदमी को ये सहूलियतें देने का प्रयास कर रही है दिल्ली सरकार, कि उसका राशनकार्ड है, उसका जन्म प्रमाणपत्र है, उसका ड्राईविंग लाइसेंस है, उसका इन्कम सार्टीफिकेट है, न जाने कितने कागज हैं, जिसके लिए उसको लाखों घूसखोरों से दो चार होना पड़ता है। लाखों जो है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसकी तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए जब दिल्ली सरकार ने डोरस्टेप फेसिलिटी का आयोजन किया और प्रपोजल दिल्ली सरकार ने एलजी साहब के पास भेजा तो इसी खडूस सास ने क्या करा, उस फाइल को भी वापस भेज दिया।

इसी प्रकार जब नई बसों के लिए प्रपोजल भेजा, वो भी वापिस कर दिया। इतना ही नहीं, जब दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी वर्क्स की सेलरी बढ़ाने की बात करती है तो भी एलजी साहब उन गरीब महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझते, बल्कि जिन आकाओं के कहने पर उन्हें वो कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का मान और उस कुर्सी से चिपके रहने का जो उनका प्रेम है, मोह है, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब आंगनवाड़ी वर्क्स की सेलरी की फाइल रोक लेती है।

अध्यक्ष जी, सिर्फ इतना ही नहीं 364 दिन साल के और मंत्रियों के कामों में टीका–टिप्पणी रोक टोक और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 365वें दिन जब बजट सत्र का आयोजन होता है तो आकर वो कहते हैं, मेरी सरकार। ठीक इसी प्रकार से जब समाज और रिश्तेदार तारीफ करते हैं कि नहीं, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, काम में बहुत कुशल है, बहुत कुशल

गष्हणी है। तो वो कहती है, ''नही, नहीं मेरी बहू है।' उसी प्रकार से आज वो विधानसभा में कहते हैं मेरी सरकार ने स्वास्थ्य में अद्भुत कार्य करे। मेरी सरकार ने शिक्षा में अद्भुत कार्य करे। अरे! जब स्वास्थ्य में अद्भुत कार्य जब सरकार करती है तो आप फाइल रोकते हैं। जब शिक्षा में अद्भुत सरकार कार्य करने की योजना बनाती है तो आप गेस्ट टीचर्स को ये कहकर परमानेंट नहीं करते कि ये सर्विसेज का मैटर है। शर्म आनी चाहिए!

इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, इस तरह की जो सोच रखने वाली सास होती है, वो सिर्फ अपनी बहू के काम पर टीका–टिप्पणी नहीं करती। वो मौका देखती है कि कब इसके मायके वालों को भी मैं नीचा दिखाऊॅं। कब मौका मिलने पर इसके मायके वालों की भी मैं बेइज्जत करूॅं और 16 मार्च को उन्होंने किया, एलजी रूपी सास ने। जब ये आए हमारे विधानसभा के सत्र में अभिभाषण संबोधित करने। इस पूरी विधानसभा और सरकार का माइ बाप हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आप हैं। आपने जब उन्हें चाय पर आमंत्रित करा, उन्होंने आपकी बेइज्जती करी, आपका अपमान करा और रूके नहीं और इस संसदीय परंपरा को, संविधान की इस परंपरा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले गये।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूॅं कि हमारी सोच अलग हो सकती है। विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन लक्ष्य हम सबका एक है। वो एलजी साहब भी जब अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे तो उन्होंने संविधान की कसम खाई होगी। हम लोगों ने भी जब अपने अपने पद किसी भी रूप में संभाले, हमने भी संविधान की कसम खाई। केन्द्र में बैठे हुए लोग अलग अलग पदों पर आसीन हमारे सीनियर आफिसर्स हों या जूनियर,

सभी लोगों ने संविधान की कसम खाई थी; देश की जनता की सेवा करने के लिए, देश के लोकतंत्र की सेवा करने के लिए लेकिन आज सरेआम इस देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है और विडंबना देखिये, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक अजीब से तरीके से, मैं जिस तरह से बार बार संबोधित कर रही हूँ; एक ऐसी सास के नजरिये से एलजी साहब बर्ताव कर रहे हैं कि उन्हें हर एक काम पर टीका–टिप्पणी करनी है। उसके उलट दिल्ली सरकार एक ऐसी संस्कारी बहू के रूप में कार्य कर रही है कि चाहे उनकी सास उन्हें टोके। आईएएस आफिसर की लाबी जो ननद भाभी के रूप में काम को रोकने का काम करती है, वो उन्हें परेशान करे लेकिन ये संस्कारी बहू अपने मां बाप का और अपने परिवार का मान बढ़ाने के लिए हजार लाख अत्याचार सहती है लेकिन काम और अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार काम करती है। कौन हैं इस अरविंद केजरीवाल सरकार के मां बाप? दिल्ली की जनता। और इस दिल्ली की जनता के मान सम्मान के लिए चाहे आज उन्हें षड़यंत्रों के तहत जो फंसाने की कोशिश है, उन पर माफी मांगनी पड़े या फिर हमारे विधायकों को झूठे अपराधों में फंसाकर जेल काटने की सजा मंजूर है लेकिन दिल्ली के छात्र हों, दिल्ली के लोग हों, दिल्ली के वासी हों, उनके विकास पर, उनके अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा। अध्यक्ष जी, तमाम मुद्दों पर हमारे साथी बोल चुके हैं; चाहे वो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे वो हमारा जीएसटी प्लेटफार्म हो, चाहे इस सरकार के सुशासन की उंचाइयॉं हों, या फिर सरकार की दहलीज पर डोरस्टेप डिलीवरी देने वाली बात हो, उन तमाम मुद्दों पर सब लोग चर्चा कर चुके हैं। निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा था, मैं बहुत कम बोलती हूँ तो मैं इन्हीं शब्दों के

साथ अपनी बात को यहीं विराम देती हूॅ और मैं बिल्कुल कहती हूॅ कि ये जो 364 दिन हम लोगों को कोसना और 365वें दिन आकर जो है, इस चीज का क्रेडिट लेना। जनता सब कुछ जानती है लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूॅ कि आज तीन साल पूरे हुए हैं और तीन सालों के अंदर जमीन से उठाकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और तमाम चीजों को हमने उठाकर आसमान की उंचाइयों पर पहुंचाया है। दो साल और हैं, दिल्ली की सरकार के पास, आपके माध्यम से अभिभाषण पर धन्यवाद देने के साथ साथ एक और विनती एलजी साहब से कि जितने भी काम दिल्ली सरकार आपके पास भेजती है, वो किसी के भी व्यक्तिगत काम नहीं होते और न ही किसी के विधायक का व्यक्तिगत काम होता है, न मंत्री, मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री के व्यक्तिगत और उनके परिवार के जुडे हुए मसले होते हैं। ये सब कार्य, ये सारी की सारी योजनाएं दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए और उनके विकास के लिए होते हैं। तो अगर वास्तव में आपने संविधान की कसम खाई और लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो उसकी रक्षा करें, संविधान की मर्यादाओं को समझें और भविष्य में दिल्ली सरकार की भी फाइल को रोकने का आप प्रयास न करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः अब मैं माननीय उप–मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूॅगा चर्चा का उत्तर दें।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय हमें भी दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं मान रहा हूॅं। मुझे महसूस भी हो रहा है लेकिन अब समय बहुत हो गया। नहीं, प्लीज, प्लीज। मै अब सिरसा जी, मैं माफी चाहता हूॅं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूॅ मैं माफी चाह रहा हूॅं। मनीष जी को दो तीन बार कह चुके हैं, उन्हें जाना है, किसी अर्जेन्ट मिटिंग में जाना है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः बहुत धन्यवाद आपका। सिसोदिया साहब का भी जिन्होने अपने वाकया को बीच में रोका। मैं आपका अध्यक्ष साहब, आपका धन्यवाद करता हूॅं। आपने मेरे को आउट आफ द वे जाकर मेरी इमदाद की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूॅं। क्योंकि अध्यक्ष जी, हम विपक्ष से हैं। हमारी बात भी रखनी उतनी अहमियत रखती है जितनी पक्ष की रखती है। क्योंकि जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष की बात वही बता सकता है और खासतौर पर क्योंकि गवर्नर एड्रेस है तो उस पर मैं समझता हूॅं कि आपने मौका दिया। अध्यक्ष जी, जो मैने सारा अभी तक देखा और वो जो भाषण हमने एक भाषण के रूप में ज्यादा लगता है गर्वनर एड्रेस और कामों के उपलब्धियों के रूप में कम लगता है। मुझे इस बात की खुशी होती अगर सरकार ने जो वादे किये थे, उन वादों की कहीं बात की होती। तीन साल हमारे किस तरह से निकल गए, इस सरकार से एक लड़ाई झगड़े से बाहर निकलकर अगर पॉजिटिव एजेंटे को लेकर चले होते, तो मुझे लगता है आज कुछ दिन और होते।

अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए बहुत अपने आप में लज्जा आ रही है। हम ये तो बता रहे हैं कि हमने इतने स्कूलों के क्लास रूम बनाएं हैं। पर क्यूं हम ये क्लासरूमों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्कूल नहीं

बना पाए। हम उस बात को बदलकर उसके अल्फाजों को बदलकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। साढ़े पांच स्कूलों का वादा था लेकिन वो वादे के हम आसपास भी कहीं नहीं आ पा रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है हमारी कि दिल्ली के अंदर हजारों स्कूल बने हुए हैं। हम स्कूल नहीं बना पा रहे हैं तो अब हम कह रहे हैं कि हमने क्लास रूम बना दिए। अध्यक्ष जी, इसी तरह हमने बीस कॉलेज का भी वादा किया था। लेकिन ये सरकार, वो कॉलेज के वादे को भी पूरा नहीं कर पाई। अब उसके लिए भी बहाने ढूंढने शुरू हो गए हैं। मुझे सबसे बड़ी जो आज हैरानगी है और मैं उस बात को खाली सदन में ही नहीं मैं सदन से बाहर भी ये बात बोलता हूँ। देखिए दिल्ली के अंदर भरमार हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, फ्लाईओवर की, पर इसमें आम आदमी पार्टी का कौन सा है? मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे बाद अभी उप–मुख्य मंत्री साहब ने बोलना है और मैं बिल्कुल उनकी बात सुनकर जाऊँगा क्योंकि इस वक्त लीडर ऑफ आउस के तौर पर वो बोलेंगे और वो अपनी बात को रखेंगे और हमारा विपक्ष का फर्ज बनता है, उनकी सारी बातों को सुनें और उनकी उपलब्धियों को भी जानें। पर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय मनीष सिसोदिया साहब यह बताने में भी कामयाब हो कि दिल्ली में चारों तरफ जो फ्लाई ओवर का जंजाल बिछा हुआ है, इसमें आम आदमी का कौन सा है? मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि दिल्ली के अंदर इतने हॉस्पिटल हैं, मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मनीष सिसोदिया साहब एक हॉस्पिटल का नाम गिनाएं जो उनके कार्यकाल के दौरान बना हो। मुझे इस बात की भी खुशी होगी। दिल्ली के अंदर साठ से ज्यादा कॉलेज हैं, जो दिल्ली युनिवर्सिटी के अदंर चल रहे हैं, बीस हजार

ऐसे कालेज हैं जो हमारे से ग्रांट इन एड लेते है लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि कॉलेज का इन्होंने फीता काटा है, दिल्ली युनिवर्सिटी का, जो एक कॉलेज इन्होंने बनाया है, उसका नाम बताएं, मुझे बहुत ही खुशी होगी।

अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी होगी जब वो इस बात को भी बताएं कि क्या दिल्ली के लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा और आज मेरी अपनी विधान सभा के अंदर लोग त्राहि—त्राहि कर रहे हैं। हमें बार—बार पत्र लिखने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मुझे इस बात की भी अध्यक्ष जी, खुशी होगी अगर ये बताएं कि मोहल्ला क्लीनिक राजौरी गार्डन में कहॉ खुला है। मुझे इस बात की भी खुशी होगी अगर ये बताएं राजौरी गार्डन में कौन सा स्कूल खुला है। मुझे इस बात की भी खुशी होगी अगर ये बताएं राजौरी गार्डन में कौन सा हॉस्पिटल खुला है। अध्यक्ष जी मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी अगर राजौरी गार्डन में एक फ्लाई ओवर का नाम बताएंगे, मुझे स्टेडियम का नाम बताएंगे। मुझे एक भी उपलब्धि बताएं। उपलब्धियॉ क्या केवल किताबों के लिए रह गई हैं? ऐसी उपलब्धियॉ, हमने 200 क्लासरूम बना दिए। आज हमारी उपलब्धि का लेवल ये आ गया। मुझे बताएं दिल्ली के कितने लोगों को आपने सरकारी रोजगार दिया। आपने कहा था, 'हम आठ लाख लोगों को रोजगार देंगे।' मुझे उन लोगों की लिस्ट इस विधान सभा के पटल पर रखी जाए। आठ लाख नहीं, चार लाख को दिया होगा। चार नहीं, दो लाख को दिया होगा। दो नहीं, पचास हजार को दिया होगा। अध्यक्ष जी, मैं इस मंच से बोलना चाहता हूॅं। इस मंच से बोलना चाहता हूॅं, अगर हमारे माननीय मनीष सिसोदिया साहब या मुख्य मंत्री साहब अगर पचास हजार लोगों का नाम

भी इस पटल पर रख दें, जिनको इन्होंने सरकारी नौकरी दी है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं जाकर इनकी वन्दना करूँगा, चरण वन्दना करूँगा इनकी और मैं कहूँगा, मैं जाकर नैशनल चैनल्स पर कहूँगा, सरकार आठ लाख जॉब नहीं दे सकी, लेकिन सरकारी पचास जॉब दी हैं। मैं इनकी वन्दना करूँगा।

अध्यक्ष जी, अन्त में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आज नहीं दिया। पर आपने मुझे टाइम दिया, मैं उसका ग्रेटफुल हूँ। अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा मलाल है। हमने उपलब्धियों की बातें तो करी, पर कौन सी? किसी को ये भी बता दो। ये देश भर में, दुनिया भर दिल्ली बदनाम हुई, पोल्यूशन के कारण और स्मॉग के कारण। किसी को यह भी बताते जाओ। आठ हजार बसें, छः हजार खरीदनी थी, एक बस आप ले नहीं पाए। यह भी बताते जाओ। और वही टेंकर घोटला जिसमें आपने शीला को बंद कराना था, आज वही टेंकर वाले काम कर रह हैं। ये भी बताते जाओ।

अंत में यह भी बताते जाना, जब अपनी उपलब्धि गिनाओगे, तीन सौ करोड़ रुपये शीला दीक्षित दिया करती थी; रिलाएन्स को और टाटा को और हम चिल्ला–चिल्ला कर के कहा करते थे, शीला दीक्षित बेईमान है। आज उस कम्पनी को दो हजार करोड़ दिया जा रहा है। ये भी बता दें, बेईमान कौन है? आप सबका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मनीष जी।

उप–मुख्य मंत्रीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। दो दिन से माननीय उप–राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही

है। कई सत्ता पक्ष के साथियों ने अपनी बात रखी। माननीय नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी बीच में अपनी बात रख कर चले गए। इस लिए मैं ही आपसे बार–बार आग्रह कर रहा था कि मुझे जाना है, जल्दी खत्म करवाइए। लेकिन मुझे लगा कि सत्ता पक्ष के कई साथियों की बात सुनने के बाद बीच में कुछ तड़का जरूर लगना चाहिए। तो इस लिए मिर्च मसाले के लिए थोड़ा सा जरूर था दो मिनट। पर मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ फैक्चूअल रखेंगे। मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आएगी जो धारदार, भाषा प्रवाह, धारा प्रवाह लच्छेदार, इन सबकी जगह दिल्ली की जनता की बात हो; हम क्या कर रहे हैं। उप–राज्यपाल महोदय ने किस चीज का जिक्र किया, ये सरकार पिछले तीन साल से क्या कर रही है।

बहुत मुश्किल काम है आम आदमी की मुसीबतों को समझना
बहुत मुश्किल काम है आम आदमी की मुसीबतों को समझना
यूं तो खबरों से भर जाते हैं रोज सुबह अखबार।

आप रोज अखबार पढ़िए और रोज अपने गीत गाइए। विजेन्द्र गुप्ता जी चले गए। दो बैठें है, आप भी वहीं से हैं। बात तो एक ही है। आप भी कुनबे के लिए समर्पित है।

हिन्दू में बॉटकर, मुसलमानों में बॉटकर
कुछ लोग खा रहे हैं मुल्क को, टुकड़ों में बांटकर,
ये काम कठिन है मगर करना तो पडेगा,
हम पुल बना रहे हैं, उनकी बनाई खाई पाट कर।।

अगर मैं ये कहूँ कि पिछले तीन साल में इन लोगों ने जो खाइयॉ बनाई थी मुल्क में या बना रह हैं, हम तो उनको पाटने का ही काम कर रहे हैं। दिखाई तो बाद में देगा, अभी तो हम खाई पाट रहे हैं। गढ्ढे कर रखे थे। समाज में भी गढ्ढे कर रखे हैं और समाज के गढ्ढों को लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। जीते हैं ये बहुत बार। हमारा आम आदमी पार्टी का कुल, आपको, मुझे नहीं पता कि कोई कंक्रीट का पुल कभी किसी पार्टी का पुल हुआ होगा। आप कंक्रीट के पुल पर आम आदमी पार्टी का नाम ढूढंते रहिए, हम समाज के बीच में, दिलों के बीच में पुल बना रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिन खाइयों को आप बना रहे हैं समाज में, वहॉ पुनः वो पुल आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं। और अच्छा है, ईश्वर करे आपको दिखाई न दे। नहीं तो, आप वहॉ भी, आप उस पुल को गिराने की कोशिश करेंगे। उस पुल पर आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिखेगा, उस पर आपको इन्सानियत का नाम दिखेगा। क्योंकि एक गरीब आदमी देश के किसी कोने से आकर जो दिल्ली में रह रहा है, एक पीढी से, दो पीढी से, उसके बच्चे के लिए आपने कभी स्कूल नहीं खड़े किये, हम उसके लिए स्कूल खड़े कर रहे हैं। हम उसके इलाज के लिए पैसा कर रहे हैं। व्यवस्था कर रहे हैं।

विजेन्द्र गुप्ता जी भी कह रहे थे कि उपराज्यपाल जी के अभिभाषण में निराशा थी। सही बात है। आम आदमी का जिक्र होगा तो खास आदमियों को तो निराशा होगी, होगी। आम आदमी की जिन्दगी में कुछ बदलेगा तो खास आदमी को तो निराशा होनी स्वाभाविक है। अगर वो ये कहते कि मुझे उम्मीद बंधी, तो मुझे लगता कुछ कमी रह गई क्या? जब–जब आम आदमी को कुछ मिलेगा, इस मुल्क के खास आदमियों को निराशा होनी तय

है, यह प्रकषति का नियम है। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में व्यवस्थाएं पॉच परसेंट लोगों के लिए चलती हैं। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एक बड़ा सा प्लॉट बहुत बड़ा डीडीए का, किसी बड़े प्राईवेट अस्पताल को बेच दिया जाएगा और फिर उसपे बड़े बड़े लोगों के, बहुत धनाढ्य लोगों के इलाज होंगे। जब आम आदमी के इलाज की बारी आएगी तो एक शैबी सा हॉस्पिटल खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, जहॉ आम आदमी को सिफारिश के दम पे एडमिशन मिले। हमारी सरकार कर रही है ये काम कि ये जो 5 परसेंट लोगों के लिए आपने काम करने की कोशिश की है, जो बाकी की 95 परसेंट, पिछले 70 साल से छोड़े थे, हम तो उसकी जिन्दगी में बड़े गड्ढे को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा नहीं दी, पीढ़ियों दर पीढ़ी। दिखाने की जब बारी आती है, तो आपसे बढ़िया दिखानेबाज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। आप दिखाने की बात कर रहे हैं, जुमलों की बात आए, दिखाने की बात आए, नाम की चेपियॉ लगाने की बात आए, आपसे बढ़िया कौन होगा? इसमें हमारा, दुनिया के किसी... हमारा छोड़ दीजिए, इंडिया की किसी राजनीतिक पार्टी और सरकार का छोड़ दीजिए, दुनिया की किसी सरकार का मुकाबला नहीं है इसमें आपका! जब चेपियॉ लगाने का काम आता है, ये काम हमने किया था, ये इस पार्टी ने किया है, ये इस पार्टी ने किया है। हमारा तो वहॉ कम्पीटिशन ही नहीं है आपसे। हमारा कम्पीटिशन तो इसमें है कि अपनी चुनी हुई, अपनी पार्टी की एक सरकार बता दो, जहॉ सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसे बनाती हो। एक सरकार बता दो! एक सरकार बता दो! एक सरकार बता दो जहां मुल्क में, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुल्क की रक्षा में बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही को अगर गोली लगती है, तो

सरकार और देश फील करता है कि गोली मुझे लगी है। उस दर्द को कम नहीं किया जा सकता। अगर वहॉ कोई सिपाही खड़ा हो के शहीद हो जाता है, तो उसकी शहादत की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। लेकिन उसके परिवार की खातिर, बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही के परिवार से ले के दिल्ली पुलिस के सिपाही तक के परिवार को, पैरा मिलिट्री फोर्सिज तक के परिवार को, पहली सरकार है जिसने 1 करोड़ रूपये की सहायता राशि, तुरंत सहायता राशि का प्रावधान किया। आप एक सरकार बता दो अपनी, आप बड़ी बात करते हैं देशभक्ति की, देशभक्ति की, राजनीति की, बताओ, देशभक्तों के लिए करते क्या हो? बताओ। उसपे आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिखा मिलेगा। उसपे खाकी वर्दी मिलेगी, उसपे एक शहीद का चमकता हुआ चेहरा मिलेगा। तो एक क्योंकि सारी की सारी सरकारें चलाने की इनकी परंपरा पॉच परसेंट की है, उसी में से बेच लेते हैं। उसी में से कमा लें, दिखा लेते हैं, उसी में से ओढ़ लेते हैं, उसी में से ढक लेते हैं। बाकी 95 परसेंट का चोरी कर लेते हैं। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम उस 95 परसेंट को भी खर्च करवा रहे हैं। इसीलिए आज दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स, आप बताओ तो सही, हमारी तो जुम्मा जुम्मा तीन साल की सरकार है, और उसमें भी आप हमारे आधे विधायकों को भी जेल में बुलवा लेते हो, फर्जी मामलों में। कभी हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ केस करवा देते हो। हमारी तो जुम्मा जुम्मा चार साल की पार्टी, तीन साल की सरकार! उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि 15 साल और 70 साल की सरकारों में से एक सरकार मुझे बता दें कि हमने ऐसे सरकारी स्कूल बनवाएं हैं जैसे पिछले तीन साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने बनवाएं हैं। और चरण मेरे मत छुइए, उन गुरूओं के छुइए, उन इंजीनियर्स के छुइए जिन्होंने बनवाए हैं।

जिनसे पहले यहां सत्ता में बैठे लोग और अदला बदली करने वाले लोग, उन इंजीनियर्स को क्या कहते थे कि दस करोड़ का प्रोजेक्ट है, दो करोड़ मेरे भी डाल ले। आज हम कहते हैं दस करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतने कमरे बना सकते हो, थोड़ा नई टेक्नालॉजी देखो, बढ़िया एडवांस, टेक्नालॉजी आ गयी है, अब तो उसमें देखो। 200 की जगह 250 कमरे बनाने की कोशिश करो। आज ये हो रहा है। आज 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है उसमें से कोई ये नहीं कहता कि तीन परसेंट मेरा भी डाल दे उसमें। कहते हैं, 'बचेगा कितना, ये बता अंत में खर्च हुए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं खुश हूँ इस बात से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो बयान आया है कि मुझे निराशा हुई, निश्चित रूप से निराशा होनी चाहिए सरकार के अच्छे काम की नेता प्रतिपक्ष को हमेशा निराशा होनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ये कहे, किसी भी राज्य में खड़े होके, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो इसका मतलब सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जिसको जनता के हित में नहीं जा रहा और जनता सरकार से नाराज हुई। तो मैं बस, अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, जिस पे सरकार काम कर रही है, डोर स्टेप डिलीवरी हो, राशन हो, राशन की सर्विसिज हों, आंगनवाड़ी की तनख्वाह, एक सरकार बता दो। आप टीचर्स की बात कर रहे हो, नेता जी भी कर रहे थे विपक्ष के, पता नहीं, कहॉं से आंकड़े उठा के ले के आते हैं! मैंने उनको कई बार यहॉं से सलाह दी है। मैंने कहा, 'थोड़ा होमवर्क कर लिया करो डेटा पे।' एक भाजपा या कॉंग्रेस की सरकार बता दो, जहॉं ऑंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिल्ली के जितनी तनख्वाह मिलती हो? 10 हजार रुपये की तनख्वाह मिलती हो। एक सरकार बता दो? एक सरकार बता दो जहां गैस्ट टीचर्स को जितनी तनख्वाह दिल्ली सरकार दे

रही है आज की तारीख में, पूरे मुल्क में इनकी कई राज्यों में सरकार है, एक सरकार बता दो जहॉ आपकी कोई भी सरकार गैस्ट टीचर्स को इतनी तनख्वाह दे रही हो, जितनी ये दे रही है? और एक सरकार बता दो रिजल्ट में... तनख्वाहों से काम नहीं चलता है, जहॉ गैस्ट टीचर्स और टीचर्स मिलके इतनी मेहनत कर रहे हों कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट प्राईवेट स्कूलों से आगे करके दिखा दिया हो? एक सरकार बता दो? बताइए तो सही, सिर्फ एक सरकार है मुल्क में दिल्ली सरकार। जो गैस्ट टीचर्स की तनख्वाह भी बढ़ाना जानती है क्योंकि उनसे पैसे कमाना नहीं जानते। ऑगनवाड़ियों की तनख्वाह बढ़ाना जानती है, ऑगनवाड़ी हैल्पर तक की तनख्वाह बढ़ाना जानती है, जितना हम ऑगनवाड़ी हैल्पर को दे रहे हैं, उतना आप गैस्ट टीचर को भी नहीं दे रहे हो, कई राज्यों में।

अनऑथोराइज कालोनी में; चाहे सड़क नाली की सुविधा देने की बात हो, जो पर कैपिटा इन्कम बढ़ी नहीं है, जीएसटी बढ़ रही है, वो भी समझ में नहीं आएगी। पर कुल मिलाके अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूॅ कि मुल्क में हमारी सरकार में और बाकी सरकारों में अंतर इतना है कि इनकी सरकारें पॉच परसेंट के लिए काम करती हैं, उसी को मीडिया में बेच लेती हैं, उसी को विदेशों में बेच लेती हैं, उसी को तस्वीरों में बेच लेती हैं। अपनी तस्वीर न मिले तो किसी और मुल्क की तस्वीर उठा के ले आते हैं, फोटोशॉप कर लेते हैं। एक हमारी सरकार है जो 95 परसेंट पॉच परसेंट के लिए तो काम कर ही रही है, 95 परसेंट के लिए भी काम कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूॅ, आप अपने राज्य में एक सरकार बता दो जहॉ तीन साल से आपने बिजली का दाम न बढ़ने दिया हो, कम करने की तो खैर छोड़ दीजिए। इस मुल्क में किसी की औकात नहीं है कि बिजली

माफिया से बिजली कम करा के दिखा ले, अरविन्द केजरीवाल के अलावा। एक सरकार बता दो जहॉ तीन साल से... आपकी एक सरकार बता दो जहां आपने पिछले 3 साल से बिजली के दाम न बढ़ाए हों। और हम बताते हैं, दिल्ली सरकार, जिसने दिल्ली में पिछले तीन साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आप अपनी एक सरकार बता दो जहॉ पे आपने पानी मुफ्त कर रखा हो, बड़े शहरों में। दिल्ली सरकार पानी मुफ्त दे रही है लोगों को और पानी मुफ्त देने के साथ साथ पानी दिल्ली जल बोर्ड का मुनाफा भी बढ़ रहा है क्योंकि मीटरों की संख्या बढ़ रही है। ईमानदारी से एक बार तो चला के दिखाओ। हम काम कर रहे हैं और बड़े फख्र के साथ काम कर रहे हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का बहुत बहुत तहेदिल से धन्यवाद करता हूॅ और अपने सभी सदस्यों का, विपक्ष के साथियों का भी, उन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत मीनमेख़ ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाए जिसका जवाब न हो, इसलिए उनका भी धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद और माननीय उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली सरकार के पिछले एक साल के काम को विशेष रूप से आगे अपनी सरकार के रूप में प्रलक्षित करने की कोशिश की, थैंक यू वैरी मच, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदयः अब श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2018 को माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्यमंत्री जी ।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि यह सदन उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2018 को विधानसभा में दिए गए अभिभाषण के लिए, उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं; वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं; वे न कहें;
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय उपराज्यपाल महोदय को इसकी सूचना भिजवा दी जाएगी।

अब सदन की कार्यवाही 21 मार्च, 2018 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पुष्कर जी के दो हैं, ये हम कल इसको जोड़ेंगे, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 21 मार्च, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।